लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 6th LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

[खंड 18 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 21 to 32]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

विषय सूची/CONTENTS

अंक 23, बुधवार, 16 अगस्त, 1978/25 श्रावण, 1900 (शक)

No. 23, Wednesday, August 16, 1978/Sravana 25, (1900 Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न सं० 425, 526, 428 430, 432, 433 और 435 से 437	Starred Questions Nos. 425, 526 428, 430, 432, 433 and 435 to 437	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 427, 431, 434 438 से 441 और 443 से 445	Starred Questions Nos. 427, 431, 434, 438 to 441 and 443 to 445	21-27
अतारांकित प्रश्न संख्या 4139 से 4167, 4169 से 4333 और 4335 से 4338	Unstarred Questuions Nos. 4139 to 4167, 4169 to 4333 and 4335 to 4338.	27-114
'जनयुग के सम्पादक और प्रकाशक के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	*Re.* Question of Privilege against the Editor and Publisher of "Janayug"	114-115
सभा के कार्य के बारे में	*Re.* Business of the House	115
लोक सभा की कतिपय कार्यवाही कथित गलत ढंग से प्रकाशित करने के बारे में टाइम्स आफ इंडिया के संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against 'Times of India' correspondent *re.* alleged misreporting of certain proceedings of Lok Sabha	115-117
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	117-118
भाषा के प्रश्न पर विचार करने के लिये राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक के बारे में	*Re.* Meeting of Leaders of Political Parties to consider Language Question	118-119
अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	119-122
13 अगस्त, 1978 को प्रधान मंत्री के निवास स्थान के बाहर किसानों और पुलिस के बीच भिड़न्त का समाचार	Reported clash between Kisans and Police outside Prime Minister's residence on 13th August, 1978	119-124
श्री प्रद्युमन बाल	Shri Pradyumana Bal	119
श्री धनिक लाल मंडल	Shri Dhanik Lal Mandal	119
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	120
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	120
श्री के० ए० राजन	Shri K. A. Rajan	120
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	121
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	121

किसी नाम पर अंकित यह† इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the nameof a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	पृष्ठ
नर्मदा जल के बारे में वक्तव्य —	
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	
समिति के लिये निर्वाचन	
चाय बोर्ड के लिये सदस्य की नियुक्ति	
नियम 377 के अधीन मामले—	
(एक) गाड़ियों में चोरी और लट की घटनाओं का समाचार	
श्री राघवजी	
(दो) उत्तर बंगाल के पटसन उत्पादकों में संकट का समाचार	
श्री अमर राय प्रधान	
(तीन) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध सप्लाई किये जाने का समाचार	
श्री निर्मल चन्द्र जैन	
(चार) पारादीप में इस्पात संयंत्र लगाने के प्रस्ताव का समाचार —	
श्री पी० वेंकटसुबैया	
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1978	
विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० एम० पटेल	
श्री वयालर रवि	
प्रो० पी० जी० मावलंकर	
श्री आर० एल० पी० वर्मा	
खंड 2, 3 और 1	
पास करने का प्रस्ताव—	
श्री एच० एम० पटेल	
तट रक्षक विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव	
प्रो० शेर सिंह	
श्री मनोरंजन भक्त	
श्रीमती पार्वती कृष्णन	
श्री बापूसाहेब परूलेकर	
श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेगर	
श्री अमरूत कसार	
श्री विनोदभाई बी० सेठ	
डा० पी० वी० परियासामी	
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	
श्री वयालार रवि	
श्रीमती चद्रावती	

SUBJECT	PAGES
Statement *re*. Narmada Waters	122
Shri Surjit Singh Barnala	122
Election to Committee	124-125
Appointment of Members to Tea Board.	
Matters Under Rule 377	125-126
(*i*) Reported Incidents of Thefts and Looting in Trains	
Shri Raghavji	125
(*ii*) Reported crisis among the jute growers of North Bengal	
Shri Amar Roy Pradhan	125
(*iii*) Reported supply of stale milk by Delhi Milk Scheme	
Shri Nirmal Chandra Jain	125
(*iv*) Reported move to locate steel plant at Paradeep	
Shri P. Venkatasubbaiah	126
Appropriation (No. 4) Bill, 1978	126-128
Motion to consider	
Shri H. M. Patel	126
Shri Vayalar Ravi	126
Prof. P. G. Mavalankar	127
Shri R. L. P. Verma	127
Clauses 2, 3 and 1	
Motion to pass	
Shri H. M. Patel	128
Coast Guard Bill	128-133
Motion to consider	
Prof. Sher Singh	128
Shri Manoranjan Bhakta	129
Shrimati Parvathi Krishnan	130
Shri Bapusaheb Parulekar	131
Shrimati Ahilya P. Rangnekar	131
Shri Amrut Kasar	131
Shri Vinod Bhai B. Sheth	132
Dr. P. V. Periasamy	132
Shri Laxmi Narain Nayak	133
Shri Vayalar Ravi	133
Shrimati Chandravati	133

विषय		SUBJECT	
विधान मंडल या निर्वाचित निकाय का सदस्य बनने के लिए कतिपय अनर्हताएं लगाने हेतु कानून बनाने के बारे मे प्रस्ताव		Motion *re*. Enactment of law imposing certain disqualifications for becoming Member of Legislative or Elective Body	133-140
श्री ज्योतिर्मय बसु		Shri Jyotirmoy Bosu	133
श्री वसंत साठे		Shri Vasant Sathe	135
श्री आर० के० अमीन		Shri R. K. Amin	136
श्री एडुआर्डो फैलीरो		Shri Eduardo Faleiro	137
श्री बी० पी० मंडल		Shri B. P. Mandal	137
श्री एम० कल्याणसुन्दरम		Shri M. Kalyanasundaram	138
श्री यशवन्त बोरोले		Shri Yashwant Borole	138
श्री पी० जी० मावलंकर		Shri P. G. Mavalankar	139
श्री अनन्त राम जायसवाल		Shri Anant Ram Jaiswal	139
श्री वयालार रवि		Shri Vayalar Ravi	139
श्री कंवरलाल गुप्त		Shri Kanwar Lal Gupta	140
श्री मल्लिकार्जुन		Shri Mallikarjun	140
आधे घन्टे की चर्चा		Half-an-hour discussion	140-143
भविष्य निधि की बकाया राशि—		Arrears of Provident Fund	
डा० राम कृपाल सिंहा		Dr. Ram Kirpal Sinha	141
प्रो० पी० जी० मावलंकर		Prof. P. G. Mavalankar	142
श्री युवराज		Shri Yuvraj	142
सभा का अवमान		Contempt of the House	143

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 16 अगस्त, 1978/25 श्रावण, 1900 (शक)
Wednesday, August 16, 1978/*Sravana* 25, 1900 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MECHANISATION OF COIR INDUSTRY IN KERALA

*425. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the coir industry in Kerala is being mechanised;

(b) if so, whether it will not render labourers engaged in the coir industry jobless;

(c) the number of labourers engaged in this industry at present;

(d) the number of labourers likely to be thrown out of employment as a result thereof;

(e) the industry in which these labourers will be absorbed;

(f) whether Government will check mechanisation of this industry, as per its declared policy;

(g) if so, the action being taken in this regard; and

(h) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) to (h). There has been partial mechanisation in the manufacture of white coir floor coverings. There is no proposal for furthar mechanisation in the white coir industry. The brown fibre industry is largely mechanised. It is estimated that the coir industry employs a labour force of about 5 lakhs. The whole question of further mechanisation in the coir industry is presently under review and Government will take a final decision after taking all relevant aspects into consideration.

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : The Hon. Minister has given a very vague reply. I have been informed that mechanisation is still going on speedly and the entire home industry is facing a crisis. Even now, a considerable part of coir industry is in the shape of home industry. Hon. Minister has stated that five lakhs of people are engaged

in this industry. These five lakhs of people are engaged, when according to him this industry has almost been mechanised. But if this industry is run as home industry, without mechanisation, then how many workers will be engaged ?

SHRI GEORGE FERNANDES : This mechanisation, as I have stated, is in a particular area and this is not a recent development this has been done long back. Therefore, it does not arise what the honourable Member has said. Five lakhs of people have been working in this industry for a long time but it has been recently heard that in due course, work will lessen for those already engaged, but this is not so.

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : I want to know what steps are to be taken by the Government in order to prevent the mechanisation so that this home industry of Kerala could survive ?

SHRI GEORGE FERNANDES : Government had constituted a committee to carry out a study of this matter. Report of that Committee has been received. That report is being studied at present in our Ministry and the State Governments concerned are also studying it. We have asked for their comments on this report by 25th August and as soon as they are received, we shall take a decision.

श्री के० ए० राजन : श्रीमान, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत ऐसा कोई ज्ञापन मिला है जो नारियल जटा उद्योग पर कुछ प्रश्नों, यंत्रीकरण के संबंध में केरल सरकार द्वारा लागू किए गए किसी अध्यादेश और नारियल जटा विकास योजना पर सहमति के बारे में है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : माननीय मंत्री ने जिन मुद्दों का जिक्र किया है उन पर तथा यंत्रीकरण आदि जैसे अन्य सवालों पर हमें केरल सरकार से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ? इन सभी मामलों पर केरल सरकार के साथ चर्चा चल रही है ।

श्री वयालार रवि : चूंकि माननीय मंत्री को नारियल जटा उद्योग की सारी समस्या की जानकारी है, मैं यह कहना चाहूंगा कि चटाई क्षेत्र (मैटिंग सेक्टर) में यंत्रीकरण लाने के कारण विवाद उठता है। माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से मैं समझता हूं कि श्वेत नारियल जटा तथा भूरी नारियल जटा में एक नई तकनीक ईजाद की गई है । तब श्वेत नारियल जटा में भी यंत्रीकरण किया गया है । मैं उसके ब्यौरों में जाना नहीं चाहता। लेकिन यंत्रीकरण केवल एक ही क्षेत्र में किया गया है और वह है चटाई क्षेत्र । माननीय मंत्री जी ने यह भी उल्लेख किया है कि चटाई क्षेत्र में यंत्रीकरण को आगे और तीव्र किया जाएगा । इससे चटाई क्षेत्र में लगे गरीब लोगों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी । क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि शिवरमण समिति द्वारा नियुक्त की गई उप-समिति की रिपोर्ट विचार करते समय, क्या चटाई क्षेत्र में यंत्रीकरण के फल-स्वरूप होने वाली बेरोजगारी के सवाल को उच्चतम महत्व दिया जाएगा ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि नारियल जटा उद्योग में आगे किसी व्यक्ति का रोजगार छिने ।

तकनीकी जानकारी का निर्यात

*426. **श्री डी० अमात :** क्या **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में कितनी मात्रा में सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी का निर्यात किया गया; और

(ख) क्या भारतीय वैज्ञानिकों का अमरीका/ब्रिटेन तथा अन्य विकसित देशों को जाना तकनीकी जानकारी का निर्यात माना गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं के जरिये विदेशों में कई संयुक्त जोन स्थापित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त, बी० एच० ई० एल०; एन० आई० सी० डी० सी०; ई० पी० आई० एम०, एन० बी० सी० सी०; आर० आई० टी० ई० एस०; डब्ल्यू० ए०पी० सी० ओ० आदि जैसे हमारे कुछ सरकारी क्षेत्र उपक्रमों ने विदेशों में कुछ अनुबन्ध किए हैं और उन्हें कार्यान्वित किया है । इस संबंध में 1977-78 अवधि के दौरान संक्षिप्त सूचना उपलब्ध नहीं है लेकिन उसे एकत्र किया जा रहा है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) यू० एस० ए०, यू० के० तथा अन्य विकसित देशों को भारतीय वैज्ञानिकों का उत्प्रवास तकनीकी जानकारी का निर्यात नहीं माना जा सकता।

श्री डी० अमात : महोदय, मैं इन सेवाओं का स्वरूप जानना चाहता हूं और यह कि क्या ये कृषि, दवा डेरी, तथा इसी प्रकार के अनिवार्य विषयों से संबंधित हैं।

श्री मोरारजी देसाई : श्रीमान, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उत्पादन, इंजीनियरिंग उत्पादन, औषधियां, रेस्तरां और खाद्य उत्पादन, निर्माण तथा इसी तरह की अन्य वस्तुओं के क्षेत्र में संयुक्त जोखिम उठाया जाता है । यह सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग तथा इन्जीनियरिंग उत्पादन में पाया जाता है।

श्री डी० अमात : बिहार के शिक्षा मंत्री श्री गुलाम सरवल ने, जिन्होंने हाल ही में यू० के० का दौरा किया, 22 जुलाई, 1978 को पटना में एक सभा को बताया कि उच्च वेतन पा रहे भारतीय भी अपने देश की सेवा करने के इच्छुक हैं। बशर्ते कि उनकी प्रतिभा का सही उपयोग किया जाए। उनका यह भी ख्याल था कि यू० के० में काम कर रहे 1000 तकनीकी कर्मचारी भी भारत वापस आ जायेंगे। यदि उन्हें एक उचित तथा शालीन जीवन निर्वाह का आश्वासन दिया जाए । हमारा देश इन तकनीकियों, विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों को शिक्षित करने में, धन तथा निवेश के रूप में विशाल साधनों का व्यय करता है । इसलिये क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि इस देशान्तरण को रोकने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस प्रश्न से यह सवाल ही नहीं उठता।

SHRI FIRANGI PRASAD : Mr. Speaker, Sir, through you, I would like to know from the Minister whether it was true that many Indian Scientists got settled in foreign countries. Simply because they were given reasonable salary in their own country and thus this country was denied the benefit of the money spent on them ? Will the Prime Minister state how many such persons went to foreign countries during the last three years and did not come back to India ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में, यह बताने के लिये उन्हें नोटिस दिया जाने की जरूरत होगी। कि पिछले तीन वर्षों में कितने लोग बाहर गए हैं और कितने वापस आए हैं।

श्री मोरारजी देसाई : बताने से पहले मुझे ये आंकड़े इकट्ठा करने होंगे ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : प्रश्न के खण्ड (घ) के उत्तर में माननीय प्रधान मंत्री के इस उत्तर की सराहना करते हुए कि इस तरह के देशान्तरण को तकनीकी व्यक्तियों का निर्यात नहीं समझना चाहिये, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि इन भारतीय वैज्ञानिकों में से कुछ तो विकासशील देशों को भी जा रहे हैं और उन विकासशील देशों के लिये वे स्वयं को उपयोगी पा रहे हैं ? दूसरे, क्या यह भी सच है कि विकसित देशों को जाने वाले वैज्ञानिकों को, अपने ही देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ विकास को देखते हुए, यहीं पर लाभप्रद रूप से नियुक्त किया जा सकता है।

श्री मोरारजी देसाई : विकासशील देशों को जाने वाले हमारे कहने पर जाते हैं, वे स्वयं नहीं जाते, और इसलिये, वास्तव में हम अपने तकनीकी व्यक्तियों को भेजकर उनकी मदद करते हैं । जो लोग विकसित देशों को गये हैं वे या तो अधिक धन पाने की इच्छा से या बेहतर रोजगार के लिये गए हैं । मैं उन्हें वैसा रोजगार उतने ही अधिक धन के साथ यहां नहीं दे सकता लेकिन फिर भी वे यहां आएं तो उनका स्वागत है। किन्तु यदि वे यहां नहीं आते हैं तो हमारा कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है । हमारे पास ऐसे लोग काफी संख्या में हैं ।

SUPPLY OF CEMENT TO U.P.

*428. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) how many times the Uttar Pradesh Government have written to Central Government for the supply of cement during the period from January, 1978 to June, 1978 and the quantity for which they have written;

(b) the dates on which supply of cement was made by Central Government during the aforesaid period indicating the quantum of cement supplied; and

(c) whether step-motherly treatment is being meted out to Uttar Pradesh by Central Government in the supply of cement and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) A Statement showing the references received and quantum of cement required is laid on the Table of the House.

(b) Supply of Cement to the States is made continuously from various cement factories throughout the year.

(c) It is not correct to say that step motherly treatment is being meted out to Uttar Pradesh, in respect of cement supplies.

STATEMENT

Sl. No.	Reference No. and date	From whom received	Additional quantity demanded	Action taken
1.	Telex dated 30-3-78	Shri Ram Naresh Yadav, C.M., U.P.	Requested to allocate 7·0 lakh tonnes during Qr. II/78.	These requests were considered and an additional quantity of 30,000 tonnes was given to U.P. during Qr. II/1978. An additional allocation of 20,000 tonnes was also made in Quarter III/1978. These allocations are in addition to the quarterly allocations of 4·95 lakh tonnes.
2.	Letter dated 28-2-78	Shri Harish Chander Srivastava, Food & Supply Minister, U.P.	Requested to allocate 9·0 lakh tonnes during Qr. II/78	
3.	Telex dated 16-3-78	Do.	Do.	
4.	Telex dated 3-4-78	Do.	Requested to allocate 7·0 lakh tonnes during Qr. II/78	
5.	Letter dt. April 1978	Shri Mulayam Singh Yadav, Minister for Co-operation, U.P.	Requested to allocate an additional quantity of 50,000 tonnes for the construction of 3,000 godowns during 1978-79.	
6.	Letters dated 3-3-78, 8-4-78 & 14/15-4-78	Shri Balbir Singh, Minister for Irrigation, U.P.	Additional allotment for irrigation projects.	
7.	Letter dt. 11-5-78	Chief Minister, U.P.	Requested to increase the quarterly allocation.	
8.	Letter dt. 9-6-1978	Shri Harish Chandra Srivastava, Food Minister, U.P.	Requested to increase the quarterly allocation to 9·0 lakh tonnes.	
9.	Letter dt. 27-5-1978	Chief Minister, U.P.	Requested to allocate an additional quantity of 1·50 lakh tonnes during Qr. II/78.	

SHRI GANGA BHAKT SINGH : Mr. Speaker, Sir, the Honourable Minister has stated in his reply that it is not correct to say that Uttar Pradesh is getting step-brotherly treatment in the matter of supplying the cement. But, through you I want to know from the Minister whether he knows that the works of some important departments, such as, Electricity, Irrigation Project, Public Works Department, to be done on priority basis has stopped ? At the same time, a feeling of dissatisfaction is also increasing among the people because of short supply of cement. For this very reason, the Chief Minister, as well as the Food Ministry of Uttar Pradesh have requested to increase the quota but it has not been increased suitably. Besides, the Government of Uttar Pradesh have sought

the allotment of cement by the Central Government on the basis of population and projects because the existing system of distribution is not justifiable. What is the Government doing in this direction ?

SHRI GEORGE FERNANDES : So far as the criteria for allotment of cement to the States is concerned, we decide it by taking into account the average of cement allotted during the last three-four years. The suggestion that cement to the Government of Uttar Pradesh should be supplied according to the size of its population is not practicable because it is not a consumer item which should be given on the basis of population. Moreover, we cannot abruptly change the system of distribution which has been prevalent till today. While allotting cement to the State of Uttar Pradesh we have kept in view the special requirement of cement for bunds etc. and it has been our endeavour to fulfil their requirement as far as possible. There is not question of step-brotherly treatment in it. Since there is shortage of cement, we have tried, at our level best, to fulfil the requirement.

SHRI GANGA BHAKT SINGH : It is being said that as much cement is being given as is utilized there. This is wrong. Their requirement has always been of the order of nine lakh metric tonnes but this requirement was never fulfilled.

Owing to the flood havoc in Uttar Pradesh, a large number of Government buildings, houses and dwellings have crumbled to the ground and there is immediate need of cement for their reconstruction. Keeping it in view, has the Central Government made any assessment of additional requirement of cement by Uttar Pradesh this year and what amount of additional cement will the Government allot on priority basis ?

SHRI GEORGE FERNANDES : We have supplied 5.25 lakh tonnes of cement to U.P. in this quarter. A further supply of 50 thousand tonnes of cement was made during the last six months for the damage done by the floods but we will certainly supply more cement to U.P. if there is any contingency but the needs of the nation have got to be kept in view.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : I had earlier also drawn the attention of the hon. Minister to this fact that the cement bag of 50 kg only weighs 35 kg when it reaches the consumer and when the reason is asked for the manufacturer attribute it to the strewing out of the bag but the fact is that cement is packed less in bags. On the name of wastage consumer gets 15 kg less. May I know from the hon. Minister whether the gunny bags will be replaced by some other material like polythene etc. So that consumer get full quantity for the value he pays.

SHRI GEORGE FERNANDES : We have never received such complaint before that the weight is reduced by 15 kg. Since the price of new bags costs more the manufacturers use old bags two three times and on this account little cement drops out. We have referred the matter of bags to the committee that is investigating the whole industry of cement. Its report is expected by the end of September. The suggestions made by the committee will be implemented.

SHRI RAM GOPAL REDDY : The hon. Minister has stated that step motherly treatment is not being meted out to U.P. but the fact is that mother is being loved more. Is it not a fact that due to short supply of cement many Government works have come to a standstill. Have you received any such report.

SHRI GEORGE FERNANDES : Neither any body is being given step motherly treatment nor any body is being shown more favours. We allocate cement as per quotas. Every state is complaining. I hope by the end of this year we will be able to remove their complaints. We are importing cement from other countries we are augmenting our indigenous production. There are two big cement factories in U.P. One is in Dala and the other is in Churk. Last month the production of Churk was only 19 per cent of the total capacity, and the production of Dala factory was only 40 per cent of the capacity. I had a talk with the Chief Minister and I have told him of the inadequate production of our factories when country is facing shortage of cement. We are making efforts to increase the production and hope we will be able to solve this problem to a less extent in next few months.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं की कार्यकुशलता में सुधार के लिए समिति

430 **श्री के० ए० राजन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक द्वारा नियुक्त की गई समिति ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये तथा उनके अनुसंधान को अधिक संगत बनाने के लिये कुछ उपाय सुझाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताओं (प्रमुख बातों) का एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) सी० एम० आई० आर० की शासी सभा ने अपनी बैठक दिनांक 19 जून, 1978 को समिति की संस्तुतियों को विचार कर संशोधनों के साथ स्वीकृत किया है । अग्रिम कार्यवाही जारी है ।

विवरण

समिति की संस्तुतियों की प्रमुख बातें:

भूमिका :

अनुसंधान के उद्देश्यों की योजना तैयार करने में उपयोगकर्ताओं का साहचर्य-निश्चय ही वचनबद्धता और अनुसंधान के परिणामों से लाभ उठाने वाले, उसकी प्रगति की समीक्षा और उद्देश्यों का पुननिर्धारण, जहां कहां आवश्यक हो, योजनाबद्ध विकास का आवश्यक घटक है। एक वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन को जहां एक ओर कार्य करने की स्वतन्त्रता हो, वहां स्वतंत्रता के साथ मानव की निपुणताओं और वस्तुओं के श्रोतों का विकास और लघु आवधिक और दीर्घवधिक उद्देश्यों के लिये उनके इष्टतम प्रविस्तार के उत्तरदायित्व आवश्यक हैं ।

अनुसंधान प्रबंध के लिए संगठन

सामान्य :

सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपरोक्त अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयत्न के लिये अनुसंधान प्रबन्ध के लिये एक उचित संगठन की आवश्यकता होती है और प्रयोगशालाओं की बहुलता के कारण एक उपयुक्त योजनाबद्ध और प्रबन्ध, जो बाहरी साहचर्य के प्रति अत्यधिक सचेत हो, का निर्धारण किया जाना चाहिये । प्रस्तावित व्यवस्था में मुख्यालयों और प्रयोगाशालाओं के बीच तथा प्रयोगशालाओं और उपयोगकर्ताओं के बीच जीवन्त गतिमान संबंध की व्यवस्था होनी चाहिये ।

प्रयोगशाला अनुसंधान योजना व व्यवस्था

उपरोक्त के संदर्भ में प्रयोगशालाओं के कार्यों की व्याख्या निम्नांकित ढंग से की जा सकती है ।

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोगशाला का योगदान उत्तरदायित्व , और उपयोगकर्ताओं के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान को कार्यरूप में रूपान्तरित करने के लिये भाग लेना :

(ख) स्रोतों के अनुरूप अनेक संबंधित कृतकों का निर्माण,

(ग) स्रोतों का प्रभावी प्रबन्ध, अनुरक्षण और विकास,

(घ) स्रोतों के पूर्ण उपयोग के लिये लघु और दीर्घ आवधिक योजना का विकास और परिवर्तन की आशा में अनुक्रिया के लिये तैयारी

(ङ) (क) (ख) और (ग) के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आन्तरिक प्रबन्धीय तंत्र की स्थापना;

(च) विज्ञान, उद्योग, उपयोगकर्ता, योजना, बनाने वाले और परिवर्तन करने वाले कारकों में बाहर घर से उद्दीपन कर अन्योन्य क्रिया द्वारा (घ) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक तंत्र की स्थापना।

उपरोक्त को निम्नांकित की स्थापनाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है:—

कार्यकारी समिति (कार्यकरण)

निदेशक, दो या 3 व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारियों में से जो उप-निदेशक, वैज्ञानिक 'ई' स्तर के हों, वित्त और लेखाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी इस समिति में शामिल किये जायेंगे। उक्त कार्यकारिणी समिति में सी० एम० आई० आर० प्रधान कार्यालय का एक सदस्य भी शामिल किया जा सकता है जो महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य के अलावा होगा। निदेशक की इच्छानुसार और महा-निदेशक की सलाह पर एक-दो परामर्शदाता/बाह्य सदस्य समिति की सहायता के लिये नियुक्त किए जा सकते हैं। (ई) उपरोक्त के अनुसार कार्यकारिणी समिति प्रयोगशाला के आन्तरिक प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी होगी।

अनूसंधान सलाहकार परिषदें

प्रत्येक प्रयोगशाला/संस्थान में एक अनुसंधान सलाहकार परिषद् होगी जिसमें आठ से बारह सदस्य शामिल हों। परिषद् का अध्यक्ष कोई ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद्, उद्योगपति या शिक्षा, वैज्ञानिक कार्यकलापों या आर्थिक कार्यों से संबंधित प्रशासक होगा। उद्योग/सरकार, अन्य वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं/अभिकरणों, अनुसंधान उपयोगकर्ताओं विश्वविद्यालयों और सामाजिक/आर्थिक अनुसंधान संस्थानों में से अन्य सदस्य लिए जायेंगे। महानिदेशक या मनोनीत व्यक्ति और प्रयोगशाला से संबंधित समन्वय परिषद के अध्यक्ष भी इसमें शामिल किये जायेंगे।

शासी सभा की स्वीकृति से महानिदेशक द्वारा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों की परामर्श से परिषदें गठित की जायेंगी। ये परिषदें ऊपर (बी) में दर्शाये गये मामलों को आवश्यकतौर पर निपटाने के लिये और प्रयोगशाला के अधीन लिये जाने वाले कार्यक्रमों की योजनाओं के लिये प्रयोगशालाओं/संस्थानों को परामर्श प्रदान करेंगी।

सी० एस० आई० आर० प्रधान कार्यालय में योजना कार्य के लिये संगठन

योजना या अनुसधान :

सी० एस० आई० आर० केन्द्रीय कार्यालय में निर्मित अनुसंधान योजना दल क्षेत्र वार निरीक्षण करेंगे। उन दलों में बारह से पंद्रह तक सदस्य शामिल किये जायेंगे। इसका अध्यक्ष विख्यात वैज्ञानिक/उद्योगपति भारत सरकार के सचिवों, योजना आयोग के सदस्य आदि में से किसी एक को बनाया जायेगा। वे एक क्षेत्र की समस्त सी० एस० आई० आर० अनुसंधान योजनाओं पर विचार करेंगे। ये दल स्वरूप में परामर्शीय और अनुसंधान सलाहकार पैनल के समान होंगे।

अनुसंधान योजनाओं का समन्वयन

विभिन्न अनुसंधान योजना दलों के सदस्य सचिवों की सहायता से महानिदेशक द्वारा सी० एस० आई० आर० के उद्देश्यों पर एक समन्वित योजना तैयार की जायेगी जिस पर शासी सभा द्वारा विचार किया जायेगा। इस योजना द्वारा प्रयासों के अन्तर का पता लगाने में सहायता मिलेगी और उद्देश्यों तथा प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिये प्रबासों को पुनर्वितरित किया जा सकता है।

समन्वय परिषदें

समन्वय परिषदों का वर्तमान स्वरूप उसी प्रकार कायम रहेगा जैसा वर्तमान में है। शासी सभा द्वारा समस्त उद्देश्यों के अन्तर्गत और अनुसंधान योजना दलों की योजना के आधार पर अन्त: प्रयोगशाला परियोजनाओं के समन्वयकों के रूप में उनकी प्राथमिकताओं से संबंधित होंगे।

श्री के० ए० राजन : मैंने सभा पटल पर रखे गए विवरण को पढ़ा है । औद्योगिक वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा एक समिति की नियुक्ति की गई और उसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है लेकिन मेरा प्रश्न समिति के सिफारिशों के क्रियान्वयन करने के बारे में है । मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जा रहा है अथवा कि अभी उन पर विचार विमर्श हो रहा है।

श्री मोरारजी देसाई : जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अधिशासी निकाय ने कुछ परिवर्तनों के साथ इन विषयों को स्वीकार कर लिया है और वह उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं।

श्री आर० के० महालगी : उत्तर में कहा गया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अधिशासी सभा ने अपनी बैठक दिनांक 19 जून, 1978 को समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह संशोधन कौन से हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : केवल दो संशोधन किए गए हैं एक नेशनल लैबोरेट्री इन्सटीट्यूट की कार्यकारी समिति के बारे में सिफारिश है । संशोधन के अनुसार निदेशक को चेयरमैन, तीन वैज्ञानिकों, को प्रशासनिक अधिकारी, वित्त और लखा अधिकारी, महानिदेशक अथवा उसके मनोनीत और अनुसंधान परामर्शदात्री परिषद के तीन सदस्यों से कार्यकारी समिति गठन किया जाएगा । यह प्रयोगशाला की आंतरिक देखभाल के लिये जिम्मेदार होगी। वैसे तो मुख्यत: यह पहले जैसी है लेकिन इसे अधिक प्रभाव शाली बनाने के लिए यह संशोधन किया गया है ।

दूसरा परिवर्तन अनुसंधान सलाहकार परिषद के सम्बन्ध में है। सिफारिश लैबोरेटरी/इन्स्टीट्यूट की कार्यकारी समिति में अनुसंधान परामर्शदात्री परिषद के तीन सदस्यों को भी नियुक्त करने की व्यवस्था करने सहित स्वीकार की गई है ।

बम्बई पत्तन में आयातित वस्तुओं की चोरी

*432. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई पत्तन में यायातित वस्तुओं की व्यवस्थित ढंग से चोरी किए जाने के बारे में दिनांक 18 जून, 1978 के 'संडे स्टेन्डर्ड' बम्बई, में "थीविंग इन डाक" (गोदी में चोरी) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) समाचार की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है।

(ग) चोरी की रोकथाम एक निरन्तर प्रक्रिया है और स्थिति के सुधार के लिये समय-समय पर नियमित रूप से उपाय किये जाते हैं।

पत्तन क्षेत्र में सुरक्षा और चोरियों की रोकथाम राज्य पुलिस तथा पत्तन प्राधिकरण की संयुक्त जिम्मेदारी है। पत्तन द्वारा गठित उठाईगीरी निरोधक समिति चोरी के मामलों की नियमित रूप से समीक्षा करती है और समय-सयम पर सुरक्षा प्रबन्ध में सुधार का सुझाव देती है।

सरकार, ने अध्यक्ष, बम्बई पत्तन न्यास से कहा है कि वे पूरे तौर से जांच करें तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें। मामले को अब अपराध जांच विभाग को स्वतंत्र जांच के लिये भेज दिया गया है। सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से भी जांच करने को और पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही करने को कहा है।

विवरण

गोदी में चोरी

राजा चन्द्रन द्वारा
सन्डे स्टैन्डर्ड,
बम्बई, जून 18, 1978

गोदी कर्मचारी स्थायी रूप से गर्भवती लगने वाली स्त्री को "कयम ची गरोदर वाई" कहते हैं । 24 वर्ष से वह गर्भवती दिखाई देती रही है और उसके "विशेष प्रसव" में हजारों रुपये की चोरी की गई वस्तुएं होती हैं ।

यह प्रौढ़ महिला यली गैट पर तैनात सुरक्षा अधिकारी जो उसे बिना संकोच के जाने देता है, के पास से होकर बिना किसी संकोच के निकल जाती है ।

जब वह गोदी से बाहर निकलती है तो सब उसे देखते हैं, दुकानों तथा पास की ऊंची इमारतों से उसका हर कदम देखा जाता है ।

साधारण राही के लिये यह 50 वर्ष की स्त्री के दर्शन अजीब दमाशों के अलावा और कुछ नहीं होती। परन्तु बीसियों पुरुष चुपके से उसे देखते होते हैं। उसका 10 मिनट में गोवा स्ट्रीट की मन्द गति से जाना, एक जीवनक्षम कारोबार है ।

यह संवाददाता चुपचाप गोदी में जाता है और उस औरत का पीछा करता है जो ऊपरी तौर से निरर्थक सफर करती है और उसे समझ-बूझ की इस कार्यवाही से ताज्जुब होता है ।

गोवा स्ट्रीट में वह स्त्री और एक दुकान के सामने खड़ी हो गई, मोटे दुकानदार ने तब तक पलक नहीं झपकाई जब तक उसने अपनी साड़ी में से बन्डल बाहर नहीं निकाले । वह इसे अन्य ऐलेक्ट्रोनिक पुर्जों के साथ सफाई से रख देती है ।

उस स्त्री का काम चीजें सुपुर्दगी के बाद समाप्त हो गया उसके तुरन्त बाद गोदी चोरों के झुन्ड के एजेन्ट और बेदर्द महाजन इन्हें मनमानी कीमत पर चिल्ला-चिल्ला कर बेचते हैं ।

'गदोदर वाई' उन अनगणित वाहकों में से एक है जिन्होंने चोरी को अपना श्रेष्ठ व्यवसाय बनाया है । उसके पांच मददगार हैं जो भी स्त्रियां हैं । यद्यपि वे हमेशा गर्भवती नहीं दिखाई देती तथापि वे गोदी से आसानी से चोरी का माल ले आती हैं।

पुलिस, सीमाशुल्क और विभिन्न प्रवर्तन प्राधिकरणों, जिन्हें चोरी रोकने की मंजूरी दी जाती है, वास्तव में इसको प्रोत्साहन देते है । इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है और इन्हें भीतर बाहर लाने वालों को देखने से ऐसा लगता है कि इसके पास स्थाई पास है ।

गोदी पर जाने से न केवल सरकारी सांठ-गांठ की ही पुष्टि हुई अपितु कई चोरी करने वाले सिंडीकेटों का भी पता चला जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि माल सुरक्षित भण्डार से बड़ी चतुराई से उठा लिया जाता है ।

गोदी क्षेत्र बारह फीट ऊंची दीवार, जो फांदी नहीं जा सकती, से घिरी है । दीवार के ऊपर कांच के टुकड़े तथा तार की बाढ़ केवल प्रबन्ध को धोखा देते हैं । विशाल सीमा शुल्क सामान काउन्टर दीवार से ठीक चार गज पर है ।

और फिर भी, यह स्थान घाट चोरों के लिये स्वर्ग स्थान है । चोर बड़ी आसानी से दीवार, फांद जाते हैं और नीचे इन्तजार कर रही गाड़ियों में दीवार के ऊपर से माल फेंक दिया जाता है।

इस सड़क के भाग से निषिद्ध माल ले जाने वाले इतनी भली प्रकार से परिचित हो गए हैं, जिसका वर्णन ठीक दीवार तक गए पदचिन्ह साफ सांफ जांच करने पर इस बात का सबूत प्रतीत होते हैं । यहां तक कि दीवार गली की ओर झुक गई है मानो यह एक हार का प्रतीक हो ।

दूसरा जाने का स्थान वह है जहां पर एक पत्तन न्यास सुरक्षा चौकी है । यहां से सीधे जाने का रास्ता है जहां से चोरी किया गया माल जल्दी ले जाया जा सकता है जो कि अन्दर वालों के अनुसार बहुत सुरक्षित है।

जिसकी सुरक्षा अधिकारी स्वयं करते हैं। अक्सर एक टक्सी पर्दे समेत चौकी पर रुकी रहती है और माल ले जाने वालों को सौंप देती है जो अक्सर फटे कमड़ों में होते हैं । जाने वाले माल की मात्रा तो कम होती है लेकिन कार्य बड़ा होता है।

एक सोने वाला पुलिस का सिपाही तब सतर्क हुआ जब पांच वर्ष की लड़की घुसने की कोशिश कर रही थी। लड़की के घुस जाने के बाद पुलिस का सिपाही सोर्थ चला जाता है कि ऐसा संवाददाता ने दूर से देखा ।

वह लड़की अन्दर गयी कुछ मिनट में दूध के डिब्बे लेकर आयी । उसने दौड़कर दूध के डिब्बों को कुछ लड़को को दिया जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे उसे इनाम में नोट दिए गए।

ब्लू गेट में यह सामान बेचा जाता है और सामान ले जाने वाले अवारा लड़के होते हैं जो पुलिस के साथ मिले होते हैं और यही उनके शत्रु भी होते हैं जो उनको बाहर खदेड़ देते हैं।

कोई नहीं जानता कि गोदी से कितने लाख रु० की सम्पत्ति चोरी हो जाती है जबकि सरकार ने चार स्वतन्त्र सुरक्षा ऐजैन्स्यिों बना रखी हैं । पुलिस के एक उपं महानिरीक्षक सतर्कता अधिकारी हैं और फिर पुलिस के उपायुक्त हैं जो अपने स्टाफ की सहायता से येलो गेट का नियन्त्रण करते हैं। इनके अलावा सहायक आयुक्त के स्तर के प्रधान सुरक्षा अधिकारी हैं जिसके पास विभिन्न अनुभागों द्वारा नियन्त्रिक गोदी सुरक्षा चौकीदारों के अलावा के अपना स्टाफ होता है ।

ये सभी ऐजेंसियां भ्रष्ट नहीं हैं । कुछ अधिकारियों से बात करते हुए पत्रकार यह देखकर चकित रह गया कि वे स्वीकार करते हैं कि चोरियां बड़े पैमाने पर हो रही हैं ।

यह पूछे जाने पर कि सुरक्षा ऐजेंसियां क्या कर रही हैं । उन्होंने बताया कि वहां "परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त हैं" और टेलीफोन भी अक्सर खराब हो जाते हैं। परन्तु एक इंजीनियर, जो यह धंधा कई वर्षों से देख रहा था, ने कहा कि "वे परिवहन और टेलीफोन क्यों चाहते हैं?" एक दो फुट का आदमी चोरियां भी रोक सकता है ।

किसी भेदी ने बताया कि गोदी चोर इतने सुसंगठित हैं कि जब कभी बड़ी चोरी करनी होती है तो विशेष स्थानों के फोन खराब हो जाते हैं। अन्दर के ही कई व्यक्ति "सिंडीकेट" के इन बिखरे हुए दस्तों से डरते हैं। उनका इशारा था कि किसी न किसी उच्चतम अधिकारी की इन पर छत्रछाया है । यह खबर है कि गोदियों में हाजी मस्तान के अड्डे हैं । उनमें से एक ने सुझाव दिया कि एक नया गिरोह माल की तस्करी के लिये शायद एक ऐसा रास्ता तैयार करे कि जो एक सुरंग के जरिए होगा जो मोबाईल क्रेन मैंकशन से शुरू होगी और हस्पताल के निकट समाप्त होगी । यह कहा जाता है कि पुराने समय में यह एक शिवाजी का बाहर जाने का गुप्त रास्ता था जो अब मराठा योद्धा हैं वे अब वही रास्ता अपना रहे हैं ।

जब कभी बम्बई पत्तन यास की सम्पत्ति की चोरी होती है तो यैलो गेट पुलिस के पास तुरन्त शिकायत दर्ज कराई जाती है । परन्तु जहाजों से निजी सम्पत्ति की जब चोरी होती है तो संबंधित पार्टी द्वारा सदा ही शिकायत दर्ज नहीं करवाई जाती ।

इस पत्रकार ने जिस यैलो गेट पुलिस अधिकारी से बात की थी उसने इस बात के लिय अनभिज्ञता प्रकट की कि उनके पास कितने प्राइवेट मामले अनिर्णित पड़े हैं । तरवालों के मुताबिक, हाल ही के निर्यातीट्रक्टरों के मामले में यह पता लगाया गया कि 20,000 रु० के इलैक्ट्रिक पुर्जे चोरी हो गए।

निर्याती पार्टी शिकायत दर्ज कराने में अनिच्छुक थी क्योंकि जांच करने से माल की प्राप्ति में देर होने का डर था । यहां बहुत से काला धंधा करने वाले हैं जो इस मजबूरी का लाभ उठाते हैं। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि कि यहां अभी ऐसे बहुत से हैं जो कम बीजक वाले आयाती माल का अनुचित लाभ उठाते हैं।

"हम पूरी तरह से हतोत्साही होते हैं" ऐसा एक गोदी कर्मचारी ने कहा, जो वर्षों से चोरी होते देख रहा है, जो गोदी के उत्पादन की तुलना में नगण्य होता है । उसने कहा इससे उत्पादन कम हो रहा है ।

श्रमिक इसका विरोध क्यों करते, मैंने पूछा । उन्होंने दर्दनाक कहानियां सुनाई । इसमें हाल उस तकनीकी सुपरवाइजर का गुम होना है जिसने पुलिस को इन कामों के बारे में बताया तब से उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया और उसका परिवार जो चेम्बूर के निकट तिरपव में रहता है, ने सब आशाएं छोड़ दी हैं।

अन्दर के एक जानने वाले ने बताया "जब पैसा शान्ति नहीं खरीदती तो मृत्यु उसकी परिणति होती है।"

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : विवरण के अन्तिम पैराग्राफ में उन ईमानदार अधिकारियों के गुम होने के बारे में दर्दनाक कहानियों के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोग ईमानदार होने से भी डरते हैं। सरकार क्या सुरक्षात्मक उपाय करने जा रही है।

श्री चांद राम : सरकार अब तक तैनात की गई दो ऐजंसियों के बदले सैंट्रल सिक्योरिटी फोंस को तैनात करने पर विचार कर रही है।

श्री विनोद भाई सेठ : मैंने 15 दिन पहले स्वयं बम्बई पत्तन का दौरा किया था वहां की स्थिति ठीक नहीं है सामान के और आयातकर्ताओं के सामान के लिये अपेक्षित सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार आधुनिक उपायों के जरिये जैसे कि क्लोजड सर्किट टी० वी० इत्यादि लगाकर उन्हें चोरी तथा आग इत्यादि से बचाया जा सके।

श्री चांद राम : समाचारपत्रों में जो यह खबर प्रकाशित हुई है वह काफी गम्भीर है चोरों को पकड़ने के के लिए विभिन्न उपाय करने होंगे। माननीय सदस्य के सुझावों पर हम विचार करेंगे।

CHOWDHRY BALBIR SINGH : Is the hon. Minister aware of the fact that in these thefts official from top to bottom are involved and the Government will have to take strict action in this regard. Deterrent action should be taken against the guilty ones.

SHRI CHAND RAM : In a news item it has been said that in these thefts official from top to bottom are involved. There may be some truth in it. This matter has been entrusted to state C.I.D. The Chairman of B.P.T. has also been asked to take strict action against the Chief Security Officer. We have asked the Chief Secretary of Maharashtra Government that why these thefts are taking place inspite of the large police force deployed there. We have asked the Government of Maharashtra and the Chairman of Port Trust to take strict action in this regard.

CHOWDHRY BALBIR SINGH : The hon. Minister has stated that these thefts are being investigated. This is a very serious matter. I want to know what measures Government is adopting to prevent these thefts.

SHRI CHAND RAM : Perhaps the condition will improve with the introduction of Central Security Force. The suggestion made by hon. Member Shri Sheth will be considered.

POLICY OF EARLY RETIREMENT OF ARMY PERSONNEL

*433. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government still hold the same view as given in the Janata Party manifesto that shortage of trained and disciplined man power should not be allowed to take place as a result of the policy of early retirement of army personnel;

(b) if so, the improvements made in the said policy by Government during the last 15 months;

(c) whether Government propose to make use of the services of military personnel not only for providing relief during sudden calamities but also for productive purposes during peace time;

(d) if not, whether material traditions of feudal period are not being maintained by sticking to the present policy; and

(e) if so, the steps proposed to be taken by Government from the point of view based on socialism ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH) : (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The relevant portion of the Janata Party manifesto referred to by the Honourable Member reads as follows :—

> "The Indian Armed Forces constitute a splendid pool of trained and disciplined manpower which should not be lost to the nation on early retirement. Special schemes will be sought to utilise ex-Servicemen for various constructive purposes including land and water conservation programmes which call for a variety of organisational and technical skills."

2. The retirement of Army personnel at a comparatively younger age is a universal phenomenon. In our country the retirement age for different categories of personnel has been fixed keeping in view the essential requirement that Army personnel must be physically fit and resilient enough to be able to operate efficiently under all conditions of stress and strain, climatically or otherwise. Intake and wastage in the Army are planned in such a way that shortage of manpower does not occur at any stage.

3. The available trained manpower in the Army is meant essentially for the defence of the country and they have to be kept under continuous training and state of readiness for meeting any emergency effectively. As the Army is an instrument for safeguarding national security, any engagement o the Armed Forces on other work, even of a productive nature, on permanent and regular basis would mean detracting them from their primary role. Apart from rendering assistance to civil Government in various emregencies, troops are sometimes engaged, where possible, in limited programme of developmental activity in certain areas. However, their involvement in development efforts on a regular basis will not be advisable as it may effect their state of preparedness.

4. The skill which is acquired by Army personnel during their active service is utilised to the extent possible after release from the Army. Some of them are employed in Central, State Governments and Public Sector Undertakings. Private Sector enterprises also employ them. There are also self-employment schemes and training facilities to absorb such personnel according to their qualifications and training. Government have evolved suitable schemes for the purpose.

DR. RAMJI SINGH : We still have the word "socialist" in the Preamble of our Constitution. Crores of rupees are spent on our army. Can we not utilise the army in developmental work as is done in China and other countries ? It is true that we use the services of our army at the time of floods and other natural calamities, but when we are following the policy of peace and are establishing good relations with neighbouring countries, do Government feel any hesitation in formulating a policy for getting some contribution in developmental works from such a huge power of the nation, on which a large amount is spent ? I realise that it should not be imposed on the army, but can the matter of utilising our patriotic army for other works of patriotism not be discussed with high military officers ?

PROF. SHER SINGH : The major function of the army is to ensure country's security. It is necessary to get training of new weapons being invented every day and to make regular preparations. Army always comes for help in the event of contingencies or natural calamities in the country. Army also gives its contribution locally in the development works, but it is not possible to utilise the army for developmental works on a permanent basis and it is not in the nation's interest also. It is most essential to keep army ready all the time to ensure ocuntry's security in the present circumstances. If there is slackens, nation's security might be jeopardised.

DR. RAMJI SINGH : Repeated questions are being asked in Lok Sabha since 1973 as to whether the descipline, capability or efficiency of army has declined in countries where it is being utilised for developmental works and is discipline, efficiency and capability have not declined then what is the necessity of following this fuedal tradition going on for centuries ? I do not say that you impose this on them, but can the quesiton of utilising army for much needed developmental work, which is the second line of defence during peace time, not be discussed with military officers and jawans ? Have Government made any study to find out whether capability of army has decreased in other socialist countries where it is put to developmental work ?

अध्यक्ष महोदय : ये सभी नीति सम्बन्धी प्रश्न हैं।

PROF. SHER SINGH : I have submitted that our army gives its contribution in developmental works also where it is necessary and it comes to the help of State Govern-

ments in the event of any natural calamity or stoppage of some work due to certain reasons. But as I have stated earlier, it will not be in the interest of the nation to utilise army for developmental work on a permanent basis.

Secondly, there is no dearth of man-power in our country. We have got the man-power required for developmental works and it can be utilised and there will be no obstacle in development work if army is not utilised for them.

SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV : The questioner has asked to part (e) of his question 'what steps Government propose to take from the point of view based on socialism'? In this context, I would like to know whether Government have ever thought to bringing socialism in the army so that the lower employees, the jawans who fight, can be promoted and go up to the post of even Commander-in-Chief as has happened in other countries on several occasions? Whether in order to bring socialism in army throughout the country Government have under consideration a proposal to instal more than 50 per cent of the persons on higher posts by promotions?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न से पैदा नहीं होता।

SHRI MANI RAM BAGRI : Sir, the irony is that a Harijan can become the Prime Minister and Defence Minister of the country, but he cannot be recruited as a jawan in the army. A Harijan cannot be recruited as jawan, who is responsible for country's security..... ***(Interruption)***

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता।

बीस बड़े एकाधिकार गृहों की पुंजी में वृद्धि

*435. **पंडित द्वारिकानाथ तिवारी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीस बड़े एकाधिकार गृहों ने अप्रैल, 1977 के बाद से अपनी पूंजी में काफी वृद्धि कर ली है ;

(ख) मार्च, 1977 में इन बीस बड़े एकाधिकार गृहों की स्थिति क्या थी और मई, 1978 में इनकी स्थिति क्या थी;

(ग) क्या सरकारी नीति के विपरीत इन्हें बहुत से लाइसेंस दिये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ख) एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 26 (2) के अधीन 30 जून, 1978 को पंजीयित 20 शीर्षस्थ बड़े औद्योगिक गृहों की वर्ष 1972 व वर्ष 1975 की परिसम्पत्तियों के मूल्य संबंधी आंकड़े व वर्ष 1975 में परिसम्पत्तियों के मूल्यों के आधार पर उनकी दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है । बाद के वर्षों की पूर्ण जानकारी इस समय उपलब्द नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुबंध

एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 26(2) के अधीन 30 जून, 1978 को पंजीयित 20 शीर्षस्थ बड़े गृहों की वर्ष 1972 व 1975 की पसिरसम्पत्तियों के मूल्य सम्बन्धी आंकड़े व वर्ष 1975 में परिसिम्पत्तियों के मूल्यों के आधार पर उनकी क्रमवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

रुपये करोड़ों में

क्रम सं०	औद्योगिक गृह का नाम	नियमित निकायों से उपक्रमों की संख्या	परिसम्पत्तियों का मूल्य	
			1972	1976
1	2	3	4	5
1.	टाटा *	32	641.93	924.41
2.	बिरला	71	589.42	905.03

1	2	3	4	5
3.	मफतलाल .	13	183.74	244.23
4.	जे० के० सिंघानिया .	29	121.45	209.56
5.	थापर . . .	34	136.16	197.90
6.	स्किन्डिया . .	3	107.73	183.05
7.	ग्राईल इंडिया .	6	104.04	182.45
8.	ग्राई० सी० ग्राई० .	7	135.21	178.34
9.	बंगूर . .	44	125.26	172.44
10.	श्री राम . .	14	120.77	166.16
11.	ए० सी० सी० . . .	5	134.36	160.05
12.	किरलोसकर . . .	16	97.93	148.65
13.	लारसेन एण्ड टुबरो . .	10	79.03	137.69
14.	वालचन्द	20	99.47	126.78
15.	खातौ (बम्बई)	37	63.77	119.35
16.	भिवान्डीवाला	7	45.91	117.03
17.	ग्राई० टी० सी०	4	74.65	116.80
18.	मोदी	9	58.05	114.50
19.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा . . .	13	58.49	114.08
20.	साराभाई	11	84.44	110.03

*तुलन पत्र न होने की वजह से दो कंपनियों के वर्ष 1972 के ग्रांकड़ों को शामिल नहीं किया गया है।

(1) शेल्को इंडिया बीचरिंग कं०

(2) शोरी डुपलेकेटर्स कंपनी

@@एम० जी० कन्सलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड का प्रथम तुलन पत्र वर्ष 1975-76 का है।

SHRI D. N. TIWARI : Sir, I am surprised to read the statement laid on the Table of the House. He has no figures beyond 1975 whereas every company submits its balance sheet every year which is published also. I do not know why the later figures have not been given. It appears that an effort is being made to hide something. The balance sheets give all information regarding their income and whether it has increased or decreased. We do not know why this has not been done. However, it is clear from the statement for 1972—75 that some companies have increased their income by 45 to 46 per cent and some companies, as is evident from item Nos. 16, 17 and 18, have doubled their income. So I want to know what measures are being taken the Monopolies Commission to check their increase in income so that democratic set up of the country may not be affected ?

SHRI GEORGE FERNANDES : There is no question of hiding anything. It is the duty of the Department of Company Affairs to monitor the balance sheets and they have sent information upto 1975 only. Probably they have not received information beyond that or they have received information in respect of certain companies but have not been able to make full tabulation. As soon as we receive information, it will be placed before the House.

So far as the development of companies during the last few years is concerned, that development has already taken place in accordance with the capacity of licences issued to them. I have placed before the House the factual position.

SHRI D. N. TIWARI : I would like to know the steps taken by the Government to see that their wealth does not increase further and there may not be concentration of wealth in a few hands. We are being told that no licences have been given to them, but we have read in the newspapers that you have given some licences to Birla and Tata. I would like to know the true position.

SHRI GEORGE FERNANDES : Licences are issued in many fields, for instance, in case of Appendix I, it is the big houses that are entitled for that and we do give licences to them. It is true that licences have been given to Tata as well as Birla.....

SHRI D. N. TIWARY : See true reply, it is not true.

SHRI GEORGE FERNANDES : The question is—

"Whether contrary to the Government policy many licences have been given"? The answer is — "Nothing has been given contrary to the Government policy". So, there is no policy of any Government that large houses shall not be given licences.

Neither the Election Manifesto of the Janata Party nor the industrial policy of the Government have said that licences will not be issued to big houses (*interruption*). You have increased that, we will see that it comes down. The work of increasing that has been done by you, so it is not for you to argue with me in this way. You do not have any moral, legal or other right to argue.

SHRI VASANT SATHE : Are you going to reduce the licences after giving them in a big way? (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : You have to answer only his question.

SHRI GEORGE FERNANDES : I have said "No, Sir" in reply to the question. It is not that any licence has been issued in violation of the policy of the Government. It is well known that we have permitted Tatas to construct Rs. 175 crore power house. It is also well known that we have issued licences to several big concerns for manufacturing cement.

We have given them these licences because there was no other arrangement, nor is there any legal or other ban thereon. Therefore, whatever we have done has been done within the rules and within the policy of the Government. I agree with the Hon. Minister that they are expanding and their power is increasing. Consultations with different Ministries is going on as to how it can be checked and any concrete programme which is chalked out will be brought before the House.

श्री वेदव्रत बरुआ : मंत्री महोदय का वक्तव्य है कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा—सरकार ने नहीं कहा— कि वे बड़े घरानों को नहीं बढ़ने देंगे, स्पष्ट नहीं है। इसे मैं समझ सकता हूं। लेकिन सरकार क्या कह रही है। वे कह रहे हैं कि वे बड़े औद्योगिक घरानों पर पाबन्दी लगा रहे हैं। मैं इस विवाद में नही पड़ना चाहता। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि बड़े औद्योगिक घरानों के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिये आपने क्या कदम उठाये हैं। यह स्पष्ट है कि उन्होंने बहुत बड़ी अग्रिम रकमें भी ली हुई हैं। इन अग्रिम रकमों का इस्तेमाल कम्पनियों पर कम्पनियों को खरीदने के लिये किया जाता है। क्या आप इन बड़े औद्योगिक घरानों के फैलाव पर अंकुश लगाने, कम से कम लाइसेंस के मामले में अंकुश लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं? टाटा को लाइसेंस देने से पहले क्या आप उनसे कह दिया है कि उनके द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए 100 करोड़ रुपये लौटा दिए जाएं। दूसरे, मेरा विचार है कि बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों विदेशी सहयोग से फैलते हैं। क्या आप ने ऐसी कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है कि उन्हें छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचा कर ऐसा नहीं करने दिया जायेगा? तीसरे अंग्रेजी ब्रांड जैसे लगने वाले नामों के द्वारा बड़े घराने फैलते हैं। क्या आपने बड़े घरानों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले ब्रांड नामों के सम्बन्ध में कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है।

श्री जार्ज फर्नांडिज : महोदय, मेरे विचार से औद्योगिक नीति को औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिये गये धन, लगाये गये धन को वापिस करने के लिये कह कर नहीं देखा जा सकता। जब मनानीय सदस्य यह कहते हैं कि जो धन इन लोगों को दिया गया है उसे यह कहकर कि आप अपना उद्योग बन्द कर दीजिये। मैं जाकर वापिस मांगू, तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य का क्या दृष्टिकोण है। इसका उनके लिये कोई मतलब होगा, लेकिन मेरे लिये इसका कोई मतलब नहीं है। न तो यह सामान्य समझदारी है और न ही औद्योगिक समझदारी कि जिस व्यक्ति को आपने पहले से ही धन दे रखा है उससे कहें,—उद्योगपति को कहें—कि आप अब धन लौटा दीजिये। महोदय, धन को बैंक में रखा जाता, उसका निवेश किया जाता है। इसे पूंजी वस्तुओं में लगाया जाता है, इसे मशीनरी के लिये लगाया जाता है, इसे उपकरणों में लगाया जाता है। धन को कहीं भी रखा या पूजा नहीं जाता। (**व्यवधान**)। दूसरा मुद्दा विदेशी सहयोग से सम्बन्धित है। यहां तक विदेशी सहयोग का प्रश्न है, मेरे विचार में सरकारी नीति सही नीति है। जहां कहीं भी हमें विदेशी सहयोग की आवश्यकता है, जहां कहीं भी हमें विदेशी जानकारी की जरूरत है हम विदेशी सहयोग लेंगे और विदेशी जानकारी प्राप्त करेंगे। (**व्यवधान**)। मैंने हमेशा ही यह कहा है कि जहां कहीं भी हमें टैक्नोलोजी की जरूरत है, इसे हमें प्राप्त करेंगे :

इसे मैं अपनी शर्तों पर प्राप्त करूंगा । इसे मैं अपने देश के हितों को ध्यान में रख कर, न कि किसी और से हितों को ध्यान में रखकर प्राप्त करूंगा। जहां तक ब्रांड नाम का प्रश्न है, सरकार की यह नीति है कि देश में जो भी विदेशी ब्रांड नाम हैं, उन्हें धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए ।

SHRI RAM BILAS PASWAN : In the declared policy of Janata Party, it has been clearly stated—

"End of Monopoly

Our aim is economic and industrial self-reliance. At the same time, we have to put a check on monopoly and centralisation of economic power. The Monopoly Commission had been reduced to an ineffective body. Advantage of this is being taken by big capitalists and multi-nationals. Janata Party will check this trend."

In view of this policy enunciated in the Election Manifesto of Janata Party. I want to ask the Hon. Minister whether it is true that between July 1977 and December 1977, licences worth Rs. 172 crores have been given to the big capitalists without asking for the advice of the Monopolies Commission, and that, as reported by the Financial Express in June this year, the largest number of licences of the value of Rs. 72 crores has been given to the Birlas ?

SHRI GEORGE FERNANDES : So far as the question of ineffective implementation of R.P.T. Act is concerned, about which there is a mention in the Janata Manifesto also, the Rajendra Sacchar Committee is considering it. We hope to get its report by the end of the next month. Further action will be taken after the recommendations of the Committee are received.

The House has discussed on a number of occasions the issue of licences given between July, 1977 and December 1977. No rules have been violated in any way while issuing these licences.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आरम्भ से आप का ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं । आप जानबूझ कर इसे टाल रहे हैं। यह कैसा रवैया है।

अध्यक्ष महोदय : आप कई बार इस पर विचार कर चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमारी इस मामले में दिलचस्पी है ।

REGULARISING THE SERVICES OF HINDI OFFICERS

*436. SHRI ANANT RAM JAISWAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether in the various Ministries of the Government of India, Hindi Officers have been working on ad hoc basis for the last ten years;

(b) if so, the total number of posts of Hindi Officers in all the Ministries of the Government of India;

(c) the number of regular and ad hoc appointments out of them;

(d) the basis on which ad hoc appointments are made and the reasons for which these posts are not regularised for such a long time and are continued on ad hoc basis; and

(e) the time by which the Hindi Officers working on ad hoc basis will be regularised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) to (d) According to available information many Hindi Officers are working on an ad hoc basis in various Ministries of Government of India. The precise and uptodate information asked for in the question is being collected from all Ministries and Departments and will be laid on the table of the House as soon as it becomes available.

(e) The Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) are taking action to evolve a central cadre of Hindi posts in various Ministries/Departments and attached offices. After formation of proposed cadre, regular appointments to the posts of Hindi Officers will be made according to the provisions of the proposed rules and in consultation with Union Public Service Commission.

SHRI ANANT RAM JAISWAL : Honourable Chairman, I have got a grievance. When you allow the supplementary questions, only a few persons come in your notice. It is requested that sometime we should also be attended to.

अध्यक्ष महोदय : मेरी केवल दो आखें हैं ।

SHRI ANANT RAM JAISWAL: So many officials have been working as Hindi Officers for the last 10 years in various Government Departments. The first mistake of the Government is this that neither any service rules have framed for their services, nor they have been regularised.

Second mistake is this—about 4 years earlier the Personnel and Administrative Reforms Department had suggested that service rules should be framed for them. Having accepted it certain departments framed the rules, while others did not do so. Wherever these rules were framed, they were promoted from junior officers to senior officers. But where these rules could not be framed, they are still lying in desperate situation.

Keeping in view both these mistakes will you regularise them without any further delay. They should not suffer due to the mistake on your part. The irregularity in the seniority should also be removed.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: Sir, we have committed no mistake.

SHRI ANANT RAM JAISWAL: They have done nothing for the last 10 years. Now they say that they have committed no mistake.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: You first listen to me. Sir, it is quite correct that the Hindi Officers are working in various Ministries and Departments. According to the information received they are 70 in number, but this number may vary. Therefore, I have said that we have asked for upto-date and definite information. As soon it is available, it will be put on the table of the House.

I agree that there are certain discrepencies in the recruitment rules, service conditions, pay scales etc. of these persons. When this came in the notice, there a model law was formed in 1968. The Personnel Department has also formed a model law in consultation with the Home Department in Official Language Deptt. They have also requested the various department to implement it in consultation with the Union Public Service Commission and the work should be done according to this. When the Union Public Service Commission started working on it, then some persons of the Hindi Directorate who are working under the Education Department moved to the court and filed a writ petition. Since then this matter has been pending in the court. Therefore, there was no mistake on our part. The Honourable Member has asked about the formation of Hindi Cadre. This matter is at an advanced stage and is lying before the Union Public Service Commisison. When it is received back from there, then it will implemented and the discrepencies referred to by you will be removed.

SHRI ANANT RAM JAISWAL: Sir, I have not received the complete answer of my question.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: You will next.

SHRI ANANT RAM JAISWAL: My second question was—when the matter of Hindi cadre was initiated and why it has not been processed uptil now? Apart from this will you allow the Hindi translators, assistant to appear in the limited examination for the promotion to the Section Officers of English.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: Nothing can be said about the time it may take, because the matter is pending in the Union Public Service Commission. I cannot say when will it be received backs. When it is received, it will be sent to the various departments for the comments of those persons who are working there. It may take some time and I cannot say anything definitely in this regard.

SHRI RAM KANWAR BERWA: The Honourable Minister has told that some persons have taken this matter to the court. I would like to know whether the Government has held up the action in the matter, when it was taken to court. Is the Government not taking any interest? If not so, when will these persons be regularised.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: The Government has not diminished it interest, As I have told a joint Hindi cadre is being formed. When this is actually formed, then all this will be doing according to the rules.

SALE OF GREY AND PROCESSED CLOTH BY TEXTILE CORPORATION (M.P.)

*437. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) whether mostly grey cloth is sold in the market despite modernisation of Processing Departments by investing crores of rupees in the seven mills functioning under the Textile Corporation (M.P.);

(b) if so, the quantum of grey and processed cloth sold from January, 1976 to June, 1978 mill wise separately;

(c) the percentage of processing capacity being utilised in each mill and in case full capacity is not being utilised, the extent of loss being suffered by the Textile Corporation thereby;

(d) the quantum of cloth intended to be sold as processed cloth but was sold as grey cloth at cheap rates; and

(e) the number of such transactions made, the loss suffered by the Corporation and the number of such transactions being made at present?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The average percentage of processing capacity utilised (April—June, 1978 base) in each mill is as follows:—

		%
(i)	Indore Malwa United Mills Indore	80
(ii)	Kalyanmal Mills	91
(iii)	Swadeshi Cotton & Flour Mills	87
(iv)	Hira Mills	97
(v)	Burhanpur Tapti Mills	78
(vi)	Bengal Nagpur Cotton Mills	60
(vii)	New Bhopal Textile Mills	71
	Total (Average)	81

The above percentage achieved in respect of capacity utilisation in processing compares favourably with other mills. Hence the question of the Subsidiary suffering loss on this account does not arise.

(d) The question is not clear. If the question intends to raise the allegation that processed cloth has been sold as grey cloth at cheap rates, no such instance has come to the notice of Government.

(e) Does not arise.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has replied very cleaverly and it is quite clear that he had tried to mislead the House as well as the country. I shall humbly request to the hon. Prime Minister that the case relating to NTC may be handed over to some other Minister after withdrawing it from him. He has replied 'No, Sir' to part (a) of my question. Sir, a lot of money has been invested in the mills in Madhya Pradesh and plants have been set up, but he has no information The reply given by him has been prepared by his Ministry and he himself has not seen it. In reply to part (b) he has said "Does not arise". I have sought this information from him regarding the quantum of grey and processed cloth sold during the period from January, 1976 to June, 1978. He has replied "Does not arise". It means the cloth was produced but was not sold.

Mr. Speaker, Sir, he has said in reply to my question that its purpose is to make an allegation. Sir, I have got a newspaper cutting which shows the quantum of grey cloth which is sold. I want to quote from it.

> "Recently on 13-6-1978, the Sales Manager of the Mill at Rajnandgaon sold one lakh metre of cloth of 4008 quality vide Contract No. 501/78. I can reveal the name of the Party. The cloth was sold to M/s. Suraj Cloth Services, Indore, at the rate of Rs. 2.21 per metre. The same cloth measuring two lakh metres was sold to party of Ahmedabad." But he has denied the sale although the sales Manager has sold it.

Even today thousands of yards of cloth is sold as second class cloth although it belongs to first class category. People complain to the controller, but no action is taken. That is how loss to the tune of lakhs of rupees is being incurred in these mills. I have written several letters to the Minister, but he has no time to go through them. He would always write that he is enquiring into the matter but no enquiry is conducted. It is my humble submission to the hon. Minister that I am not satisfied with the reply given to my question. Even today there is enough stock of cloth. Will the hon. Minister get an enquiry conducted as to how much grey and processed cloth has been sold. He has given a wrong answer and has told a lie. He should give his reply based on full and factual information.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, the hon. Member has raised certain specific matter mentioning one or two names. We will look into it. He has termed my reply as a lie and said that it has been prepared by my Ministry. I may tell him that I do not prepare the answers. They are prepared by my Ministry and whatever answer I give, I own full responsibility for that.

Sir, the question was :—

> "Whether mostly grey cloth is sold in the market despite modernisation of Procession Departments by investing crores of rupees in the seven mills functioning under the Textile Corporation (M.P.)"

The answer is very clear. No body has said that grey cloth is not being sold. The question was 'whether mostly grey cloth is sold' which is not correct.

I may tell the hon. Member that 757 lakh metres of unprocessed cloth and 963 metres of processed cloth was produced by these seven mills in 15 months during January, 1976 to March, 1977. We have now received figures for the next 15 months also, i.e. for the period from April, 1977 to June, 1978. 552 lakh metres of unprocessed cloth and 1102 lakh metres of processed cloth was produced during this period. It is clear that production of unprocessed cloth is decreasing while that of processed cloth is increasing.

So far as the question of losses worth crores of rupees by these seven mills is concerned, it is a fact that these seven mills are incuring heaviest losses. The N.T.C. units in West Bengal and Madhya Pradesh have suffered the heaviest losses. There are many causes for that, but I will not go into details. The mills in Madhya Pradesh incurred losses to the tune of Rs. 8.22 crores to Rs. 7.70 crores in 1976-77 and we are trying to reduce it further to 5.57 crores during 1977-78. There are many reasons for these losses. If any specific case is brought to our notice we will look into it.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Is it true that the main reason for losses by these seven mills of N.T.C. is that Chairman Srivastava is totally an incapable person? He was appointed in a wrong manner during emergency. Although he was appointed upto last June, yet he has not been removed. Several complaints against him have been made to the Ministries. I want to know what action has been taken thereon. Are you prepared to remove the Chairman?

SHRI GEORGE FERNANDES: So far as the question of losses incurred by these seven mills of Madhya Pradesh is concerned the main reason is not an individual but the whole situation prevailing there. Excepting West Bengal, the machines in these mills are perhaps the oldest. Secondly there has been the problem of marketing of the manufactured goods for a long-time. The labourers have refused to handle the work load prescribed in the NTC mills of the country. They are not acting according to the agreement. Recently, I was in Bhopal. There I talked to the Chief Minister and the Labour Minister. They both admitted that they were unable to find a solution to the problem of NTC Mills.

The fourth reason is that the power situation has not been good since last October and 20 per cent power cut has been imposed there.

So far as the appointment or removal of the Chairman or any other person is concerned, we make appointments according to rules. If any specific instance of violation of law is brought to our notice, we are prepared to proceed after conducting an enquiry.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन की हानि

*427. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्ष पूर्व और इस समय बिजली की कमी के कारण देश के औद्योगिक उत्पादन की कितनी हानि हुई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिजली के क्षेत्र में देश का पूंजी निवेश कितना है और आगामी तीन वर्षों के दौरान प्रस्तावित पूंजी निवेश कितना है;

(ग) क्या अधिक राशि के पूंजी निवेश के बावजूद बिजली उत्पादन की क्षमता की दर निरन्तर कम रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) केवल विद्युत की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में हुई कमी का मूल्यांकन करने के लिए कोई सुनिश्चित तरीका नहीं है। तथापि, विद्युत की कमी के कारण उत्पादन में की अवश्य होती है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाते हैं कि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को आवश्यकतायें, विद्युत की कमी के दौरान भी पूरी की जाती रहे।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष 1978-79 के दौरान विद्युत क्षेत्र में निवेश का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	निवेश
	(करोड़ रुपये में)
1975-76	1195.7 (वास्तविक)
1976-77	1484.3 (प्रत्याशित)
1977-78	1890.3 (प्रत्याशित)
1978-79	2217.2 (अनुमोदित परिव्यय)

(ग) और (घ) प्रतिष्ठापित क्षमता में अभिवृद्धि के सम्बन्ध में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी चौथी योजना (1969-74) के दौरान बहुत अधिक थी।

कमी के मुख्य कारण ये हैं :—

1. परियोजनायें तैयार करने, उनका अनुमोदन करने और उन्हें स्वीकृत करने में लगा समय।
2. निर्माण के लिए अपर्याप्त आयोजना।
3. निधियां समय पर विमोचित न की जाना।
4. सीमेन्ट तथा इस्पात जैसी आवश्यक निर्माण सामग्री की कमी।
5. संयंत्र तथा उपस्कर की सुपुर्दगी में देरी।
6. उपस्कर की बेतरतीब सुपुर्दगी।
7. परियोजनायें शुरू करने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही में जैसे विशिष्टियां तैयार करने, निविदायें आमन्त्रित करने, संविदायें देने में लगा समय तथा समग्र समन्वय को तथा कारगर परियोजना प्रबन्ध की कमी।

CONTRACT FOR MODERNISATION OF EIGHTY SPINNING RING FRAMES

*431. SHRI MADAN TIWARY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a contract for modernisation of eighty spinning ring frames of one of the Mahalaxmi and Edward Mills in Rajasthan was awarded to a party for rupees eighty lakhs at the rate of rupees one lakh for each frame before 1977;

(b) if so, the name and address of that party and the name of the mill to which the contract pertains as also the name of the then Chairman-cum-Managing Director, of N.T.C. (Delhi, Punjab, Rajasthan) subsidiary; and

(c) whether quotations for the aforesaid contracts were also invited from other parties

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

भारी इंजीनियरिंग एककों की स्थापना हेतु आशय पत्र

*434. **श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि भारी इंजीनियरिंग एककों की स्थापना हेतु आशय पत्रों के लिए उनके आवेदन-पत्रों को सरकारी क्षेत्र के कहने तथा सलाह पर रद्द कर दिए जाने के गम्भीर मामले को उनके ध्यान में लाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार अधिक उत्पादन और उचित प्रतिस्पर्धा के हित में भारी उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रवेश को पहले ही विफल बनाने के प्रयासों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) तथा (ख) 23 दिसम्बर, 1977 को संसद में प्रस्तुत किए गए औद्योगिक नीति विवरण के पैरा 21 में भारत में सरकारी क्षेत्र की स्थिति को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। किसी विशेष उद्योग के सम्बन्ध में आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय सरकारी क्षेत्र के एककों की क्षमता सहित विद्यमान क्षमता की तुलना में उस उद्योग के उत्पादों की मांग को सरकार ध्यान में रखती है। इन सभी मामलों में औद्योगिक नीति विवरण के अनुरूप विभिन्न पार्टियों को आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने से पूर्व सरकारी क्षेत्र के एककों के हितों को ध्यान में रखा जाता है।

कोयला खानों में श्रमिक अशान्ति

*438. **श्री के० प्रधानी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में श्रमिकों में असन्तोष बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कोयला खानों के नाम क्या हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) चालू वर्ष के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में हड़तालों और शान्ति व व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटनाओं की संख्या गत वर्ष की इसी अवधि से अधिक रही है। ऐसी घटनायें लगभग सभी कम्पनियों में हुई है और इस बारे में किसी खास खान अथवा खानों का नाम लेना सही नहीं होगा। कोयला कम्पनियों के प्रबन्ध मण्डल कामगारों की शिकायतों के बारे में यूनियनों से निरन्तर बातचीत करते रहे हैं। कोयला उद्योग की "द्विपक्षीय समिति" को पुनर्गठित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं यह समिति मजदूरी के संशोधन और उद्योग में से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर विचार करेगी। जहां तक शान्ति और सुव्यवस्था का सम्बन्ध है, बिहार व बंगाल में यह समस्या अधिक गभीर है और वहां की राज्य सरकारों का ध्यान इसकी ओर आर्कषित किया गया है।

ALL INDIA HANDICRAFTS BOARD SCHEME FOR PROVIDING EMPLOYMENT IN RURAL AREAS

*439. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether some comprehensive scheme has been drawn up by the All India Handicrafts Board for providing employment to the people in rural areas;

(b) if so, the details thereof and the employment target set therein;

(c) the employment target fixed thereunder for Madhya Pradesh and the districts in which it will be introduced; and

(d) whether training centres for carpet industry are being run by the above Board in Madhya Pradesh and if so, the districts in which they are being run;

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) to (c) The schemes of the All India Handicrafts Board are developmental in nature and seek to impart employable skills to freshers or superior skills to existing craftsmen and also provide guidance in matters like marketing and designs.

(d) With the assistance of the All India Handicrafts Board, the Madhya Pradesh Handicrafts Board and the Laghu Nigam Udyog Ltd., Bhopal, have set up 16 Centres—6 in Gwalior, 2 in Jabalpur and 4 each in Rewa and Datia districts.

फिल्म प्रिन्टों की तस्करी

*440. **श्री फकीर अली अंसारी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि सीमाशुल्क अधिकारियों के भरसक प्रयासों के बावजूद, फिल्म प्रिंटों की तस्करी जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) फिल्म प्रिंटों की तस्करी से बाहर ले जाए जाने के क्या मुख्य कारण हैं;

(घ) क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अपराध के लिए दण्डित किया गया है ; और

(ङ) इस गैर-कानूनी व्यापार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) से (घ) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) फिल्मों की तस्करी करने का मुख्य कारण भारतीय फिल्मों, जो कुछ देशों में बहुत ही लोकप्रिय है, के अनधिकृत निर्यात से बेहिसाब वाला धन अर्जित करने की इच्छा हो सकता है ।

(ङ) भारत से भारतीय फिल्मों की तस्करी को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । इनमें बाहर जाने वाले यात्रियों के सामान की निकासी पर कड़ी निगरानी, सन्दिग्ध माल-पोतों के प्रस्थान से पहले उनकी पूर्ण जांच-पड़ताल और तलाशी और बन्दरगाह तथा मुख्य पत्तनों के अन्य गर्म क्षेत्रों के भीतर गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और चौकसी शामिल है ।

विवरण

1975 से 1978 तक पकड़ी गई फिल्मों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	फिल्म का नाम	रीलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और उनकी संख्या	मामले की स्थिति
1	2	3	4	5
1975	अराधना	18	के० साधवन नायर	ये फिल्में एक जलपोत से पकड़ी गई थीं ।
	अनुराग	3		मामले पर अधिनिर्णय दिया गया । फिल्में

1	2	3	4	5
	दो पार	11		जब्त कर ली गई। जलपोत को 30,000/– रुपए का जुर्माना देने पर छोड़ दिया गया श्री के० माधवन नायर पर 5,000/- रुपए और अन्य पांच पर पांच-पांच सौ रुपए जुर्माना किया गया। श्री माधवन नायर पर मुकदमा चलाया गया। अभियुक्त को 15-11-1977 को छोड़ दिया गया।
	शिकार	9		
	दो शेर	15		
	आइरोयल द्रवन	1		
	आजाद	15		
	ब्रह्मा, विष्णु, महेश	14		
	प्यासा	6		
	धर्मयोगी	11		
	रिवाल्वर रीटा	11		
	मिनाथारुवी कोलककेसु	6		
	कुल :	120		

(सभी फिल्में एक साथ पकड़ी गई थी, इसलिए एक मामला बना)

1976	*पारस	17	लावारिस	फिल्में एस० एस० द्वारका नामक पोत से लावारिस स्थिति में पकड़ी गई थीं। फिल्में जब्त कर ली गई हैं। कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।
	*रोटी	16		
	*यादों की बारात	16		
	कुल:	49		
1977	गीता मेरा नाम.	17	1. श्रीकान्त वी० हर्षे, ट्रैफिक असिस्टेंट, आई० ए० 2. पदमकुमार वी० तिवारी, ट्रैफिक असिस्टेंट, आई० ए० 3. रामवाला सिंह, लीडर, इंडियन एयर लाइन्स	"गीता मेरा नाम" 15-3-1977 को शांताक्रूज हवाई अड्डे पर पकड़ी गई थी। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अधिनिर्णय अभी दिया जाता है। अधिनिर्णय के बाद मुकदमा चलाने के बारे में विचार किया जायेगा।
	पापी	18	1. चन्दु के० चांदीरमणि 2. चन्द्रु बल्लभ-दास 3. इस्माइल मोहम्मद मुसाज 4. पोती मैथराज गेही	"पापी" 27-7-77 को शांताक्रूज हवाई अड्डे पर पकड़ी गई थी। सभी व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उत्तर अभी *प्राप्त होने हैं। मुकदमा चलाने के बारे में अधिनिर्णय के बाद विचार किया जायेगा।

*एक साथ पकड़ी गई।

1	2	3	4	5
			5. डी० आर० देशपांडे असिस्टेंट सैक्शन सुप्रिंटेंडेंट, (एयर इंडिया) 6. एस० के० हिगोरानी, ट्रैफिक असिस्टेंट, (एयर इंडिया)	
			इस मामले में तस्करी से सम्बन्धित दो व्यक्ति देव भाटिया और डी० एन० ऐज अभी भी फरार हैं। इनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। *इस्माइल मोहम्मद मुसेजा अरब के राष्ट्रिक हैं। वे जमानत तोड़कर फरार हो गए हैं। बताया गया है कि वे दुबई भाग गए हैं।	
	गोपी	9	दोनों फिल्में बाहर	अधिनिर्णय अभी दिया जाना है।
	दो रास्ते	17	जाने वाले यात्रियों के सामान की जांच करते समय 12-10-77 को एक साथ लावारिस रूप में बम्बई की गोदियों में पकड़ी गई थीं।	
1978	देवदास (हिन्दी)	5	श्री राबर्ट जान्सटन	फिल्में पकड़ी गई थीं। मामला न्याय निर्णयाधीन है। व्यक्ति को 11-1-78 को जमानत पर छोड़ दिया गया।
	तलाक (हिन्दी)	4		
	पति-पत्नि (हिन्दी)	4		
	कारीगर (हिन्दी)	4		
	आसरा (हिन्दी)	4		
	अण्डर केपरीकोन (अंग्रेजी)	3		
	दि मैन हू न्यू टू मच (अंग्रेजी)	1		
	कुल:	25		

कोयला उद्योग का पुनर्गठन

*441. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री भारत सिंह चौहान } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला उद्योग को पुनर्गठित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा संवर्गों के अधिकारियों की संख्या

*443. **श्री वसन्त साठे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा संवर्ग के अधिकारियों को इन सेवाओं के बनने के समय, कितनी संख्या थी और अब इन अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इन सेवाओं का उचित ढंग से विकास नहीं हो रहा है और इसके कारण क्या हैं और इन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है;

(ग) तदर्थ सहायक निदेशकों/अनुसन्धान अधिकारियों को मन्त्रालयवार, संख्या कितनी है जिनकी सेवा में सम्मिलित नहीं किया गया है और वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के सन्दर्भ में उनको इन सेवाओं में नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) तदर्थ और नियमित आधार पर विद्यमान सहायक निदेशकों/अनुसन्धान अधिकारियों/उपनिदेशकों/सहायक आयुक्तों के संवर्गतर पदों को मन्त्रालयवार संख्या कितनी है और उन्हें संवर्ग में शामिल करने/नियमित बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि उनके पदोन्नति के अवसरों को व्यवस्थित किया जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। भाग (क) के उत्तर में दिए गए विवरण से यह प्रकट हो जाता है कि: भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के विभिन्न ग्रेडों में विकास सन्तोषजनक रहा है।

(ग) भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-4 में सम्मिलित पदों पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे सहायक निदेशकों/अनुसन्धान अधिकारियों को मन्त्रालय/विभागवार संख्या को प्रकट करने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

वेतन आयोग ने भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा में सहायक निदेशकों/अनुसन्धान अधिकारियों को तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने की कोई सिफारिश नहीं की है।

(घ) आर्थिक/सांख्यिकीय कार्यों वाले ऐसे पदों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है, जो भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा से बाहर है और जिन पर इन दो सेवाओं के सदस्य प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं।

आर्थिक/सांख्यिकीय कार्यों वाले पदों को भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के उपयुक्त ग्रेडों में संवर्गबद्ध करने के प्रश्न को निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

विवरण I

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा को उनके प्रारम्भिक गठन (1-11-1961) तथा उस समय की पद संख्या

ग्रेड	पदनाम	वेतनमान	भारतीय आर्थिक सेवा		भारतीय सांख्यिकीय सेवा	
			1-11-61 को पद संख्या	1-8-78 पद संख्या	1-11-61 को पद संख्या	1-8-78 को पद संख्या
1	निदेशक	रु० 1800-2000	15	28	8	14
2	संयुक्त निदेशक	रु० 1500-1800	15	40	7	29
3	उप निदेशक	रु० 1100-1600	95	137	54	108
4	सहायक निदेशक	रु० 700-1300	199	363*	116	360**
			324	568	185	411

*इनमें छुट्टी, प्रतिनियुक्ति तथा ट्रेनिंग रिजर्व के 111 पद सम्मिलित हैं।

**इनमें छुट्टी, प्रतिनियुक्ति तथा ट्रेनिंग रिजर्व के 73 पद सम्मिलित हैं।

विवरण II

1-8-78 को तदर्थ आधार पर धारित भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-IV पदों की संख्या

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	ग्रेड IV के पदों में तदर्थ नियुक्तियों की संख्या	
		भा०आ०से०	भा० सां० से०
1.	योजना आयोग	39	8
2.	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग)	25	4
3.	अर्थ कार्य विभाग	13	—
4.	कृषि तथा सिंचाई विभाग	20	16
5.	वाणिज्य तथा सिविल पूर्ति मन्त्रालय	20	4
6.	गृह मन्त्रालय	2	7
7.	उद्योग मन्त्रालय	8	1
8.	कम्पनी कार्य विभाग	4	2
9.	श्रम मन्त्रालय	18	11
10.	नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय	3	1
11.	निर्माण तथा आवास मन्त्रालय	1	5
12.	सांख्यिकीय विभाग	—	55
13.	पूर्ति विभाग	—	10
14.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय	—	9
15.	रक्षा मन्त्रालय	—	11
16.	इस्पात तथा खान मन्त्रालय	—	5
17.	पैट्रोलियम मन्त्रालय	—	1
18.	पर्यटन तथा सिविल विमानन मन्त्रालय	—	1
		153	151

विवरण III

1-8-1978 को भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय साँख्यिकीय सेवा के अधिकारियों द्वारा धारित ग्रेड-III/ग्रेड-IV स्तर के आर्थिक/साँख्यिकीय कार्यों वाले संवर्ग बाह्य पदों की संख्या

क्रम सं०	मन्त्रालय/विभाग का नाम	उप निदेशक/सहायक आयुक्त आदि के स्तर पर पदों की संख्या जो भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों द्वारा धारित भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-III के समकक्ष हैं।		सहायक निदेशक/अनुसन्धान अधिकारी आदि के स्तर पर पदों की संख्या, जो भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों द्वारा धारित भा० आ० से०/भा० सां० से० के ग्रेड 4 के समकक्ष हैं।	
		आर्थिक कार्य	सांख्यिकीय कार्य	आर्थिक कार्य	सांख्यिकीय कार्य
	1	2	3	4	5
1.	विदेश मन्त्रालय	2	—	—	—
2.	कृषि विभाग	6	3	—	—
3.	योजना आयोग	12	—	—	—
4.	औद्योगिक विकास विभाग	4	1	—	—
5.	ग्रामीण विकास विभाग	4	1	—	—

1	2	3	4	5
6. वाणिज्य विभाग	2	—	1	—
7. सांख्यिकीय विभाग	1	3	—	—
8. रक्षा मन्त्रालय	1	1	—	—
9. खाद्य विभाग . .	1	—	—	—
10. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	—	1	—	—
11. पैट्रोलियम विभाग .	1	—	—	—
12. गृह मन्त्रालय .	2	4	—	—
13. केन्द्रीय जल आयोग	1	—	—	—
14. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	2	—	—	—
15. सातवां वित्त आयोग	5	—	—	—
16. राजस्व तथा बैंकिंग विभाग	—	2	—	—
17. निर्माण तथा आवास मन्त्रालय	—	1	—	—
18. खान विभाग	—	1	—	—
19. संस्कृति विभाग	—	1	—	—
	44	19	1	—

राज्यों में कोयले की व्यवस्था

*444. **श्री टी० ए० पई :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने राज्यों में ही कोयला प्राप्त करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है ।

(ख) इन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सुझाव के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय हिन्दी सचिवालय सेवा का संवर्ग

*445. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय हिन्दी सचिवालय सेवा का एक संवर्ग बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संवग को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार का विचार सम्बन्धित कर्मचारियों को अपना मत देने का अवसर उपलब्ध कराने और सभी सम्बन्धित कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखने की दृष्टि से सभी मन्त्रालयों को आपत्तियों और टिप्पणियों हेतु प्रारूप नियमों को परिचालित करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) : जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

NEWS ITEM "IS JAHANARA THE KEEPER OF INDIRA's LOOT"

4139. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing on the front page of the weekly 'Blitz' dated the 10 June, 1978 under the caption 'Is Jahanara the keeper of Indira's loot'; and

(b) if so, whether Government will state the factual position ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) Yes, Sir. On 2-5-1978, one Shri K. N. Agarwal, lodged a written complaint at P. S. Parliament Street against Smt. Jahanara Jaipal Singh alleging that on 26-4-1978, she had obtained from him two diamonds weighing about 8 carats valued at approximately Rs. 10 lakhs on the promise of making the payment same day after withdrawing the money from the Bank. However, as the payment was not made in spite of repeated requests she was asked to return the diamonds which she did. However, the two diamonds which were returned were underweight and not also of the same purity. On being told about the suspected replacement of the original diamonds Smt. Jahanara Jaipal Singh stated that she was still willing to buy the diamonds and pay the price agreed to originally. She thereafter took the two diamonds but did not make any payment. A case FIR No. 319 dated 3-5-1978 u/s 420 IPC P. S. Parliament Street, has been registered and the investigation of the case has been entrusted to the Crime Branch of the Delhi Police.

कोला पेय

4140. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोला पेय कोला नट के सत के बिना भी बनाये जा सकते हैं और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोला पेय के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने खाद्य मानदण्डों की केन्द्रीय समिति (सैन्ट्रल कमेटी फार फूड स्टण्डर्डस) की राय मांगी है कि कोला पेयों में कोला नटों के सत होने चाहियें अथवा नहीं।

राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय

4141. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निश्चय करने के लिए किन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : राष्ट्रीय आय तथा प्रतिव्यक्ति आय का निश्चय करने के लिए जिन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है उन्हें स्पष्ट करने वाली एक टिप्पणी संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 2654/78]** ।

तीसरे विश्व के लिये प्रदूषण का निर्यात तथा एस्बेस्टोस संयंत्र की स्थापना

4142. **श्री ओम प्रकाश त्यागी**
श्री महेंद्र सिंह सैयांवाला } : क्या **उद्योग** मंत्री 2 जुलाई, 1978 के सन्डे स्टैंडर्ड के पृष्ठ 10 पर "यू० एस० एक्सपोर्टिंग पोल्यूशन टु दि थर्ड वर्ड" शीर्षक से समाचार के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) क्या श्रमिकों की सुरक्षा की आवश्यकता के बिना देश में एक एस्बेस्टास संयंत्र स्थापित किया जाना है।

(ख) क्या यह संयंत्र राष्ट्र में स्वास्थ्य के लिए संकट कारक नहीं होगा और

(ग) यदि हां, तो देश में ऐसी परियोजनायें स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) सरकार को अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

"लायर्स स्ट्राइक अफेक्टस वर्क इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

4143. **श्री राजेश्वर सिंह**
श्री शिव सम्पत्ति राम
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1978 के "स्टेटसमैन" में "लायर्स स्ट्राइक अफेक्टस वर्क इन डिस्ट्रिक्ट कोर्टस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जो दिल्ली में 3000 वकीलों की हड़ताल के बारे में है तथा जो हड़ताल उच्च न्यायालय तक भी फैल सकती है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त हड़ताल के क्या कारण हैं और वकीलों की मांगें पूरी करने तथा हड़ताल टालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। पहाड़गंज पुलिस थाने के अधिकारियों द्वारा एक वकील को गिरफ्तार करने और हथकड़ी लगाने में कथित निरंकुशता के विरोध में 18 और 19 जुलाई, 1978 को तीस हजारी कोर्टस से लगभग 350 वकील और नई दिल्ली कोर्ट से 200/300 वकील जिला न्यायालयों में उपस्थित नहीं हुए। पुलिस उपायुक्त, अपराध द्वारा घटना की जांच के परिणामस्वरूप पहाड़गंज के एस० एच० ओ० को 19-7-78 को निलम्बित कर दिया गया। पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी घटना की स्वतन्त्र जांच करने का आदेश दिया है। हड़ताल 19 जुलाई, 1978 को खत्म कर दी गई थी।

सीमेंट की कमी के कारण 50 लाख गृह निर्माण मजदूरों का बेरोजगार होना

4144. श्री युवराज : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की कम सप्लाई होने के कारण 50 लाख से अधिक गृह निर्माण मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है :

(ख) क्या सरकारी भवनों और आलीशान होटलों के निर्माण को छोड़कर, मध्यम आय वर्ग द्वारा मकान बनाने की गतिविधि ठप्प हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो सीमेंट की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई कब की जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा को सीमेंट की सप्लाई

4145. श्री पदमाचरण सामन्त सिंहर : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा राज्य सरकार को अपेक्षित सीमेंट की सप्लाई नहीं कर रही है :

(ख) यदि हां तो उड़ीसा राज्य को वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए कितनी मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता है ;

(ग) इस मांग में से कितनी मात्रा में सीमेंट की सरकार के विकास सम्बन्धी कार्य के लिए आवश्यकता है और

(घ) उड़ीसा राज्य सरकार को वस्तुतः कितनी मात्रा में सीमेंट की सप्लाई की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) उड़ीसा और अन्य राज्यों को सीमेंट का आवन्टन पिछली खपत और वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर कुल उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार 1977-78 की सीमेंट की आवश्यकता 5.34 लाख मी० टन की और 1978-79 की पहली तीन तिमाहियां की आवश्यकता 3.78 लाख मी० टन थी।

(ग) राज्य सरकार ने बताया है कि सरकारी विकासपरक निर्माण कार्यों के लिए 1977-78 में और 1978-79 की पहली तीन तिमाहियों में क्रमशः 2.87 लाख मी० टन और 2·38 लाख मी० टन सीमेंट क जरूरत थी।

(घ) राज्य वर्ग के अन्तर्गत 1977-78 में उड़ीसा को 3.47 लाख मी० टन सीमेंट भेजा गया था। राज्य वर्ग के अधीन 1978-79 की पहली तिमाही (अप्रैल-से जून) में उड़ीसा को भेजी गयी सीमेंट की अनन्तिम मात्रा 1.32 लाख मी० टन है।

केरल में जनजाति विकास

4146. **श्री के० कुन्हम्बू**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को वाईनाड में जनजातीय विकास के लिए धन का कोई विशेष आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल सरकार ने राज्य में जनजातीय विकास के लिए क्या प्रस्ताव किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) केरल सरकार ने वाईनाड के जनजाति क्षेत्रों समेत राज्य के जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए एक उपयोजना तैयार की है। 1978-79 के लिए राज्य के उप-योजना क्षेत्रों के लिए आवंटित विशेष केन्द्रीय सहायता 26 लाख रुपये है (8 लाख रुपये आदिम जातियों के लिए)। विशेष केन्द्रीय सहायता सम्पूर्ण उपयोजना क्षेत्र के लिए है और क्षेत्रवार अथवा योजनावार आवंटन नहीं किया जाता है।

(ग) जन जाति विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए उप-योजना प्रस्तावों में कृषि, सिंचाई, भू-संरक्षण, पशुपालन, उद्योग तथा सामाजिक सेवायें इत्यादि जैसे सभी विकास शीर्ष आ जाते हैं।

मैसर्स पौरिटस एण्ड स्पैसर (एशिया) लिमिटेड द्वारा ब्रिटेन से पुरानी मशीनों का आयात

4147. **श्री अनन्त दवे** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पोरिट्स एण्ड स्पेसर (ऐशिया लि०), फरीदाबाद ने ब्रिटेन से 5 लाख रुपयों के मूल्य की पुरानी मशीनों का अपने निदेशकों के नाम में पूंजी निवेश दिखाकर और उतनी राशि के शेयर देकर आयात किया है।

(ख) यदि हां, तो कम्पनी द्वारा पांच लाख रुपयों की पुरानी मशीनें खरीदने का क्या मानदण्ड है; और

(ग) कम्पनी के निदेशकों द्वारा ब्रिटेन को यह भारी धनराशि भेजी जाना रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति आभा माईति) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

बाम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप किरकी पुणे के असैनिक कर्मचारियों से अभ्यावेदन

4148. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार की बाम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप किरकी, पुणे-3, के असैनिक कर्मचारियों से उनकी शिकायतों के बारे में 12 जून, 1978 को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) स्थानीय प्राधिकारियों से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है।

"हसीना" डाकू के शरीर का प्रदर्शन

4149. **श्री माधवराव सिंधिया**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पुलिस व्यक्तियों द्वारा चम्बल बीहड़ों की डाकू "हसीना" के नंगे शरीर के प्रदर्शन की ओर दिलाया गया है जोकि कलकत्ता में प्रकाशित होने वाले 6 जुलाई, 1978 के "सण्डे" मैगजीन में छपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान आम जनता तथा विशेषकर महिलाओं में व्याप्त असंतोष की ओर भी दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार इसे महिलाओं के प्रति अशोभनीय और समाज में शिष्टता के सामान्य कानूनों का उल्लंघन समझती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सम्बन्धित राज्य सरकार को सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सलाह देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान। फिर भी समाचार 16 जुलाई, 1978 के सण्डे मैगजीन में छपा था।

(ग) टीकमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में 26/27 मई, 1978 को उ० प्र० पुलिस के साथ मुठभेड़ में डाकू हसीना तथा अन्य की मृत्यु में मैजिस्ट्रेरियल जांच के आदेश पहले ही दे दिए हैं। मैजिस्ट्रेट की जांच में हसीना के नंगे शरीर के तथाकथित प्रदर्शन की भी छानबीन की जाएगी तथा जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी।

(घ), (ङ) तथा (च): राज्य सरकार को मैजिस्ट्रेट की जांच पूरी होने पर उपयुक्त कारवाई की सलाह दी जाएगी।

आई० बी० एम० के मनमाने मानदण्ड

4150. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या **इलेक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि आई० बी० एम० के मनमाने मानदण्ड के कारण क्षमता का कम उपयोग हो रहा है, जिस से ग्राहकों को नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या सरकार की माइक्रोप्रोसेसरों वाले मिनी कम्प्यूटर बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) तथा (ग): मिनी कम्प्यूटरों का उत्पादन हैदराबाद स्थित मैसर्स इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सन् 1970 से किया जा रहा है। उन्होंने माइक्रो-कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों के लिए उत्पादन एकक भी स्थापित किया है। कुछ अन्य उत्पादन अभिकरण भी माइक्रो-प्रोसेसर (सूक्ष्म-संसाधित्र) पर आधारित प्रणालियां बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। इस उद्योग को और अधिक व्यापक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मिनी कम्प्यूटर/माइक्रो-प्रोसेसर पर आधारित प्रणालियों के लिए एक व्यापक औद्योगिक और प्रौद्योगिक नीति तैयार की गई और उसे 11 मई, 1978 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया। मिनी कम्प्यूटर के निर्माण के लिए प्राप्त औद्योगिक अनुमोदन सम्बन्धी सभी आवेदन-पत्रों पर इसी नीति के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

क्योट और काईबर्था जातियों को अनसूचित जातियों में शामिल किया जाना

4151. **श्री गिरिधर गोमांगो**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा की अनुसूचित जातियों की सूची में क्योट और काईबर्था (मछुओं) जातियों को शामिल करने के लिए उनके मन्त्रालय को वर्ष 1975 में उड़ीसा सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सिफारिश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क), (ख) तथा (ग): उड़ीसा सरकार ने प्रस्ताव किया था कि उड़ीसा में धेवर, क्योटा और काईबर्था को देवर अनुसूचित जाति का पर्याय/उप-जातियों के रूप में सम्मिलित किया जाए। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि "देवर" मछुओं के धेवर, क्योटा और काईबर्था समुदायों से अलग सम्प्रदाय है। इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि उड़ीसा के ये मछुआ समुदाय अस्पृश्यता

की प्रथा पर आधारित वास्तविक कठिनाईयों से पीड़ित थे जो किसी भी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए मुख्य मानदंड है । इसलिए इन मछुओं समुदायों को उड़ीसा की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता।

अन्दमान में कृषि की जोत

4152. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान उत्तर, मध्य और दक्षिणी अंदमान में कृषि जोतों की, गांव-वार और तहसील-वार कितनी बार नीलामी की गई थी और कुल मांग कितनी थी; और

(ख) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस प्रकार ली गई भूमि को लौटाया जाये और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

क्रम सं०	गांव	नीलामी की संख्या	कुल मांग की राशि
	उत्तर अन्दमान	**डीगलीपुर तहसील**	
1.	राधानगर	2	194.71 रु०
2.	शिवपुरम	2	6675.64 रु०
3.	केरलापुर	1	3219.10 रु०
4.	लक्ष्मीपुर	1	2121.01 रु०
5.	सागर द्वीप	1	947.11 रु०
	मध्य अंदमान—रंगत तहसील		
1.	सवरी	1	22.18 रु०
2.	भरत पुर	2	37.52 रु०
3.	विश्नपुर	2	54.61 रु०

दक्षिणी अन्दमान—शून्य

(ख) अंदमान प्रशासन के अनुसार श्री महानन्द विश्वास, प्रधान, नीम्बूतला से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि तहसीलदारों द्वारा नीलामी बिक्री की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए । चूंकि ये मामले उन आवादकारों के हैं जिन्होंने कृषि जोतों को छोड़ दिया था और लापता थे, कृषि जोतों की नीलामी साधारण राजस्व कानून के अधीन मालगुजारी के बकाया की वसूली करने के लिए पूरी की गई थी।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मन्जूरी

4153. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ आवेदन-पत्र निर्णय के लिए सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) इन मामलों का कब तक निपटान कर दिया जायगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : 31-7-1978 तक उन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या जिन्हें पेंशन मंजूर की गई तथा स्वीकार्य लिखित साक्ष्य के अभाव में दाखिल दफ्तर किए गए मामलों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) : प्रारम्भिक जांच के लिए कोई आवेदन अनिर्णीत नहीं पड़ा है। परन्तु आवेदकों से स्वीकार्य लिखित साक्ष्य तथा राज्य से निर्दिष्ट सिफारिशों के अभाव में 37633 आवेदन पत्रों को दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। इन कागजातों के प्राप्त होने पर मामलों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और उपयुक्त मामलों में पेंशन मंजूर कर दी जाएगी।

विवरण

31-7-1978 तक उन स्वतंन्त्रता सेनानियों की राज्यवार संख्या जिन्हें पेंशन मंजूर की गई तथा आवेदकों/राज्य सरकारों से स्वीकार्य लिखित साक्ष्य के अभाव में दाखिल दफ्तर किए मामले।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या जिन्हें पेंशन मंजूर की गई।	आवेदकों/राज्य सरकारों से स्वीकार्य लिखित साक्ष्य के अभाव में दाखिल दफ्तर किए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	5	36
2.	आन्ध्र प्रदेश	6095	2082
3.	अरूणाचल प्रदेश	—	—
4.	असम	3893	3724
5.	बिहार	19133	12080
6.	चण्डीगढ़	93	23
7.	दिल्ली	2041	141
8.	गोआ	542	397
9.	गुजरात	2979	86
10.	हरियाणा	3838	276
11.	हिमाचल प्रदेश	1598	131
12.	जम्मू और कश्मीर	1082	3
13.	केरल	2392	2777
14.	कर्नाटक	7303	1465
15.	मध्य प्रदेश	2817	621
16.	महाराष्ट्र	10500	1231
17.	मणिपुर	97	390
18.	मेघालय	68	23
19.	मिजोरम	1	4
20.	नागालैंड	7	9
21.	उड़ीसा	3728	512
22.	पांडिचेरी	227	28
23.	पंजाब	9787	3030
24.	राजस्थान	1017	75
25.	तमिलनाडु	4083	309
26.	त्रिपुरा	634	833
27.	उत्तर प्रदेश	18110	1544
28.	पश्चिम बंगाल	14528	5803
	योग	116598	37633

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN DISTT. SURAT (GUJARAT) DURING SIXTH PLAN

†4154. SHRI CHHITUBHAI GAMIT : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) number of villages proposed to be electrified in the district of Surat in Gujarat during Sixth Five Year Plan and the amount of money to be spent thereon; and

(b) number of the villages out of them which will be electrified in the year 1978-79 ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) The State Electricity Board has intimated that about 300 villages in Surat district are likely to be electrified during the five-year period 1978-83. It is estimated that about Rs. 3 crores would require to be spent for electrification of these villages.

(b) About 60 villages are expected to be electrified during 1978-79.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी एसोसियेशन

4155. **श्री शिव सप्पत्ति राम**
श्री ए० मरुगेंसन } : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1978 के अन्तिम सप्ताह में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसदीय फोरम की ओर से संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल गृह मन्त्री से मिला था और अन्य बातों के साथ साथ सरकार में और सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी एसोसिएशनों को मान्यता देने के प्रश्न पर चर्चा की थी;

(ख) क्या ऐसे एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान करने के लिए वह सिद्धान्त रूप में सहमत हो गए थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) सरकार की यह नीति है कि जाति अथवा सम्प्रदाय के आधार पर बनाए गए कर्मचारियों के किन्हीं पृथक संघों को मान्यता प्रदान न की जाए, क्योंकि एक बार सेवा में आने पर, सरकारी कर्मचारियों के सेवा हित समान होते हैं और उन्हें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य समुदायों के कर्मचारियों के आधार पर अलग-अलग विभक्त नहीं किया जा सकता।

तेल के कुओं के संरक्षण के लिये नई पनडुब्बियों का निर्माण

4156. **श्री धर्म सिंहभाई पटेल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय का विचार बाम्बे हाई में तेल के कुओं के संरक्षण के लिये नई पनडुब्बियां खरीदने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) बाम्बे हाई के तेल के कुओं के संरक्षण के लिए इस समय क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) अन्य देशों के साथ युद्ध की स्थिति में बाम्बे हाई के तेल के कुओं के संरक्षण के लिए कितनी एवं किस प्रकार की पनडुब्बियां तथा अन्य उपकरण सरकार के पास उपलब्ध हैं; और

(घ) सरकार ने बाम्बे हाई के तेल कुओं के संरक्षण के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं अथवा कब और कैसे किए जाने हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) सरकार ने बम्बई हाई में केवल कुओं के संरक्षण के लिए कोई पनडुब्बी नहीं खरीदी है। परन्तु किसी प्रकार के सशक्त संघर्ष के दौरान बम्बई हाई क्षेत्र का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। इस बारे में पूरे ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

IMPORT OF SYNTHETIC FIBRE DURING 1977-78 AND 1978-79

4157. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the quantity of synthetic fibre imported during 1977-78 and the quantity proposed to be imported during 1978-79; and

(b) whether it is a fact that the price of cotton has fallen and the cotton growers are suffering loss as a result of the above import ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) 8,716 tonnes of synthetic fibre (polyster fibre) were imported during 1977-78. Under the current policy, Actual User import of man-made fibres has been placed under Open General Licence. Thus the quantity proposed to be imported during 1978-79 has been left to the actual users.

(b) The cotton prices of most of the varieties have declined during the last six months but they are above the support prices announced by the Government. During the corresponding period of last season also, cotton prices had declined by about the same margin. Hence, the cotton growers are not suffering loss due to imports of synthetic fibres.

टेलीमोको पुल के लिये ठेका

4158. **श्री ए० के० राय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर नदी पर टेलीमोको पुल बनाने का ठेका धनबाद, बिहार स्थित एच०एस०सी०एल० को दिया गया है, यदि हां तो उक्त ठेके का ब्यौरा क्या है और इसके पूरी होने की निर्धारित तारीख कौन सी है;

(ख) क्या यह सच है कि पुल के निर्माण में विलम्ब हो रहा है जिससे धनबाद और बोकारों के बीच संचार सम्बन्धी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां। टेलीमोको पुल के निर्माण का ठेका बिहार सरकार ने सर्वश्री हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के साथ 66.41 लाख रुपए की एक मुश्त राशि के लिए 22-12-75 को किया। पुल को 31 मार्च, 1978 को पूरा किया जाना था।

(ख) और (ग) : पुल की नीव कठोर सतह-तल में ले जानी है जहां कम धंसाई हो। इसके अलावा यह आवश्यक है कि विभिन्न सतहों से चट्टानों के नमूने लेकर भूविज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण करवाया जाए ताकि नीव सतह की उपयुक्तता का पता चल सके। एक नीव के निकट उत्क्रम भ्रंश स्थान के कारण कुछ विलम्ब हुआ है क्योंकि अधिक गहराई के लिए भूवैज्ञानिक परामर्श से भूमि के नीचे और विस्तृत जांच की आवश्यकता है। तनुघाट बांध से पानी की असामयिक निकासी से भी कार्य की प्रगति में कुछ रुकावट आई है। फर्म कठोर तल में कुओं की नीवें धसाने के लिए पर्याप्त संख्या में कुशल गोताखोरों का प्रबन्ध नहीं कर पाई। मौजूदा पुल तंग और कमजोर है। अतः यहां केवल एकतरफा यातायात है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी वजनी ट्रकों के लिए यहां तेज गति से चलने पर प्रतिबन्ध है।

पुल को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग से समय समय पर बैठकें करके प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों को उच्च स्तर पर दूर किया जा रहा है।

विदेशों का दौरा करने वाले अधिकारियों पर व्यय

4159. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय के किन किन अधिकारियों ने गत चौदह महीनों के दौरान विदेशों की यात्रायें की, उनका यात्रा करने का उद्देश्य क्या क्या था तथा उन्होंने किन-किन देशों की यात्राएं की;

(ख) इन यात्राओं पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या विभागीय अधिकारियों की विदेश यात्रा के लिए कोई प्रक्रिया अथवा नियम है; और

(घ) गत दो वर्षों 1975-76 और 1976-77 के दौरान इन यात्राओं पर कितना व्यय हुआ ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (घ) रक्षा मन्त्रालय और रक्षा सेवाओं से अफसरों को मुख्यतया रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक स्टोर उपस्कर आदि प्राप्त करने अथवा उनका देश में उत्पादन करने के लिए अथवा विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए विदेश भेजा जाता है। विदेश भेजने के उद्देश्य के अन्तर्गत समझौता-वार्ता करना, प्राप्त किए जाने वाले उपस्करों, मशीनों तथा स्टोर का निरीक्षण करना, प्राप्त उपस्करों मशीनों और स्टोर सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करना, भारत में ऐसी मदों का उत्पादन स्थापित करना, और इसी तरह के उद्देश्य सम्मिलित होते हैं।

अफसरों को कभी-कभी व्यावसायिक अथवा वैज्ञानिक मामलों से सम्बन्धित सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भी विदेशों में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

सेनाओं के अध्यक्ष सद्भावना यात्रा पर विदेश जाते हैं जो आमतौर से अन्य देशों के सेनाध्यक्षों के हमारे देश का दौरा करने के उत्तर में होते हैं।

गत चौदह महीनों में विदेशों की यात्रा करने वाले रक्षा मन्त्रालय अथवा रक्षा सेनाओं के अफसरों की संख्या, उनके दौरों पर हुआ व्यय, और वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में इसी प्रकार के दौरों पर हुए व्यय के तुलनात्मक आंकड़ों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में प्रतिनियुक्ति के सभी मामलों को वित्त मन्त्रालय और मन्त्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में गठित जांच समिति (सक्रीनिंग कमेटी) की पूर्व अनुमति के लिए भेजा जाता है और उनमें रक्षा मन्त्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। विदेशों में प्रतिनियुक्ति के मामलों के बारे में प्रधान मन्त्री द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों का अनुसरण किया जाता है।

अलग-अलग मामले में प्रतिनियुक्त किए गए अफसरों के नाम अथवा विदेशों में उन्हें भेजने का प्रयोजन बताना सुरक्षा के हित में नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारी स्टोर प्राप्ति, उत्पादन, प्रशिक्षण अथवा अनुसन्धान आदि अथवा जिन स्रोतों से उन्हें प्राप्त किया गया है, उन के सम्बन्ध में संकेत प्रकट हो जायेंगे अथवा संकेत मिल जायेंगे।

सरकारों के बीच और अन्य ठेकों तथा समझौतों के मामलों में भी सूचना देने से विदेशी मित्र सरकारों के लिए परेशानी हो जाएगी और ठेके सम्बन्धी अथवा अन्य बचनबद्धता भंग हो जाएगी।

बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की गतिविधियां

4160. **श्री पी० एस० संगमा**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि तस्करी तथा अन्य गतिविधियों में सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों के अन्तर्ग्रस्त होने के कारण पश्चिम गारो हिल्स जिले तथा मेघालय में बंगला देश सीमा के साथ-साथ तस्करी, डाके तथा पशुओं को उठा ले जाने जैसे अपराधों में वृद्धि हो गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): जी नहीं, श्रीमान। इसके विपरीत सीमा सुरक्षा बल द्वारा सख्त कदम उठाये जाने के परिणामस्वरूप, तस्करी और अन्य सीमावर्ती अपराध गत दो वर्षों में काफी कम हो गए हैं। इससे समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियां काफी रुक गई हैं।

श्री के० के० बिड़ला तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जाना

4161. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या श्री के० के० बिड़ला, श्री आर० पी० गोयन्का, श्री जीतपाल तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध उन्हें गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील): (क) श्री जीत पाल तथा अन्यों के विरुद्ध दिनांक 22-7-1978 को न्यायालय में एक आरोप-पत्र दायर किया गया था। श्री के० के० बिड़ला, श्री आर० पी० गोयन्का तथा अन्यों के विरुद्ध मामलों की अभी जांच चल रही है।

(ख) श्री के० के० बिड़ला, श्री आर० पी० गोयन्का तथा अन्यों के विरुद्ध मामले की जांच-पड़ताल में बहुत अधिक दस्तावेजों तथा गवाहियों की जांच अन्तर्ग्रस्त है। इसमें समस्त देश में फैले विभिन्न स्रोतों से दस्तावेजों का पता लगाया जाना तथा उनका अभिग्रहण किया जाना भी अन्तर्ग्रस्त है। फिर भी, मामले की जांच अपने अन्तिम चरणों में है।

पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि लगान विभाग को उपकर की अदायगी

4162. **श्री रोबिन सेन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि लगान विभाग को उपकर की भारी राशि की अदायगी करनी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस बात को देखेगी कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा बकाया उपकर की तत्काल अदायगी कर दी जाये ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : इस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने पश्चिम बंगाल सरकार को देय उन सभी उपकरों का भुगतान कर दिया है जिनके निर्धारण के नोटिस और मांग पत्र प्राप्त हुए हैं।

राज्यों द्वारा सीमेंट का आवंटन और सीमेंट की खपत

4163. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में सीमेंट का आवंटन किया गया और वहां सीमेंट की कितनी खपत हुई; और

(ख) यदि किसी वर्ष कोई राज्य आवंटित मात्रा का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है तो क्या बाद के वर्षों में उसका आवंटन कम कर दिया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2655/78]

(ख) जी, नहीं।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पालघाट का विस्तार कार्यक्रम

4164. **श्री वयालार रवि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पालघाट के विस्तार कार्यक्रम को छोड़ दिया है जैसा कि परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर का ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अधिकारियों की नियुक्ति (पोस्टिंग)

4165. **श्री किशोर लाल**
श्री राघवजी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अधिकारी द्वारा दिल्ली में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के पद पर किए गए कार्यविधि को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए संगत नहीं माना जाता;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के उन सभी पदों के कार्य के बारे में किसी प्रकार जांच कर ली है जिनसे उनका 'औचित्य' निर्धारित करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार में अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है; और

(ग) यदि ऐसी कोई जांच नहीं की गयी है, तो इस प्रकार की जांच केवल एक ही पद के बारे में करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को केन्द्र में पुनः प्रतिनियुक्ति के लिए तभी विचार किया जाता है, जबकि, उन्होंने अपने संवर्गों में प्रत्यावर्तित होकर तीन वर्ष तक सेवा पूरी कर ली हो। किन्तु, ऐसे अधिकारियों द्वारा दिल्ली स्थित अपने राज्य सम्पर्क कार्यालयों में बिताई गई अवधि को तीन वर्ष का समय सीमा के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाता क्योंकि ऐसी नियुक्तियों से उन्हें क्षेत्रीय प्रशासन का उस प्रकार का ताजा अनुभव तथा उक्त राज्य के व्यक्तियों के साथ सम्पर्क नहीं होता जो केन्द्रीय सरकार के लिए उपयोगी हो सके।

(ख) केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को लेते समय, विभिन पदों के लिए अपेक्षित कार्यों पर विचार किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहों उठता ।

बाल फिल्मों का प्रदर्शन

4166. **श्री अहमद हुसैन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्मों के विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में और इन बस्तियों के स्कूलों में, व्यापक प्रदर्शन के लिए क्या तैयारी की गई है अथवा की जा रही है; और

(ख) कितनी फिल्में बनाई गई हैं/बनाई जा रही हैं और इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से सरकार द्वारा अब तक अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी इंडिया ने देश भर में नगरपालिका के तथा अन्य स्कूलों में बाल फिल्मों के प्रदर्शन की एक योजना तैयार की है। इस योजना को सम्बन्धित राज्य सरकारों और नगर पालिका अधिकारियों के सहयोग और सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा। सोसाइटी ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों के लिए प्रादेशिक भाषाओं में फिल्में बनाने और/या डबल करने की भी योजना बनाई है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष समारोहों के अंग के रूप में प्रमुख नगरों विशेषकर राज्यों की राजधानियों में बाल फिल्मों —भारतीय और विदेशी—का समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, उपयुक्त डाकुमेंट्री फिल्में सिनेमाघरों में तथा चलती फिरती गाड़ियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाने का भी प्रस्ताव है।

(ख) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी ने चार बाल-फिल्में पूरी कर ली हैं और ऐसी चार और फिल्में बनाने की उसकी योजना है। इन फिल्मों के व्यापक प्रदर्शन के लिए इनको प्रादेशिक भाषाओं में डबल किया जाएगा। फिल्म प्रभाग भी अखिल भारतीय रिलीज के लिए अगले साल भारतीय बच्चों पर एक डाकुमेंट्री फिल्म बनायेगा।

कन्ट्रोलन आफ सीमेंट, साउदर्न रीजन द्वारा सीमेंट की सप्लाई

4167. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंट्रोलन आफ सीमेंट, साउदर्न रीजन द्वारा सीमेंट की सप्लाई स्टाकिस्टों को की जाती है और उनके द्वारा आगे लोगों को ट्रक भार की ही सप्लाई की जाती है जिसके कारण छोटे उपभोक्ताओं को कन्ट्रोल की कीमत पर सीमेंट प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होती है;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय स्टाकिस्ट आयातित सीमेंट का ट्रक भार बल्क में उपभोक्ताओं को सप्लाई करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाये गए हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : क्षेत्रीय सीमेंट नियन्त्रकों को खुली बिक्री वाले सीमेंट की बिक्री के लिए सीमेंट उत्पादों को बिक्री आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। सीमेंट उत्पादों द्वारा यह परिमाण सम्बन्धित स्टाकिस्टों को जारी किया जाता है।

आयातित सीमेंट के मामले में अलग-अलग सीमेंट स्टाकिस्टों को सीमेंट जारी करने के आदेश प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रकों द्वारा जारी किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि स्टाकिस्टों द्वारा व्यक्तियों को भरा हुआ ट्रक सप्लाई किया जाये।

जाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशनर

4169. **श्रीमति पार्वती कृष्णन**
श्री फूल चन्द वर्मा } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के अनुसार स्वतन्त्रता सेनानियों को दी गई सभी पेंशन अस्थाई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को स्वतन्त्रता सेनानियों की वास्तविकता की जांच करने का आदेश दिया है;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से जाली स्वतन्त्रता सेनानी पेंशनरों का पता लगा है;

(घ) उनकी राज्यवार संख्या कितनी है तथा उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है; और

(ङ) ऐसे कितने पेंशनरों की पेंशन रोक दी गई है तथा उनकी राज्यवार संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पेंशन उन यातनाओं की जिनका दावा किया गया है राज्य सरकार द्वारा जांच के पश्चात स्वीकृत की जाती है।

(ग) 5590 संदिग्ध मामलों में से, जो सरकार के ध्यान में आये हैं, पूर्ण जांच के पश्चात 567 मामलों में पेंशन रद्द कर दी गई है। आगे जांच होने तक 5023 मामले अस्थगित कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) : एक विवरण संलग्न है। ऐसे मामलों में जिनमें पेंशन रद्द कर दी गई है, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि गलत तरीके से ली गई पेंशन को वापस लेने के लिए कार्यवाही शुरू करें। जहां प्रार्थियों ने पेंशन प्राप्त करने के लिये जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके हेराफेरी की है, वहां राज्य सरकारों को उनके न्याय विभागों से परामर्श करके उन पर मुकदमें चलाने पर विचार करने की सलाह दी गई है।

विवरण

31-7-1978 तक उन मामलों की राज्यवार संख्या जिनमें पेंशन स्थगित/रद्द कर दी गई है।

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन मामलों की संख्या जिनमें पेंशन स्थगित कर दी गई है।	उन मामलों की संख्या जिनमें पेंशन रद्द कर दी गई है।
1.	आन्ध्र प्रदेश	112	19
	आई० एन० ए०	1	—
2.	असम	1620	4
3.	बिहार	113	35
4.	चण्डीगढ़	1	—
5.	दिल्ली	74	26
	आई० एन० ए०	6	—
6.	गुजरात	39	4
	आई० एन० ए०	—	1
7.	हरियाणा	21	3
	आई० एन० ए०	11	2
8.	हिमाचल प्रदेश	11	2
	आई० एन० ए०	7	1

1	2	3	4
9.	जम्मू और काश्मीर	4	—
	आई० एन० ए०	1	—
10.	कर्नाटक	1440	25
11.	केरल	54	70
	आई० एन० ए०	6	1
12.	महाराष्ट्र	73	12
13.	मध्य प्रदेश	19	30
	आई० एन० ए०	1	1
14.	उड़ीसा	97	19
	आई० एन० ए०	5	—
15.	पंजाब	68	15
	आई०एन०ए०	280	8
16.	पांडिचेरी	17	30
17.	राजस्थान	6	7
	आई० एन० ए०	—	—
18.	तमिलनाडु	108	92
19.	उत्तर प्रदेश	340	46
	आई० एन० ए०	4	—
20.	पश्चिम बंगाल	251	68
	आई० एन० ए०	3	—
21.	मणिपुर	—	—
	आई० एन० ए०	4	—
22.	मेघालय	4	13
23.	गोआ	11	—
24.	त्रिपुरा	203	33
	जोड़ :	5023	567

राज्य सेवाओं में भर्ती में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

4170. **श्री रुपनाथ सिंह यादव** : क्या गृह मंत्री राज्य सेवाओं में भर्ती में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में 1 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 130 के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षण कोटे के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल) : (क) तथा (ख) जैसा कि दिनांक 1-3-78 को पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 130 के उत्तर में पहले बताया गया है कि राज्य सेवाओं में आरक्षण का विषय तत्सम्बन्धित राज्य सरकारों को सक्षमता तथा क्षेत्राधिकार के भीतर आता है। फिर भी, इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना को संलग्न विवरण में दिया जाता है।

विवरण

राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रतिशतताओं के संबंध में उपलब्ध सूचना को दर्शाने वाला विवरण।

(1) (2)	(3)
1. आंध्र प्रदेश	25
2. असम	शून्य
3. बिहार	26
4. गुजरात	पिछड़े वर्गों के लिए, जिनमें डोनोटीफाइड तथा खानाबदोश जनजातियां भी सम्मिलित हैं, श्रेणी-I तथा श्रेणी-II में 5 % तथा श्रेणी III तथा IV में 10 % आरक्षण करने का प्रस्ताव है।
5. हरियाणा	2
6. हिमाचल प्रदेश	10
7. जम्मू व कश्मीर	उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में, वर्ष, 1973 से पिछड़े वर्गों के लिए 42 % आरक्षण की व्यवस्था किए जाने के लिए वर्ष, 1970 के नियमों को आस्थगित रखा गया है । राज्य सरकार द्वारा इस पर आगे जांच की जा रही है।
8. कर्नाटक	40
9. केरल	40
10. मध्य प्रदेश	शून्य
11. महाराष्ट्र	10
12. मणिपुर	शून्य
13. मेघालय	5
14. नागालैण्ड	शून्य
15. उड़ीसा	शून्य
16. पंजाब	5
17. राजस्थान	शून्य
18. सिक्किम	शून्य
19. तमिलनाडु	31
20. त्रिपुरा	शून्य
21. उत्तर प्रदेश	श्रेणी I, II, तथा III—15 श्रेणी IV—10
22. पश्चिम बंगाल	शून्य

शालीमार बाग, दिल्ली में चोरियां

4171. श्री हरिकेश बहादुर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकसित हो रही नई कालोनी शालीमार बाग, दिल्ली में हाल में चोरियों के अनेक मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो लगभग 300 परिवारों के लिए जो वहां पहिले ही रह रहे हैं, क्या सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या इस कालोनी के लिए पुलिस चौकी की मंजूरी दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब कार्य करना प्रारम्भ करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) : 1-1-1978 से 31-7-1978 की अवधि के दौरान उस क्षेत्र से चोरी के 7 मामले सूचित किए गए थे। क्षेत्र में अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए रात दिन की गश्त का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस कालोनी के लिए कोई पुलिस चौकी स्वीकृत नहीं की गई है।

SPORTS IN D.E.S.U.

4172. SHRI BALAK RAM : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in the Nav Bharat Times dated 6th March, 1978 under the caption "no sports for seven years even after spending lakhs of rupees every year" (Har varsh lakhon rupaye kharch par khel sat varsh se nahien huye); and

(b) if so, the reasons for not organising sports in the Delhi Electric Supply Undertaking for the last seven years when the undertaking has been spending lakhs of rupees in the names of games and sports?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the DESU Authorities, teams in Football, Hockey, Volleyball, Cricket, Wrestling, Kabbadi, etc. have been formed by selection from amongst the employees. All the teams are having regular practice and are participating in almost all the State level tournaments and even in out-Station tournaments. With a view to giving impetus to the sports activities, the DESU had got affilitation to the All India Electricity Sports Control Board. After holding some district-wise tournament in Chess and Carrom, DESU Carrom and Chess tournament 1978 was held recently. A good number of male and female employees participated in the events of Carrom (Men single and Men double)/(Women single and Women double) Chess National and International.

दिल्ली पुलिस में पदोन्नतियां

4173. श्री चतुर्भुज
श्री उग्रसेन } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए गए इंस्पैक्टरों को स्थाई तथा पदावनत नहीं किया गया तथा इंस्पैक्टर के पद पर एफ लिस्ट देने अथवा पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी में साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों को (एक) विद्यार्थी काल में विभिन्न खेलों में भाग लेने (दो) संस्तुति प्रमाणपत्र (तीन) सेवा में निष्ठा और ईमानदारी आदि के लिए अंक देने की प्रणाली आरम्भ करने के कारण उन्हें पदावनत कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो सेवा में खेलों के लिए दोबारा अंक देने का क्या औचित्य है जबकि पुलिस में भर्ती के समय इस पहलू पर उचित विचार किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त बातों के लिए अंक देने की इस विवादास्पद प्रणाली को 1967 में समाप्त कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो जब इस विवादास्पद प्रणाली को 1967 में समाप्त कर दिया गया था तो इसे पुनः आरम्भ करने के क्या कारण हैं तथा क्या इस प्रणाली को समाप्त करने तथा पदोन्नति-सूची को रद्द करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : दिल्ली पुलिस के अनुसार 19 उपनिरीक्षकों, जिनकी 1977 में तदर्थ आधार पर निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति की गई थी, पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया था। इनमें से 10 उप-निरीक्षकों को पदोन्नति सूचि में शामिल करने के लिए उपयुक्त समझा गया था। शेष 9 जो ग्रेड में आने में असफल रहे, को अपने उप-निरीक्षक के स्थाई पद पर पदावनत होना पड़ा था। हालांकि नियुक्तियों के समय खेल-कूद की गतिविधियों को कुछ महत्व दिया जाता है पर खेलों में विशिष्टता को सेवा आरम्भ करने के पश्चात पदोन्नति के समय भी महत्व दिया जाता है।

(ग) और (घ) : 1967 से पहले, लिखित और शारीरिक परीक्षा के आधार पर पदोन्नतियां की जाती थीं, परन्तु यह पद्धति उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद समाप्त कर दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि पंजाब पुलिस नियमों के अन्तर्गत प्रत्याशी की दक्षता का निर्णय करने के लिए परीक्षा के अतिरिक्त अन्य विधि भी हो सकती है। इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये कि पदोन्नतियां ठीक हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए थे। पदोन्नतियां सूची को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री के० के० बिड़ला को पास पोर्ट जारी करना

4174. **श्री हुकम देव नारायण यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय ने सिफारिश की गई थी कि श्री के० के० बिड़ला को विदेश जाने के लिये पासपोर्ट न दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो कब और पासपोर्ट किस तारीख को जारी किया गया था ; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो पासपोर्ट जारी किये जाने से पहले ही स्मारिका के सम्बन्ध में मामले की जांच कर रहा था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) : श्री के० के० बिरला को 7-6-75 को एक पासपोर्ट दिया गया था और फिर 4-6-1976, 18-4-1977 तथा 26-6-1978 को अतिरिक्त पासपोर्ट बुकलेट्स दी गई थी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

श्रीनगर में प्रधान मंत्री की कार पर हमला

4175. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल की श्रीनगर यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने उनकी कार पर हमला करने का प्रयास किया था ;

(ख) क्या सरकार ने कथित हमले के बारे में जांच पड़ताल की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नही श्रीमान। फिर भी एक व्यक्ति ने जब प्रधान मंत्री 8 जुलाई, 1978 को श्रीनगर में मौलाना आजाद रोड़ पर जा रहे थे प्रधान मंत्री के कारकेड की पायलट कार के आगे छलांग लगाई थी।

(ख) तथा (ग) व्यक्ति के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है?

DIFFUSION OF PRESS CENSORSHIP

4176. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether he has given a call for diffusion of press ownership, utilisation of profit from journalism for the welfare of journalists and for raising the standard of journalism;

(b) if so, the reaction expressed thereto; and

(c) the steps being taken in this connection ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) No, Sir. The Minister of Information and Broadcasting has however always expressed himself in favour of freedom of the press from all controls including editorial freedom and of raising the standard of journalism.

(b) Does not arise.

(c) The Press Commission which has been set up recently would go into all aspects relating to the press and make its recommendation for Government's consideration.

HEAVY WATER FOR RAJASTHAN ATOMIC POWER STATION, RAWATBHATA

4177. SHRI RAM KISHAN : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) whether Canada had dicontinued the supply of heavy water for Rajasthan Atomic Power Station, Rawatbhata set up with Canadian aid;

(b) whether after discontinuance of supply of heavy water by Canada, the Soviet Union started supplying the same; and

(c) the comparative per kg. price of heavy water charged by Canada and Soviet Russia ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) After the suspension of supplies of heavy water by Canada, we have entered into an agreement with U.S.S.R. and a large part of the contracted quantity has been received.

(c) The C.I.F. (by Air) price of heavy water supplied by Canada in 1971 works out to about Rs. 510/- per k.g. The C.I.F. (by Air) price of heavy water supplied by U.S.S.R. during 1976—78 works out to about Rs. 1833/- per k.g.

मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को आवास

4178. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता सरकार के शासन में आने के पश्चात् मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के लिए चयन के आधार पर आवास की व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) व्यक्तिगत मामले में चयन के आधार पर आवास की व्यवस्था करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सरकार प्रत्यायित संवाददाताओं को चयन आधार पर आवास उपलब्ध नहीं करती। प्रेस पूल से सरकारी आवास के आबंटन के लिए एक जांच समिति है। प्रधान सूचना अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं तथा प्रेस एसोसिएशन, न्यूज कैमरामेन्स एसोसिएशन और सम्पदा निदेशालय का एक एक प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। यह समिति प्रत्यायित संवाददाताओं को आवास का आबंटन पत्र सूचना कार्यालय की प्रत्यायन तारीखों के आधार पर करती है। इस प्रयोजना के लिए यह समिति प्रत्यायन की तारीखो के आधार पर प्रत्यायित संवाददाताओं की एक प्रतीक्षा व वरीयता सूचि रखती है। कभी कभी यह समिति अनुकम्पा आधार पर बिना बारी के भी आबंटन करती है, किन्तु इस प्रकार के आबंटनों के लिए निर्माण और आवास मंत्री की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है।

स्विटजरलैंड से कैनबरा विमानों की खरीद

4179. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपातकाल के दौरान स्विट्जरलैंड से कुछ कैनबरा विमान खरीदने के बारे में समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस समझौते का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह विमान अभी तक नहीं दिए गए हैं ;

(घ) सरकार ने उन के लिए कितना भुगतान किया है तथा यह भुगतान कब किया गया था ; और

(ङ) अभी तक विमानों के न मिलने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। कैनबरा खरीदने के लिए इस प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया था।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

ARREARS OF REVENUES FROM COAL MINES

4180. SHRI CHHABIRAM ARGAL : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether after nationalisation of non-coking coal mines in the country a large amount of revenue from minerals is in arrears as a result of dispute between former owners of Coal mines and Central Government; and

(b) whether this amount is still to be realised and if so, the position in regard to the progress of pending cases in the office of Collieries and Compensation Settlement Commissioner, Calcutta ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Claims have been field by the State Governments before the Commissioner of Payments for the arrears of royalty due from the former colliery owners as on the date of nationalisation. There is however, no dispute between the former owners and the Central Government.

(b) Of the total of 47,631 claims filed before the Commissioner of Payments, Calcutta, 26,568 have been disposed of till the end of July 1978. The other cases are at various stages of examination.

PRODUCTION OF COAL

4181. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the quantity of coal produced during the past three years by the National Coal Development Corporation and the private sector Coal mines, separately;

(b) the total capital investment in the mines under both public and private sectors; and

(c) the details in the above context in respect of coal mines of Bihar ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) to (c) The quantity of coal produced during 1975-76, 1976-77 and 1977-78 by the National Coal Development Corporation (now the Central Coalfields Ltd.) and the TISCO mines, which are in the private sector was as follows :—

Company	Production (in million tonnes)		
	1975-76	1976-77	1977-78
Central Coalfields Ltd.			
Bihar	15·88	16·05	16·57
Other States	4·81	4·68	4·63
Total	20·69	20·73	21·20
Tisco Mines			
Bihar	2·18	2·14	2·24

The total capital investment in the mines of Central Coalfields Ltd. as on 31-3-78 was Rs. 287.13 crores, of which Rs. 201.67 crores was made in the mines in Bihar. The gross block in the case of Tisco mines all of which are in Bihar as on 31-3-78 was Rs. 47.78 crores.

कोयला खनन

4182. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन कार्य को तेज करने के लिए कोई नई नीति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) कोयला खनन के लिए नीति का निर्धारण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छत्रपुर में उड़ीसा सेंड काम्पलैक्स परियोजना पर काम

4183. **श्री सरत कार** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड की छत्रपुर में उड़ीसा सेंड काम्पलैक्स परियोजना का काम चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी तथा इसकी क्षमता क्या होगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान लक्ष्य के अनुसार ऐसी संभावना है कि परियोजना सन् 1981 के जून मास तक चालू होने की स्थिति में पहुंच जाएगी। योजना के अनुसार संयंत्रों की क्षमता निम्नलिखित होगी :—

संयंत्र तथा उत्पाद का नाम	वार्षिक उत्पादन क्षमता
	(मीटरी टनों में)
खनिज रेत पृथक्करण संयंत्र	
(क) इल्मेनाइट (पूर्णरूप से संश्लिष्ट रूटाइल संयंत्र की बंधी खपत की पूर्ति के लिये)	2,20,000
(ख) रूटाइल	10,000
(ग) ज़रकान	2,000
(घ) सिलिमेनाइट	30,000
(ङ) मोनाज़ाइट	4,000
संश्लिष्ट रूटाइल संयंत्र	
(क) संश्लिष्ट रूटाइल	94,850
(ख) हइटौक्स	5,000

GRANTING CITIZENSHIP RIGHTS TO PERSONS MIGRATED DURING INDO-PAK WAR

4184. SHRI NATHU SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether all the displaced persons who came during the Indo-Pak war have been granted Indian Citizenship and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : In terms of Government's decision, the refugees (displaced persons) who came to India from Sind in Pakistan during and immediately after the India-Pakistan Conflict of 1971 are to be considered for the grant of Indian citizenship on a case by case basis under the provisions of the Citizenship Act, 1955. According to the information received, the cases of about 8,000 persons have so far been finalised by the Collectors concerned and efforts are being made to deal with the remaining persons also expeditiously.

मारमुगाओ बंदरगाह का यन्त्रीकरण करने के कारण बेरोजगार होने वाले श्रमिक

4185. **श्री अमृत कासर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मारमुगाओ (गोआ) बन्दरगाह का यंत्रीकरण करने के कारण 5000 से भी अधिक श्रमिक मजबूरन बेरोजगार हो रहे हैं तथा उन्हें निराश्रित बनाया जा रहा है ; और

(ख) उपरोक्त श्रमिकों का पुनर्वास करने अथवा उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) अस्थाई रूप से यह अनुमान लगाया है कि मारमुगाव मोदी श्रम बोर्ड के 2378 कर्मकारों में से 1989 कर्मकारों की पत्तन में यांत्रिक खनिज धरा उठाई संयंत्र के चालू होने के फलस्वरूप फालतू हो जाने की संभावना है।

(ख) पत्तन न्यास संयंत्र में आपरेटर अटेण्डेण्ट और खलासियों के लगभग 200 पद, उन कर्मकारों के चुनाव द्वारा भरने पर विचार कर रहा है, जो फालतू हो जाएंगे। कुछ निजी प्रतिष्ठान और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जिसमें भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि०, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और बम्बई गोछी श्रम बोर्ड शामिल हैं और गोवा सरकार से फालतू कर्मचारियों की नियुक्ति करने को कहा गया है। फालतू कर्मकारों को स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने को बढ़ावा देने के लिए, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सहायता के लिये गाडगिल फार्मूला

4186. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने केन्द्रीय सहायता के लिए गाडगिल फार्मूले पर आपत्ति की है ;

(ख) उनकी प्रमुख आपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उनकी आपत्तियों के बारे में क्या निर्णय किया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) किसी भी राज्य ने गाडगिल फार्मूले पर आपत्ति नहीं की है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया था, यद्यपि समय-समय पर राज्यों ने यह सुझाव दिया है कि इस फार्मूले के संघटक भागों को प्रयुक्त करने के आधार पर वे अधिक आबंटनों के हकदार हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् की मार्च, 1978 में हुई बैठक में, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने यह सुझाव दिया कि केन्द्रीय सहायता के आबंटन के आधार को अब संशोधित करना आवश्यक है। गाडगिल फार्मूले के कार्यकरण की समीक्षा करने और आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति स्थापित की गई है।

SETTING UP CEMENT PLANT IN RAJASTHAN

4187. SHRI LALJIBHAI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether licences were given during the past few years for setting up some cement factories in Rajasthan but the same could not be executed because there are metre gauge lines there; and

(b) if so, whether there is any proposal to convert the metre gauge lines into broad gauge lines ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Two letters of intent issued in 1973 for establishment of new cement plants at Pali and Banas could not be implemented on account of difficulties in the Railway transport clearance.

(b) Yes, Sir. The Railways have a proposal to convert the Ahmedabad-Delhi metre gauge line into broad gauge.

CHANGE IN DISTRIBUTION SYSTEM OF CLOTH AND CEMENT

4188. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received reports of bungling and blackmarketing in distribution system of controlled cloth and cement; and

(b) if so, the reasons for the hitch Government have in changing the present distribution system ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) & (b) *Controlled Cloth* :—There have been certain vague reports in newspapers about unauthorised sale of controlled cloth in Bombay. The reports did not give any specific details which would enable verification of such allegations. The controlled cloth in supplied to the State nominees on the basis of allocations made by the Textile Commissioner, in relation to the population.

The responsibility for effectively superwising the distribution of controlled cloth by the retail outlets and full compliance with the regulatory orders issued rests with the State Government, who isue licenses for the purpose. *Cement* :—Due to overall inadequate

availability of cement, there are reports of some unsocial elements induling in black marketing. The cement manufacturers have been requested to exercise greater vigilance on their stockists/dealers. The State Govrnments have also been requested to examine whether a direct distribution system on the pattern proposed by the West Bengal Government or any other suitable mechanism for control over distribution needs to be introduced in every State. They have also been requested to direct the district authorities to initiate more positive action against offernders and also to take initiative and keep a vigilant look out for the offenders. Cement has been declared as an Essential Commodity for purposes of Essential Commodities Act, 1955 and adequate powers are available to the State Governments to take action against persons indulging in unethical practices.

मैसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पश्चिम जर्मनी से जहाजों की खरीद के लिये अतिरिक्त अदायगी

4189. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री श्याम सुन्दर गुप्त
श्री जी० एम० बनतवाला : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पश्चिम जर्मनी से चार जहाजों की खरीद के लिये अतिरिक्त अदायगी के बारे में जांच के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : वित्त मंत्रालय ने सूचना दी है कि जांच अन्तिम चरण में है ।

FINANCIAL ASSISTANCE TO STATES ON BASIS OF POPULATION AND ECONOMIC BACKWARDNESS

4190. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether any policy has been adopted to give priority to States in the matter of giving financial assistance on the basis of population and economic backwardness; and

(b) if so, the details thereof ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) & (b) Central assistance for State Plans is given on the basis of Gadgil Formula. Under this formula, a lump sum provision is made for Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Assam and other North Eastern States, including Sikkim. The balance is distributed among the remaining States as under :

(i) 60% on the basis of population;

(ii) 10% on the basis of per capital income—only to the States having per capita income below the national average;

(iii) 10% on the basis of tax effort;

(iv) 10% for continuing major irrigation and power schemes; and

(v) 10% for special problems of the States.

Thus, considerable weightage is given to population. Besides, the criteria of per capita income and special problems give weightage to economic backwardness.

In addition to Central assistance under the Gadgil Formula, special assistance is provided for hill and tribal areas and the programmes of the North Eastern Council. This benefits economically bakward areas and people. Further the tax-sharing formula adopted on the basis of the recommendations of the Sixth Finance Commission for income-tax and excise duties is based on population. The distribution of excise revenue is also weighted in favour of the backward States.

मिश्रित कपड़े में रेशे के तत्वों के बारे में गलत मोहर लगाना

4191. **श्री डी० वी० पाटिल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई में बहुत सी कपड़ा मिलें मिश्रित कपड़ें में रेशे के तत्वों के बारे में गलत मोहर लगाती हैं तथा इस प्रकार उपभोक्ताओं को धोखा देती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) क्या ऐसी किसी मिल पर न्यायालय में दंड दिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला उत्पादन के लिए थोड़ी अवधि में चालू हो जाने वाली परियोजनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

4192. **श्री नटवर लाल बी० परमार:** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए थोड़ी अवधि में चालू हो जाने वाली परियोजनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) कोयला उत्पादन की नीति में दीर्घकालीन और अल्पकालीन परियोजनाएं शामिल होती हैं। आमतौर से, छोटी ओपेनकास्ट खानों से एक या दो वर्ष के भीतर कोयले का उत्पादन होने लगता है, इन्हें वास्तविक उत्पादन के लिए कम समय चाहने वाली परियोजनाएं कहा जाता है। सभी कोयला कम्पनियों में ऐसी परियोजनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं ताकि देश में कोयले की तात्कालिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ।

नमक का आयात

4193. **डा० सरोजिनी महिषी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामान्य नमक का आयात करने का है ;

(ख) ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा ; और

(ग) टूटीकोरिन नमक निर्माताओं द्वारा सरकार को भेजी गई अपील का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कर्नाटक में स्नातक युवको को रोजगार प्रदान करने की योजना

4194. **श्री एस० आर० रेड्डी :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य ने चालू वित्त वर्ष के दौरान स्नातक युवकों को अंतरिम रोजगार प्रदान करने में उनकी सहायता करने के लिए कोई योजना बनाई है और उसे केन्द्रीय सरकार की सलाह के लिए उसके पास भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उस योजना के लिए राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता देने का है और यदि हां, तो कितनी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने अपनी 1978 79 की वार्षिक योजना के प्रस्तावों में बेरोजगार ग्रेजुएटों और डिप्लोमा होल्डरों को धैतनिक रोजगार देने के लिए एक स्कीम शामिल की थी। राज्य सरकार ने इस स्कीम के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी थी। योजना आयोग ने इस स्कीम को अनुमोदित नहीं किया क्योंकि आयोग ने इसको उत्पादक रोजगार की स्कीम के रूप में नहीं माना था।

पम्प सेट बनाने की क्षमता

4195. **डा० बापू कालदाते :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पम्प सेट बनाने वाले एककों की उत्पादन क्षमता का अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या पम्प सेटों के कम उत्पादन के कारण इनकी कमी है ; और

(ग) कृषकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) संगठित क्षेत्र में पम्पों की कुल अधिष्ठापित क्षमता लगभग 3,62,000 संख्या प्रतिवर्ष आंकी गई है ।

(ख) पम्प सेटों की कमी होने का कोई समाचार नहीं मिला है इसके बदले आर्डरों की कमी की वजह से विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है ।

(ग) संगठित क्षेत्र एवम् लघु क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों के एकक कृषकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में समर्थ हैं ।

विदेशों से पुरानी मशीनरी आयात करने संबंधी नीति

4196. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से पुरानी मशीनरी आयात करने के संबंध में कोई लाइसेंस जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे आयात से स्वदेशी निर्माताओं को कोई धक्का पहुंचा है ?

(ग) किस प्रकार की पुरानी मशीनरी का आयात किया जा रहा है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ; और

(घ) विदेशों से पुरानी मशीनरी के आयात के संबंध में सरकारी नीति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) आयात लाइसेंस आयात तथा निर्यात क मुख्य नियत्रक, वाणिज्य मत्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं जो अपेक्षित जानकारी इक्ट्ठी कर रहा है इसे यथासमय सभा पटल पर रखा दिया जाएगा ।

SUPPLY OF ELECTRICITY TO HINDALCO IN U.P.

†4197. SHRI PHIRANGI PRASAD : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether any proposal has been received from Uttar Pradesh Government in regard to the nationalization of HINDALCO on the issue of supply of electricity in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereto ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) & (b) On take over of HINDALCO by the Government, the Union Minister for Industry has replied in Rajya Sabha, on 20th July, 1978 an Unstarred Question No. 454, which reads as follows :—

> "A communication in this regard has been received recently from the Minister of Energy, Uttar Pradesh Government and the same is being examined".

REGULARISING THE SERVICES OF RESEARCH OFFICERS/STATISTICAL OFFICERS

4198. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a large number of Research Officers/Statistical Officers have been working on *ad hoc* basis in the various Ministries/Departments of the Central Government for the last 10 years and the Ministry-wise and Department-wise number thereof as on the 30th June, 1978;

(b) the action taken so far by Government to regularise these officers; and

(c) the avenues of promotions available to those officers at present and whether any time limit has been fixed within which they are likely to be regularised by Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : (a) Yes, Sir. Pending a final decision on a proposal for re-structuring of Grade IV of the Indian Economic Service and the Statistical Service, some of these posts which are in Grade IV of these Services have been filled from time to time by promotion on an *ad hoc* basis. A statement showing details of such appointments which have continued for ten years or more, Ministry/Department-wise as on 30-6-78, is given in the annexure.

(b) & (c) There is no proposal to regularise the officers holding Grade IV posts of the Indian Economic Service/Indian Statistical Service on an *ad hoc* basis in such posts. The *ad hoc* appointments will be terminated after a final decision on the re-structuring of Grade IV of the Services is taken. The question of providing further avenues of promotion to these *ad hoc* appointees or fixing any time limit for their regularisation in Grade IV posts does not, therefore, arise.

STATEMENT

Number of posts in Grade IV of the I.E.S./I.S.S. held on an ad hoc *basis for more than 10 years as on* 30-6-1978.

Sl. No.	Name of the Ministry/Department	No. of Grade IV IES posts held on ad hoc basis for more than 10 years	No. of Grade IV ISS posts held on an ad hoc basis for for more than 10 yrs.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Planning Commission	22	5
2.	Ministry of Home Affairs	1	1
3.	Ministry of Labour	9	6
4.	Department of Economic Affairs	2	—
5.	Department of Agriculture	4	3
6.	Ministry of Commerce	5	1
7.	Ministry of Industry	2	1
8.	Department of Statistics	—	10
9.	Department of Tourism	—	1
10.	Department of Mines	—	1
11.	Department of Supply	—	1
	TOTAL	45	30

"मिलियन टन्स स्टीम कोल गोज टू फेक यूजर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4199. **श्री प्रद्युमन बल**
श्री मही लाल
श्री जनार्दन पुजारी
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 23 जुलाई, 1978 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "मिलियन टन्स आफ स्टीम कोल गोज टू फेक यूजर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) कोल इंडिया लि० द्वारा की गई तहकीकात से पता चला है कि कुछ ऐसे औद्योगिक उपभोक्ता कहीं हैं ही नहीं जिनके उद्योगों को कोयला देने के लिए प्रायोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में मेरठ और उसके आस पास अप्रैल, 1978 में किए गए सर्वेक्षण से ऐसी 87 यूनिटों के बारे में पता चला जो कहीं है ही नहीं। कोल इंडिया लि० ने यह बात प्रायोजन अधिकारियों को सूचित कर दी है। ऐसा ही एक सर्वेक्षण ग्रेटर कलकत्ता क्षेत्र में किया गया जिससे कोयला लेने वाली ऐसी 34 यूनिटों का पता चला जो चालू नहीं हैं। ऐसी यूनिटों को कोयले का प्रेषण बन्द कर दिया गया है और उसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी गई है।

केन्द्र सरकार ने भी राज्य सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि वे प्रायोजन के उद्देश्य से, कोयले के विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं की सही जरूरतों के निर्धारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

साप्ताकि पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में अश्लीलता

4200. **प्रो० समर गुह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में अश्लील, मुद्दे और अन्य उत्तेजक तस्वीरें अब बड़ी मात्रा में प्रकाशित हो रही हैं ;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार की तस्वीरों के प्रदर्शन को नियन्त्रित करने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों/पुस्तकों में अश्लील, अशिष्ट और उत्तेजक चित्र छप रहे हैं। चूंकि कोई आंकड़े नहीं रखे जाते, अतः तुलना करना संभव नहीं है।

इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए देश के वर्तमान कानूनों को पर्याप्त समझा जाता है। प्रस्तावित प्रेस परिषद् भी इस प्रकार के मामलों में प्रेस पर अपने नैतिक अधिकार का प्रयोग करेगी।

इलैक्ट्रॉनिक घड़ियों का निर्माण

4201. **श्री पी० के० कोडियन**
श्री नटवर लाल बी० परमार
श्री अहमद हुसैन } : क्या **इलेक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के निर्माण के लिए उदारतापूर्वक लाइसेंस देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के निर्माण के लिए छोटे पैमाने के क्षेत्र से अनेक आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने इस उद्देश्य हेतु एच० एम० टी० की एक परियोजना का अनुमोदन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाइसेंस देने के संबंध में सरकार की नीति क्या है अर्थात् क्या इन घड़ियों का निर्माण बड़े पैमाने के उद्योग क्षेत्र में होगा अथवा छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ) सरकार इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के संबंध में एक व्यापक औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय नीति बनाने जा रही है उस पर विचार कर रही है और इसे अन्तिम स्वरूप देते ही एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पंजाब में गन्ने तथा कपास का उत्पादन

4202. **श्री भगत राय :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गन्ने और कपास का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) पंजाब की मिलों द्वारा कितने प्रतिशत गन्ने और कपास की खपत की जाती है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय औसत की तुलना में पंजाब में यह बहुत कम है ;

(घ) अधिक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के पंजाब सरकार के लम्बित प्रस्तावों को मंजूरी कब दी जा रही है ; और

(ङ) क्या उन्होंने पंजाब में एक सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की थी कि और अधिक औद्योगिक लाइसेंस दिये जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) 1977-78 रूई वर्ष में, जैसा कि रूई सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमान लगाया गया है, पंजाब में रूई का कुल उत्पादन 170 ग्राम वाली 9.50 लाख गांठे हुआ है। पंजाब में 1976-77 में गन्ने का कुल उत्पादन, (नवीनतम वर्ष जिसके बारे में जानकारी उपलब्ध है) जैसा कि कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय द्वारा (गुड़ के रूप में) अनुमान लगाया गया है, 5.91 लाख मी० टन हुआ था।

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) तथा (ङ) समझा यह जाता है कि यहां जिन लाइसेंसों का उल्लेख किया गया है वे सूती वस्त्र एककों के बारे में हैं। यदि ऐसा है तो औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी देने के लिए पंजाब सरकार का कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

IMPLEMENTATION OF VERGHESE COMMITTEE REPORT

4203. SHRI Y. P. SHASTRI
SHRI RAM SEWAK HAZARI
SHRI K. LAKKAPPA
SHRI AHMED M. PATEL
SHRI T. S. NEGI } : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the recommendations of the Verghese Committee on the future set up of the AIR and Doordarshan are likely to be implemented; and

(b) whether the employees unions of the AIR and Doordarshan have opposed to the formation of 'Akash Bharati' by merging the AIR and Doordarshan and if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) The recommendations of the Verghese Committee are under examination.

(b) While some have favoured the merger, a few have expressed reservations. These views will receive due consideration at the appropriate time.

स्कूटर बनाने वाले सरकारी उपक्रमों के नाम

4204. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो पहियों वाले और तीन पहियों वाले स्कूटर बनाने वाले सरकारी-उपक्रमों के नाम क्या हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी कितनी है ;

(ख) देश में इस समय स्कूटरों की मांग कितनी है ;

(ग) इटली, ब्रिटेन, यूनान और अमरीका आदि जैसे देशों को स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा कितने स्कूटरों का (माडल-वार) निर्यात किया गया और उनकी लागत कितनी थी ;

(घ) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान स्कूटरों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कुल कितनी राशि अर्जित की गई ; और

(ङ) वर्ष 1978-79 के लिये विभिन्न स्कूटर निर्माता कारखानों को कुल कितने मूल्य के निर्यात आर्डर प्राप्त हुए हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति आभा माईति) : (क) दो पहियों वाले और तीन पहियों वाले स्कूटर बनाने वाला इस समय सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम अर्थात् स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनउ है। इसकी अधिष्ठापित क्षमता 80,000 नग दो पहियों वाले तथा 30,000 नग तीन पहिये वाले स्कूटरों की है ।

(ख) वर्ष 1978-79 के लिये स्कूटरों की मांग 3,25,000 नग होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) स्कूटर इंडिया लिमिटेड द्वारा विभिन्न देशों को प्रति स्कूटर अमरीकन डालर 350 (लदान तक निशुल्क) से 395 डालर (लदान तथा निशुल्क) की मूल्य रेंज में लम्ब्रेटा माडल के स्कूटरों का निर्यात किया गया था। इसके अलावा अमरीकन डालर 315.29 (लदान तक निशुल्क) प्रति नग की दर से कोलम्बिया को पूर्ण रूप से खुली हालत में 300 नग सप्लाई किये गये थे।

(घ) जैसा कि निर्माताओं ने बताया है 1976-77 में 125.5 लाख रुपये तथा 1977-78 में 368.8 लाख रुपये की कुल विदेशी मुद्रा कमाई गई है ।

(ङ) जैसा कि निर्माताओं ने बताया है और जिसकी पुष्टि हुई है लगभग 7.93 करोड़ रुपये कुल मूल्य के निर्यात आर्डर प्राप्त हुये हैं। फिर भी, प्रचलित ऋण पत्रों के आधार पर निर्यात ज्यादा हो सकता है, जो और आर्डर प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

दिल्ली पुलिस में सब-इन्सपेक्टरों की पदोन्नति

4205. **श्री महीलाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि »

(क) दिल्ली पुलिस में हाल ही में कितने सब-इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर के पदों पर पदोन्नत किये गये और उनमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सब-इन्सपेक्टर कितने हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे व्यक्ति भी पदोन्नत किये गये हैं जिनके विरुद्ध मामले अनिर्णीत हैं जबकि इन्हीं आरोपों पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को पदोन्नति से वंचित रखा गया है ;

(ग) यदि हां, तो दोनों मामलों में ऐसे लोगों की संख्या कितनी-कितनी है ; और

(घ) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों के साथ इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) दिल्ली पुलिस में 42 सब-इन्सपेक्टरों को इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है जिनमें 4 अनुसूचित जातियों के हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के बारे में सुझाव

4206. **श्री चित्त बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने वर्ष 1976 में किसी समय राष्ट्रीय राजमार्ग 44, त्रिपुरा के सुधार के बारे में कुछ प्रस्तावों का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावों में सड़क का दो लेन बारहमासी राजमार्ग और पुलों का राष्ट्रीय राजमार्ग स्तरों में विकास शामिल थे।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 44 मेघालय, असम और त्रिपुरा से हो कर गुजरता है और उपलब्ध संसाधनों से विकास कार्य को इस समय इकहरी लेन तक सीमित रखा जा रहा है। अब तक लगभग 8 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 3 करोड़ रुपये त्रिपुरा से संबंधित हैं । सरकार त्रिपुरा की आवश्यकताओं से परिचित है परन्तु वास्तविक निर्णय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मोटर कार उद्योग का राष्ट्रीयकरण

4207. श्री पूर्ण नारायण सिन्हा, : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मोटर कार उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का है कि लोगों को कम से कम एक बड़ी और एक छोटी कार उचित मूल्य पर उपलब्ध की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्राइवेट हाथों में मोटर कार बनाने वाले वर्तमान कारखानों को अपने नियंत्रण में लेने के लिये सरकार कब तक कोई कारगर कदम उठायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो भारत के मोटर कार उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार एक भारतीय मोटर कार निर्माता निगम, आदि आवश्यक हो तो विदेशी तकनीकी सहयोग के साथ, स्थापित करने का है, ताकि भारत में ऐसी उचित मूल्य वाली बड़ी और छोटी कारें बनाई जा सकें जो विदेशों में मजबूती संबंधी जांच पर सही उतरें?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) सम्पूर्ण मोटरगाड़ी क्षेत्र को बढ़िया बनाने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। मोटर कार बनाने वाले उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कोई निर्णय नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

A.I.R. STATIONS IN MAHARASHTRA

4208. SHRI KESHAVRAO BHONDGE : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the number of A.I.R. stations in Maharashtra;

(b) the capacity of Aurangabad and Parbhani stations and whether Government propose to increase the capacity of these two stations and to set up new stations in Maharashtra; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) There are 8 AIR Stations in Maharashtra.

(b) & (c) Aurangabad Station is equipped with a Kw Mw transmitter and interim studio facilities. Parbhani has a 10 Kw MW transmitter and a receiving centre. At present there is no proposal either to augment the facilities at Aurangabad and Parbhani or to set up any new Radio Station in the State. However, permanent type II studios are now under installation at Aurangabad.

नई दिल्ली में गुमशदा बच्चे

4209. श्री सी० आर० महाटा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में 26 अगस्त, 1977 के बाद 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच के गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) उनके माता-पिता तथा संसद सदस्यों से कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस की अकार्यकुशलता के कारण दिन प्रतिदिन गुम होने वाले बच्चों की बढ़ती हुई संख्या के सम्बन्ध में संसद सदस्यों ने शिकायत की है जैसा कि कुछ मामलों में बच्चों की अभी तक तलाश नहीं की जा सकी है तथा उनके पत्र की प्राप्ति की सूचना पत्र संख्या 33059-सी० एण्ड टी०-ए० सी०-V दिनांक 13-12-1977 के अनुसार दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल): (क) और (ख) 26-8-77 से 31-7-78 तक की अवधि के दौरान नई दिल्ली से 6 और 18 वर्ष की आयु के बच्चों के गुम होने की सूचना की कुल 1088 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनमें से 921 बच्चों की खोज कर ली गई है तथा शेष 167 के लिये तलाश अभी जारी है।

(ग) और (घ) : इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस को तीन शिकायतें संसद सदस्यों से प्राप्त हुई हैं। अजीत कुमार दीक्षित के गुम होने के बारे में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 351, दिनांक 21-9-77 थाना मन्दिर मार्ग के मामले से संबंधित एक शिकायत 29-11-1977 को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने अपने पत्र संख्या 33059/सी० एंड टी० ए० सी०-V दिनांक 13-12-77 द्वारा संसद सदस्य के पत्र की पावती भेज दी थी। उक्त मामले में भारत में सभी पुलिस अधीक्षकों को लड़के के ब्यौरों का एक बेतार संदेश भेज दिया गया था। पुलिस द्वारा घोषणा पत्र दिल्ली में सभी पुलिस थानों/पुलिस चौकियों को भेज दिये गये थे और ब्यौरे दिल्ली पुलिस बुलेटिन में प्रकाशित कर दिये गये थे। दिल्ली में सभी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों से भी पूछताछ की गई थी। पुलिस दल गाजियाबाद और बम्बई भी गये थे। सभी प्रयत्नों के बावजूद गुमशुदा लड़के का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

कोयला खानों को विद्युत की सप्लाई

4210. **श्री यज्ञदत्त शर्मा**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की कमी का मूल कारण विद्युत में कटौती और श्रमिक गड़बड़ी है;

(ख) यदि हां, तो देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला खानों की विद्युत की नियमित सप्लाई करने और श्रमिक विवादों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) देश में कोयले के उत्पादन में कमी के कुछ कारण बिजली की कटौती और श्रमिक अशान्ति है।

(ख) व (ग) कोयला खानों को बिजली की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए बिजलीघरों के प्राधिकारियों के साथ लगातार समन्वय रखा जा रहा है। उड़ीसा की फालतू बिजली बिहार को देने के लिए भी कदम उठाये गए हैं ताकि कोयला खानों में बिजली की प्राप्ति में सुधार हो सके। कामगारों की शिकायतें सुलझाने के लिए यूनियनों के नेताओं से लगातार बातचीत चल रही है। इन सब कार्रवाइयों के फलस्वरूप जुलाई, 1978 से कोयले के उत्पादन में सुधार होना शुरू हो गया है।

BLACK MARKETING IN CINEMA TICKETS

4211. SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the black marketing of cinema tickets at the Delhi and New Delhi cinema houses; and

(b) if so, the steps taken or being taken by Government to check it and the reasons for which the Government have failed to check black marketing in cinema tickets?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) & (b) Exhibition of cinematograph films and sale of tickets therefor fall within the purview of States/Union Territories. Information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the table of the House.

अहमदाबाद में पूर्ण टेलिविजन केन्द्र

4212. **प्रो० पी० जी० मावलंकर**
श्री हितेन्द्र देसाई
श्री एफ० पी० गायकवाड़ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद देश के उन पहले दस प्रमुख नगरों में से एक है जहां पर सरकार ने अभी तक पूर्ण टेलिविजन केन्द्र स्थापित नहीं किया है यद्यपि सरकार ने देश में अनेक छोटे नगरों में ऐसे टेलिविजन केन्द्र पहले ही मंजूर कर दिए हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को अहमदाबाद में टेलिविजन केन्द्र स्थापित करने के बारे में गुजरात की जनता की उत्कृष्ट भावनाओं और मांग का पता है;

(घ) यदि हां, तो इस मांग को कब और किस प्रकार पूरा करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) संसाधनों की भारी कमी के कारण अहमदाबाद में एक पूर्ण रूपेण दूरदर्शन केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका। तथापि, गुजरात राज्य में नाडियाड के समीप पिज के दूरदर्शन ट्रांसमीटर को, जो पहले "साइट" कार्यक्रम के अंग के रूप में स्थापित किया गया था, "साइट" कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद भी जारी रखा गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अहमदाबाद में एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को दूरदर्शन की अनवरत योजना (1978–83) के मसौदे में शामिल किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विस्फोटकों का निर्माण

4213. **श्री आर० के० अमीन**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय विस्फोटकों की माँग और पूर्ति की क्या स्थिति है और इसके निर्माता कौन हैं; और

(ख) उन पार्टियों द्वारा निर्माण किये जाने को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिन्हें औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं ताकि आत्म निर्भरता प्राप्त की जा सके?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) वर्ष 1978–79 में सभी प्रकार के औद्योगिक विस्फोटकों की मांग लगभग 80,000 मी० टन तक होने का अनुमान है। वर्ष 1978–79 में लगभग 55,000 मी० टन देशी उत्पादन होने का अनुमान है। इस समय 3 उत्पादक एकक हैं अर्थात (1) मैसर्स इन्डियन एक्सप्लोसिव लि०, गोमिया (बिहार), (2) मैसर्स आई० डी० एल० केमिकल्स लि०, रुतकेला तथा हैदराबाद तथा (3) मैसर्स इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी, कोरबा।

(ख) कोल इंडिया/आर्डनेन्स फैक्टरी परियोजना भंडारा तथा कर्नाटक में मैसर्स चौगले परियोजना को निर्धारित समय से पूर्व चालू करने के लिए संवीक्षा की गई है। इंडो बर्मा पैट्रोलियम कंपनी, जिन्होंने अपने संयंत्र को कुछ ही माह पूर्व चालू किया है, को 500 मी० टन प्रति माह की दर से उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि वर्ष 1978–79 में 25,000 मी० टन की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध हो सके। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनरल कारपोरेशन लि०, धौलपुर ने हाल ही में आई० डी० एल० केमिकल्स के साथ एक तकनीकी सहयोग करार सम्पन्न किया है और ऐसी आशा है कि वर्ष 1981 में उपादन शुरू हो जाएगा। मैसर्स नरेन्द्र एक्सप्लोसिव की देहरादून तथा मैसर्स हैंचम लि०, की हैदराबाद परियोजनाओं में भी वर्ष 1980 से उत्पादन शुरू होने की आशा है। इन सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निरन्तर संवीक्षा की जा रही है।

PRICE RISE OF PAPER, TYRE, RAYON, CEMENT AND AUTOMOBILES

4214. SHRI RAM VILAS PASWAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the prices of paper, tyre, rayon, cement and automobiles have registered an increase during the last 16 months; and

(b) if so, the extent thereof and why ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) The index numbers of wholesale prices of paper, tyres, rayon yarn, cement and cars for the months of April 1977 and July 1978, along with percentage change in the index are shown in the attached statement. The reasons for change in prices are reported to be due to changes in demand situation and cost structure including incidence of duties.

STATEMENT

INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES OF PAPER, TYRES, RAYON YARN, CEMENT AND CARS

	April, 1977	July 1978	Percentage change in July 1978 over April 1977
(1)	(2)	(3)	(4)
Paper	170·4	181·5	+6·5
Tyres	145·9	169·6	+16·2
Rayon yarn	205·2	199·0	—3·0
Cement	174·5	187·8	+7·6
Cars	149·2	183·0	+22·0

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतें

4215. श्री शंकर सिंह जी बाघेला
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
श्री धीरेन्द्र नाथबसू } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों में वर्ष वार 31 जुलाई, 1978 तक सड़क दुर्घटनाओं में कुल कितनी मौतें हुई;

(ख) क्या सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों के परिवार के सदस्यों को कोई मुआवजा अदा किया जाता है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार के इस बारे में क्या प्रस्ताव है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

अवधि	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या
(1) 1-8-75 से 31-7-1976 तक	570
(2) 1-8-76 से 31-7-1977 तक	649
(3) 1-8-77 से 31-7-1978 तक	721

(ख) से (घ) सड़क दुर्घटनाओं में आहत व्यक्तियों या उनके उत्तराधिकारियों को मुआवजा मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 110 (ख) के अन्तर्गत मोटर दुर्घटना दावा पंच फैसले के द्वारा दिया जाता है। ऐसे मुआवजे संबंधित व्यक्ति द्वारा दुर्घटना के छः महीने के भीतर प्रार्थना पत्र देने पर दिये जाते हैं। जहां तक दिल्ली परिवहन निगम की गाड़ियों से दुर्घटना का सम्बन्ध है, न्यायाधिकरण के पंच फैसले या न्यायालय के बाहर दावे को तय करना, यथास्थिति प्रत्येक मामले में 500 रुपये तक की अनुग्रह राशि दुर्घटना में आहत व्यक्ति को या उसके परिवारों को केवल उचित मामलों में दी जाती है।

दिल्ली में पीतमपुरा आवास योजना को बिजली की सप्लाई

4210. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पीतमपुरा आवास योजना में बिजली की (घरेलू और सड़कों की रोशनी के लिए) व्यवस्था करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में पैसा कब जमा किया था;

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इस सम्बन्ध में तब से बाद में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) पीतमपुरा आवास योजना को, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित एक कालोनी है, सड़कों पर रोशनी की सुविधा और घरेलू बिजली के कनेक्शन कब तक दिए जाएंगे?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) पीतमपुरा आवासीय योजना के विद्युतीकरण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली प्रदाय संस्थान को किए गए भुगतानों के ब्यौरे नीचे लिखे अनुसार हैं:—

क्रम सं०	योजना का नाम	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भुगतान की गई राशि (रुपये)	भुगतान की तारीख
1	2	3	4
1.	ट्रंक सेवाएं बिछाना और सब-स्टेशनों की प्रतिष्ठापना	48,32,964/-	22-9-76
2.	पीतमपुरा आवासीय पाकेट सी० और जी० का विद्युतीकरण	2,92,440/-	15-7-76
3.	पीतमपुरा (एच-5) पाकेट 'यू' उत्तरी का विद्युतीकरण	1,32,020/-	15-7 76
4.	पीतमपुरा आवासीय योजना पाकेट 'डी' का विद्युतीकरण	2,28,524/-	21-5-76
5.	पाकेट 'एच' पूर्वी का विद्युतीकरण . . .	82,530/-	1-4-76

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि 13 सब स्टेशनों में से 10 सब स्टेशनों की भूमि का वास्तविक कब्जा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिसम्बर, 1977 में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को दिया था। ऊपर क्रम सं० 1 से 4 तक में बताई गई योजनाओं के कार्य के संबंध में कार्यनिष्पादन हेतु आर्डर दिए जा चुके हैं। क्रम सं० 5 में बताई गई योजना के संबंध में कार्यनिष्पादन हेतु आर्डर अभी तक नहीं दिया गया है क्योंकि 32,180/- रुपये की शेष राशि का भुगतान दिल्ली विकास-प्राधिकरण द्वारा अभी किया जाना बाकी है। इस कार्य के लिए आर्डर दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को शेष राशि मिल जाने पर दिया जाएगा।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि विद्युतीकरण का काम शुरू कर दिया गया है और स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था करना और व्यक्तियों को घरेलू कनेक्शन दे पाना क्रमिक रूप से, लगभग एक साल में संभव होगा। तथापि, विद्युतीकरण के सम्पूर्ण कार्य को पूरा करने में लगभग दो वर्ष लग सकते हैं।

अरुणाचल प्रदेश में बेघर हुये आदिवासी

4217. **श्री बकिन पार्टिन :**
श्री पी० ए० संगमा : } क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 1978 के 'दि टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि जब अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्थायी राजधानी में अनधिकृत झोपड़ियों और दुकानों को गिराना आरम्भ किया तब सैंकड़ों आदिवासी बेघर हो गये तथा आजीविका से वंचित हो गये;

(ख) क्या मकान ढहाने के कार्य के दौरान कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार आसाम से सी० आर० पी० एफ० कर्मचारियों सहित पुलिस बल लाई थी;

(ग) क्या सरकार ने श्री मकबूल पटिन को दुकान चलाने के लिए परमिट जारी किया था और बाद म उसकी दुकान से लगभग 80,000 रुपयों का माल हटा दिया;

(घ) क्या उन सभी दुकानदारों को जिनकी दुकानें इस प्रकार गिरा दी गई, सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि चुनावों से पूर्व उनको स्थायी आवस स्थल दे दिये जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, तथा इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है। अरुणाचल प्रदेश प्रशासन ने सूचित किया है कि 229 परिवारों ने जिन्होंने स्थायी राजधानी में अनधिकृत रूप से स्थानों पर कब्जा कर लिया था खाली करने के नोटिस दिये जाने पर उन अनधिकृत स्थानों को खाली कर दिया। उनके द्वारा बनाई गई अनधिकृत अस्थायी फूंस की झोंपड़ियों को उनके जाने के बाद गिराया गया था। असम से सी० आर० पी० की दो कम्पनियां दो आसिवासी दलों के झगड़े के कारण 10 तथा 12 जुलाई को हुई घटनाओं से उत्पन्न विधि और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए बुलाई गई थी। इन कम्पनियों को अनधिकृत रूप से स्थानों पर कब्जा करने वालों को निकालने के लिए नहीं लाया गया था।

(ग) संघ शासित क्षेत्र सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री मकबूल पटिन को 7 जनवरी, 1978 को एक अस्थायी परमिट दिया गया था जो केवल तीन महीने के लिए अर्थात् 7 अप्रैल, 1978 तक वैध था।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पुलिस सेवा आयोग का प्रतिवेदन

4218. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :**
प्रो० पी० जी० मावलकर } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को राष्ट्रीय पुलिस आयोग का प्रतिवेदन कब तक मिल जाने की आशा है जिसको आयोग द्वारा इस समय तैयार किया जा रहा है;

(ख) क्या यह आयोग समूचे देश में पुलिस विभाग में सिपाहियों तथा अन्य छोटे रैंकों पर कर्मचारियों की सख्या में वृद्धि करने पर भी विचार कर रहा है; और

(ग) आयोग द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर कितना धनराशि खर्च की जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) आशा की जाती है कि अगले कुछ महीनों में प्रथम रिपोर्ट और 1979 के दौरान अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी।

(ख) राष्ट्रीय पुलिस आयोग पुलिस संगठन में विभिन्न स्तरों पर कार्यभार की परीक्षा कर रहा है। अतः उसकी सिफारिशों से यह संकेत मिलने की आशा की जाती है कि क्या कांस्टेबलों तथा अन्य पदों की सख्य में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

(ग) आयोग द्वारा 15-11-1977 से अर्थात अपने आरम्भ से 31 जुलाई, 1978 तक 5.75 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। अन्तिम खर्च के बारे में इस समय अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

संघ लोक सेवा आयोग को परीक्षाओं के लिए आवेदनपत्रों के फार्म

4219. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर**
श्री वयालार रवि } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए आवेदनपत्रों के फार्म घ लोक सेवा आयोग द्वारा विलम्ब से दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या दक्षिणी राज्यों के अनेक आवेदकों से सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा विलम्ब रोकने और आवेदकों को उन्हें ठीक समय पर उपलब्ध कराने के लिये या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय द्वारा सदा ही इस बात की सावधानी बरती जाती है कि अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन-पत्र के खाली फार्म अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर भेज दिये जाएं। इस वर्ष, मार्च और मई 1978 में कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 1978 तथा भारतीय प्रशासन सेवा और सम्बद्ध सेवा परीक्षा, 1978 के मामले में इस आदर्श के पालन में कुछ कमी रह गई है ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग को देश के विभिन्न भागों से आवेदन पत्रों के खाली फार्म न मिलने/आवेदन पत्र के खाली फार्मों को देर से मिलने की कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ग) व्यक्तिगत शिकायतों के मामलों में, अपेक्षित फार्म संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शीघ्र ही भेज दिए गए थे । यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदन पत्र के खाली फार्मों के देर से भेजे जाने के कारण, किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश से वंचित न रखा जाए, इन दो परीक्षाओं के लिए अन्तिम तारीखें निम्न प्रकार से बढ़ा दी गई थीं :—

भारतीय प्रशासन सेवा और सम्बद्ध सेवाएं परीक्षा :—

19-6-1978 से 3-7-1978 तक ।

इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा :—

29-5-78 से 12-6-1978 तक ।

इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती गई है कि कुछ उम्मीदवार ने उचित समय के भीतर आवेदन पत्र खाली फार्म की मांग की है, उसे परीक्षा में प्रवेश से वंचित न रखा जाए ।

कोयले की जोर बाजारी

4220. **श्री सौगत राय**
श्री ज्योतिर्मय बसु
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने ऐसे समाचार देखे हैं जिनमें कहा गया है कि राज्य सरकारें बिना सोचे-समझे कोयले की चोर बाजारी को होने दे रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस चोर बाजारी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) कोल इंडिया लि० ने हाल ही में कुछ नगरों में जो सर्वेक्षण किया है उसके फलस्वरूप यह पता चला है कि कोयले के आबंटन के लिए प्रायोजित अनेक पार्टियां वास्तव में कहीं हैं ही नहीं ।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वह विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं की सही आवश्यकताओं का ठीक-ठीक निर्धारण करें और केवल ऐसी आवश्यकताओं को ही प्रायोजित करें ।

विदेशी कार्यों के लिए स्टाफ आर्टिस्टों के चयन का मानदण्ड

4221. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : विदेशों में गोष्ठियों, वर्कशापों और अल्पावधि, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए कार्मिकों (स्टाफ आर्टिस्टों) के चयन के बारे में सरकार का क्या मानदण्ड है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : व्यक्तियों का चयन प्रायोजकों द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों, कर्मचारियों की उपयुक्तता, रुझान और अनुभव, तथा उनकी वरीयता और सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए अध्ययन/सेमीनार/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, इत्यादि के विषय के आधार पर किया जाता है।

जिला औद्योगिक केन्द्रों में अच्छे स्तर के कर्मचारी रखने की प्रणाली

4222. **श्री के० सायातेवन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों के संवर्धन, विकास और सफल कार्यकरण में औद्योगिक केन्द्रों द्वारा निभाई गई संग्रही भूमिका क्या है;

(ख) औद्योगिक केन्द्रों के कार्य को उपयोगी बनाने के लिए केन्द्र अच्छे स्तर के कर्मचारी रखने की प्रणाली क्या है तथा कर्मचारियों की निश्चित अर्हतायें क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि औद्योगिक केन्द्रों अनुपयोगी अफसरशाही दृष्टिकोण न अपनायें, क्या नियंत्रण और संतुलन तथा प्रोत्साहन रखने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकारों को सुझाए गये जिला उद्योग केन्द्रों के संगठनात्मक ढांचे में एक महाप्रबन्धक तथा सात कार्यकारी प्रबंधक होते हैं जो निम्नलिखित विषयों के ज्ञाता होते हैं :—

1. आर्थिक अन्वेषण।
2. मशीनें व उपकरण।
3. अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण।
4. कच्चा माल।
5. ऋण।
6. विपणन, तथा
7. के० वी० आई० सी०/आर० ए० पी०/आर० आई० पी०।

महाप्रबन्धक के लिये निर्धारित योग्यताएं ये हैं कि वह राज्य के संयुक्त निर्देशन उद्योग के स्तर का होना चाहिए अथवा राज्य में उप निर्देशक उद्योग के पद पर कार्य कर रहा हो जिसका (मूल) वेतन 800 रुपये से कम न हो। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस पद के लिए केवल प्रमाणित योग्यता तथा नेतृत्व के गुण, संगठनात्मक योग्यता तथा कार्यकारी क्षमता वाले व्यक्ति ही चुने जायें। कार्यकारी प्रबंधक पर्याप्त योग्यता वाले तथा जिन विषयों के वे प्रभारी हैं उनका अनुभव रखने वाले उपनिर्देशक या वरिष्ठ सहायक निर्देशक उद्योग के स्तर के होने चाहिएं।

(ग) प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र के कार्यकरण जिला की प्रगति को प्रथमतः परामर्शदात्री समिति द्वारा जिला स्तरों पर तथा राज्य स्तर की समन्वय समिति द्वारा जिसका अध्यक्ष संबंधित राज्य का मुख्य मंत्री/उद्योग मंत्री होगा, राज्य स्तर पर मानीटर करने की प्रकल्पना हैं। राज्यों में जिला उद्योग केन्द्रों की प्रगति की क्षेत्रीय समन्वय समिति के स्तर पर संवीक्षा की जायेगी तथा अन्त में, उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय समन्वय समिति द्वारा की जायेगी। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिये बनाई गई है कि ये केन्द्र वस्तुतः ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के संतुलित तथा उचित विकास में एक लाभदायक साधन सिद्ध हों।

विवरण

23 दिसम्बर, 1977 को संसद में घोषित की गई औद्योगिक नीति में ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों में फैले हुए कुटीर एवं लघु उद्योगों का तेजी से विकास करने पर बल दिया गया है। अभी तक उद्योगों का

जमाव महानगरों तथा अन्य बड़े नगरों के आसपास ही हुआ है, और जिसके परिणाम स्वरूप नगर का अव्यवस्थित विकास हुआ और क्षेत्रीय असन्तुलन उत्पन्न हुआ है। यहां तक कि देश के 60% प्रतिशत से अधिक लघु उद्योग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास इन चार महानगरों सहित 50 शहरी केन्द्रों में स्थापित किये गये हैं। देश के प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना कर नयी नीतियां इसी असन्तुलन को ठीक करने की प्रकल्पना की गई है, तथा ये केन्द्र भावी तथा साथ ही विद्यमान उद्यमियों के लिए सभी प्रकार की अनुमति प्रदान करने, सवर्धनात्मक सहायता तथा मार्ग दर्शन करने के लिए एक मात्र प्रशासनिक प्राधिकर के रूप में कार्य करेंगे जिला उद्योग केन्द्रों के उद्यमियों को एक ही स्थान पर आवश्यक स्वीकृतियां देने के लिए प्राधिकृत हैं। जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यों में विकास के लिए जिले के विभव का आर्थिक अन्वेषण जिसमें कच्चा माल तथा अन्य साधन स्त्रोत उचित परियोजनाओं के लिए सम्भयता रिपोर्ट तैयार करना, कच्चा माल, मशीनरी तथा उपकरण प्राप्त करने में मदद करना और वित्तीय संस्थानों और बैंकों के साथ ऋण प्रबन्धों में सहायता, करना शामिल हैं। केन्द्र उद्यमियों को उनके उत्पादों का विपणन करने, उन्हें बाजार संबंधी जानकारी, मार्गदर्शन विपणन बिक्री केन्द्रों का पता लगाने और अनुसंधान, विस्तार और उद्यमी प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों का पता लगाकर उनकी सहायता करेगा। इन जिला उद्योग केन्द्रों की गतिविधियों में, प्रमुख गतिविधि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, हस्तशिल्प तथा हथकरघा निदेशालय और ग्रामीण विकास खण्डों के साथ मिलकर ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा।

प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र का शीर्षस्थ अधिकारी एक महाप्रबन्धक तथा सात कार्यकारी प्रबन्धक होते हैं जो निम्नलिखित विषयों के ज्ञाता होते हैं :—

1. आर्थिक अन्वेषण।
2. मशीनें तथा उपकरण।
3. अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण।
4. कच्चा माल।
5. ऋण।
6. विपणन
7. के० वी० आई०, आर० आई० पी० तथा आर० ए० पी०।

कार्यक्रम एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। जिसका कार्यान्वयन विभागीय तौर पर राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों, प्रशासनों के उद्योग विभागों द्वारा किया जाना है। प्रत्येक जिला औद्योगिक केन्द्र को 5 लाख रु० के हिसाब से अनावर्ती व्यय और 75 प्रतिशत आवर्ती व्यय जो 3.75 लाख रुपये तक सीमित रहेगा, केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलेगा।

सांस्कृतिक संगठनों की सदस्यता के लिये सरकारी कर्मचारियों का लिया जाना

4223. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ अर्धसैनिक (पैरा मिलिट्री) संगठन, सांस्कृतिक संगठनों के नाम से सक्रिय हो गये हैं और अपनी सदस्यता के लिए सरकारी कर्मचारियों को सदस्य बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार इस बारे में क्या कदम उठाना चाहती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सरकार को किसी अर्ध सैनिक संगठन जो सांस्कृतिक संगठन के रूप में कार्य कर रहा है कि किसी ऐसी गतिविधि की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलैक्ट्रोनिक्स प्रोसेस कट्रोल इस्ट्रूमेन्टेशन एंड सिस्टम के निर्माण के लिए केरल राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम और फ्रांस के कंट्रोले बेले के बीच समझौता

4224. **श्री पी० राजगोपालन नायडू** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधुनिकतम इलेक्ट्रोनिक्स प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेन्टेशन एंड सिस्टम के निर्माण के लिए केरल राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास और फ्रांस के कंट्रोले बेले के बीच समझौते का अनुमोदन कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) और (ख) : सरकार ने इलेक्ट्रोनिक्स इन्स्ट्रूमेन्टेशन सिस्टम का उत्पादन करने हेतु मैसर्स कंट्रोले बेले आफ फ्रांस के साथ सहयोग करने के बारे में [मैसर्स–केरल स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के एक प्रस्ताव को जून, 1978 में स्वीकृति दे दी है। यह पूर्णतः तकनीकी सहयोग वाला अनुबन्ध है तथा यह 5 वर्ष की अवधि के लिए है व इसमें कोई विदेशी इक्विटी नहीं होगी।

एम्बेसेडर कार के निर्माण के लिए मै० हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा डाई मशीनों का आयात

4225. **श्री निहार लास्कर**
श्री के० मालन्ना
श्री पी० वेंकट सुब्बया } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्बेसेडर कार की नई किस्म की बाडी का निर्माण करने के लिए मै० हिन्दुस्तान मोटर्स को डाई मशीनों का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या इससे कार के इंजन में भी कोई सुधार होगा;

(ग) क्या केवल नयी शक्ल की उन्हीं कारों की कीमत में वृद्धि की जाएगी जबकि इंजन में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इंजन में कोई सुधार किये बिना केवल नई शक्ल की कार की कीमत में कोई–वृद्धि न करने के लिए मै० हिन्दुस्तान मोटर्स को कोई निर्देश देने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ङ) हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा बनाई जा रही कार की बाडी तथा इंजन में सुधार करने के लिए डाइज ड्राइंग तथा डिजाइन का आयात करने हेतु हिन्दुस्तान मोटर्स स्वयं बातचीत कर रहा है। उनके प्रस्ताव 31 जुलाई, 1978 को ही प्राप्त हुए हैं तथा विभिन्न मापदंडों [जिनमें सस्ती लागत में विश्वसनीयता में सुधार कार्य क्षमता यात्री सुविधा आदि शामिल है को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी।

प्लूटोनियम का भंडार

4226. **श्री तरुण गोगोई**
श्री के० मालन्ना } : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास इस समय प्लूटोनियम का कितना भंडार है;

(ख) सरकार का उक्त प्लूटोनियम का क्या उपयोग करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में मद्रास के निकट एक अन्य परिष्करण संयंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) : मुझे खेद पूर्वक यह कहना पड़ा रहा है कि प्लूटोनियम के वर्तमान भण्डार के बारे में जानकारी देना लोकहित में नहीं होगा। इस समय प्लूटोनियम केवल बिजली के उत्पादन के लिए ही उपयोग में लाया जा रहा है, लेकिन इसका उपयोग अन्य प्रयोजनों की पूर्ति के लिये, जिसमें विस्फोट के काम आने वाली युक्ति भी शामिल है, किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि सदन को मालूम है कि हमारी योजना इसका उपयोग केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजना की पूर्ति के लिये करने की है।

(ग) जी, हां। मद्रास के निकट कलपक्कम में एक ईंधन पुनसंसाधन संयंत्र लगाने का विचार है।

(घ) इसे सम्बन्ध में विवरण तैयार किया जा रहा है।

विभिन्न योजनाबद्ध परियोजनाओं की क्रियान्विति

4227. **श्री ए० बाला पजनौर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न योजनाबद्ध परियोजनाओं की क्रियान्विति की देखभाल करने (मानिटरिंग) के लिए की गई व्यवस्था तथा तरीकों का विशिष्ट विवरण क्या है;

(ख) यह सुनिचिश्त करने के लिए कि योजना आयोग तथा अन्य मन्त्रालय एक ही कार्य के लिए पृथक; पृथक प्रयत्न करके समय नष्ट न करें, क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या "कन्करेन्ट मानिटरिंग" से बाधाओं को समय पर दूर करने हेतु कम से कम तीन मामलों का पता लगा है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रबोधन और कार्यान्वयन के तंत्र और व्यवस्था की रूपरेखा पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में और 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के प्रारूप के दस्तावेज में दी गई है। योजना की परियोजनाओं के निष्पादन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकारों का है, इसलिए उनको ही मूल प्रबोधन तन्त्र और व्यवस्था स्थापित करनी होती है। उन्हें प्रबोधन कक्ष स्थापित करने होते हैं, परियोजनाओं से प्रगति की सूचना एकत्र करनी होती है, इस सूचना का विश्लेषण करना होता है और आवधिक समीक्षा बैठके करनी होती है जिनमें कमियों और बाधाओं को निर्धारित किया जा सके और कार्य; निष्पादन को सुधारने के लिए निर्णय लिए जा सकें।

(ख) योजना आयोग के प्रबोधन का कार्य संपूर्ण योजना की प्रगति पर निगरानी रखना, योजना के मुख्य लक्ष्यों की पूर्ति की जांच करना और मन्त्रालयों तथा राज्यों को प्रतिबाधक असंतुलनों तथा विचलनों के सम्बन्ध में सलाह देना और सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना है।

आयोग को इन कार्यों को पूरा करने में सहायता देने के लिए, प्रबोधन और सूचना प्रभाग अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति और निष्पादन के आंकड़ों को एकत्र करता है और उनका विश्लेषण करता है। इसमें कोई प्रयत्न का द्विगुणन निहित नहीं है।

(ग) ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जहां आयोग द्वारा चुनी हुई परियोजनाओं के संवर्ती प्रबोधन से कमियों के निर्धारण में और सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायता मिली है। तीन उदाहरण नीचे दिए गए हैं :—

(1) कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना को चालू करने में विलम्ब का प्रमुख कारण यह देखा गया कि कर्नाटक राज्य के मैसूर विद्युत निगम लि० द्वारा चक्रा विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में व्यतिक्रम या त्रुटियां रह गई थीं। इस पर परियोजना प्राधिकारिणों के साथ इस्पात और खान मन्त्रालय तथा योजना आयोग द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया गया। तब विद्युत विभाग द्वारा विद्युत की पूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की जांच की गई और यह सहमति हुई कि आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच अंतरराज्यीय संचरण सहबन्धों के निर्माण कार्य को जल्दी पूरा किया जाना चाहिए तथा उसके अनुसार कार्रवाई शुरू की गई।

(2) बैठकों में मेघाताबुरु लौह अयस्क परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह देखा गया कि रेलवे साइडिंग के निर्माण कार्य में विलम्ब से इस परियोजना के शुरू होने म रुकावट आने की संभावना थी। रेल मन्त्रालय, इस्पात विभाग और योजना आयोग के बीच हुई एक संयुक्त बैठक में, इस विलम्ब की कारक समस्याओं की जांच की गई और उनका समाधान किया गया।

(3) पिछले वर्ष खान विभाग, तकनीकी विकास महानिदेशालय और योजना आयोग के बीच विचार विमर्श के समय देखा गया कि आने वाले वर्ष में विद्युत की उपलब्धता की वास्तविक स्थिति को देखते हुए अल्यूमिनियम की आंतरिक मांग और उत्पादन में अन्तर की संभावना है, यद्यपि पिछले वर्ष हमने अल्यूमिनियम का निर्यात किया था। इसके परिणामस्वरूप, अल्यूमिनियम का आयात करने के लिए समय पर कार्रवाई की गई और इस महत्वपूर्ण धातु की कमी नहीं होने दी गई।

सिक्किम के भूतपूर्व चोग्याल के साथ कथित परस्पर समझौता

4228. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम के भूतपूर्व चोग्याल की हाल की दिल्ली यात्रा के दौरान केन्द्र सरकार ने उनके साथ परस्पर समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) तथा (ख) : दिल्ली की अपनी हाल की यात्रा में भूतपूर्व चोग्याल ने प्रधान मन्त्री से बातचीत की थी जिसके दौरान उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में कुछ गल्त-फहमियों को स्पष्ट किया था और अपनी पुत्री की बीमारी तथा विदेश में अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में अपनी व्यक्तिगत समस्याओं प्रधानमन्त्री के सामने रखी थीं।

कोयले के मूल्य में वृद्धि के बारे में भारतीय वाणिज्य मंडल का अभ्यावेदन

4229. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मण्डल ने सरकार को यह अभ्यावेदन दिया है कि कोयले के मूल्य में कोई भी वृद्धि अनुचित है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) इंडियन चैम्बर आफ कामर्स से कोई अभिवेदन नहीं मिला है किन्तु भारत चैम्बर आफ कामर्स से कोयले की कीमत बढ़ाने के विरुद्ध एक अभिवेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) सरकार ने अभी तक कोयले की कीमत नहीं बढ़ाई है। जब कभी कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा तो इस वृद्धि से उपभोक्ता क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का ध्यान रखा जाएगा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन रुग्ण कपड़ा मिलों में कार्यकर पूंजी का संकट

4230. **श्री एस० जी० मुस्तायूयन** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्याप्त कार्यकर पूंजी की कमी के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन रुग्ण कपड़ा मिलों में बड़ी संख्या में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वाणिज्यिक बैंकों ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम का मिलों के लिए स्वीकृत ऋण के बड़े हिस्से का वितरण नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को पर्याप्त पूंजी देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पौटरी उद्योग में संकट

4231. **श्री धर्म वीर वशिष्ठ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पौटरी उद्योग संकट में है; और

(ख) यदि हां, तो यह संकट किस प्रकार का है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) सरकार को पोटरी उद्योग की संकट-ग्रस्तता के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कोयले की कमी के बारे में कुछ शिकायतें आई हैं जिसका प्रभाव अन्य उद्योगों पर भी पड़ा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आपात काल के दौरान संजय गांधी की राज्यों की यात्रा पर हुआ व्यय

4232. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपात काल के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा संजय गांधी के स्वागत पर भारी धनराशि व्यय की गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने ऐसा व्यय किया था और उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि खर्च की थी; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जो कि संजय गांधी की राज्यों की यात्रा के दौरान राज्य सरकारों द्वारा की जानी थी, राज्य सरकारों की विशेष अनुदेश जारी किए थे, यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)। (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा श्री संजय गांधी की यात्राओं तथा सभाओं पर किए गए व्यय तथा प्रबन्धों का विवरण (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2656/78) संलग्न है।

(ग) आसूचना ब्यूरो ने सुरक्षा प्रबन्धों तथा अन्य एहतियाती उपायों जो श्री संजय गांधी की राज्यों में यात्रा के दौरान किए जाने थे के बारे में सामान्य निवेश जारी किए थे।

सीमेंट के छोटे कारखाने स्थापित करना

4233. **श्री एस० आर० दामाणी**: क्या **उद्योग** मंत्री सीमेंट कारखानों का उत्पादन और अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग के बारे में 12 अप्रैल, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 713 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट के छोटे कारखाने स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और उनका स्थान, क्षमता आदि के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार उनको क्या विशेष सहायता या रियायतें देने पर सहमत हुई है; और

(घ) वे वाणिज्यिक उत्पादन कब से आरम्भ कर सकेंगे?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत आवेदनों अथवा 31-7-1978 को आशय-पत्र प्रदान किए गए मिनी सीमेंट सन्यन्त्रों की संख्या बताने वाला एक विवरण (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2657/78) (संख्या-1) सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) 31-7-1978 को मिनी सीमेंट सन्यन्त्रों, के पंजीकरण/आशाय पत्रों के लिए विचरार्थ निलम्बित आवेदनों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० –2657/78)। विवरण-सं० 2)

(ग) मिनी सीमेंट सन्यन्त्रों की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार ने दो कार्यकारी दल गठित किए हैं। जो क्रमशः वित्तीय प्रोत्साहन और प्रयोगिकी के चयन की सिफारिश करेंगे। कार्यकारी दलों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं तथा वे सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) एक मिनी सीमेंट सन्यन्त्र की स्थापना में लगने वाला औसत समय सन्यन्त्र के आकार और उपलब्ध स्थानीय अवस्थापना सुविधाओं के आधार पर दो से तीन वर्षों का होगा।

सशस्त्र सेना मुख्यालयों में कर्मचारियों की संख्या

4234. **श्री दया राम शाक्य**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें हिन्दी अनुभाग कितने हैं तथा उनमें कार्यरत हिन्दी कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि सशस्त्र सेना मुख्यालयों की कुछ ब्रांचों में, जिनमें कर्मचारियों की संख्या विभिन्न असैनिक मन्त्रालयों के बराबर है, एक भी हिन्दी अधिकारी अथवा एक जूनियर अनुवादक या एक टाइपिस्ट भी नहीं है; और

(घ) इस गति से हिन्दी में कार्य आरम्भ करने के लिए सशस्त्र सेना मुख्यालयों को कितनी दशाब्दी लगेंगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) सशस्त्र सेनाओं के तीनों मुख्यालयों अर्थात थल सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय तथा वायु सेना मुख्यालय में 8555 सिविलियन कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) : इन मुख्यालयों में 3 हिन्दी अनुभाग हैं जिनमें से हरेक मुख्यालय में एक एक अनुभाग विभिन्न ब्रांचों की आवश्यकताओं को एक ही जगह पूरी कर रहा है। प्रत्येक मुख्यालय में हिन्दी अधिकारियों और कर्मचारियों के कुल पदों की संख्या और राजपत्रित तथा अराजपत्रित वर्गों में उनका विभाजन निम्न-लिखित है :--

संगठन	पदों की कुल संख्या	राजपत्रित कमीशन प्राप्त	अराजपत्रित/ गैर कमीशन प्राप्त
थलसेना मुख्यालय	20	5	15
नौसेना मुख्यालय	28	4	24
वायुसेना मुख्यालय	40	12	28
	88	21*	67**

*इनमें 12 अनुवाद अधिकारी सम्मिलित हैं।

**इनमें 47 अनुवादक, 1 हिन्दी टंकक और 13 लिपिक सम्मिलित हैं। जिन्हें अन्य कार्य के साथ साथ हिन्दी टाइप कार्य पर लगाया गया है।

इन पदों के बारे में और अधिक ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इस समय कोई विशेष समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

विवरण

तीनों मुख्यालयों में हिन्दी अनुभागों और इनके लिए स्वीकृत पदों की संख्या का विवरण।

थलसेना मुख्यालय	
हिन्दी अनुभाग की संख्या	एक
हिन्दी अनुभाग का नाम	जी० एस० ब्रांच/एन० टी०-17

स्वीकृत पदों का ब्यौरा	पदों की संख्या
संयुक्त निदेशक	1
मुख्य अनुवाद अधिकारी	1
अनुवाद अधिकारी	3
वरिष्ठ अनुवादक	9
कनिष्ठ अनुवादक	2
सूबेदार अनुवादक	1
हिन्दी आशुलिपिक ग्रेड "डी"	2
हिन्दी टंकक	1
जोड़	20

नौ सेना मख्यालय

हिन्दी अनुभागों की संख्या — एक

हिन्दी अनुभागों का नाम — नौ सेना शिक्षा निदेशालय

स्वीकृत पदों का ब्यौरा	पदों की संख्या
सहायक निदेशक/स्टाफ अफसर (हिन्दी)	2
एल० सी० ड० और (ई० डी०)/एल०टी० (ई० डी०)	
अनुवादक अफसर	2
तकनीकी अधीक्षक	1
वरिष्ठ अनुवादक	5
कनिष्ठ अनुवादक	11
लिपिक (हिन्दी-सह-अंग्रेजी)	5
ट्रेसर	1
आशुलिपिक ग्रेड "डी" (हिन्दी-सह-अंग्रेजी)	1
जोड़ :	28

वायु सेना मुख्यालय

हिन्दी अनुभाग की संख्या — एक

हिन्दी अनुभागों का नाम — वायु सेना शिक्षण निदेशालय

स्वीकृत पदों का ब्यौरा	पदों की संख्या
मुख्य अनुवादक अधिकारी	1
स्क्वाड्रन लीडर	4
अनुवाद अधिकारी	6
सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर (अनुवाद)	1
वरिष्ठ अनुवादक	14
कनिष्ठ अनुवादक	4
आशुलिपिक ग्रेड "डी"	1
जूनियर प्रूफरीडर	1
लिपिक	8
जोड़ :	40

अन्दमान में लकड़ी पर आधारित औद्योगिक काम्पलेक्स

4235. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान में 5 करोड़ रुपये की लागत से लकड़ी पर आधारित औद्योगिक काम्पलेक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इससे रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां ।

(ख) इस काम्पलेक्स की स्थापना हटबे लिटिल अण्डमान में संयुक्त क्षेत्र में करने का विचार है । इसमें एक प्लाईवुड फैक्टरी, एक आरा मिल और एक पार्टिकल बोर्ड फैक्टरी आदि होंगे । इस काम्पलेक्स की स्थापना हो जाने से लगभग 1500 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ।

जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा कम्पनियों की देखभाल

4236. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों की देखभाल करने के लिए जिला औद्योगिक केन्द्रों को अधिकार दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के बारे में ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी पंजीकरण विभिन्न जिलों में कराया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 की कटी फटी सतह

4237. **श्री अप्पासाहिब गोटखिण्ड** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के रतनागिरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 को बुरी तरह से टूटे-फूटी सतह की सुदृढ़ बनाये जाने और उसके स्थान पर नमनशील एस्फाल्ट सतह बनाये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान सतह से यात्रा करने वाले लोगों को भारी असुविधा हो रही है,

(ख) क्या महाराष्ट्र को राज्य सरकार ने उक्त मामले में सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या इसके लिए आवश्यक धनराशि को चालू वर्ष के दौरान मंजूरी दी जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) : महाराष्ट्र सरकार से वर्तमान पुराने और पतले 3.6 मी० (12 फिट) चौड़े टूटे सीमेन्ट कंकरीट पटरी के पुनर्निर्माण और पूरे दो लेन (7 मी०-23 फीट) चौड़े यानमार्ग को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया के प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है। राष्ट्रीय राजमार्गों विकास के नियतन और अखिल भारतीय कार्यों की स्थिति को देखते हुए कार्य की 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की संभावना है। इस बीच सड़क की उचित वहन क्षमता बनाये रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

CONFIRMATION OF DAILY WAGES EMPLOYEES OF A.I.R. AND T.V.

4238. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the number of employees working on daily wages in the All India Radio Stations and Television Centres throughout the country and since when they have been working on daily wages and whether the employees who have completed service of five years are likely to be made permanent by Government; and

(b) if so. by what time and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House later.

फिल्म सेंसर के केन्द्रीय बोर्ड की मार्गदर्शी सिद्धातों को व्याख्या।

4239. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया फिल्म प्रोड्यूसरस कौंसल के सेंसर संहिता और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्य क्षेत्र से परे उनकी व्याख्या करने तथा उनसे परे हटकर कार्यवाही करने के लिए फिल्म सेंसर से केन्द्रीय बोर्ड और उनकी क्षेत्रीय समितियों के विचारों के लिए प्रेस की आलोचना की है;

(ख) क्या फिल्म सेंसरों के केन्द्रीय बोर्ड को सलाहकार समिति ने बड़े पैमाने पर 'बुरी फिल्मों' पर रोक लगाई है;

(ग) 1977 के दौरान तथा 1978 में (जून तक) सेंसर बोर्ड द्वारा कितनी फिल्में पास की गई और उनमें से कितनी फिल्मों को 'ए' प्रमाण-पत्र मिला; और

(घ) क्या सरकार नई व्याख्या पर पुनर्विचार करेगी और फिल्म उद्योग जो कि पहले ही वित्त की भारी कमी, कच्ची सामग्री की कमी तथा अन्य सीमाओं के भीतर काम कर रहा है, में अनिश्चितता और हानि को दूर करने हेतु सेंसर बोर्ड का निश्चित मार्गदर्शन करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां। आल इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स कौंसिल की ओर से संहिता और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के सेंसर बोर्ड द्वारा निर्वचन के बारे में प्रेस में छपी रिपोर्ट सरकार के ध्यान में लाई गई है। तथापि, उसको केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा गलत बताया गया है।

(ख) किसी भी फिल्म के लिए इस लिए प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है कि वह खराब है। फिल्मों को चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की रोशनी में प्रमाण पत्र दिए जाते हैं या उनको प्रमाण पत्र देने से इंकार किया जाता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष	1977			जून, 1978 तक		
	भारतीय	विदेशी	कुल	भारतीय	विदेशी	कुल
प्रमाणीकृत फीचर फिल्मों की संख्या	557	192	749	281	58	339
'ए' प्रमाणपत्रों की संख्या	29	58	87	22	14	36
प्रमाणीकृत छोटी फिल्मों की संख्या	1206	950	2156	616	357	973
'ए' प्रमाणपत्रों की संख्या	1	13	14	—	1	1

GRANTS OF PENSIONS TO EX-INA PERSONNEL OF ORISSA

4240. SHRI GOVINDA MUNDA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the freedom fighters belonging to the Ex-INA (Azad Hind Fauz) of Orissa had submitted a demand in 1977-78 for grant of pension to them; and

(b) if so, the number of them granted pension so far and also of those who have not been granted pension with reasons therefor and when they are now proposed to be given pension ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Yes, Sir in April, 1978.

(b) 224 Freedom Fighters have been sanctioned pension upto 31st July, 1978. 223 cases were filed after initial scrutiny for want of acceptable evidence. In some of these filed cases the applicants have now furnished further evidence and these cases are under scrutiny. The remaining cases will be finalised as and when acceptable evidence is received.

भारत में विदेशी मिशनरियां:

4241. **श्री श्याम सुन्दर गप्त:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1978 को भारत में कितनी विदेशी मिशनरियां थीं;

(ख) उनमें से कितनी मिशनरियों का वीसा दिसम्बर, 1978 के अन्त तक समाप्त हो जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों में वीसा की वैद्यता की अवधि बढ़ाने के लिए कोई मापदंड निर्धारित किये हैं; और

(घ) देश में विदेशी मिशनरियों के प्रवेश को संचालित करने वाले नियम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, भारत में 3255 पंजीकृत विदेशी मिशनरियां हैं।

(ख) सूचना सहज उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) :—

मिशनरियों समेत विदेशियों के ठहरने और वीसा की वृद्धि के लिये प्रार्थनाओं पर यात्रा का उद्देश्य, किया गया कार्य, निरन्तर ठहरने या यात्रा का कारण और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत गणदोष के आधार पर विचार किया जाता है।

त्रिपुरा में पटसन उद्योग नियन्त्रण में लेना

4242. **श्री श्रमर राय प्रधान**
श्री किरित विक्रम देव बर्मन } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि

(क) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा में पटसन उद्योग को अपने नियन्त्रण में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) तथा (ख): त्रिपुरा जूट मिल्स, जो त्रिपुरा सरकार का एक उपक्रम है, को 1-5-76 को 2 वर्ष की अवधि के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। इसकी अवधि 31-5-78 तक के लिए बड़ा दी गई। इसके अतिरिक्त, त्रिपुरा राज्य में अन्य कोई जूट मिल नहीं है।

युद्ध पोतों पर विदेशी प्रतिनिधियों का ले जाने के लिये आमंत्रण

4243. **श्री राजशेखर कोलूर:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें कोचीन में जनवरी, 1978 में लोक सम्पर्क सम्मेलन के आयोजकों द्वारा युद्धपोतों पर ले जाने के लिये विदेशी प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करने के किसी प्रयास के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी अनुमति दी और अतिथियों को शराब पेश की गई; और

(ग) क्या गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा ऐसे अतिथ्य को अनुमति दी जाती है, यदि हां, तो भारत के रक्षा प्रबन्धकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए क्या सावधानी बरती जाती है।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नौ सेना पोतों पर निजी पार्टियों द्वारा अतिथ्य की अनुमति नहीं है।

ALLOTMENT OF CHASSIS OF TRUCKS AND BUSES

4244. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the dealers are indulging in corrupt practices in the allotment of chassis of Trucks and Buses; and

(b) if so, what steps Government propose to take in this regard so that consumers are able to get chassis of Trucks and Buses at an early date and at fair prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) There is no control on the distribution and prices of commercial vehicles. There is an increase in demand for chassis of trucks and buses specially in respect of preferred makes relating to TELCO and Ashok Leyland. There are waiting lists for these types of vehicles specially in respect of truck chassis. Complaints have been reported against dealers about premia, etc. Steps have also been taken to increase the availability of commercial vehicles. With the progressive augmentation of production, it is expected that the situation of short supply, which gives room for malpractices, will ease appreciably.

BROADCAST ON THE FORMER DIRECTOR GENERAL, A.I.R.

4245. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether any feature, talk or discussion was broadcast during the past few months by AIR or Television Centre in honour of the services rendered by the former Director General of A.I.R., late Shri J. C. Mathure;

(b) if so, the names of the languages in which those broadcasts were made and the period of the broadcasts and the names of the broadcasting stations; and

(c) the precedents of A.I.R. in this regard and how far it has been followed in this matter ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) & (b) (i) No, Sir. While AIR Stations broadcast programmes of tributes to the memory of late Shri J. C. Mathur, TV noticed his death in the news bulletins in Hindi and English telecast by Delhi Kendra on 14th May, 1978 his photograph was also shown.

(ii) In addition, the following Stations of AIR broadcast programmes of tributes by eminent persons on the dates and of the duration indicated below :—

(1)	AIR Delhi	14-5-1978 (27 minutes)	Tributes by 7 eminent persons in in Hindi/English.
(2)	AIR Jullundur. .	15-5-1978 (16 minutes)	Tributes by 6 eminent persons in Hindi.
(3)	AIR Patna	15-5-1978 (8 minutes)	Radio report in Hindi based on tributes recorded at Gaya.
(4)	AIR, Bhopal , ,	15-5-1978 (15 minutes)	Tributes by eminent persons in Hindi.
(5)	AIR, Gwalior. . .	15-5-1978 (8 minutes)	Tributes by well-known literatures in Hindi.

The news of Shri J. C. Mathur's demise was also covered in the news bulletins on 14-5-78. While Lucknow Station of AIR relayed the Delhi programme of tributes, some Auxiliary Stations of AIR relayed the tribute programmes from the main stations.

(c) AIR/Doordarshan have given such coverage in the past to persons of outstanding literary accomplishments. The present coverage was given to late Shri J. C. Mathur, keeping in view his literary accomplishments and newsworthiness of the item.

चन्द्रपुरा तापीय बिजली घर को कोयले की ढुलाई के लिए टेंडर

4246. **श्री द्रोणम राजू सत्यनारायण**
श्री के० मालन्ना } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने चन्द्रपुरा तापीय बिजली घर के लिए कोयले की ढुलाई के लिए कार्य आदेश (वर्क आर्डर) का, अन्य निम्नतम स्तर के टेंडरों के दावों की उपेक्षा करते हुए, निम्नतम स्तर के और निम्नतम स्तर के दसवें टेंडरों के बीच विभाजन करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इन सभी की स्थितियों का हिसाब लगाने में दोनों टेंडरों पर अर्थात न्यूनतम स्तर और न्यूनतम स्तर के दसवें टेंडरों पर औसत का नियत लागू किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इन्हें टेंडर में निर्दिष्ट किया गया था ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० राम चन्द्रन) : (क) भारत कोकिंग कोल ने यह निश्चय किया है कि चन्द्रपुरा ताप बिजली घर को कोयले की ढुलाई का आदेश कुछ टैण्डर दाताओं में बांट दिया जाए।

(ख) व (ग) : भारत कोकिंग कोल लि० ने टेण्डरों का मूल्यांकन करके प्रत्येक टेण्डर का स्थान निश्चित करने के लिए जो पद्धति अपनाई थी वह इस प्रकार है—ढुलाई के विभिन्न स्थानों से बिजली घर तक कोयले की ढुलाई की कुल दूरी के अलग अलग भाग निकाले जायें और फिर उन भागों पर कुल भारित औसत दर लागू की जाए। कम्पनी ने टैण्डरों के मूल्यांकन के लिए पिछले वर्षों में भी यही पद्धति अपनाई थी और इसीलिए इन टेण्डरों में इस पद्धति का निर्देश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

सेना के लिये आलू और सब्जियों की खरीद

4247. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेना की आवश्यकता के लिए लद्दाख में आलू और सब्जियों के उत्पादन और खरीद के लिए अनुसन्धान, तकनीकी और वित्तीय सहायता करने का है ताकि वहां की समूची अर्थ-व्यवस्था में सहायता करने और दूर-दराज के स्थानों से सब्जियां लाने में लगने वाले भाड़े में कमी करके धन की बचत की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :(क) और (ख) लद्दाख में आलू और अन्य सब्जियों का उत्पादन करने में फील्ड अनुसन्धान प्रयोगशाला पहले ही अनुसन्धान तथा तकनीकी सहायता दे रही है। फील्ड अनुसन्धान प्रयोगशाला बुआई के समय से लगभग छः सप्ताह पूर्व ही पौधों को उगा लेती है और उन्हें खेती करने के लिए स्थानीय किसानों को देती है। वहां के किसानों द्वारा बनाई गई लेह कुओपरेटिव मार्किटिंग सोसाईटी से सेना काफी मात्रा में आलू तथा ताजी सब्जियां प्राप्त कर रही है। इस से स्थानीय निवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता मिलती है और दूर के स्थानों से सब्जियां प्राप्त करने पर होने वाले व्यय में बचत होती है।

लघु उद्योगों के लिए एक पृथक वित्तीय संस्था की स्थापना

4248. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** :
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जुलाई, 1978 को नई दिल्ली में आयोजित राज्य उद्योग मन्त्रियों की बैठक में केवल लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पृथक वित्तीय संस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) 8-6-1978 को हुई बैठक में, लघु तथा ग्रामोद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अलग से एक वित्तीय संस्थान की स्थापना करने हेतु राज्यों के कुछ उद्योग मन्त्रियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

आगरा में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से मारे गए अनुसूचित जाति के लोग

4249. **श्री डी० जी० गवई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मई, 1978 को आगरा में हुई घटना की ओर दिलाया गया है जिसमें अनुसूचित जाति के 8 व्यक्ति पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से मारे गए थे;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए संसदीय फोरम तथा अन्य संगठनों ने इस घटना की न्यायिक जांच कराने के लिए सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को न्यायिक जांच कराने का परामर्श दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) से (घ) 20 जुलाई, 1978 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के अधीन आगरा में हुई घटनाओं की जांच करने के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की घोषणा की है।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेना

4250. **श्री मोहन लाल पिपिल**
श्री अहमद एम० पटेल } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने जिन कपड़ा मिलों को संकटग्रस्त मिलों के रूप में अपने नियन्त्रण में लिया है उनके नाम क्या हैं और उनको किस-किस तारीख को नियन्त्रण में लिया गया था;

(ख) इनकी नियंत्रण में लिये जाने के दिन इनकी कितनी हानि हो चुकी थी और अब उनकी वित्तीय स्थिति क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि नियंत्रण में लिये जाने के बाद इन मिलों को हो रही हानि में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) एक विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्र० सं०	मिलों के नाम	हाथ में लिये जाने की तारीख
1	2	3
	गुजरात	
1.	(1) प्रियलक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा	23-7-77
	(2) शुभलक्ष्मी मिल्स, कैम्बे	10-8-77
2.	**महाराष्ट्र**	
	(3) पुलगाँव काटन मिल्स, पुलगांव	25-11-76
	(4) वेस्टन इण्डिया स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफ्यरिंग कं०, बम्बई	11-3-77
3.	**मध्य प्रदेश**	
	(5) इन्दौर टेक्सटाइल, उज्जैन	12-8-77
4.	**तमिलनाडु**	
	(6) कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, पड़कोट्टाई	23-12-76
	(7) सोम सुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स, मुथानेन्डल	4-11-77
5.	**केरल**	
	(8) कोट्टायम टेक्सटाइल, कोट्टायम	6-2-78
	(9) प्रभुराम मिल्स, चैंगालूर	9-2-78
	(10) मालाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, मालाबार	9-2-78
6.	**पश्चिम बंगाल**	
	(11) श्री दुर्गा कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोनागर	13-4-78
7.	**उत्तर प्रदेश**	
	(12) स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	13-4-78
	(13) स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	13-4-78

1	2	3
	(14) स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन	13-4-78
	(15) रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड रायबरेली	13-4-78
8.	पांडिचेरी	
	(16) स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी	13-4-78
9.	राजस्थान	
	(17) उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर	13-4-78

JAIPUR METALS, JAIPUR

4251. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that economic condition of Jaipur Metals, Jaipur has been deteriorating and the financial institutions have stopped giving any financial assistance to it;

(b) the total financial assistance given so far to this institution by financial institutions;

(c) whether it is a fact that the Central Government have appointed any officer of the Central Government to inquire into the affairs of the said institution, if so, whether he has submitted the report to Government; and

(d) whether it is a fact that even the State Government nave recommended declaration of the institution as Government institution ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (d) It was reported to Government that banks and financial institutions would not give financial assistance to M/s. Jaipur Metals and Electricals Ltd., without restructuring of the management. There had also been a substantial fall in the volume of production of this industrial undertaking. The Government, therefore, appointed an Inventigation Team under Section-15 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, which was headed by Shri K. N. Ramaswamy, Deputy Director General of the Directorate General of Technical Development. The report of the investigation team has been received, which has been sent to the State Government for their comments. Pending receipt of the State Government's comments, no decision on the investigation team's report has so far been taken.

(b) It has been reported to Government that as on 31-3-1977, Rs. 217.15 lakhs were due to the Banks and the financial institutions in respect of the secured loans advanced by them.

MODE OF RECRUITMENT AND TRAINING IN ARMED FORCES

4252. CHAUDHURY RAM GOPAL SINGH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is not a fact that in Armed Forces, specially in respect of recruitment and training of the officers emphasis is laid on Urban and English manners that is, Westernised way of life, eating etc. even now;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to be taken to Indianise the mode of recruitment and training in the Forces ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) It is not a fact that in the recruitment and training of Armed Forces emphasis is laid on urban and English manners, the emphasis is on physical fitness, discipline and professional competence.

(b) and (c) Do not arise.

गैर-काननी कोयला खनक व्यक्ति

4253. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कितने गैर-कानूनी कोयला खनक व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ख) इन कोयला खनक व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) गैर-कानूनी कोयला खनकों के विरुद्ध बिहार सरकार के सख्त रवैये के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) कोयला के खनक कार्य में लगी अनेक पार्टियों ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनीरिट याचिकाओं के खारिज हो जाने पर, खनन कार्य बन्द कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कोयला खान राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम, 1976 की वैधता को स्वीकार कर लिया जिसमें प्राईवेट पार्टियों के कोयले के खनन पट्टे समाप्त कर दिये गए थे। कुछ लोग, कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर जिनमें उनको रिसीवर नियुक्त किया गया है, अभी तक खनन कार्य कर रहे हैं। न्यायालय से इन आदेशों को निरस्त करवाने के लिए कारवाई की गई है।

(ग) केन्द्र सरकार तथा बिहार सरकार परस्पर घनिष्ठ सहयोग से कोयले का गैर-कानूनी खनन कार्य बन्द कराने के लिए प्रयत्नशील हैं।

CRIMES IN DELHI CENTRAL DISTRICT ON THE 26TH JANUARY, 1978

4254. SHRI UGRA SEN
SHRI CHATURBHUJ
SHRI MAHI LAL
SHRI RAM KANWAR BERWA } : Will the Minister of HOME AFFAIRS

be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 282 on the 22nd February, 1978 regarding Crimes in Delhi Central District on the 26th January, 1978 and state :

(a) whether the members of the aggrieved families have made several requests to all concerned and senior police officers to the effect that an enquiry into the incident may be made through an impartial police agency such as Crime Branch of Police or C.B.I. and the assailants who made unauthorised trespass into the house may be prosecuted under Section 452 of Indian Penal Code alongwith Sections 147, 148 and 149;

(b) if so, the action taken so far by the officers on these requests; and

(c) if no action has been taken, the reasons therefor ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) to (c) The brother of the complainant had submitted applications requesting that no stones had been pelted into the house another section of the law, namely, section 452 of the IPC may be added in the case FIR No. 64 dated 26-1-78 under sections 147/148/149 IPC PS Hauz Qazi. Hpwever, according to the Delhi Police no offence under section 452 of the IPC was made out. The case did not warrant investigation by any other agency and has been challaned and put in the court on 10-5-1978.

DEMAND OF DOMESTIC SINGER KNITTING MACHINES

4255. SHRI MANOHAR LAL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether there is a great demand for the domestic Singer knitting machines throughout the country;

(b) if so, whether M/s. Singer Agencies are not able to supply knitting machines as per the demands of the people even though advance is deposited for the purpose with them which has to be withdrawn due to non-supply of these machines by them; and

(c) if so, whether Government have taken any action to ensure that the M/s. Singer Sewing Machine Company supply knitting machines to the people in future and the details of the action taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (c) The knitting machines marked by M/s. Singer Sewing Machine Company are manufactured by Simac Group (India) Private Limited. The demand for these machines is not being fully met on account of the low production of the Company arising from their various difficulties. The matter has been taken up with both the manufacturers and the marketing company. Steps have also been taken to render assistance to the other units making these machines with a view to stepping up the availability to meet the increasing demand. It is expected that with the increase in production, increased demand satisfaction can be ensured.

राज्य औद्योगिक नीति का नवीकरण

4256. **श्री अहमद एम० पटेल**
श्री अमरसिंह वी० राठवा } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को उनकी औद्योगिक नीति का नवीकरण करने के लिए कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको क्रियान्वित के लिये सहमत होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में [राज्य] मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) 23 दिसम्बर, 1977 को संसद में प्रस्तुत किया गया औद्योगिक नीति संबंधी विवरण सभी राज्य सरकारों में परिचालित किया गया था। विवरण में दी गई नीति का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है

दिल्ली में 'पापरा' नामक सोसाइटी

4257. **श्री फल चन्द वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 'पापरा' नामक एक सोसाइटी है;

(ख) उक्त सोसाइटी किन गतिविधियों में लगी हुई हैं;

(ग) उसके निदेशक का नाम क्या है ; और

(घ) इसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) तक दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, 'पापरा' सोसायटी, "प्रेस एंड पब्लिक रिलेशन्स एसोसिएशन", निदेशक-सदस्य श्री अरुण सी० पाण्डेय के साथ, 12 जून, 1978 को संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई थी। सोसायटी के मैमोरंडम आफ एसोसिएशन से उद्धरण, जिसमें उसके उद्देश्य दिए गए हैं, संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2658/78

PRODUCTION OF CEMENT WITH BRICK POWDER

4258. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether cement factories have started producing cement by mixing brick powder in many States of the country including Rajasthan;

(b) whether quality of this cement is inferior to that made from stone;

(c) whether Government rates for both types of cement are same whereas production cost of cement made from brick powder is much less as compared to that made from stone;

(d) whether cement bags do not bear any mark by which the one may be distinguished from the other; and

(e) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Presumably, the Hon'ble Member is referring to Portland Pozzolana cement which is an internationally accepted variety of cement and has been manufactured in the

country since 1965. This is produced by intergrinding a small percentage of pozzolanic materials like volcanic ash, burnt clay/bricks, fly ash, etc. with portland cement clinker in accordance with ISI specifications. Indian Standards Institution has laid down specifications for different varieties of cement including portland pozzolana cement.

(b) No, Sir.

(c) Even though the cost of production of pozzolana cement is slightly less than that of ordinary grey portland cement, the ex-works retention prices are the same for both varieties as recommended by the Tarrif Commission in order to maximise cement production in the country.

(d) As per ISI specification, all types of cement are to be marked properly and the cement bags are so marked.

(e) Does not arise.

REPRESENTATION FROM ALL INDIA YOGI EMPLOYEES UNION

4259. SHRI SHARAD YADAV: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Akhil Bharatiya Yoga Karamchari Union (All India Yogi Employees Union) has given any representation to him on 12th July, 1978;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action being taken by Government thereon?

PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) A copy of a letter dated the 12th July, 1978 from tne All India Yoga Employees Union, addressed to the Joint Secretary in the Ministry of Health and Family Welfare was received.

(b) A copy of the letter dated the 12th July, 1978 [Placed in Library. Please see L.T.-2659/78] referred to above is placed on the Table of the Sabha.

(c) The services of three employees who were disturbing the atmosphere in the Yoga Ashram were terminated recently. The allegations against the Administrator are being looked into.

सिंथेटिक मिश्रित हथकरघा कपड़े पर करों में राहत

4260. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा**: क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथकरघा धागे में प्रयुक्त सिंथेटिक रेशे पर उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क सम्बन्धी राहत देकर सिंथेटिक मिश्रित हथकरघा कपड़ों पर कोई अप्रत्यक्ष कर राहत देने पर विचार कर रही है ताकि इस प्रकार धाग मिलाकर बने हुए हथकरघा कपड़े की खपत में वृद्धि हो सके क्योंकि इस किस्म का कपड़ा मिल द्वारा निर्मित किस्मों से मूल्य में प्रतियोगी हो सकता है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) तथा (ख) अपरिष्कृत सूती कपड़ा यदि हथकरघे पर तैयार किया गया हो तो इसे समग्र मूल उत्पादन शुल्क तथा उस पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से छूट दी जाती है। अपरिष्कृत मानव निर्मित कपड़े पर भी उत्पादन शुल्क से पूरी छूट दी जाती है। धागा शुल्क तभी वसूल किया जा सकता है जबकि धागे को तैयार करने में ऐसी सामान्य प्रक्रिया विद्युत की सहायता से की गई हो सूती कपड़े पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगता जबकि पोलिएस्टर कपड़े पर मूलभूत शुल्क 36 रुपये प्रति कि० ग्रा० तथा विशेष शुल्क 1.80 रुपये प्रति कि० ग्रा० की दर से वसूल किया जाता है। अतः यह देखा जा सकता है कि हथकरघा कपड़े में प्रयुक्त संश्लिष्ट रेशे के लिए धागे तथा कपड़े पर उत्पादन शुल्क में पहले से ही रियायत दी गई है। हथकरघा धागे में प्रयोग किये जाने वाले पोलिएस्टर रेशे पर छूट देने का इस समय कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के बीच कथित भेदभाव

4261. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी**: क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कुछ जिलों में स्थापित किये जा रहे उद्योग राजसहायता और अन्य सुविधायें पाने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा है कि अन्य जिलों में, जो इसी प्रकार पिछड़े हुए हैं और कुछ मामलों में तो अधिक पिछड़े हुए हैं, ऐसे उद्योगों की स्थापना न की जाये;

(ग) ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के बीच भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) देश के एक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र के बीच भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) से (घ) राज्यों के मुख्य मंत्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति के निर्णयों के अनुसरण में योजना आयोग ने 1968 में क्षेत्रीय असन्तुलनों के प्रश्न का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के लिए दो कार्यकारी दलों का गठन किया था। इनमें से एक दल को पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने सम्बन्धी कसौटी के बारे में तथा दूसरे दल को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रोत्साहनों सम्बन्धी सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने वाले कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों का पता लगाने के लिए कुछ कसौटियों का पता लगाया था जिसके आधार पर इसने पिछड़े राज्यों और संघ राज्यों का पता लगाया। कार्यकारी दल ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए भी अन्य कसौटियों की सिफारिश की थी जिसके आधार पर ये जिले उद्योगों का सम्वर्धन करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पाने के पात्र हो सकें।

इन कार्यकारी दलों की रिपोर्टों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति द्वारा सितम्बर, 1969 में हुई इसकी बैठक में विचार किया गया था। इसने पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने वाले दल की औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों और संघ क्षेत्रों का पता लगाने संबंधी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। जहां तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाने सम्बन्धी कसौटी का सवाल था, समिति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि इस मामले को वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा तय किया जाना चाहिए। इसके अनुसरण में वित्तीय संस्थानों के परामर्श से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए कसौटी निर्धारित की गई थी और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को जिलों का चयन करने हेतु जिलों के सांख्यिकीय आंकड़ों सहित मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करने के लिए भेजा गया था। राज्यों और संघ क्षेत्रों के जिलों का चयन सम्बन्धी प्रस्तावों के आधार पर अभी तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 246 ऐसे जिलों का चयन किया गया है जो मियादी ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधा पाने के पात्र हैं। इनमें से विशेष संख्या में जिलों/क्षेत्रों का (औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित प्रत्येक राज्य से 6 जिलों/क्षेत्रों की दर से और प्रत्येक अन्य राज्य से 3 जिलों/क्षेत्रों की दर से) भी निवेश राज्य सदायता की केन्द्रीय योजना के लिए अर्ह चुना गया है। तदनुसार इस उद्देश्य के लिए 101 जिलों/क्षेत्रों को चुना गया है।

सरकार की यह इच्छा नहीं है कि उद्योगों की स्थापना उन जिलों में नहीं की जानी चाहिए जो रियायती वित्त अथवा निवेश राज्यसहायता पाने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित नहीं किये गये हैं। फिर भी सरकार की यह इच्छा है कि स्वीकृत कसौटी के आधार पर घोषित पिछड़े क्षेत्रों में लगाये जाने वाले उद्योगों को वित्तीय रियायतें और प्रोत्साहन पाने का पात्र बनाया जाना चाहिए।

लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिए बड़े शहरों और राज्यों की राजधानियों को केन्द्र न बनाया जाकर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में लगाये जाने के उद्देश्य से छोटे और ग्रामीण उद्योगों की सभी जरूरतें एक ही स्थान पर पूरी करने के उद्देश्य से देश भर में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

भूतपूर्व मैसूर कृषि डिप्लोमाधारियों की वरिष्ठता सूची

4262. **श्री ए० आर० बदरीनारायण**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एग्रीकल्चरल डिमांस्ट्रेर्स के रूप में काम करने वाले भूतपूर्व कृषि डिप्लोमाधारियों की अन्तर्राज्यीय वरिष्ठता सूची के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राज्यीय वरिष्ठता के मामले में इस वर्ग के कर्मचारियों के साथ न्याय किया गया है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में गहराई से विचार करेगी और यह अन्याय दूर करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनूसिंह पार्टिन) : (क) जी हां, श्रीमान्। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया था और दिनांक 2 मई, 1978 को राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था।

(ख) राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सेवाओं के एकीकरण से सम्बन्धित स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार निर्णय लिया गया था।

(ग) प्राप्त हुए कुछ अभ्यावेदनों के आधार पर उक्त मामले पर फिर से विचार किया गया था और यह पाया गया कि इस निर्णय में कोई संशोधन किय जाने की आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद कुछ और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की जा रही है और इनका कानून के अनुसार निपटान कर दिया जाएगा।

बिहार में बिजली का उत्पादन

4263. **श्री द्वारिकानाथ तिवारी** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में बिजली के कम उत्पादन के कारणों का पता लगाया है;

(ख) क्या बिहार में बिजली संयंत्रों की क्षमता का 50 प्रतिशत से कम उपयोग किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) बिहार में पतरातु और बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों के घटिया निष्पादन का मुख्य कारण है इन केन्द्रों में प्रतिष्ठापित ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का बार-बार और लम्बे समय तक जबरन बन्द हो जाना।

अधिकारियों को पुनः नौकरी पर लगाना

4264. **श्री आर० मोहनरंगम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों के बारे में ब्यौरा क्या है जो इस समय फिर से केन्द्रीय सरकार में नौकरी पर लगे हैं;

(ख) क्या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार पाने पर प्रतिबन्ध है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उन्हें किन आधारों पर पुनः नौकरी पर रखा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) तथा (ग) : अपेक्षित सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

सीमेंट की कमी

4265. **श्री वी० एम० सुधारन**
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री अर्जुन सिंह भंदौरिया } : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सीमेंट की अत्यधिक कमी और पूरे देश में इसकी चोर बाजारी की जानकारी है;

(ख) जरूरतमंद उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्यों पर सीमेंट के वितरण के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) सीमेंट की सर्वत्र ही अपर्याप्त उपलब्धता के कारण कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चोरबाजारी किये जाने की सूचनाएं मिली हैं। अतएव सीमेंट

निर्माताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्टाकिस्टों/डीलरों के बारे में अधिक सतर्कता बरतें। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित सीधी वितरण प्रणाली अथवा कोई तथा हर राज्य में सीमेंट के वितरण पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता हेतु अन्य उपयुक्त विधि की जांच करें। उनसे जिला अधिकारियों को अपराधियो के विरुद्ध अधिक निश्चित कार्रवाई करने का निर्देश जारी करने तथा अपराधियों पर सतर्क होकर नजर रखने की पहल करने का भी अनुरोध किया गया है। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उद्देश्यों के लिए सीमेंट एक अत्यावश्यक वस्तु घोषित कर दी गई है तथा अनैतिक व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां मिली हुई हैं।

बड़े औद्योगिक घरानों पर प्रतिबन्ध

4266. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु**: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए बड़े औद्योगिक घरानों पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) तथा (ख) 23 दिसम्बर, 1977 को संसद में प्रस्तुत किये गये औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण में बड़े घरानों के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट कर दी गई है। यह लाइसेंसिंग नीति की शर्तों तथा एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम को सख्ती से लागू करके क्रियान्विति की जा रही है। सरकारी क्षेत्र की भूमिका के बारे में औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण में यह कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र को बढ़ती हुई भूमिका निभानी होगी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकारी क्षेत्र न केवल मूलभूत महत्वपूर्ण तथा युद्ध सम्बन्धी माल का ही उत्पादन करेगा, बल्कि उपभोक्ता के लिए आवश्यक वस्तुओं का संभरण बनाये रखने के लिए एक स्थिरता प्रदान करने वाले प्रभावकारी बल के रूप में प्रभावी भी इसका उपयोग किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश को सड़कों के निर्माण के लिये विश्व बैंक से सहायता

4267. **श्री राजे विश्वेश्वर राव**: क्या **नौवहन और परिवहन मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए विश्व बैंक से भारी राशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्ति होने की कोई संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र, चन्द्रपुर जिले में सड़कों के निर्माण के लिए धन देगी?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह स्पष्टतया राज्य सड़कों से संबंधित है। ऐसी सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति कल्याण परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय अनुदान

4268. **श्री किरित विक्रम दाव बर्मन**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मनीपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में जनजाति परियोजनाओं और योजनाओं के लिये केन्द्रीय अनुदान के रुप में अब तक कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वर्ष 1978-79 के लिये स्वीकृत ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) त्रिपुरा और मणिपुर के संबंध में जनजाति उप-योजनायें तैयार की गई हैं और इन राज्यों की जनजाति उप-योजनाओं के लिए आवंटित विशेष केंद्रीय सहायता की राशियां नीचे दी गई हैं :—

	1976–77	1977–78	1978–79
	(रूपये लाखों में)		
(1) त्रिपुरा	68.00	96.40	115·00
(2) मणिपुर . . .	90.00	128.00	177.00

नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश के लिए कोई जनजाति उप-योजनायें नहीं बनाई गई हैं चूंकि वे प्रधानतः जनजाति के हैं और इसलिये इन राज्यों की तमाम राज्य योजनायें अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए निदेशित की जाती हैं? मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश के केंद्र शासित क्षेत्र होने के कारण, उनकी योजनाओं का सारा खर्च, केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। जनजाति उप-योजना में कृषि बागवानी, सिंचाई, सहकारिता, शिक्षा स्वास्थ्य, पोषण आदि जैसे विकास के सभी क्षेत्र आते हैं।

केन्द्रीय और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा

4269. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे में वर्तमान व्यवस्था का पुनरीक्षण करने और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का प्रश्न सातवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति स्थापित की गई है; योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके अध्यक्ष हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के मुख्य मंत्री इसके सदस्य हैं; यह समिति 1978–83 की पंच वर्षीय योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रबंधों पर विचार-विमर्श करेगी।

इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

1. "अगले पांच वर्षों में विकास योजना और उसके निष्पादन में राज्य सरकारों को सौंपी जाने वाली व्यापक भूमिका की दृष्टि से, संविधान के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्यों और केंद्र के बीच वित्तीय प्रबंधों की समीक्षा करना, और अन्य बातों के साथ-साथ

(क) गाडगिल फार्मूले के कार्यकरण की समीक्षा करना और इस फार्मूले में ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करना जो आवश्यक प्रतीत हों;

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा पिछली बार निर्धारित किए गए मापदंडों के संदर्भ में, प्राथमिक रूप से राज्यों के उत्तरदायित्व में आने वाले क्षेत्रों, में केंद्रीय और केंद्र द्वारा प्रायोजत स्कीमों के क्षेत्र-विस्तार की समीक्षा करना तथा ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करना जो आवश्यक प्रतीत हों।

2. सभी स्तरों पर राष्ट्रीय संसाधनों को जुटाने के संबंध में सुझाव देना जो 1978–83 की अवधि में योजनागत और योजनेतर दोनों प्रकार के विकास परिव्यय की वित्त व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त हों।

इस समिति की पहली बैठक, दिनांक 21 और 22 अगस्त, 1978 को संयोजित की जा रही है।

सिंगर सिलाई मशीन के मूल्य में वृद्धि

4270. **शम्भूनाथ चतुर्वेदी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगर सिलाई मशीन की कीमत जो वर्ष 1965 में 600 रुपये थी इस बीच बढ़कर 3270 रुपये हो गई है;

(ख) क्या गत डेढ़ वर्ष में इसकी कीमत 1725 रुपये से बढ़कर 3230 रुपये हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि का कुटीर उद्योग में स्वः नियोजन के लिये प्रयास करने वाले व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है;

(घ) क्या सरकार मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि किये जाने के औचित्य के बारे में जांच करेगी और इस बात का पता लगायेगी कि क्या इन मशीनों के उत्पादन और वितरण पर लगभग एकाधिकार नियंत्रण होने के कारण इसकी बनावटी कमी उत्पन्न करने के लिये ऐसा किया गया है; और

(ङ) सरकार का इस प्रवृति को रोकने तथा समशीन को सामान्य लोगों को उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) बताये गये मूल्य सिलाई मशीनों से संबंधित नहीं है । सम्भवतः संदर्भ सिमक बुनाई की मशीनों से हैं जिनके मूल्य इसी प्रकार बढ़ जाने की सूचना मिली है ।

(ग) से (ङ) मैसर्स सिंगर स्वीइंग मशीन कम्पनी द्वारा बेची जाने वाली बुनाई की मशीनों का उत्पादन मैसर्स सिमॉक ग्रुप (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड करता है । कम्पनी का विभिन्न कठिनाईयों से उनके उत्पादन में कमी आ जाने के कारण इन मशीनों की मांग को पूर्णतया पूरा नहीं किया जा रहा है । बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से इन मशीनों के बनाने वाले अन्य एककों को सहायता देने के लिए कदम उठाये गए हैं । यह आशा की जाती है कि उत्पादन बढ़ जाने से बढ़ती हुई मांग को पूरा करना सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा छोटे उद्योगों को सामग्री की खरीद हेतु सुविधाएं

4271. **श्री रामानन्द तिवारी**: क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया छोटे उद्योगों को सामग्री की खरीद हेतु विशेष सुविधायें प्रदान करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) जी हां ।

(ख) कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सुविधायें निम्नलिखित हैं :--

(1) जरूरत की छोटी वस्तुओं/फालतू पुर्जों की सूचियां राज्य सरकारों को दी जाती हैं ताकि वे उन्हें अपने अधीन लघु उद्योग एककों में परिचालित कर दें ।

(2) लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों को कोयला क्षेत्रों का दौरा करने की सुविधाऐं दी जाती हैं ताकि वे कोयला खानों में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी की जरूरतों को देख सकें ।

(3) लघु उद्योग संगठनों के साथ रजिस्टर्ड लघु उद्योग एककों के बारे में कोयला कम्पनियां यह मानती हैं कि फालतू पुर्जों, सामानों आदि की सीमित सप्लाई संबंधी जानकारी मांगने के लिए वे कोयला कम्पनियों के साथ भी स्वतः ही रजिस्टर्ड हैं ।

(4) जहां संभव होता है वहां लघु एककों को जमानत की रकम/बयान की रकम में कमी/पूरी छूट की सुविधा दी जाती है ।

(5) लघु उद्योगों को फालतू पुर्जों के नमूने/विवरण, घटक आदि दिए जाते हैं ताकि इन चीजों को वे अपनी वर्कशाप में बना सकें;

(6) लघु एककों को मिश्रधातुओं/धातुओं के विश्लेषण की मुफ्त सुविधाऐं भी दी जाती हैं;

(7) लघु एककों द्वारा बनाई गई नमूने की मूल वस्तुओं के परीक्षण व परख की भी मुफ्त सुविधाऐं दी जाती हैं ।

(8) कोयला कम्पनियों के पास रजिस्टर्ड यूनिटों को टेण्डर पत्र मुफ्त दिए जाते हैं ।

(9) ऐसे मामलों में जिनमें किसी टेण्डर के उत्तर में लघु यूनिटों के प्रस्ताव अन्य किसी प्रस्ताव से ऊंचे होते हैं तो लघु यूनिटों को इस बात का मौका दिया जाता है कि वे अपने प्रस्ताव निम्नतम टेण्डर देने वाले की कीमतों के अनुरूप करलें और यदि वे ऐसा कर लेते हैं तो जितने संभव होते हैं उतने आर्डर भी उन्हें दिए जाते हैं ।

TENDERS FOR CONSTRUCTION OF SINGRAULI THERMAL POWER STATION IN MIRZAPUR (U.P.)

+4272. SHRI RUDRA PRATAP SARANGI : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether tenders were invited for the construction of the Singrauli Thermal Power Station in Mirzapur district (U.P.);

(b) the number of public and private sectors companies submitted tenders therefor; and

(c) the name of the company among them which quoted the lowest rates ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) to (c) The main tender for construction of the Singrauli thermal power station in Mirzapur District pertains to the supply and erection of the main generating plant and equipment. Tenders for this were invited and received from one Indian public sector company and three foreign companies for the turbo-generator and from one Indian public sector company and one foreign company for steam generators.

The lowest offer was received from Bharat Heavy Electricals Ltd. on whom orders have been placed.

दिल्ली के भूतपूर्व राज्यपाल की मृत्यु

4273. श्री वी० सी० काम्बले
श्री यादवेन्द्र दत्त
श्री राम सेवक हजारी
श्री यज्ञ दत्त शर्मा
डा० बापू कालदाते
श्री आर० के० महालगी : क्या गृह मंत्री दिल्ली के भूतपूर्व राज्यपाल श्री किशन चन्द की मृत्यु के बारे में पुलिस की सर्वप्रथम प्राप्त जानकारी की एक प्रति सभा पटल पर रखने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनकी मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) श्री किशन चन्द की मृत्यु के दिन से लेकर ठीक पहले के सात दिनों में उनसे मिलने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उन दिनों में श्री किशन चन्द ने किन-किन स्थानों का दौरा किया;

(ग) उनकी मृत्यु के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई मुकदमें दर्ज किये जाने वाले थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : श्री कृष्ण चन्द की मृत्यु के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 26600/78] सदन के पटल पर रखी जाती है ।

दिल्ली पुलिस के अनुसार दिल्ली के भुतपूर्व उप-राज्यपाल स्वर्गीय श्री कृष्ण चन्द ने अपना निवास स्थान 9 जुलाई, 1978 की शाम को लगभग 7.45 बजे छोड़ा था । जब वे देर रात तक वापस नहीं आये तो इस की सूचना पुलिस को दी गई जिसने खोज करने के लिये दलों को तैनात किया । अगली सुबह शव कुंए में मिला

शव परीक्षा रिपोर्ट और दिये गये मौखिक तथा प्रासंगिक साक्ष्य तथा विशेषज्ञों के साक्ष्य से इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि श्री कृष्ण चन्द ने अपने को कुएं में डुबोकर आत्महत्या की थी । जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि श्री कृष्णचन्द अपनी मृत्यु से पूर्व सात दिन के दौरान अपने स्टैनों तथा एडवोकेट से मिले थे। वे हर शाम को 2 से 3 किलोमीटर टहला करते थे ।

(घ) स्वर्गीय श्री कृष्ण चन्द को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज निम्नलिखित दो मामलों में अभियुक्त बताया गया है :—

(i) भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित 167, 189, 193, 220, 344, 466 ,471/ 466, 506 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी तथा 47 के अधिनियम-II 5(1)(डी) तथा उल्लिखित स्थायी धाराओं के साथ पठित 47 के अधिनियम 52 के अधीन आर० सी० सं० 1/78/ एस० आई० यू० एस० (आई० वी०-III दिनांक 10-7-1978 ।)

(ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी/167, 220, 344, 466, 471 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 167, 220, 344, 466, 471/109 भारतीय दंड संहिता के अधीन आर० सी० 2/78/एस० आई० यू० (एस० आई० वी०-II) दिनांक 10-7-1978 ।

दिल्ली प्रशासन की जन सम्पर्क समिति में नाम निदेशन

4274. **श्री जी० एस० रेड्डी**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 25 जुलाई, 1978 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि अनेक बार अपाराधिक दंड पाये हुए किसी व्यक्ति को दिल्ली प्रशासन की जन सम्पर्क सं ति में नाम-निर्देशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके पिछले दंड का ब्यौरा क्य है; और

(ग) लम्बे आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्ति को सरकारी समितियों में नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन के प्रधान श्री पी० एस० वैनेस को दिल्ली प्रशासन द्वारा इसकी जन सम्पर्क समिति के सदस्य के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर मनोनीत किया गया था । दिल्ली पुलिस को उपलब्ध सूचना के अनुसार उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 279/337 के अधीन एक मामले में दोष सिद्ध किया गया था और 100 रुपए जुर्माना किया गया था या उसकी अदायगी न करने पर 30 दिन के साधारण कारावास की सजा दी गई थी ।

ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी का उत्पादन और वितरण

4275. **श्री रामजी लाल सुमन**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है दिल्ली में एक प्रमुख बेकरी, ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी प्रतिदिन 200,000 डबलरोटियों से अधिक का (जो आवश्यक वस्तु है) उत्पादन कर रही है लेकिन वह इसका वितरण ठीक ठीक प्रकार से नहीं कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके मूल्य निर्धारण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा डी आई० आर० के अन्तर्गत किया जाता है तथा यह कंपनी सदा अहितकर बिक्री/वितरण नीति का अनुसरण करती रही है;

(ग) क्या इस कंपनी ने दिल्ली में 8 वितरक नियुक्त किये हैं तथा ये वितरक अपने तथाकथित थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रताओं से अतिरिक्त राशि वसूल कर रहे हैं; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये जो चोर बाजारी/मुद्रास्फीति के लिये प्रत्यक्षरूप से उत्तरदायी है, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) से (घ) यह सुनिश्चिय किया गया है कि मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी प्रतिदिन औसतन लगभग 1.97 लाख डबल रोटियों का उत्पादन करती है । कम्पनी

ने दिल्ली में तीन वितरकों को डबलरोटी का सम्भरण करने का कार्य सौंपा है तथा वितरकों ने फुटकर बिक्रेताओं को डबलरोटी का सम्भारण करने हेतु अपने अलावा 300 थोक व्यापारी और नियुक्त किये हुये हैं अब फुटकर स्तर पर डबलरोटी के मूल्य भारत सुरक्षा नियम के उपबंधों के अधीन नियंत्रित नहीं है बल्कि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के अधीन बनाया गया दिल्ली आवश्यक वस्तु (मूल्य नियंत्रण)' आदेश, 1977 के उपबन्धों के अधीन नियंत्रित हैं।

डबलरोटी की बिक्री व इसके संभरण की प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाओं में ग्रस्त होने के बारे में मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी व मैसर्स प्रभात एजेन्सीज के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई या एकाधिकारी; एवम् प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग इस शिकायत की जांच कर रहा है ।

ALLOTMENT OF CEMENT TO U.P. AND GUJARAT

4276. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the reply given to S.Q. No. 258 on 2-8-78 regarding shortage of cement in Meerut (U.P.) and state :

(a) the average quantity of quarterly cement supplied to Gujarat as compared to that supplied to Uttar Pradesh during the last five years upto June, 1978;

(b) the increased quantity of cement allotted to Uttar Pradesh as compared to that supplied to Gujarat for the period from July to September, 1978;

(c) the extent to which cement supplied to Gujarat in 1977-78 was less than its demand;

(d) whether in view of the acute shortage of cement in Gujarat, cement will be supplied to it to the extent it was short supplied during the last year; and

(e) whether the quota of cement allotted to Uttar Pradesh is more than that supplied to Gujarat though its demand is more and why cement is not supplied to it as per its demand ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The average quarterly despatches of cement under the State category to Gujarat and U.P. during the last five years (1973—1977) were 2.87 lakh tonnes and 4.31 lakh tonnes respectively.

कपड़े की कीमत कम करने के लिये कार्यवाही

4277. श्री एस० एस० सोमानी
श्री जी० वाई० कृष्णन } क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कपड़ा उद्योगों को कपड़े की कीमत कम करने और सस्ते कपड़े की उपलब्धता के लिये ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं देने के अनुदेश जारी किये ह ; और

(ख) यदि हां, तो कपड़े की कीमतों में कितनी कमी हुई है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) नियंत्रित कपड़ों, जिसका बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा जाता है, के मूल्य में अप्रैल, 1974 से कोई परिवर्तन नहीं है तथा सूती कपड़े के शेष उत्पादन पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है । अत : ऐसे उत्पादन के संबंध में निर्देश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आपात काल के दौरान अधिकारियों द्वारा शक्ति का कथित दुरुपयोग :

4278. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार उन अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवावाही करने का है, जिन्होंने अपने पद के भविष्य को उज्जबल बनाने के लिए अथवा उसे सुरक्षित रखने हेतु आपात काल के दौरान अथवा किसी भी समय कानून की आवश्यकताओं को अनावश्यक बनाकर गैर-कानूनी ढंग से शक्ति का दुरुपयोग किया, कुचेष्टा की और अथवा दुर्भावना से कार्य किया ; और

(ख) सरकार यह समझती है कि नहीं कि इन अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, भारतीय प्रशासनिक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों, जो समय पर सही कार्य करने में बुरी तरह असफल रहे सेवा को कठोर दंड दिया जाये और जो जितना वरिष्ठ अधिकारी हो उसें उतनी कठोर सजा दी जाये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) उन अधिकारियों, जिनके अनियमित अथवा अनुचित आचरण की और शाह जांच आयोग की आलोचनात्मक दृष्टि आकृष्ट हुई है, के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है ।

विभागीय कार्यवाई के दौरान दोषी पाये गये अधिकारियों को नियमों के अनुसार उपयुक्त दंड दिया जाएगा ।

कम्प्यूटर पेरीफिरल्स का आयात

4279. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कम्प्यटर पेरीफिरल्स का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है और उन देशों के नाम क्या है जहां से उपकरण का आयात किया जा रहा है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स ने इस उपकरण को बनाने का प्रस्ताव किया था और यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था ; और

(घ) यदि वह उपकरण इस कम्पनी द्वारा बनाया जाता है तो इसके वित्तीय तथा अन्य पहलू क्या है और सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और इकट्ठा होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा मोमबत्तियों की बिक्री

4280. **श्री प्रद्युम्मन वल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को उपभोक्ताओं को मोमबत्तियां नियंत्रित दर पर बेचने को दी गई थीं ;

(ख) 1 जुलाई, 1977 से 30 जून, 1978 तक उक्त समिति को कितनी मात्रा में मोमबत्तियां बिक्री के लिये दी गई ;

(ग) समिति द्वारा कुल कितने ब्रांच स्टोर चलाये जाते हैं और उपर्युक्त अवधि में जिन ब्रांच स्टोरों में उक्त मोमबत्तियों की बिक्री की गई, उनके नाम तथा संख्या क्या है ;

(घ) उक्त नियंत्रित मदों की सभी ब्रांच स्टोरों पर बिक्री न करने के क्या विशिष्ट कारण हैं जिनसे इन सब क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को लाभ होता; और

(ड) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) जी हां, श्रीमन

(ख) 15965 पैकेट, प्रत्येक पैकेट का वजन 400 ग्राम था तथा प्रत्येक पैकेट में 12 मोमबत्तियां थीं ।

(ग) समिति 30 ब्रांच स्टोर चला रही है । लेकिन, केवल निम्नलिखित आठ ब्रांच स्टोरों द्वारा मोमबत्तियां बेची गई :–

1. रायसीना रोड
2. योजना भवन
3. पंडारा रोड
4. 'ए' ब्लाक
5. संघ लोक सेवा आयोग

6. आर० के० पुरम सेक्टर-4

7. कर्जन रोड

8. एशिया हाउस

(घ) प्रारम्भ में, उपर्युक्त आठ ब्रांच स्टोरों का मोमबत्तियां बेचने के लिए चुनाव, उनकी लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी की प्रबंधक समिति द्वारा किया गया था ।

(ङ) अब सोसाइटी के सभी 30 ब्रांच स्टोरों से मोमबत्तियां बेचने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं ।

हल्के माल परिवहन विमान के निर्माण के लिए पश्चिम जर्मन और अमरीकी फर्मों की पेशकश

4281. **श्री वसंत साठ:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मन और अमरीकी फर्मों ने हल्के माल परिवहन विमान के निर्माण के लिये कोई पेशकेश की है; और

(ख) यदि हां, तो की गई पेशकश का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को स्वीकृति देने में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम जर्मनी के मेसर्स डारनीयर ने हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एक हल्के परिवहन विमान के डिजाईन, विकास, उत्पादन और विपणन के क्षेत्रों में सहयोग देने की पेशकश की है । संयुक्त-राज्य अमरीका के मेसर्स बीच एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में अपने विमान बीच क्राफ्ट बी 99 एयरलाइनर में कुछ संशोधन करने के बाद, निर्माण करने के लिए सहयोग करने का प्रस्ताव किया है जिसमें हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड भी भाग ले सकता है । हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड डारनीयर के प्रस्ताव की व्यवहार्यता का अध्ययन करे रहा है । हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने कुछ अन्य विमान निर्माताओं से भी इसी प्रकार के प्रस्ताव मांगे हैं । इस संबंध में अन्तिम निर्णय लेने से पहले उन सब का मूल्यांकन किया जाएगा ।

ALLOCATION MADE FOR LANDLESS LABOURERS DURING THE CURRENT FINANCIAL YEAR

4282. FATHER ANTHONY MURMU : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether there are about 1.95 crore Scheduled Caste people in Uttar Pradesh;

(b) whether only a small allocation has been made for the current financial year for the resettlement of land-less labourers; and

(c) if so, the basis for providing such a small amount for this purpose and the measures proposed to be taken for improving the lot of these people and if no measures are proposed, the reasons therefor ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) According to latest available estimate, the population of Scheduled Castes in U.P. in 1976-77 was 1.91 crore.

(b) In this year's annual plan Rs. 7.75 crores were allocated under the head "Land Reforms" against Rs. 7.50 crores originally proposed by the State Government. In addition, funds would flow from various other heads of development for schemes benefiting landless labour.

(c) Does not arise.

हरिजनों द्वारा सिर पर मल ढोने की प्रक्रिया

4283. **श्री के० प्रधानी**
श्री एस० आर० रेडडी
श्री छीतूभाई गामित } :क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हरिजनों का ख्याल रखने और उनके द्वारा सिर पर रख कर मल ढोने की प्रक्रिया को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) केंद्रीय और राज्य सरकारों के पास उनके पिछड़े वर्ग क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के विशिष्ट कार्यक्रम है । ये समुदाय केंद्रीय सामान्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से भी लाभांवित होते हैं ।

अनुसूचित जातियों द्वारा सिर पर मल ढोने की प्रथा का अंत करने के कार्यक्रम राज्य योजनाओं के पिछड़े वर्गों/सामान्य क्षेत्र कार्यक्रम में हैं जहां केंद्रीय सहायता खंड ऋण और खंड अनुदान द्वारा उपलब्ध हैं । राज्य सरकारों ने इस प्रथा के उन्मूलन करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम अपनाये हैं । इन कार्यक्रमों में सामान्यत: पहियेदार गाड़ियों, सफाई के उपकरण, शुष्क शौचालय का परिवर्तन करने की व्यवस्था शामिल है । कुछ राज्य सरकारों ने मल को सिर पर ढोने को निषेध करते हुए वैधानिक उपाय किये हैं । निर्माण और आवास मंत्रालय ने चुने हूए शहरों में शुष्क शौचालयों को स्वच्छ (सेनेटरी) शौचालयों में परिवर्तित करने की एक "मार्गदर्शक परियोजना" शुरू की है ताकि मल को सिर पर ढोने की प्रथा को दूर किया जा सके ।

अनुसूचित जातियों के विकास का कार्यकारी दल इस पेशे का व्यवसायीकरण करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाने और इसको जाति से अलग करने के लिये इस प्रश्न पर विशेष रूप से विचार कर रहा है ।

भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ नेशनल (फैडरेशन आफ इंडियन विमेन) से अभ्यावेदन

4284. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ ने दिनांक 12 जून, 1978 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जमींदारों तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा दुर्बल वर्ग तथा मजदूर वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार सहित छेड़छाड़ के मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्ति की गई है और ऐसे मामलों को रोकने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले कुछ उपाय भी बताये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) अनुलग्नक "क" [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2661/78] में ब्यौरा दिया गया है । जहां तक सिफारिश संख्या 1 का संबंध है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में यह व्यवस्था की गई है कि पुलिस जांच की अवस्था में किसी महिला के लिए अपने निवास स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी ।

सिफारिश संख्या 2 व्यवहारिक नहीं समझी गई है ।

सिफारिश संख्या 3 और 4 के संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से टिप्पणियां आमंत्रित की जा रही है :-

जहां तक सिफारिश संख्या 5 का संबंध है भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्कार के अपराध में दस वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माने का दंड दिया जा सकता है । उसी प्रकार किसी महिला के शील भंग के अपराध में 2 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने का दंड दिया जा सकता है । एक महिला की शालीनता के प्रति अपमान के ईरादे से कहा गया कोई शब्द अथवा किये गये इशारे के लिए भी भा० दं० सं० की धारा 509 के अधीन एक वर्ष का कारावास और जुर्माना किया जा सकता है ये दंड कठोर और निरोधक हैं तथ पर्याप्त समझे जाते हैं ।

आई० बी० एम० के कार्यकरण के खिलाफ शिकायतें

4285. श्री जी० एम० बनतवाला
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री श्याम सुन्दर गुप्त } : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आई० बी० एम० के कार्यकरण के खिलाफ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच इस उपक्रम के कार्यकरण की जांच की है; और

(ग) किस प्रकार की अनियमिततायें पाई गई हैं और इस उपक्रम की खामियों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं । फिर भी नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने सुझाव दिया है कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या आई० बी० एम० द्वारा 1 जनवरी, 1969 से प्रभारित की जाने वाली दरें अथवा कीमतें मामले से संबंधित तथ्यों के साथ मेल खाती हैं अथवा नहीं।

(ख) तथा (ग) सरकार ने आई० बी० एम० की (और आई० सी० एल० की) लागत और उनके द्वारा ली जाने वाली किराया अथवा कीमतों के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अंतमंत्रालयी कार्यकारी दल का गठन किया था सरकार ने इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट और सचिवों की एक समिति द्वारा इस रिपोर्ट की जांच करने के बाद की गई सिफारिशों पर विचार किया है और उसने संबंधित मंत्रालयों/विभागों को, जहां कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्यवाही करने का निदेश दिया है । किन्तु आई० बी० एम० ने 1 जून, 1978 से भारत में अपना कार्य व्यापार बन्द कर दिया है ।

राज्यों में अंत्योदय कार्यक्रम

4286. श्री दुर्गाचन्द
श्री छीतूभाई गामित
श्री लालजी भाई } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में अंत्योदय कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(ख) इस कार्यक्रम हेतु प्रत्येक राज्य के लिए चालू वर्ष के दौरान कितना वित्तीय परिव्यय रखा गया है ;

(ग) इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम की सफलता के लिए केंद्रीय सरकार क्या अनुवर्ती कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केवल राजस्थान सरकार ने अंत्योदय नामक कार्यक्रम आरंभ किया है ।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित 2 करोड़ रु० का परिव्यय राज्य की 1978-79 की वार्षिक योजना में शामिल किया है ।

(ग) इस कार्यक्रम में हरेक गांव में सबसे अधिक गरीब पांच परिवारों का निर्धारण करने और उपयुक्त परिवार-प्रधान कार्यक्रमों के जरिए इन परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए इन्हें सहायता देने की परिकल्पना है इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 2.50 लाख परिवारों के आने की आशा है ।

(घ) यह एक राज्य योजना स्कीम है, इसलिए केंद्रीय सरकार द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

कोयला खदान श्रमिकों को मजूरी का संशोधन

4287. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खदान श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी कितने वर्ष पूर्व नियत की गई थी ;

(ख) क्या एक पुराने समझौते के अन्तर्गत कोयला खदान श्रमिकों की मजूरी का इस वर्ष पुनः विचार व पुनरीक्षण किया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इन श्रमिकों की मजूरी का इस वर्ष संशोधन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) कोयला खानों के कामगारों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण द्विपक्षीय राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के अन्तर्गत चार वर्षों के लिए किया गया था जो 1-1-1975 से लागू हुआ था। दिनांक 1-1-79 से मजदूरी में संशोधन का प्रश्न पहले ही विचाराधीन है तथा इसे कैसे तय किया जाए इस पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही है।

U.S. MOUNTAINEERING TEAM TO NANDA DEVI

4288. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the veracity of the report that the aim of the U.S. mountaineering team, which recently scaled the Nanda Devi was to locate the nuclear device placed there earlier and not the mountaineering;

(b) whether the above team had obtained Government permission before going on this expedition;

(c) if so, what precautionary measures were taken by Government; and

(d) if so, the reasons therefor ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) No information is available to substantiate the report to which a reference has been made.

(b) Yes, Sir.

(c) & (d) An Indian liaison officer was attached to the team in accordance with the normal procedure in such cases.

PLANT FOR HARDENING STAINLESS STEEL

4289. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that stainless steel industries are experiencing difficulties in getting stainless steel rolls of requisite hard type;

(b) whether it is also a fact that still there is no plant for hardening stainless steel rolls in the country; and

(c) if so, whether Government will take action in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) No, Sir.

(b) There are at present 2 units engaged in the manufacture of various types of Stainless Steel furnace rollers and they have already supplied to various priority consumers including steel plants.

(c) Does not arise.

APPOINTMENT OF A JUNIOR OFFICER AS GENERAL MANAGER IN D.T.C.

+4290. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether a junior officer who is working in the grade of Rs. 800—1300 is being appointed as Additional General Manager in the grade of Rs. 2000—2250 in the Delhi Transport Corporation; and

(b) if so, the number of officers to be promoted by DTC ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) & (b) The Board of the Delhi Transport Corporation had selected an officer, who is presently working as Assistant Transport Commissioner with UP Government in the pay scale of Rs. 800—1450 for appointment to the post. The matter of this selection and appointment is, however, now under review of the Board.

बम्बई पत्तन से आयात निर्यात का माल अन्यत्र ले जाने के लिए समिति का गठित किया जाना

4291. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन से अन्य प्रमुख और विकसित पत्तनों को आयात-निर्यात के माल को कम से कम ले जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो बम्बई पत्तन में भीड़भाड़ रोकने संबंधी काम में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) बम्बई पत्तन से अन्य बड़े और विकसित पत्तनों को अधिकाधिक निर्यात/आयात माल भेजने के प्रश्न की जांच करने के लिए सरकार एक समिति के गठन पर विचार कर रही है ।

(ग) बड़े पत्तनों पर माल के युक्तियुक्त वितरण के लिए एक समिति का गठन पहले ही किया गया है । बंबई पत्तन में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए किए गए उपायों में अन्य पत्तनों को माल भेजना, जहां सुविधाजनक हो, वहां समुद्र में ही बजरों में माल उतारना और तट श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करना शामिल है । बम्बई में माल शीघ्र उतारने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ उचित स्तर पर बातचीत भी की गयी है ।

कोयला उत्पादन के लिए थोड़ी अवधि में चालू हो जाने वाली परियोजनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

4192. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए थोड़ी अवधि में चालू हो जाने वाली परियोजनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) कोयला उत्पादन की नीति में दीर्घकालीन और अल्पकालीन परियोजनाएं शामिल होती हैं । आमतौर से, छोटी ओपेनकास्ट खानों से एक या दो वर्ष के भीतर कोयले का उत्पादन होने लगता है, इन्हें वास्तविक उत्पादन के लिए कम समय चाहने वाली परियोजनाएं कहा जाता है सभी कोयला कम्पनियों में ऐसी परियोजनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य किए जा रहे हैं ताकि देश में कोयले की तात्कालिक जरूरतों को पूरा किया जा सके । यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ।

केरल के हरिजन विकास निगम को वित्तीय सहायता

4293. **श्री के० कुन्हम्बू** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की परियोजनाओं और विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने के लिए केरल के हरिजन विकास निगम ने अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो हरिजन विकास निगम के कार्यों में सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) केरल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये हरिजन विकास निगम राज्य योजना में एक अनुमोदित योजना है । इसलिये केंद्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों और ब्लाक ऋणों से उपलब्ध है । 1978-79 की वार्षिक योजना के लिये राज्य के प्रस्तावों में शामिल किसी मामले के अतिरिक्त निगम से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं । हाल ही में गृह मंत्रालय ने कई राज्य निगमों की कार्य-प्रणाली का पुनरीक्षण किया था और ऐसे निगमों को विशिष्ट केंद्रीय सहायता देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

केरल के सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रमिक

4294. **श्री के० कुन्हम्बू :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में भारत सरकार के सभी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों की संख्या के बारे में नवीनतम रिपोर्ट मांगी है;

(ख) उन्होंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा कहां तक भरा है; और

(ग) कोटा भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) जहां तक वर्ष 1977 का संबंध है, आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में सूचना, जो उन सार्वजनिक उद्यमों से मांगी गई है, जिनकी केरल में अपनी यूनिटें हैं, अभी तक सभी यूनिटों से प्राप्त नहीं हुई है । संबंधित यूनिटों से अपेक्षित सूचना एकत्रित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

हिन्डालकों (उत्तर प्रदेश) के श्रमिकों/कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

4295. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्डालकों (उत्तर प्रदेश) के श्रमिकों/कर्मचारियों से बिरला के स्वामित्व वाली हिन्डालकों के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई आभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में कोई इसी प्रकार का पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या सरकार हिन्डालकों के राष्ट्रीयकरण के मामले पर कम्पनी अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून के अंतर्गत इसके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) हिन्डालकों के श्रमिकों/कर्मचारियों एवं उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अभ्यावेदनों पर इस्पात और खान मन्त्रालय की सलाह से विचार किया जा रहा है । इस बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया हैं ।

चन्द्रपुर में सीमेंट के कारखाने स्थापित किया जाना

4296. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में चन्द्रपुर के पिछड़े जिले में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिये अनेक उद्यमियों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है और वे किन-किन से प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं का शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए क्या आधारभूत सुविधाएं आवश्यक समझी जाती हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आभा माईति) : (क) और (ख) जी, हां । महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिये निम्नलिखित आठ योजनाएं प्राप्त हुई हैं :—

1. मैसर्स न्यू इन्डिया माइनिंग कारपोरेशन, बम्बई ।
2. श्री राम अग्रवाल, नई दिल्ली ।
3. मैसर्स पुनालूर पेपर मिल्स, पुनालूर, केरल ।
4. मैसर्स डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ विदर्भ लिमिटेड ।
5. मैसर्स लार्सेन एण्ड टुब्रो लिमिटेड, बम्बई ।
6. मैसर्स सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मेन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ।
7. मैसर्स आडिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, नागपुर ।
8. मैसर्स इण्डियन रेयन कारपोरेशन लिमिटेड ।

(ग) सीमेन्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समझी जाने वाली मुख्य अवस्थापना संबंधी सुविधाओं में चूने के पत्थर के भण्डार, कोयला, विद्युत, पानी और रेल-परिवहन की सुविधाएं आती हैं।

विदर्भ और मराठवाड़ा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

4297. श्री आर० के० महालगी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गत एक वर्ष के दौरान क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं और किन उपायों के शीघ्र किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों की कोई नई प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनायें अथवा कार्यक्रम हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं और उनका ब्यौरा क्या है और उनके कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) सरकार ने निर्णय लिया है कि 1971 की जनगणना के अनुसार 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों तथा दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले विभिन्न महानगरों की सीमा में नये औद्योगिक उपक्रमों को और अधिक लाइसेंस जारी नहीं किये जाने चाहियें। राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों से अनुरोध किया जायेगा कि वे इन क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों, जिनके लिये औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उनकी निवेश पूंजी अधिक है, को अपना समर्थन देने से इन्कार कर दें । सरकार उन विद्यमान बड़े उद्योगों को घने बसे महानगरों से पिछड़े क्षेत्रों में अधिकृत स्थानों पर स्थानांतरित करना चाहते हैं, को सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी । सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि यदि कोई औद्योगिक उपक्रम अपनी निर्माण की समस्त गतिविधियों को उसी राज्य में आगे बढ़े क्षेत्र से पिछड़े क्षेत्र में ले जाना चाहता है तो उसे इस तरह स्थान परिवर्तन के लिये भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि औद्योगिक उपक्रम द्वारा राज्य सरकार से इसके लिये पूर्व अनुमति ले ली गई हो ।

लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के केन्द्र बिन्दु को बड़े शहरों तथा राज्य की राजधानियों से ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे नगरों में स्थान परिवर्तन करने के लिए सारे देश में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की जा रही है ताकि लघु तथा ग्रामोद्योगों की सभी आवश्यकताओं को एक ही स्थान पर पूरा किया जा सके । विदर्भ क्षेत्र के 8 जिलों में से 4 जिलों अर्थात भंडारा, बुलवाना, चन्द्रपुर तथा येवतमाल और मराठवाड़ा क्षेत्र के 5 जिले अर्थात औरंगाबाद, भीर, नानडेड, उस्मानाबाद तथा परभनी औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए घोषित किये गये हैं । इन जिलों में स्थापित किये गये औद्योगिक एकक निम्नलिखित प्रोत्साहन पाने के हकदार हैं :—

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया) की रियायती पुनर्वित योजना ।

(2) आयकर में कटौती ।

(3) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श सेवा ।

(4) नये एककों का पंजीकरण तथा जिन वस्तुओं पर देश में अन्यथा प्रतिबन्ध लगा हुआ है उनके विद्यमान एककों का विस्तार ।

(5) ब्याज में राज सहायता ।

(6) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड) द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों का सम्भरण ।

(7) कच्चे माल का आयात करने के लिए विशेष सुविधाएं ।

विदर्भ क्षेत्र का चन्द्रपुर तथा मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद जिले इन प्रोत्साहनों के अतिरिक्त केंद्रीय निवेश में राज-सहायता पाने के भी हकदार हैं ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने 4 क्षेत्रीय विकास निगम अर्थात मराठवाड़ा विकास निगम, विदर्भ विकास निगम, कोंकन विकास निगम तथा पश्चिमी महाराष्ट्र विकास निगम स्थापित किये हैं । इन क्षेत्रों के विकास के लिए मराठवाड़ा तथा विदर्भ निगमों सहित ये निगम इन कई परियोजनाओं का संचालन कर रहे हैं । मराठवाड़ा विकास निगम एकीकृत विद्युतीकरधा परियोजनायें, पशु विकास डेरी कार्यक्रम, चमड़े के सिले-सिलाये वस्त्र आदि जैसी परियोजनायें हाथ में लेनेका विचार कर रहा है । विदर्भ विकास निगम ने डेरीविकास, टसर सिल्क, विद्युतकरधे आदि से संबंधित परियोजनाओं को हाथ में ले लिया है/हाथ में लेने वाला है ।

महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम (महाराष्ट्र स्टेट टेक्साइल कारपोरेश) नओरंगाबाद में एक वस्त्र मिल स्थापित कर रही है ।

राज्य सरकार नागपुर, चन्द्रपुर तथा यवतमाल जिलों में कोयला (ii) भंडारा जिले में ग्रेनाईट-सिली-मैनाइट (iii) चन्द्रपुर तथा येवतमाल जिलों में चूना पत्थर (iv) मराठवाड़ा क्षेत्र में अर्द्ध-मूल्यवान पत्थर तथा (v) चन्द्रपुर जिले में चीनी-मिट्टी तथा ग्रेफाईट के लिये भूतत्वीय अन्वेषण करने का विचार है ।

केन्द्रीय सरकार की नई योजना के अन्तर्गत मराठवाड़ा तथा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्रों में स्थित 10 जिला उद्योग केंद्रों के लिये मंजूरी दे दी गई है । ये औरंगाबाद, भंडारा, भीर, बुलढाना, चन्द्रपुर, नानडेड, उस्मानाबाद परभनी, वर्धा तथा यवतमाल हैं ।

1-1-77 से 30 जून, 1978 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्रों में 5 परियोजनाएं तथा मराठवाड़ा क्षेत्र में 18 परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी किये हैं । 1-1-78 से 30 जून, 1978 की अवधि में केंद्रीय सरकार ने विदर्भ में एक परियोजना तथा मराठवाड़ा में दो परियोजनाओं के लिए भी लाइसेंस जारी किये हैं ।

26-8-71 के पश्चात स्थापित किये गये चन्द्रपुर के 85 एककों तथा औरंगाबाद के 276 एककों को केंद्रीय निवेश राज सहायता योजना के अंतर्गत क्रमशः 380.83 लाख रुपए तथा 66.61 लाख रुपए की राज-सहायता मंजूर की गयी है ।

INCOME BY SALE OF HANDLOOM PRODUCTS FROM BHAGALPUR

4298. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Bhagalpur in Bihar has also been included by Government in the Scheme for the development of small industries;

(b) if so, the names of the industries to be set up there;

(c) the income earned by Government each year by the sale of hanloom products from Bhagalpur; and

(d) keeping this in view, the measures proposed to be taken by Government for providing them amenities ?

THE MNISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) (I) Bhagalpur is covered under the DIC scheme. It is also covered under the Central Subsidy Scheme and the Concessional Finance Scheme.

(II) Bhagalpur District is covered by the Intensive Handloom Development Project and the Export Production Project sanctioned by the Central Government.

(b) According to the survey conducted by SISI Patna (Bihar), the following industries have scope for development in the small scale sector :—

(I) *Resource based Industries*

(i) Spices powder.

(ii) Rope and Ban making.

(iii) Wooden Electrical Accessories.

(iv) Bone meal.

(v) Leather Footwear.

(vi) Tooth powder.

(II) *Demand based Industries*

(i) Wire nail and screws.
(ii) Hinges and Washer.
(iii) Cast Iron Foundry.
(iv) Tarpaulin.
(v) Bicycle parts and accessories.
(vi) Detergent powder.
(vii) Readymade garments.
(viii) Hosiery.
(ix) Card Board boxes.
(x) Power-loom and handloom.
(xi) Grocry ware.
(xii) Mineral grinding.
(xiii) Spun pipes.
(xiv) Mosaic tiles.
(xv) Building bricks.
(xvi) L.T. Insulators.
(xvii) Electric Motor Repairing & Rewinding shop.
(xviii) Low-cost Radio with I.C. Agricultural implements.

(c) District-wise information is not available.

(d) Weavers covered under the Intensive Development Project and Export Production Project in Bagalpur District receive a package of assistance from the implementing agencies in terms of training facilities, modernisation of looms, supply of yarn, and other inputs and marketing of their finished products.

मद्रास में 'मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स' पर गोष्ठी

4299. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मद्रास में इन्स्टीट्यूशन आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन्स इंजीनियर द्वारा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या गोष्ठी में स्टील अथारिटी आफ इंडिया की तरह का एक संगठन स्थापित करने का सुझाव दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के विचार क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात का राष्ट्रीय राजमार्ग

4300. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में गुजरात नागपुर योजना से काफी पीछे है;

(ख) नागपुर योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कितनी है;

(ग) कमी की प्रतिशतता कितनी है;

(घ) अन्य राज्यों के बराबर स्तर पर लाने के लिए यह कमी दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए छठी योजना में कितना प्रावधान किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) वर्तमान संदर्भ "युद्धोपरांत भारत में सड़क विकास" पर प्रलेख से संबंधित प्रतीत होता है जो 1943 में नागपुर में हुए मुख्य इंजीनियरों के सम्मेलन की कार्यवाहियों को दर्शाता है और जिसमें आगामी 20 वर्षों में यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सड़क विकास के लिए एक व्यापक योजना सन्निहित है उन कार्यवाहियों में किसी राज्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए किसी राज्यवार लक्ष्य का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है । इसलिए, किसी प्रकार की तुलना करना संभव नहीं है । इस समय देश में कुल 28970 कि० मी० राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनमें से 1352 कि० मी० गुजरात में हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति का और विकास करना संसाधनों की उपलब्धता और प्राथमिकता संबंधी अन्य बातों पर निर्भर करता है । राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा किसी क्षेत्र अथवा राज्य के आधार पर नहीं की जाती ।

(ङ) इस समय इस संबंध में कोई सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि 1978—83 योजना को अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष है ।

छठी योजना में राज्यों को अस्थायी रूप से धनराशि का आवंटन

4301. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के लिये अस्थायी रूप से 1,17,000 करोड़ रुपये की राशि का व्यय करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को अस्थाई रूप से कितनी धनराशि आवंटित की गई है और वह किस आधार पर दी गई है;

(ग) प्रत्येक राज्य ने छठी पंचवर्षीय योजना के लिये कितनी धनराशि की अस्थाई आवश्यकता बताई है; और

(घ) वर्ष 1970—78 तक गत पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केंद्र और प्रत्येक राज्य ने कुल कितनी धनराशि खर्च की थी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1978—83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में, जिस पर इस सदन में पहले चर्चा हुई थी, 1,16,240 करोड़ रु० के समग्र निवेश का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से सरकारी क्षेत्र परिव्यय 69,380 करोड़ रु० का होगा ।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के परिव्यय को अभी तक केंद्रीय योजना और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं के बीच विभाजित नहीं किया गया है राज्यों की पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पांचवीं योजना में परिव्यय और प्रत्याशित व्यय

(करोड़ रु०)

	योजना परिव्यय 1974—79	प्रत्याशित व्यय 1974—78
केन्द्र	20404.00	14944.00
राज्य		
1. आंध्र प्रदेश	1333.58	1026.68
2. असम	473.84	293.60

(करोड़ रु०)

	योजना परि-व्यय 1974–79	प्रत्याशित व्यय 1974–78
3. बिहार	1296.06	914.96
4. गुजरात	1185.76	967.23
5. हरियाणा	601.34	496.83
6. हिमाचल प्रदेश	238.95	163.88
7. जम्मू और काश्मीर	362.64	277.50
8. कर्नाटक	997.67	767.76
9. केरल	568.96	465.61
10. मध्य प्रदेश	1379.71	1034.66
11. महाराष्ट्र	2347.61	1851.99
12. मणिपुर	92.86	64.97
13. मेघालय	89.53	72.20
14. नागालैंड	83.63	69.32
15. उड़ीसा	585.02	459.40
16. पंजाब	1013.49	727.32
17. राजस्थान	709.24	620.77
18. सिक्किम	39.64	25.12
19. तमिलनाडु	1122.32	817.43
20. त्रिपुरा	69.68	52.39
21. उत्तर प्रदेश	2445.86	2122.12
22. पश्चिम बंगाल	1246.83	874.21
जोड़	18284.22	14165.95
संघशासित क्षेत्र		
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33.72	23.25
2. अरुणाचल प्रदेश	63.30	41.66
3. चंडीगढ़	39.76	27.60
4. दादरा और नागर हवेली	9.40	5.73
5. दिल्ली	316.01	249.03
6. गोवा, दमन और दीव	85.00	63.57
7. लक्षद्वीप	6.23	4.20
8. मिजोरम	46.59	32.89
9. पांडिचेरी	34.04	24.86
जोड़	634.06	472.79
कुल जोड़—अखिल भारत	39322	29583

बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े व्यापारगृहों, गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दिये गये लाइसेंस

4302. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975-76 से 1977–78 की अवधि में सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े व्यापारगृहों और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस दिये थे;

(ख) क्या सभी लाइसेंस प्राप्त उद्योगों में पूरा उत्पादन नहीं हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों, बहुराष्ट्रिक कंपनियों, बड़े व्यापारगृहों और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में से प्रत्येक को वर्ष वार कुल कितने लाइसेंस कितने-कितने मूल्य के दिये गये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) जी हां ।

(ख) एक औद्योगिक लाइसेंस 2 वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किया जाता है जो पर्याप्त औचित्य के आधार पर और 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है । अतः एक औद्योगिक लाइसेंस के फलीभूत होने में 3 से 4 वर्ष का समय लगता है । सामान्यतः बड़ी परियोजनाओं के पनपने में काफी समय लगता है । अतः जिन सभी एककों को 1975-76 से 1977–78 में औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गये थे उनके पूर्ण उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना अभी समय पूर्व है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस मूल्यों के अनुसार नहीं बल्कि मात्रा के अनुसार जारी किये जाते हैं । सभी औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा, जिनमें पार्टी का नाम उत्पादन की वस्तु क्षमता आदि, होते हैं "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज" तथा "मंथली लिस्ट आफ लैटर्स आफ इन्टेन्ट एन्ड इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज" में प्रकाशित किया जाता है । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद की लायब्रेरी में उपलब्ध हैं ।

उड़ीसा में नये उद्योगों की स्थापना

4303. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्ष 1978–79 के दौरान सरकारी क्षेत्र और सरकार की सहायता से उड़ीसा राज्य में एल्यूमिनियम उद्योग, स्पंज लोहा उद्योग, घड़ी निर्माण उद्योग तथा अन्य उद्योगों की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 में किन उद्योगों की स्थापना करने का विचार है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्ष 1978–79 में इन उद्योगों के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

उद्योग मंत्रातय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) स (ग) उड़ीसा में वर्ष 1978-79 में सरकारी क्षेत्र में कोई अल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित होने की संभावना नहीं है । जहां तक स्पंज लोहा उद्योग का सवाल है, इसके लिए इण्डस्ट्रीज प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, उड़ीसा को एक आशय-पत्र जारी कर दिया गया है । भुवनेश्वर में एच० एम० टी० की सहायता से घड़ी के पुर्जों को एसेम्बिल करने वाला एक एकक स्थापित किया जा रहा है

2. उपर्युक्त दोनों परियोजनाएं इस समय प्रारम्भिक अवस्था में हैं । जब इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा तब आवश्यक राशि प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

आई० ए० एफ० नोजडाइन्ज टू ए क्रिटिकल सिचुएशनन (भारतीय वायु सेना के आगे संकट)

4304. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 8 जुलाई, 1978 के "ब्लिटज" में "विद ए डजन कैशेज इन ए मंथ, पुअर ट्रेनिंग एण्ड मेंटेनेंस आई० ए० एफ० नोजडाइन्ज टू ए क्रिटिकल सिचुएशन शीर्षक से प्रकाशित लेख की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) इस लेख में कही गई बातें अथवा उसमें व्यक्त की गई आशंकाएं निराधार हैं । हाल के दिनों में हवाई-दुर्घटनाओं की सख्या में समग्र रूप से कमी हुई है । पिछले तीन वर्षों में जनवरी और जुलाई की अवधियों में हुई हवाई-दुर्घटनाओं की संख्या में इससे पहले के तीन वर्षों की अवधि में हुई दुर्घटनाओं के मुकाबले लगभग 33 प्रतिशत की कमी हुई । प्रति 10,000 घंटे की उड़ान में होने वाली दुर्घटना में विमानों की क्षति की दर 1976 में 1.39 से घटकर वर्ष 1978 में 14 अगस्त तक 0.94 रह गई है।

उड़ान की सुरक्षा की दिशा में किए गए उपायों, अर्थात् अच्छे किस्म के प्रशिक्षण, विमानों के अनुरक्षण में सुधार और उच्च कोटि के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के परिणामतः यह सुधार हुआ है ।

आदिवासी जिलों में वृत्त चित्र

4305. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी जिलों में 'वृत्त चित्र' बनाने का था और उसको अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन आदिम जातियों को इन वृत्त चित्रों के लिए निर्धारण किया गया है;

(ग) इन वृत्त चित्रों की कथा वस्तु क्या है; और

(घ) वर्ष 1978–79 में उनके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) फिल्म प्रभाग ने चालू वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित निम्नलिखित वृत्त चित्र बनाने की योजना बनाई है :

1. जनजातीय विकास जिसमें नीलगिरी के टोडा, गुजरात के भील और दस्तर के अभुज पाडिया शामिल हैं;
2. छत्तीसगढ़ का जीवन और संस्कृति ;
3. जनजातीय अर्थ-व्यवस्था के लिए सहायता के रूप में वन-विद्या;
4. बिखरी जन जातियों के लिए बाकायदा खेती; और
5. पूर्वी क्षेत्र में जनजातियों की सांस्कृतिक समस्याएं।

इसके अलावा, अनवरत योजना 78.83 में जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय लोगों की विशेष रूचि के विषयों पर भी ग्रामोन्मुखी कहानी टाइप की 16 मिलीमीटर की फिल्में बनाने की योजना विचाराधीन है।

(घ) धन फिल्मवार नहीं दिया जाता, अतः जनजातियों पर फिल्मों के लिए कोई विशिष्ट धन नहीं दिया गया है ।

आदिम जातियों के आर्थिक उत्थान के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

4306. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्याधिक आदिम जातियों के आर्थिक पुनरुत्थान के बारे में उनके मंत्रालय को राज्यों से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उक्त प्रतिवेदनों में किन-किन आदिम जातियों के नामों को शामिल किया गया है;

(ग) राज्यों द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है और वर्ष 1978-79 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) राज्यों द्वारा परियोजना प्रतिवेदन बनाने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अत्यधिक आदिम जातियों के विकास के बारे में आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा राज्यों से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा से सभी आदिम जातियों के बारे में परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(ख) अनुलग्नक I [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2662/78] के अनुसार ।

(ग) किसी राज्य सरकार ने आदिम जातियों के लिये उन कार्यक्रमों के लिये जो अपने धन के लिये पूर्ण रूप से विशेष केंद्रीय सहायता के योग्य हैं धनराशि का आवंटन नहीं किया है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के लिए 1978-79 के लिये निर्धारित सहायता अनुलग्नक-II [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2662/78] में दी गई है । केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता के रूप में दी गई धनराशियों की प्रथम किश्त अनुलग्नक-III [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2662/78] में दी गई है ।

(घ) आदिम जातियों के लिये परियोजना प्रतिवेदन बनाने में समय लगता है अतः विलम्ब हुआ है ।

आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास

4307. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में सड़क संचार के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी उपयोजना सड़कों और पुलों के लिए उनके मंत्रालय द्वारा राज्यों को कितनी सहायता दिए जाने का विचार है;

(ग) किन राज्यों को इन क्षेत्रों के लिए राज्य क्षेत्र से राज्यवार, सहायता दी गई है; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) संभवतः माननीय सदस्य का आशय 1978—83 योजना से है । इस योजना को अंतिम रूप अभी दिया जाना है और इसलिए इस समय आदिवासी उपयोजना सड़कों के लिए केंद्रीय सहायता हेतु उस योजना में अंतिम प्रावधानों को बता पाना संभव नहीं है । परन्तु, आदिवासी क्षेत्रों में सड़क/पुल कार्यों के लिए 1978-79 योजना में निम्नलिखित प्रावधान मौजूद है :—

रु० करोड़ों में

केन्द्रीय क्षेत्र	9
राज्य क्षेत्र	62

इसके अतिरिक्त, आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता देने के लिए 1978—79 में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान भी है ।

उद्योग मंत्रालय में भर्ती नियम

4308. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मन्त्रालय प्रोद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली के सामान्य सांविधिक नियम 44, दिनांक 30 नवम्बर, 1971 के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 1972 के भारत के राजपत्र के भाग-2 में भर्ती नियम प्रकाशित किये गये थे और उन्हें 11 फरवरी, 1970 से प्रभावी समझा गया था और क्या उन्हें क्रियान्वित किया गया है और यदि हां, तो कब;

(ख) क्या विभागीय पदोन्नतियों के लिय उपर्युक्त अर्हता प्रतिबन्धात्मक नियम राजपत्रित अधिकारियों सहित ऊंची रैंक के अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होता है और यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है ;

(ग) क्या गैर डिप्लोमाधारी व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है अथवा एक वर्ष से अधिक समय तक तदर्थ पदोन्नत पदों पर रखा गया हैं और अर्हता प्राप्त अधिकारियों को अपने पदों पर नियमित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने अधिकारी एक वर्ष से अधिक समय से तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

उद्योग मंत्रालय में पदोन्नति संबंधी नीति

4309. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है, कि एस० आई० पी० ओ० अपने पदों पर पदोन्नति के अवसरों का अभाव होने के कारण 16 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं और अगले कुछ वर्षों में उनकी पदोन्नति होने की कोई उम्मीद नहीं है और एस० आई० पी० ओ० के स्तर पर पदोन्नति में अवरोध को समाप्त करने के लिए कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है ;

(ख) क्या यह विभाग द्वारा बनाये गये मनमाने और त्रुटिपूर्ण पदोन्नति नीति नियमों के बनाये जाने के कारण हैं, जिससे केवल वरिष्ठ और प्रशासन के अधिकारियों को ही मदद मिलती है;

(ग) क्या यह सच है कि राजपत्रित स्तर के अधिकारियों को आई० ए० एस०, डायरेक्टर आदि जैसे उच्चतर स्तर के अतिरिक्त उच्च पद बना कर डी० जी० टी० डी० को पदोन्नति पद्धति के अनुसार पदोन्नति के अधिक अवसर दिये गये हैं, परन्तु एस० आई० पी० ओ० को इस सुविधा से वंचित रखा गया है, जबकि एस० आई० पी० ओ० के समान स्तर के डी० जी० टी० डी० में सभी जे० टी० ओ० को राजपत्रित अधिकारियों के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है और अराजपत्रित अधिकारियों के पदों को समाप्त कर दिया गया था जबकि डी० सी० (एस० एस० आई०) ने अराजपत्रित अधिकारियों के साथ यह न्याय नहीं किया; और

(घ) क्या सभी रैंकों के पदों में विस्तार किया जा रहा है, परन्तु ए० डी० ग्रेड-2 के पदों का विस्तार नहीं किया जा रहा है और विभिन्न ग्रेडों के ए० डी० ग्रेड-2 के पदों के लिए विभिन्न वेतनमान होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं होगा कि सभी एस० आई० पी० ओ० पदोन्नति के अवसर न होने के कारण 16 वर्षों से अधिक समय अपने उन्हीं पदों पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कुल 468 में से केवल 9 एस० आई० पी० ओ० की अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है। जब कभी ए० डी० ग्रेड-2 के उच्च पद रिक्त होंगे तो उन पर एस० आई० पी० ओ० की पदोन्नति करने के मामले पर विचार किया जायगा। ए० डी० ग्रेड -2 के पदों की संख्या केवल 96 हैं। जिन एस० आई० पी० ओ० ने निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है तथा जो अपने विगत कार्य तथा उपयुक्तता के आधार पर हकदार हैं केवल उन्हीं एस० आई० पी० ओ० की पदोन्नति उच्च पदों पर की जाती है। ए० डी० ग्रेड-2 पर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर स्वतः चालित प्रक्रिया नहीं है। एस० आई० पी० ओ० तथा ए० डी० ग्रेड-2 के भर्ती नियम विकास आयक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में अन्य श्रेणियों के भर्ती नियमों के समान ही है जो उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्मिक विभाग, गृह मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बनाए जाते हैं।

(ग) एस० आई० डी० ओ० का संगठनात्मक नमूना तकनीकी विकास के महानिदेशालय के संगठनात्मक नमूने से भिन्न है क्योंकि इनके उद्देश्य, कार्य के प्रकार तथा कार्य क्षेत्र में अन्तर है। किन्तु यह कहना सही नहीं होगा कि राजपत्रित स्तर के अधिकारियों को गैर राजपत्रित अधिकारियों की अपेक्षा जानबूझ कर पदोन्नति के अधिक अवसर दिए गए हैं। चूंकि पदोन्नति हो जाने पर वे राजपत्रित श्रेणियों में आते हैं, अतः अन्य राजपत्रित पदों की तुलना में एस० आई० पी० ओ० के लिए अपनायी जाने वाली पदोन्नति सम्बन्धी नीति में असमानता होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विगत सात वर्षों की अवधि में ए० डी० ग्रेड-2 के 29 पदों का सृजन किया गया था, अतएव एस० आई० डी० ओ० (लघु उद्योग विकास संगठन) के संवर्ग का कुछ विस्तार हुआ और इसमें से ए० डी० ग्रेड-2 (सहायक निदेशक) (ग्रेड-2) अलग नहीं रखे गए थे। तीसरी वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ए० डी० (ग्रेड-2) के दो वेतनमान निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं : (1) आर्थिक अन्वेषण, सांख्यिकीय तथा आंकड़ा बैंक से संबंधित कार्य के लिए सृजित पदों के लिए 650—1200 रु० तथा

(2) अन्य कार्य संबंधित पदों के लिए 650—960 रुपये आर्थिक अन्वेषण सांख्यिकीय तथा आंकड़ा, बैंक के पद भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-4 के फीडर पद हैं, अतः इन सेवाओं के अंतर्गत तथा अन्य मंत्रालय में इसी प्रकार के लिए निर्धारित वेतनमानों पर ही दृढ़ रहना होगा ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई रुग्ण कपड़ा मिलें

4310. **श्री अमर सिंह बी० राठवा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के निर्धन लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सस्ते कपड़ों का उत्पादन करने के लिए अनुदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किस सीमा तक उपलब्धि हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) 7 अगस्त को वस्त्र नीति के संबंध में सदन में दिये गये नवीन वक्तव्य में राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सौंपी गई भूमिका का उल्लेख किया गया है । नियंत्रित कपड़े उपादन में भाग लेने के अलावा जनसाधारण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से कम मूल्य वाली कपड़े की किस्मों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सहायता की जाएगी। राष्ट्रीय वस्त्र निगम अपने उपस्करों का आधुनिकीकरण करके तथा सस्ते संश्लिष्ट रेशों का अधिक प्रयोग करके अपनी उत्पादन लागत कम करने एवं कपड़े की क्वालिटी में सुधार करने के लिये प्रयास करेगी ।

FACILITIES TO AGRICULTURISTS AND INDUSTRIALISTS BY M.P. STATE ELECTRICITY BOARD

*4311. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given some suggestion to the Madhya Pradesh State Electricity Board in regard to providing of facilitiies to the agriculturists and small industrialists: and

(b) if so, the suggestions and the decision taken by the said Board in this regard ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) and (b) Apart from the recommendations of the Committee on Rural Electrification which were forwarded to the State Governments and the State Electricity Boards, including Madhya Pradesh, in September, 1974, the Central authorities have, from time to time, been in touch with the various State Electricity Boards etc. regarding the implementation of rural electrification programmes to, *inter-alia,* promote increased agricultural production and the setting up of small industrial units. The Committee on Rural Electrification was appointed by the Central Government and had gone into the difficulties faced by the rural consumers in the matter of electricity supply. The Central authorities have also been advising the States in respect, *inter-alia,* of the need for improving the quality of power supply and the service to the consumers to enable the economy as a whole to benefit from the advances made in power generation.

2. The Madhya Pradesh Electricity Board have intimated that for flour mill consumers in rural areas, the minimum charge is Rs. 107.50p for a 10 HP connection and 18% Annual Guarantee is not insisted upon from flour mills in the rural areas. From September, 1977, the Madhya Pradesh Electricity Board has extended 20% concession in tariff, including minimum charges, to all rural industries, including flour mills. The tariff for supply to pump-set consumers is Rs. 5/HP/month as maintenance charges plus 16 paise/unit on actual consumption for the first five years. Thereafter, the rate becomes 16 paise/per unit with no recovery of maintenance charges.

MANUFACTURING OF ROAD ROLLERS

4312. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) how many Road Rollers were manufactured in 1976-77 and 1977-78 and the value thereof:

(b) how many Road Rollers are proposed to be manufactured in 1978-79 and the number of Road Rollers out of them, along with their value, which have so far been manufactured and how many Road Rollers are yet to be manufactured;

(c) the names and locations of the factories in which these road rollers are manufactured; and

(d) how many new road rollers were supplied to Gujarat in 1976-77 and 1977-78 and the demand therefor, for the year 1978-79; the date by which this demand will be met; number of road rollers which have been supplied to Gujarat so far and the time by which the remaining will be supplied ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The requisite information is given below :—

Year	*Quantity*	*Value (Rs. in lakhs)*
1976-77	187 Nos.	269.73
1977-78	716 Nos.	999.73

(b) The production during 1978-79 is expected to be 790 Nos. The production so far during April-June, 1978, has been 155 Nos. valued at Rs. 213.76 lakhs. The balance 635 Nos. is likely to be produced during the remaining period of the financial year;

(c) The names and locations of the manufacturers of Road Rollers are given below :—

1. M/s. Jessop & Company Limited,
   63, Netaji Subhas Road,
   Calcutta.
2. M/s. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited,
   43/46, Garden Reach,
   Calcutta.
3. M/s. Vak Engineering (Pvt.) Limited,
   326, M.K.N. Road, Alandur,
   Madras.
4. M/s. Sayaji Iron & Engg. Co. Pvt. Limited,
   Chani Road, Baroda.
5. M/s. Kamani Engg. Corpn. Limited,
   L.B. Shastri Marg, Kurla,
   Bombay.
6. M/s. Braithwaite & Co. Limited,
   Angus Works, Angus P.O.
   Distt. Hooghly, West Bengal.
7. M/s. Speedcraft Private Limited,
   Sabaynagar,
   Patna.
8. M/s. Britannia Engg. Co. Limited,
   P.O. Titagarh, Distt. 24-Parganas,
   West Bengal.

(d) As per available information, 69 Road Rollers were supplied to Gujarat during 1976-77 and 1977-78. The Directorate General of Supplies and Disposals (DGS&D) have intimated that no further demand has been indicated by Government of Gujarat for 1978-79. However, rate contracts/price agreements have been placed for the period upto 31st March, 1979, to enable direct demanding officers to draw supplies.

रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा मैसर्स आटो पिंस, फरीदाबाद को दिये गये क्रयादेशों के बारे में शिकायतें

4313. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आटो पिंस (इण्डिया) रजिस्टर्ड, फरीदाबाद तथा इसकी सम्बद्ध कम्पनियों को नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके महाप्रबन्धक, व्हिकल फैक्ट्री, जबलपुर के मनमाने ढंग से रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा मोटर के पुर्जों और अन्य मशीनों की सप्लाई के लिये भारी क्रयादेश दिये जाने के बारे में सरकार को कई शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या इन कम्पनियों को आपात स्थिति के दौरान क्रयादेश टेंडर और कोटेशन आदि मांगें बिना अनियमित ढंग से दिये गये थे;

(ग) क्या इन कम्पनियों ने बहुत ऊंची दरों पर सरकारी क्रयादेश प्राप्त किये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार है कि इन कम्पनियों के कार्यकरण की पूरी जांच की जाये तथा इसके मालिकों, निदेशकों, प्रबन्धकों आदि के विरुद्ध कार्यवाही की जाये, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ङ) दिसम्बर, 1977 में, इस प्रकार की केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी । जांच बोर्ड ने जिसमें आर्डनेंस कारखानों के अपर महानिदेशक सम्मिलित थे इस शिकायत की जांच पड़ताल की थी । इस जांच बोर्ड के निष्कर्षों में ये आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

4314. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के उच्च पदाधिकारियों को अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही तथा समय पर उपस्थित न रहने के सम्बन्ध में शिकायतों का केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या कुछ बसें सरकारी कागजों पर ही चल रही हैं और सड़कों पर नहीं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम करके दिल्ली में बढ़ते हुए यातायात के लिये सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां।

(ख) स्पष्टत: उल्लेख दिल्ली परिवहन निगम जांच समिति की रिपोर्ट में दी गई समिति से है कि कुछ दिल्ली परिवहन निगम की बसें, जो शैड से बाहर लाई जाती हैं, डिपो को अनुसूचित फेरों को पूरे किये बिना किसी भी त्रुटि से वापिस आ जाती है। परन्तु, यह घटना केवल इस निगम की विशेषता ही नहीं है। देश में अच्छे प्रबन्ध वाले राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की बसें भी कभी कभी सड़क पर खराब हो जाती हैं। यह यांत्रिक दोष के कारण होती हैं और उनको शैड से बाहर लाने के बाद, वे डिपों में अनुसूचित फेरा लगाये बिना वापिस आ जाती हैं। यह कहना सही नहीं है कि इसमें कोई अनियमितता होती है, जब बसें सड़क पर खराब हो जाती हैं और उनको ठीक करने के लिये डिपों में वापिस लाना पड़ता है।

(ग) सड़क में खराब हुई दिल्ली परिवहन निगम की बसों के कारण कि० मी० दूरी की हानि अब लगभग 20% है। इस दर को उचित स्तर तक कम करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। इस ओर, निगम, बसों के रख-रखाव के प्रबन्ध में सुधार करने ताकि इसकी सेवाओं में विश्वसनीयता की वृद्धि हो और इसके बेड़े का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके, का प्रयास कर रहा है। निगम का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 200 और बसों को खरीदने का प्रस्ताव है, यह पिछले वर्ष के आदेशों में से 59 बसें, जो 1 अप्रैल, से 31 जून 1978 के बीच प्राप्त हुई और 1977-78 में दिये आदेशों में से प्राप्त होने वाली 69 बसों के अलावा है।

SETTING UP OF MORAK, KOTA CEMENT FACTORY

4315. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the work on the proposed scheme to set up a cement factory at Morak in Kota district in Rajasthan has been started and if so, when this factory will go into production and the amount of money given by the Central Government to the company setting up this factory; and

(b) whether this factory belongs to Birlas and if so, the grounds on which licence for setting of this factory has been granted, though Government dues are outstanding against Birlas and the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) :

(a) and (b) M/s. Manglam Cement Company were granted an industrial licence on the 20th February, 1978 for the manufacture of 4.0 lakh tonnes of portland cement per annum at Morak in Kota District of Rajasthan. They have obtained the mining lease for their project and have also obtained the railway clearance. They approached the IDBI

for the necessary financial loans which were granted by the latter. The firm have also stated that they have already placed the orders for the plant and machinery on 24.2.1978 and expect to receive the same within a period of two years. They expect to commence production by middle of 1980.

The Central Government are not participating in the equity capital of this concern but as per the financing pattern proposed by the firm, it is observed that the Government of Rajasthan are participating in the equity capital of this company through the Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation Limited.

The firm belongs to the Birla Group of concerns. According to the present instructions, applications received from such companies will be considered only for considerations of public interest. The guidelines for determining public interest justifying the recommendations of issue of letters of intent are :

(i) Industries of basic importance where expansion is necessary and proposals from other parties are not forthcoming. For this purpose, industries listed in Appendix-I of the policy statement of February 1973 are regarded as of basic importance.

(ii) Export oriented industries.

(iii) Industries where substantial import substitution is involved.

As cement in an item specifically included in Appendix-I of policy statement of February 1973, considerations of public interest was fulfilled in their case. Their application was, therefore, approved on merits.

हिन्दस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर के छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया जाना

4316. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के उन कर्मचारियों को काम पर वापस लेने का निर्णय किया है जिनकी आपात स्थिति के दौरान छंटनी कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सरकार के निर्णय के अनुसरण में उन सभी कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा की गई है जिन्हें बरखास्त कर दिया गया था, सेवामुक्त कर दिया गया था अथवा जिनकी सेवायें आपात स्थिति के दौरान समाप्त कर दी गई थीं। इसके परिणामस्वरूप, चार कर्मचारियों की से सेवायें बहाल कर दी गई हैं।

जयपुरिया के उद्योगों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना

4317. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जयपुरिया के कितने उद्योगों को अपने नियंत्रण में लिया है तथा कितने उद्योगों को नियंत्रण में नहीं लिया है और उनमें से कुछ उद्योगों को नियंत्रण में न लेने के क्या कारण हैं जबकि सब उद्योग एक ही परिवार द्वारा चलाये जाते थे;

(ख) नियंत्रण में लिये गये कितने उद्योग संकटग्रस्त हैं और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्योगपति कुछ उद्योगों को जानबूझकर संकटग्रस्त बनाते हैं और अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य उद्योगों को सरकार के नियंत्रण के लिये छोड़ देते हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) सम्भवतः प्रश्न का सम्बन्ध 13-4-1978 को स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर की 6 कपड़ा मिलों के अधिग्रहण से है। उपर्युक्त अधिग्रहण उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अनुसार किया गया था। जयपुरिया के अन्य उद्योगों के अधिग्रहण का प्रश्न इसलिये नहीं उठा था कि ऐसा अधिग्रहण इस अधिनियम के क्षत्र के अन्तर्गत नहीं आता।

(ग) उद्योगों में रूग्णता के कई कारण होते हैं जिनमें से एक कारण एक उद्योग से अर्जित निधियों को उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना दूसरे उद्योग में लगा दिया जाना भी हो सकता है।

8--381LSS/78

मैसर्स पोरिट एण्ड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड के लाइसेंसों का नवीकरण

4318. **श्री अनन्त दवे :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पोरिट एण्ड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड फरीदाबाद ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे न होने के बाद अक्तूबर, 1979 में समाप्त होने वाले अपने और औद्योगिक लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन दिया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें जारी आशय पत्रों का ब्यौरा औद्योगिक लाइसेंस से भिन्न है तथा यह ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि हां, तो उनके औद्योगिक लाइसेंस का नवीकरण करने के बारे में सरकार की भावी नीति क्या है जबकि कम्पनी इस देश को तकनीकी जानकारी नहीं दे सकी है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कच्छ में विमानों का प्रवेश

4319. **श्री अनन्त दवे :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है, कि 1 जनवरी, 1977 से 30 अप्रैल, 1978 की अवधि के दौरान कच्छ जिले में एक दर्जन से अधिक बार अज्ञात विमानों ने हमारे सीमावती क्षेत्र में प्रवेश किया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि ये विमान किन देशों से भारत में आये थे?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) जनवरी, 1977 से अप्रैल, 1978 के पन्द्रह महीनों की अवधि में हमारी वायु सीमा में पाकिस्तानी विमानों के घुसपैठ की केवल दो घटनायें हुई हैं। यह मामला विदेश मंत्रालय के माध्यम से पाकिस्तानी सरकार के साथ उठाया गया है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के पदाधिकारी

4320. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रबन्धक हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स आफिसर्स एसोसियेशन, बंगलौर के अनेक पदाधिकारियों और सदस्यों को उत्पीड़ित और परेशान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) उनको किस आधार पर उत्पीड़ित किया जा रहा है;

(घ) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रबन्धकों ने कार्मिक संघ अधि-नियम, 1926 के अन्तर्गत अपने अधिकारियों की एसोसियेशन को मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) ट्रेड यूनियन अधिनियम 1927 के अधीन पंजीकृत मान्यता प्राप्त एक यूनियन पहले ही हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में कार्य कर रही है। ट्रेड यूनियन अधिनियम के अधीन ट्रेड यूनियन के रूप में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के अफसरों की एसोसियेशन के हाल ही में पंजीयन से इस यूनिट में एक से अधिक ट्रेड यूनियनें हो गई हैं। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अफसरों की एसोसियेशन के पंजीयन पर विचार कर रहा है।

जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ बी० एच० ई० एल० का सहयोग करार

4321. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी० एच० ई० एल० ने निर्धारित नियमों और तरीकों का पालन किये बिना जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ बड़ा सहयोग करार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बी० एच० ई० एल० के कुछ बड़े अधिकारियों का शीघ्र करार कराने में हाथ था; और

(ग) यदि हां, तो अनियमितताओं और करार करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के बारे में जांच करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के इस समय सीमैंस जो कि पश्चिम जर्मनी की एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है, के साथ तीन तथा उसकी सहयोगी कम्पनी क्राफ्टवर्क यूनियन (के० डब्ल्यू० यू०) के साथ एक सहयोग करार है। ये सहयोग (1) औद्योगिक ग्राइव टर्बाईन (2) थाइराइस्टर कन्वर्टर एण्ड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग; (3) थाईरिस्टर डिवाइसीस तथा सिलीकोन; और (4) बड़े स्टीम टर्बाईन जनरेटरों के निर्माण करने के लिये हैं। ये करार एक लम्बे विचार विमर्श करने तथा उपयुक्त सहयोग के लिये अन्य संगठनों पर विचार करने के बाद किये गये थे। सहयोग के लिये सीमैंस का चयन करने से पूर्व सभी बड़े ग्राहकों, परामर्णदाताओं, तथा सरकारी एजेंसियों यथा इलेक्ट्रानिक कमीशन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इत्यादि से सलाह ले ली गई थी। बड़े स्टीम टर्बाईन जनरेटरों के सम्बन्ध में के० डब्ल्यू० यू० के साथ सहयोग को अन्तिम रूप बातचीत करने वाली उच्च स्तरीय सरकारी समिति द्वारा दिया गया था। सहयोग के सभी चार प्रस्तावों को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरांत भारत सरकार के विदेशी निवेश मण्डल द्वारा भी मंजूर किया गया था। इस प्रकार पता चलेगा कि जर्मन बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ हुए सभी करारों में सभी नियमों व विधियों का पालन किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

URANIUM DEPOSITS IN UTTAR PRADESH

4322. SHRI T. S. NEG
SHRI SAUGATA ROY
SHRI R. K. MHALGI
SHRI NATVERLAL B. PARMAR } : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a possibility of large uranium deposits in the hill districts of Uttar Pradesh;

(b) whether Government have conducted or propose to conduct any survey in this regard; and

(c) if so, the outlines thereof ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c) As a result of surveys carried out in the Hill Districts of Uttar Pradesh, occurrences of uranium were located in parts of Chamoli, Almora, Pithoragarh, Dehra Dun and Tehri Districts. Detailed evaluation by bore-hole drilling is being carried out in one of the more promising of these occurrences at Ingedinala in Tehri District and the actual potential of the area will be known only on completion of these investigations.

संसद सदस्यों से टेलीफोनों के "टेप" करने के बारे में शिकायतें

4323. **श्री समर गह** क्या गृह मंत्री यह बताने की गृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा अनेक अवसरों पर यह शिकायतें कीं गई हैं कि उनके टेलीफोन बीच में सुने जा रहे हैं अथवा "टेप" किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायतों की सच्चाई सहित तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) ऐसी कोई शिकायत ध्यान में नहीं आई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए रेडियो लाइसेंस शुल्क

4324. श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी
श्री डी० अमात : क्या **सूचना और प्रसारन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि नेत्रहीन व्यक्तियों से उनके रेडियो सेटों पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में अन्य विकलांग व्यक्तियों को भी ये रियायत देने पर विचार करेगी, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत-लीबिया संयुक्त उद्यम

4325. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लीबिया में बड़े संयुक्त उद्यम लगाने के लिये भारत लीबिया संयुक्त कम्पनी स्थापित करने का प्रस्ताव हैं और

(ख) यदि हां तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) लीबिया के विद्युत विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में भारत लीबिया सहयोग की गुंडाइश बनाने के लिये एक संयुक्त भारत लीबिया कम्पनी बनाने का प्रस्ताव है। यह कम्पनी लीबिया के वाणिज्यिक निगम के अनुसार त्रिपोली में पंजीकृत की जायेगी। इसकी अधिकृत पूंजी 2 मिलियन लीबियाई दीनार होगी, जिसमें से 25 से अनधिक का इसके गठन के समय अंशदान करना पडेगा। 51 पूहजी का अंशदान लीबिया सरकर (विद्युत सचिवालय) द्वारा और 49 का भारत सरकार (उद्योग मंत्रालय) द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक अंशदाता की देयता कम्पनी में उसके अंशधारण मूल्य तक सीमित होगी।

2. कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक मण्डल द्वारा किया जायेगा, जिसमें 5 सदस्य होंगे-3 लीबियाई और 2 भारतीय। चेयरमैन लीबियाई होगा, लेकिन कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक (जिसे लीबिया में महाप्रबन्धक कहते हैं) भारतीय होगा निदेशक मण्डल में मतभेद होने पर बहुमत का विचार प्रभावी होगा, बशर्ते कि प्रत्येक देश से एक सदस्य निर्णय का समर्थन करता हो। अतः भारतीय पक्ष को ऐसे प्रस्तावों को नामंजूर करने का अधिकार प्राप्त होगा, जो भारत को स्वीकार्य नहीं है।

3. इस निवेश से प्रत्याशित लाभ इस संयुक्त कम्पनी को दिये गये क्रयादेशों के निष्पादन से प्राप्त होंगे। संयक्त कम्पनी को दिये गये ठेकों का निष्पादन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी० एच० ई० एल०) द्वारा किया जायेगा, जो आवश्यकता के अनुसार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अन्य भारतीय कम्पनियों को काम का उप-ठेका देगा। अतः वास्तविक लाभ भारतीय उपकरणों और सामान के निर्यात से और लीबिया में बड़े पैमाने पर भारतीय कार्मिकों के रोजगार से प्राप्त होगा। इस संयुक्त कम्पनी को मिले प्रत्येक क्रयादेश में सामान्य वाणिज्यिक लाभ की गुंजाइश होगी।

4. ऊपर बताई गई बातों के अनुरूप भारत सरकार (भारी उद्योग विभाग) और लीबिया सरकार (विद्युत सचिवालय) के बीच 19 एलाई, 1978 को एक करार पर हस्टाक्षर किये गये हैं। संक्षेप में कम्पनी लीबिया में पावर स्टेशनों और ट्रासमिशन सिस्टमों का डिजाइन, व्यवस्था, निर्माण, संचालन और रख-रखाव का काम करेगी और लीबिया के बाहर कहीं भी लीबिया द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्त पोषत किसी भी विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में इन्हीं कार्यों को करेगी। कम्पनी इंजीनियरी और प्रबन्ध के क्षेत्र में परामर्शदायी सेवायें भी प्रदान करेगी और इस कम्पनी द्वारा लिये गये सभी कार्यों में लीबियाई कार्मिकों को प्रशिक्षण देगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सूत की सप्लाई

4326. **डा० रामजी सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भागलपुर जिले के बहुत से हथरकघा और विद्युतचालित करघा एककों की दयनीय स्थिति का पता है ;

(ख) क्या सूत की सप्लाई में बिचौलियों के रहते बुनकरों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार पर सूत की सप्लाई के लिये कुछ दुकानें खोलने का है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) (ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जायेगी।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में काम करने वाले कर्मचारियों को जंगल भत्ता

4327. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के आन्तरिक, दुर्गम, निर्जन और दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने वाले वन तथा लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों श्रमिकों को जंगल भत्ता मिला करता था;

(ख) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने जंगल भत्ते की राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी जिसकी बाद में गृह, कृषि तथा निर्माण और आवास मंत्रालय ने सिफारिश की थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने जंगल भत्ता ही देना बन्द कर दिया जो उन दिनों श्रमिकों को मिलता था; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) क्योंकि तृतीय वेतन आयोग ने अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूहों में काम कर रहे श्रमिकों को जंगल भत्ता देने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की थी अतः इस भत्ते को देना बन्द कर दिया गया था। फिर भी, अण्डेमान और निकोबार प्रशासन ने प्रस्ताव को दोहराया है और मामला अब विचाराधीन है।

ENQUIRY AGAINST CHIEF EDITOR, 'VIGYAN PRAGATI'

4328. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether any enquiry has been ordered into the alleged irregularities through Central Vigilance Commission against the Chief Editor of the Hindi monthly being brought out by the Council of Scientific and Industrial Research;

(b) if so, whether, Government propose to remove the said officer from the post of Chief Editor of the 'Vigyan Pragati' during the period of enquiry to facilitate the required investigations; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) On the advice of the Central Vigilance Commission, departmental proceedings as for major penalty in regard to certain acts of misconduct have been initiated against the Editor-in-Charge (Hindi), Indian Languages Unit, of the C.S.I.R.

(b) & (c) Since investigation has been completed, it is not considered expedient to remove the said officer from the post during the pendency of departmental proceedings.

उड़ीसा के लिए छठी योजना का परिव्यय

4329. **श्री के० प्रधानी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समझती है कि उड़ीसा के लिये छठी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय लगभग 3,500 करोड़ रुपये होना चाहिये ताकि राज्य की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान अन्तर को वर्ष 1982-83 तक 40 प्रतिशत तक कम किया जा सके:

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समझती है कि वर्ष 1982-83 तक लगभग 50 प्रतिशत बेरोजगारों को रोजगार देने और निर्धारित रेखा से नीचे रहने वाले काफी संख्या में लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु भी इतनी ही राशि की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) राज्यों की 1978–83 की पंचवर्षीय योजनाओं की योजना आयोग द्वारा राज्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद, संसाधनों की उपलब्धता सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जायेगा । अभी उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव प्राप्त होने हैं। सरकार इस समय कोई भी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करने में असमर्थ हैं।

राज्य सरकारों की कच्चे पटसन के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग

4330. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने कच्चे पटसन के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) जी हां। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिफारिश की है कि कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य विद्यमान मूल्य 150 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कम से कम 250 रु० प्रति क्विंटल तक कर दिया जाना चाहिये जबकि उड़ीसा और त्रिपुरा सरकारों ने मांग की है कि न्यूनतम मूल्य 180 रु० प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया जाना चाहिये।

मोटे कपड़े के उत्पादन में गिरावट

4331. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रुई निगम द्वारा पेश की गई तंजानिया की रुई में कितनी सूती कपड़ा मिलों ने रुचि दिखाई है :

(ख) क्या यह है कि कपड़ा मिलों ने 1977–78 के दौरान मोटे कपड़े का उत्पादन कम कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के दौरान मोटे कपड़े के उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती प्रभा माईति) : (क) भारतीय कपास निगम द्वारा तंजानिया की कपास के लिये प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु जारी की गई निविदा का केवल एक मिल ने जवाब भेजा है।

(ख) और (ग) मोटे कपड़े के उत्पादन के आंकड़ों से कोई गिरावट प्रतीत नहीं होती। मिलों द्वारा मोटे सूती कपड़े का उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन
1974	554 दस लाख मीटर
1975	558 "
1976	553 "
1977	आंकड़े अभी संकलित नहीं किये गये।

PRODUCTION IN A FACTORY

4332. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether a factory is supposed to have started production from the date of production-test or from the date when it starts regular production;

(b) if it is from the date of production-test, will not the export quota of the producer be reduced since the average of production will be less if it is computed together with the time gap between production-test and regular production; and

(c) whether it is not an injustice to the new producers; and if so, the measures proposed to remove it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) For purposes of industrial licensing, the date on which the undertaking commences commercial production and not trial production is reckoned as the date of implementation of the industrial licence.

(b) and (c) Do not arise.

PRICE HIKE OF PAPER

4333. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of printing paper has gone up by 50 per cent this year as compared to the last year;

(b) whether this has resulted in considerable increase in the prices of books as well; and

(c) whether Government propose to take certain steps to remedy this situation; and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) There is no statutory control on the prices of Paper. There has been no change in the price of White Printing paper which is being supplied to the educational sector at a concessional prices, but the prices of some other varieties of writing and printing papers have increased by about 20 per cent since January, 1978.

(b) There has been no report of any market increase in the price of books. Test books are mostly printed on White Printing paper supplied at concessional rates and the prices of such books have not changed.

(c) Steps have been taken to increase in the supply of White Printing paper to the educational sector. Additional capacity is being set up to increase the production of common varieties of writing and printing paper. If found necessary, Government wll also import common varieties of writing and printing paper.

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विस्तार के लिये लाइसेंस

4335. **श्री डी० अमात**
श्री पी० वेंकट सुब्बया } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कारोबार के विस्तार के लिये आवेदन-पत्र दिये; और

(ख) इसी अवधि के दौरान उनमें से कितनी कम्पनियों को ऐसे विस्तार हेतु लाइसेंस दिये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) सभी औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी ब्यौरे, उत्पादन की वस्तु, क्षमता, स्थान आदि का नाम शामिल है, "वीकली बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेंसज इम्पोर्ट लाइसेंसज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसज" तथा "मन्थली लिस्ट आफ लेटर्स आफ इन्टेंट एण्ड इन्डस्ट्रियल लाइसेंसज" में प्रकाशित किये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों की सूचियां भी संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं।

दास समिति के प्रतिवेदन का क्रियान्वयन

4336. **श्री डी० अमात**
श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपातस्थिति के दौरान जन प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग के कारणों की जांच करने वाली दास समिति की किसी सिफारिश को क्रियान्वित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आड वाणी): (क) दास समिति को प्रचार मध्यमों के दुरुपयोग पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिये तथ्यों की जांच करने और इन्हें एकत्रित करने के लिये गठित किया गया था। यह केवल तथ्य अन्वेषी समिति थी, अतः इसने सरकार को कोई सिफारिशें नहीं की।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

साम्प्रदायिक अशान्ति

4337. **श्री एफ० पी० गायकवाड़**
श्री अहमद एम० पटेल
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय
श्री अनन्त दवे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान देश में साम्प्रदायिक अशान्ति की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1978 के पहले तीन महीनों के दौरान साम्प्रदायिक तनाव के 120 मामले हुए, जबकि वर्ष 1977 और 1976 की उसी अवधि में 91 और 86 मामले हुए थे;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे मामले सबसे अधिक किस राज्य में हुए; और

(ङ) इन्हें रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) पिछले एक साल में साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) 1978 के पहले तीन महीनों के दौरान साम्प्रदायिक तनावों के मामले 1976 और 1977 की इसी अवधि के मामलों से अधिक हैं।

(ग) चूंकि स्थिति के अनुसार कारण भिन्न-भिन्न और जटिल हैं इसलिये कोई सामान्यकृत मत नहीं दिया जा सकता है।

(घ) उत्तर प्रदेश।

(ङ) राज्य सरकारें और जिला प्रशासन साम्प्रदायिक तनाव और घटनाओं की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिये सर्वथा सावधान तथा सतर्क रहते हैं।

PEOPLES REPRESENTATIVES IN DISTRICT INDUSTRIAL CENTRES

4338. **SHRI** GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased **to state :**

(a) whether the peoples representatives from the districts are proposed to be included **in the** administrative set up of the District Industrial Centres as honorary workers and **advisers: and**

(b) if so, who will be their representatives and the criteria to be adopted for their selection ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) The District Industries Centres are essentially an administrative set up manned by salaried functionaries. However, Members of Parliament and State Legislatures elected from the district are nominated as Members of the District Advisory Committee, set up to review the activities of he DIC.

जनयुग के सम्पादक और प्रकाशक के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE EDITOR AND PUBLISHER OF 'JANAYUG'

अध्यक्ष महोदय : श्री हुकम देव नारायण यादव ने 'जनयुग' के सम्पादक तथा प्रकाशक के विरुद्ध इस आशय का आरोप लगाया है कि 14-6-78 के अंक में उनके बारे में विद्वेषपूर्ण लेख छाप कर उन्होंने संसद सदस्य के रूप में उन पर दोषारोपण करके विशेषाकिकार भंग किया है। पत्र के सम्पादक तथा प्रकाशक ने लिखा है कि यह लेख

अनजाने में प्रकाशित हुआ है और उनका कोई बुरा इरादा नहीं था । उन्होंने बिना शर्त क्षमा याचना की है । माननीय सदस्य इससे संतुष्ट है और मामले को समाप्त किये जाने के लिये सहमत हो गये हैं । पत्र के सम्पादक तथा प्रकाशक को भविष्य में सचेत रहने के लिये कह दिया गया है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : मैं सभा तथा सरकार का ध्यान एक चिन्ताजनक समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो काश्मीर में पूंछ क्षेत्र में घुसपैठियों के आ जाने के बारे में आज समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है । यह एक गम्भीर मामला है जिसके बारे में सरकार को बिना कहे स्वयं एक वक्तव्य देना चाहिए ।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं इसका सही उत्तर देने के लिये पर्याप्त रुप से सक्षम हैं परन्तु यह आवश्यक है कि जनता को यह मालूम होना चाहिये कि देश में क्या हो रहा है ।

यह केवल मात्र समाचार ही नहीं है अपितु शेख अब्दुला ने भी यह कहा है। इसके अलवा पाकिस्तान के कब्जे में काश्मीर के प्रेसीडेंट सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और ब्रिगेडियर मोहम्मद हय्यात खान ने भी काश्मीर को स्वतंत्र कराने के लिये संघर्ष चालू करने की धमकी दी है ।

मुझे विश्वास है कि सरकार को इस बात का अवश्य पता होगा । परन्तु उन्हें राष्ट्र को शुरु से ही विश्वास में लेना चाहिए और यथाशीघ्र सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिये ताकि घुसपैठ अधिक बढ़ न सके और इसके अधिक हो जाने पर सैनिक कार्यवाही द्वारा इसका मुकाबला करने के बजाय इसे यहीं दबा दिया जाये ।

सरकार को आज दिन में इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए । इसे कल तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहम्मद शफी कुरैशी तथा अनेक अन्य सदस्यों ने इस मामले पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है । मैंने इस विषय पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव गृहीत किया है और यह कल की सूची में शामिल किया गया है । सरकार को सभी जानकारी एकत्रित करने तथा उसे सभा के समक्ष रखने में कुछ समय चाहिये ।

सभा के कर्य के बारे में
RE : BUSINESS OF THE HOUSE

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मेरा प्रस्ताव 3 बजे लिया जाना था परन्तु इस समय को बदल कर 4 बजे कर दिया गया है । सभा के निर्णय में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : यह कहना सही नहीं है कि कार्यपालिका के कहने पर निर्णय में परिवर्तन हुआ है । यह कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया गया है । दुर्भाग्य से श्री बसु उस बैठक में उपस्थित नहीं थे ।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही से पता चलता है कि समिति ने सिफारिश की थी कि श्री बसु के प्रस्ताव को तट रक्षक विधेयक की समाप्ति पर लिया जायेगा ।

लोक सभा की कतिपय कार्यवाही कथित गलत ढंग से प्रकाशित करने के बारे में 'टाइम्स आफ इंडिया' के सम्वाददाता के विरुध विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST "TIME OF INDIA" CORRESPONDENT *RE*: ALLEGED MISREPORTING OF CERTAIN PROCEEDINGS OF LOK SABHA

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री साठे के विशेषाधिकार के मामले को लेता हूं । इस सभ की यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष द्वारा सहमति दिये जाने के बाद इस विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है । इसका सभा में बहुमत के द्वारा निर्णय नहीं किया जाता । ऐसा करना उचित नहीं होगा ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : : मैं इस बात से सहमत हूं कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये और सभा द्वारा इसका निर्णय नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री बसन्त साठे (अकोला) मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।"

मेरा निवेदन है कि यदि यह सारी सभा एक विणेषाधिकार समिति में बदल दी जावे, तो साक्ष्य लेना, गवाहों को सुनना आदि सभी अपेक्षित स्वाभाविक न्याय की प्रक्रिया पर सभा द्वारा विचार किया जायेगा । यदि ऐसा किया जाता है, तो सभा को मुझे अपने गवाह पेश करने और मुझे तथा दूसरे पक्ष को सुनने का अवसर देना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि उस दिन की कार्यवाही का अवलोकन किया जाय, तो यह स्पष्ट होगा कि टाइम्स आफ इण्डिया के सम्पादक द्वारा व्यक्त की गई राय सही है । अतः विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सदस्य के कुछ विशेषाधिकार हैं । इस तरह प्रेस के भी कुछ विशेषाधिकार हैं । जैसाकि सभा को मालूम है, इन विणेषाधिकारों को संहिताबद्ध नहीं किया गया है । हम तब तक कार्यवाही नहीं कर सकते जब तक प्रकाशन पर्याप्त रुप से सही नहीं हो । यदि यह पर्याप्त रुप से सही है तो हम कार्यवाही नहीं कर सकते । जहां तक टाइम्स आफ इण्डिया के विरुद्ध इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष को इस सारे मामले को टाइम्स आफ इण्डिया के सम्पादक को भेजना चाहिये । हमें सम्पादक के उत्तर को भी जानना चाहिये । दूसरे पक्ष के विचार भी लोगों के सामने आने चाहियें और उसके बाद अध्यक्ष इस विशेषाधिकार समिति को सौंप सकता है ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसका निर्णय बहुतमत के आधार पर किया जाये; यह राजनीति का प्रश्न नहीं है । यह प्रश्न सभा तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है । समिति को अगले सत्र के समाप्त होने से पूर्व अपना प्रतिवेदन देने के लिये कहा जाना चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री कंवर लाल गुप्त : हमें सम्पादक के उत्तर से अवगत कराया जाना चाहिये ।

श्री एम० कल्याण सुन्द्रम : सम्पादक का उत्तर पढ़ कर सुनाया जाना चाहिये । क्या उन्होंने क्षमा मांगी है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्षमा मांगने से इंकार कर दिया है । सम्पादक यहां आए थे और मुझ से मिले थे । चूंकि यह मामला विशेषाधिकार समिति को समिति को सौंपा जा रहा है इसलिये यहां पर कुछ बताना उचित नहीं होगा ।

श्री मुकन्द मण्डल : मतदान करने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिये कि हम किस बारे में मतदान कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य अनुपस्थित हो, तो मेरे लिये बार बार इसे बताना संभव नहीं है ।

SHRI YAMUNA PRASAD SHASTRI (Rewa) : We should know on which we have got to vote.

SHRI RAJ NARAIN (Rae Bareli) : The practice in the House has been that if the Editor or correspondent of the newspaper tenders an unqualified apology, the matter is dropped. In that case, there is no need to refer it to the Committee of Privileges.

अध्यक्ष महोदय : श्री राजनारायण ठीक कह रहे हैं । जब कोई सम्पादक अथवा संवाददाता अपनी गलती मानता है या क्षमा मांगता है तो मामला छोड़ दिया जाता है लेकिन इस मामले में न तो खेद प्रकट किया गया है और न ही क्षमा मांगी गई है । अतः यह मांग उचित है ।

श्री ज्योतिमय बसु : वे क्षमा क्यों मांगे ?

श्री कंवरलाल गुप्ता : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं

अध्यक्ष महोदय : मिला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।

प्रश्न यह है :

"कि यह मामला विशेषधिकार समिति को इस अनुदेश के साथ कि वह अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के अंत से पहले पेश करे, सौंपा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नरम इस्पात ट्यूब (गुण नियंत्रण) आदेश, 1978

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत नर्म इस्पात ट्यूब (जोड़-रहित ट्यूबों और एपीआई विशिष्टियों के अनुसार ट्यूबों को छोड़कर), (गुण-कार, नियन्त्रण) आदेश, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 374 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखती हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 2644/78 ।]

कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के लेखे।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं मुख्य पत्तन न्याय अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंन्थालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 2122/78 ।]

सिक्ख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन (संशोधन) नियम, 1978

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मंडल) : सिक्ख गुरु द्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 146 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिक्ख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 382 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 2645/78 ।]

नौसेना (पेंशन) पहला संशोधन अधिनियम, 1978

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (पेंशन) पहला संशोधन विनियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सां० नि० आ० 236 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया /देखिए सं० एल० टी० 2646/78]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) :मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 160/78-सीमा-शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा तांबे के तारों की छड़ों को (जो संपरिवर्तित करने के लिये भारत से बाहर भेजे गये तांबे के रिवर्ट से उत्पादित की जाती है) सीमा-शुल्क से छूट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 2647/78 ।]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 16 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 151/78 और 152/78 जो चीनी पर नियन्त्रण हटाये जाने के परिणामस्वरूप 16 अगस्त, 1978 को या उसके बाद चीनी पर लगाई जाने वाली उत्पाद शुल्क-दरों के समायोजन के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या 154/78 जो दिनांक 16 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ऐसी अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है जो चीनी पर नियन्त्रण हटाये जाने के बाद बेमानी हो जायेगी।

ऊपर मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।)

[ग्रन्थालय में रखा गए देखिए सं० एल० टी० 264/78 ।]

भाषा के प्रश्न पर विचार करने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं के बैठक के बारे में

RE : MEETING OF LEADERS OF POLITICAL PARTIES TO CONSIDERED LANGUAGE QUESTION

श्री वयलार रवि (चिरचिकिल) : आपने सभा में घोषणा की है कि कोई फार्मूला बनाने के लिये आप राजनैतिक दलों की बैठक बूला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल सुबह।

श्री वयलार रवि : सब से महत्वपूर्ण केन्द्रीय कर बोर्ड के अनुदेश हैं, जो अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित हैं और कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित हो सकते हैं। आप इसे अनिवार्य करें तो दक्षिण के लोगों द्वारा काम करना असम्भव हो जायेगा। इसलिये हम अपील करते हैं कि आप ऐसा न करें। मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मेरे पास भेजिये। मैं इसे कल बैठक में रखूंगा।

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : Various reports of the parliamentary committees are published in English and not in Hindi. The Government policy of publishing in both the languages is being ignored in case of such reports. It should be ensured that Hndi version should be prepared for the convenience of those who do not know English.

अध्यक्ष महोदय : इन प्रश्नों पर विचार किया जायेगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : रेलवे बोर्ड से एक पत्र हिन्दी में आया है। मैं हिन्दी नहीं जानती और राजभाषा समिति की सदस्या हूं। मूझे पत्र उस भाषा में भेजा जाना चाहिये जिसे में पढ़ सकूं।

CHOWDHARY BALBIR SINGH (Hoshiarpur) : This is an important matter. Papers in Hindi are sent to English knowing members and papers in English are sent to Hindi knowing members. This matter should be looked into.

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAY (SHRI SHEO NARAIN) : All the Members speak in Hindi in the Hindi Advisory Committee. What is the harm if the proceedings which you get are in Hindi ?

अविलम्बनीय लोग महत्व के विषय की ओर ध्यान निलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

13 अगस्त 1978 को प्रधानमंत्री के निवास स्थान के बाहर किसानों और पुलिस के बीच भिडत का समाचार

श्री प्रद्युम्न बल (जगजीतसिंहपुर) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"13 अगस्त, 1978 को प्रधान मंत्री के निवास स्थान के बाहर किसानों और पुलिस के बीच भिड़न्त के कारण 100 से अधिक व्यक्तियों के घायल हो जाने का समाचार"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : इस सदन ने 8 अगस्त, 1978 को दिल्ली के निकट वंझाकला गांव में व्याप्त स्थिति के बारे में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया था जब सरकार का वह सुनिश्चित करने का निश्चय कि किसी आवंटी को निकाला नहीं जाएगा अथवा किसी वल प्रयोग द्वारा अन्यथा परेशान नहीं किया जायेगा, दोहराया गया था।

2. किसान संघर्ष समिति कंझावला द्वारा वोट क्लब पर एक रैली करने और फिर एक ज्ञापन देने के लिये प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर जलूस बनाकर जाने के आह्वान पर 13-8-78 को लगभग 6000/7000 व्यक्ति 14.30 बजे, वोट क्लब पर एकत्र हुए। 5 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान मंत्री से लगभग 16.00 बजे मिला और उसने प्रधान मंत्री के निवास स्थान के निकट सर्कल में एकत्रित भीड़ को सूचित किया कि बातचीत असफल हो गई है । तत्पश्चात भीड़ जो पहले ही बेचैन हो चुकी थी खड़ी हो गई और प्रधान मंत्री विरोधी नारे लगाये तथा नेताओं ने उनको सीधे ही प्रधान मंत्री के निवास स्थान की ओर बढ़ने के लिये प्रोसाहित किया । भीड़ ने पुलिस के घेरे को तोड़ना और पुलिस कर्मचारियों पर पत्थरों तथा लाठियों से हमला करना आरम्भ कर दिया। जब हिंसा न करने के लिये बार-बार दी गई चेतावनियां असफल हो गई तो भीड़ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया । चेतावनी का प्रदर्शनकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे हिंसक कार्य करते रहे । गैर-कानूनी भीड़ को तितर-बितर करने के लिये अश्रु-गैस के प्रयोग का आदेश यिया गया। भीड़ अब भी हिंसक कार्य करती रही। तब घुड़सवार पुलिस ने कार्यवाही की और स्थिति को नियन्त्रित किया गया। 146 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । 15 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई। ड्यूटी पर तैनात 12 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई। उनमें से दो को गहरी चोटें आई तथा उनमें से एक को सिर की गम्भीर चोटों के कारण अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/186/332/353/427 के अधीन दिनांक 13-8-78 को एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 342 पुलिस थाने तुगलक रोड में दर्ज किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत के सिपुर्द कर दिया गया है।

3. हालांकि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है फिर भी उसका यह संकल्प है कि यदि ऐसे प्रदर्शन हिंसा पर उतर आते हैं तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाए।

श्री प्रद्युमन बल: किसानों तथा पुलिस के बीच तथाकथित भिड़न्त से लोगों के बीच कई प्रकार की गलतफहमियां फैल गई हैं और भविष्य के लिये अस्वस्थ्य परम्परायें पैदा हो गयी हैं। मंत्री महोदय के वक्तव्य तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित बातों में अंतर है ।

अब मैं इस अवसर पर सभा तथा देश का ध्यान भूमि सुधारों की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। हरिजनों तथा भूमिहीनों को अपनों दयनीय स्थिति को जनता सरकार के सामने रखने का पूरा अधिकार है ।

अतः इस समस्या का समाधान देश के 20 करोड़ लोगों के कष्टों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिये। हमें यह पता लगाना चाहिये कि कौन-कौन लोग और किस राजनैतिक दलों के लोग प्रदर्शन करने आये थे। इसे देश की समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए तथा उचित समाधान निकाला जाना चाहिए।

मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हरिजनों तथा अन्य अभावग्रस्त लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें इसमें अब अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

श्री धनिकलाल मंडल : कंझावला में 124 एकड़ भूमि हरिजनों सहित सभी भूमिहीनों के बीच पंचायत ने 1970 में बांटी।

दिसम्बर, 1977 में किसान संघर्ष समिति बनी। समिति ने प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। उन्हें बोट क्लब में प्रदर्शन की अनुमति दी गयी। उन्हें प्रधान मंत्री के आवास पर आने की अनुमति न दी गयी। उनका एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से मिला जिसने बाहर आकर कहा कि वार्ता असफल रही है। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा का प्रयोग किया और पथराव भी किया। इस भीड़ को गैरकानूनी घोषित किया गया।

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARY (Khalilabad) : This was an unfortunate incident. After assembling at the Boat Club, the farmers sent a delegation to the Prime Minister. Even before their talks with the Prime Miniser, there was clash between police and the demonstrators.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : No, this is incorrect.

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARY : I want a detailed enquiry into the circumstances which led to this incident.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]
[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

The land in that village was allotted to the landless in 1970. There had been a lot of litigation about that since then.

I want to know the reasons for which tenancy rights could not so for be given to the farmers there. Such type of controversies cannot be solved by force. This is not a question of a particular village. It is related with the country as a whole.

श्री मोरारजी देसाई : यह कहना गलत है कि पुलिस और जनता में कोई टकराव मेरे से मुलाकात करने से पूर्व हुआ। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, अतः मैंने उनसे मुलाकात कर ली, परन्तु उनकी मांगें मुझे स्वीकार नहीं थीं।

जहां तक उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रश्न था, उसने ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के निर्णय को रद्द कर दिया है। परन्तु इस बीच ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों को भंग कर दिया गया। और लोगों को भूमि पांच साल के लिये पट्टे पर दी गयी। यह अलाटमेंट कानून के अनुसार थी। इसे उच्च न्यायालय के निर्णय ने स्पर्श नहीं किया। इसके बाद वे उतेजित हो गए और उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि यदि वे ऐसी भाषा का प्रयोग करना तो बेहतर है कि वे चले जायें और उसके बाद वे चले गए। वे मुझ पर और मेरे आवास पर हमला करना चाहते थे। पुलिस के इंतजाम के बावजूद उन्होंने वहां के वाहन तोड़ दिए और पत्थर उठाकर फेंकने लगे। तब पुलिस ने अश्रुगैस छोड़ी और उन्हें लाठी चार्ज भी करना पड़ा। 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल मैंने लाल किले से बोलते हुए कहा था कि यदि लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी होगी।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : इस विशिष्ट दुर्घटना के पीछे वास्तावक समस्या का उपक्षा नहीं की जानी चाहिये।

15 अगस्त को दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 500 कुलकों ने प्रधानमंत्री के निवास पर हमला करने का प्रयास किया और निवास के दरवाजों पर उपद्रव करने लगे। पुलिस ने उन्हें पीछे धकेला और उन पर अश्रुगैस छोड़ी। 12 पुलिसमैन घायल हुए और पुलिस ने 170 किसानों को गिरफ्तार किया।

किसान संघर्ष समिति ने कंझावला गांव में हुई हिंसक घटनाओं के बाद बोट क्लब पर हुई रैली में इस प्रदर्शन का आह्वान किया था । यह दिखाने का यत्न किया गया कि वे ही असली किसान हैं। जो चरागाह में खेती करते हैं। लेकिन उनके पास जो तख्तियां थी उन पर कुछ ऐसा लिखा था जिससे उनके इरादों पर सन्देह होता था। ऐसा लगता था कि उनका उद्देश्य भूस्वामियों के हितों की रक्षा करना था। मैं प्रधान मंत्री की बात का समर्थन करता हूं। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि कुलक सरकार पर यह जोर डालने के लिये पूरी ताकत लगा रहे हैं कि सरकार जमीन वापस ले ले ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह भमिहीनों में वह भूमि बाटेंगे । क्या किसान संघर्ष समिति द्वारा की जा रही गलत कार्यवाही को रोका जाएगा और तीसरे क्या सरकार सुरक्षोपाय करेगी ताकि संघर्ष समिति द्वारा डाले जाने वाले दबाव को समाप्त किया जाए ।

SHRI DHANIK LAL MANDAL : So far as distribution of land is concerned, this right vests with Gram Sabha and Gram Panchayat. So far as the question of giving protection to those who have been allotted land, Prime Minister has reiterated that concerned persons should assert their rights.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह घटना अचानक कैसे हो गई ? हमारा गुप्तचर विभाग क्या कर रहा था । हम पहले ही सरकार को यह चेतावनी दे रहे थे कि कंझावला में जो हो रहा है, उस बारे में प्रधान मंत्री संसद् सदस्यों की समिति नियुक्त करें। सत्तारूढ़ दल के बीच चल रहे विवाद एवं षडयंत्र का ही यह प्रदर्शन था।

क्या सरकार मामले की जांच कर रही है और उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है, जो उदासीन रहे। कंझावला के किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

SHRI DHANIK LAL MANDAL : There is no question of failure of Intelligence. Residence of Prime Minister was well protected. It was assured that this will be a peaceful demonstration. But agitators turned violent. Police used minimum force to prevent them.

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रधान मंत्री के वक्तव्य की सराहना करता हूं जिसमें कहा गया है कंझावला गांव के हरिजनों के हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन खेद की बात है कि सरकार ने स्थिति को गम्भीरता से नहीं लिया।

यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस घटना की जड़ें, बड़ी गहरी हैं ।इससे प्रजातंत्र को खतरा पैदा हो सकता है ।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि संवैधानिक सुरक्षापायों का संरक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने आरक्षण को समाप्त करने की मांग भी की थी । उन्होंने कृषि कर को कम करने तथा किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये अन्य रियायतें दी जाएं ।

इस प्रदर्शन से जनता पार्टी के आपसी भेदों का भी आभास होता है । प्रदर्शनकारियों की तख्तियों पर लिखा था—

"लाठी गोली खाएंगे, चरण सिंह को बचायेंगे।"

प्रधान मंत्री इस खतरे को गम्भीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं । प्रदर्शनकारी अपनी ताकत का परिचय देना चाहते थे। ये प्रदर्शनकारी 6000 या 7000 थे। भविष्य में यह संख्या लाखों में होगी।

क्या सरकार इस खतरे को निपटने के लिये उचित कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिन्होंने संघर्ष समिति को भड़काया, क्या गांव कंझावला में मौके पर जांच करवाने के लिये सर्वदलीय संसदीय समिति नियुक्त की जाएगी ? क्या आर्थिक दृष्टि से कमजोर हरिजनों को मजबूत बनाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा ?

श्री मोरारजी देसाई : सरकार किसी भी हालत में हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में व्यवधान नहीं डाला जाएगा। लेकिन यदि प्रदर्शनकारी हिंसात्मक रूख अपना लेते हैं, तो उनको कम से कम हिंसा का प्रयोग करके निपटा जा सकता है।

इस घटना के पीछे किसी का हाथ, मैं यह नहीं मानता । मैं किसी पर निराधार आरोप लगाना नहीं चाहता ।

यदि हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारियों को रोका न जाता तो वे और नुकसान करते । यदि लोग देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें हिंसा से ही निपटा जा सकता है। अहिंसा से हिंसा को नहीं रोका जा सकता ।

कई लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि श्री चरण सिंह घटना के दिन अपनी कार से उधर से गुजरे थे । मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सकता । वह ऐसा नहीं कर सकते । बड़े-बड़े भाषण देने से या अफवाह उड़ाने से कुछ नहीं होता । व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिये ।

नर्मदा जल के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : NARMADA WATERS

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने आज केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उसने वे तथ्य दिये हैं जो उसके द्वारा पाये गये हैं और उन मामलों के बारे में अपने निर्णय दिये हैं, जो उसे निर्दिष्ट किये गये थे।

2. इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि चूंकि नर्मदा नदी के जल के बारे में गुजरात , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच के विवादों की बातचीत के जरिये सुलझाया नहीं जा सका था, इसलिये भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायानिर्णयन के लिये 6 अक्तूबर, 1969 को नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था ।

3. न्यायमूर्ति श्री वी० रामास्वामी, को, जो उस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और केरल तथा इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों के दो तत्कालीन न्यायाधीशों को अन्य दो सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद, फरवरी, 1972 में न्यायाधिकरण ने कुछ प्रारम्भिक कानूनी मुद्दों पर अपना फैसला दिया था । लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान ने इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, परन्तु उच्चतम न्यायालय में न्यायाधिकरण को दस्तावेजों के निरीक्षण और पता लगाने का काम शुरू करने की अनुमति दे दी। बाद में, जुलाई, 1972 में उक्त चारों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मन्त्री से विचार-विमर्श किया, जिसमें यह तय हुआ कि इस विवाद का समाधान तत्कालीन प्रधान मंत्री की सहायता से परस्पर-सहमति से कर लिया जाए। उन्होंने यह मान लिया कि तीन चौथाई वर्षों में नर्मदा में 28 मिलियन एकड़ फुट जल उपलब्ध है। यह भी स्वीकार कर लिया गया कि इस जल में से महाराष्ट्र और राजस्थान को अपने-अपने क्षेत्र में क्रमशः 0.25 और 0.5 मिलियन एकड़ फुट जल की आवश्यकता है। तत्कालीन प्रधान मंत्री से जल की शेष मात्रा का बंटवारा मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच करने और नवगांव बांध की समुचित ऊंचाई निर्धारित करने का अनुरोध किया गया। यह भी सहमति हुई कि चारों राज्यों के मुख्य मंत्री विद्युत-उत्पादन और उसके बंटवारे के प्रबन्धों को अन्तिम रूप देंगे,

4. चूंकि इन मामलों के बारे में इस करार के अनुसार फैसला नहीं किया जा सका, इसलिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों तथा गुजरात के राज्यपाल के सलाहकार की जुलाई, 1974 में एक बार फिर बैठक हुई और यह तह हुआ कि नवगांव बांध की ऊंचाई और नहर के स्तर तथा अन्य मामलों जैसे विद्युत-लाभों के बंटवारे आदि का फैसला न्यायाधिकरण द्वारा किया जाए। उनमें यह भी सहमति हुई कि राजस्थान तथा मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत मामले को वापस ले लें। इसके बाद न्यायाधिकरण ने अपना काम शुरू किया और इस बीच उसने उन मामलों की जांच की है जो उसे निर्दिष्ट किये गये थे ।

5. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट को अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं :—

(1) अनुमान लगाया गया है कि नर्मदा नदी के जल की उपयोग में आ सकने वाली वार्षिक मात्रा, जिसका भरोसा 100 में से 75 वर्षों में किया जा सकता है, 28 मिलियन एकड़ फुट है।

(2) उपयोग में आ सकने वाले 75 प्रतिशत निर्भर-योग्य 28 मिलियन एकड़ फुट जल में से मध्य प्रदेश को 18.25 मिलियन एकड़ फुट, गुजरात को 9 मिलियन एकड़ फुट, राजस्थान को 0.5 मिलियन एकड़ फुट और महाराष्ट्र को 0.25 मिलियन एकड़ फुट जल आबंटित किया गया है। पक्ष-राज्यों को अतिरिक्त जल वाले अथवा कमी वाले वर्षों में भी इसी अनुपात में हिस्सा मिलेगा।

(3) सरदार सरोवर से निकलने वाली नवगाम नहर का पूर्ण सप्लाई स्तर उसके शीर्ष पर +300 निर्धारित किया गया है। निर्धारित ढलानों के साथ, राजस्थान सीमा पर पहुंचने पर नहर का स्तर लगभग 131' होगा।

(4) गुजरात में नवगाम में सरदार सरोवर का पूर्ण जलाशय स्तर + 455' और अधिकतम जल स्तर + 460' निर्धारित किया गया है।

(5) सरदार सरोवर पर उत्पादित विद्युत-शक्ति में से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को क्रमशः 57 प्रतिशत और 27 प्रतिशत भाग आबंटित किया गया है। शेष 16 प्रतिशत विद्युत गुजरात को आबंटित की गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को सरदार सरोवर काम्पलेक्स के विद्युत भाग की आनुपातिक लागत में भी हिस्सा बंटाने का निदेश दिया गया है।

(6) मध्य प्रदेश को गुजरात और राजस्थान के जल के उपयुक्त हिस्से को विनियमित तरीके से रिलीज करने के विशिष्ट निर्देश दिये गये हैं। जल को इस प्रकार नियमित तरीके से रिलीज करने के लिये सरदार सरोवर परियोजना के लिये यह जरूरी है कि नर्मदा सागर बांध के यूनिट-एक को वास्तविक लागत के 17.63 प्रतिशत को नर्मदा सागर परियोजना को क्रेडिट किया जाये। इस बात को सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये कि पक्ष-राज्यों को उनका समुचित हिस्सा प्राप्त हो, जल के विनियमन और हिसाब-किताब रखने के नियम बनाने के लिए विस्तृत माग-दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं।

(7) सरदार सरोवर के लिये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा अभिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिये और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये विस्तृत निदेश दिये गये हैं।

(8) न्यायाधिकरण के फैसलों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये एक दो-स्तरीय मशीनरी की स्थापना करने का निदेश दिया गया है। यह मशीनरी इस प्रकार होगी :

(क) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जिसमें केन्द्र द्वारा नियुक्त तीन पुर्णकालिक इंजीनियर—सदस्य और पक्ष राज्यों में से प्रत्येक द्वारा नियुक्त एक-एक अर्थात् चार अंशकालिक इंजीनियर सदस्य होंगे।

(ख) एक उच्च शक्ति-प्राप्त पुनरीक्षण समिति जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य मंत्री शामिल होंगे। यह पुनरीक्षण समिति नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के किसी ऐसे फैसले का, जो इसे निर्दिष्ट किया जाए, पुनरीक्षण करेगी और इसका निर्णय अन्तिम और आबद्धकर होगा।

(9) इस पंचाट की तारीख के 45 वर्षों की अवधि के बाद किसी भी समय इस पंचाट का पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

6. भारत सरकार द्वारा न्यायाधिकरण की रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों के पास भेजी जा रही है।

7. अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम में यह उपबन्ध है कि यदि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का यह मत हो कि न्यायाधिकरण के निर्णय में शामिल किसी बात के लिये स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, या किसी ऐसी बात पर, जो न्यायाधिकरण को मूलतः निर्दिष्ट नहीं की गई थी, मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो उस मामले को फैसले की तारीख से तीन महीने तक की अवधि में न्यायाधिकरण के पास और आगे

विचार किये जाने के लिये दुबारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। न्यायाधिकरण तब अपनी अगली रिपोर्ट दे सकता है जिसमें वह ऐसा स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन दे सकता है जिसे वह उपयुक्त समझता हो और ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण का निर्णय तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।

8. अधिनियम में यह भी उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार न्यायाधिकरण के निर्णय को राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह निर्णय अन्तिम तथा विवाद के संबंधित पक्षों के लिए आवद्धकर होगा और इसे इनके द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।

9. चूंकि अब न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और फैसला दे दिया है, इसलिए इस नदी की विभिन्न परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है, जिनसे लगभग 5 मिलियन हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधायें प्राप्त होंगी। यह इलाका इस समय देश में सिंचाई के अन्तर्गत भूमि के लगभग 10 प्रतिशत के बराबर है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी और देश की पांचवीं सबसे बड़ी नदी है। अनुमान है कि पूर्ण विकास होने पर इस सिंचित क्षेत्र में कपास, गन्ने, सब्जियों, फलों आदि के उत्पादन में वृद्धि होने के अलावा 5 से 6 मिलियन टन अतिरिक्त अनाज का उत्पादन होगा; और इसके अलावा सधन खेती होने से लोगों को लाभकारी रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। अनुमान है कि नर्मदा कमान क्षेत्र में सिंचाई का पूर्ण विकास होने पर जो सकल अतिरिक्त उत्पादन होगा उसका मूल्य चालू कीमतों के स्तर के आधार पर लगभग 900 करोड़ रुपया वार्षिक होगा। इसके अतिरिक्त अन्तिम चरण में 100 प्रतिशत भार-अनुपात पर लगभग 450 मेगावाट जल-विद्युत का उत्पादन होगा और अनन्तिम अवधि में और भी अधिक उत्पादन होगा। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के और समूचे देश के लोगों में काफी खुशहाली आएगी।

अधिनियम में आगे इस बात की व्यवस्था भी की गई है कि न्यायाधिकरण के निर्णय को भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा यह निर्णय ही दोनों ही पक्षों के लिए मान्य होगा।

अब जब कि न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दे दिया है, अतः विभिन्न नदियों से सम्बद्ध परियोजनाओं को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब लगभग 10 प्रतिशत और भूमि पर सिंचाई करने की सुविधा उपलब्ध की जायेगी। उससे देश में समृद्धि लाने के लिए काफी सहायता मिलेगी। **(व्यवधान)** ······।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा नहीं की जा सकती······**(व्यवधान)****

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE
चाय बोर्ड के लिये सदस्यों की नियुक्ति

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KISHAN KUMAR GOYAL) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move.

"That in pursuance of sub-section (3)(f) of Section 4 of the Tea Act, 1953, read with rule 4(1)(b) of the Tea Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as Members of the Tea Board, subject to the other provisions of the said Act and the Rules, made thereunder."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय निगम, 1954 के नियम 4(1) (ख) के साथ पठित, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

Not recorded.

श्री पी० जी० मावलंकर : (गांधीनगर) : सरकार ने अचानक ही यह वक्तव्य प्रस्तुत कर दिया है। क्या आप हमें नियम 377 के अन्तर्गत चर्चा उठाने की अनुमति देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी भी नियम के अन्तर्गत इस पर चर्चा उठा सकते हैं। अब नियम 377 के अधीन मामलों को लिया जायेगा । श्री राघवजी····· (**व्यवधान**)**

श्री हुकम चन्द कछवाय : खड़े हुए ।

MR. DEPUTY SPEAKER : I am not partial. No Member will agree with you. No Shri Raghavji....

(*interruptions*)**

SHRI RAGHAVJI : Nobody else will go on record.

(*interruptions*)**

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) गाड़ियों में चोरी और लूट की घटनाओं का समाचार

SHRI RAGHAVJI (Vidisha) : The incidents of thefts and looting are increasing in the trains which leave Delhi for South India. Now recently the G.T. Express coming from South India was also collectively looted. A large number of passengers had to do away with their belongings.

The passengers have got the apprehension that Railway Staff is also in connivance with thives. An assurance was given in Lok Sabha that stern measures will be taken but despite this assurance, nothing has been done. I want that Railway administration should take immediate steps in this regard and Railway Minister may make a statement on the same.

(दो) उत्तर बंगाल के पटसन उत्पादकों में संकट का समाचार

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : भारत सरकार ने कच्चे पटसन का मूल्य 180 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। किन्तु उत्तर बंगाल में पटसन उत्पादकों को अब बहुत कम मल्य मिल रहा है। भारतीय पटसन निगम द्वारा विभिन्न बाजारों में कच्चा पटसन खरीदने की अनिच्छा व्यक्त करने से उत्तर बंगाल के पटसन उत्पादकों के लिये गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। अब जबकि उत्तर बंगाल का कच्चा पटसन बड़ी मात्रा में बाजारों में आ रहा है तो गत दो सप्ताहों के दौरान कच्चे पटसन के मूल्य में 60 रुपये प्रति क्विंटल गिरावट आ जाने से पटसन उत्पादकों में निराशा की भावना उत्पन्न हो गई है। अब कच्चा पटसन 130 रुपये से 160 रुपये के बीच प्रति क्विंटल बिक रहा है।

भारतीय पटसन निगम इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है। बिचौलियों का वित्त पोषण काले धन वालों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने समूचे उत्तर बंगाल में अपना जाल फैला रखा है और बहुत कम कीमत पर कच्चा पटसन खरीद रहे हैं। इस प्रकार पटसन उत्पादकों को समर्थन मूल्य से भी वंचित किया जा रहा है लाभप्रद मूल्य का तो कहना ही व्यर्थ है।

(तीन) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बासी दूध सप्लाई किये जाने का समाचार

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के मूल्य में वृद्धि होने से पूर्व स्टैंडर्ड दूध की प्रतिदिन की बिक्री 3.5 लाख लिटर थी और इससे प्रतिदिन 4.5 लाख रुपये की आमदनी होती थी। मूल्य बढ़ जाने के बाद इस दूध की बिक्री घट गई है जो कि अब केवल 2 लाख लिटर प्रति दिन रह गई है और अब 1 रुपया 80 पैसे प्रति लिटर के हिसाब से 3.6 लाख रुपये की आमदनी होती है। इस तरह बिक्री तथा आमदनी के लिहाज से बिक्री दुग्ध योजना को घाटा हो रहा है। कम बिक्री के कारण बासी दूध बेचा जा रहा है जो कि स्वाद में खट्टा है तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।
Not recorded.

(चार) पारादीप में इस्पात संयंत्र लगाने के प्रस्ताव का समाचार

श्री पी० वेंकट सुब्बैया (मद्रास दक्षिण) : विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये विशाखापत्तनम चुना गया था। इस बारे में प्रारम्भिक कार्य हो चुका था तथा इसे छठी योजना में सम्मिलित किया गया था। किन्तु समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार अब इस्पात मंत्रालय विशाखापत्तनम की बजाय इस संयंत्र की स्थापना पारादीप में करने का प्रयत्न कर रहा है और इसके लिये कुछ तकनीकी कारण बता रहे हैं। यदि ऐसा किया गया तो यह उस राज्य के लोगों के हितों के विरुद्ध होगा।

विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1978

APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1978

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1978–79 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वयालार रवि (चिरंचिकील) : राज्यों की वर्तमान आर्थिक स्वतन्त्रता के मामले में कुछ अधिक स्वायत्तता होनी चाहिये। राज्यों के लिये राजस्व एकत्रित करने की पद्धति, वर्तमान कानूनों और अधिनियमों तथा वर्तमान वित्तीय पद्धति से राज्यों के विकास कार्यकलापों पर प्रभाव पड़ता है। कई बार राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेना पड़ता है क्योंकि वे ऐसा करने के लिये बाध्य है।

[श्री राममूर्ति पीठासीन हुए
SHRI RAM MURTI *in the Chair*.]

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाते समय राज्यों से परामर्श नहीं किया गया। राज्य सरकारों के कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ इस मामले में समानता की मांग की है। इसीलिये राज्यों को यह मांग पूरी करने के लिये ओवर ड्राफ्ट लेने पड़े। इसके लिये स्थाई सूत्र निकाला जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा राज्य सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में आवश्यक रूप से समानता होनी चाहिये।

जब कभी भी कोई नई विकास योजना आरम्भ की जाती है जैसे केरल में टिटेनियम विस्तार परियोजना जिस पर 80 लाख रुपये की लागत आयेगी, तो राज्य सरकार को अपने राज्य क्षेत्र से संसाधन जुटाने के लिये कहा गया। केन्द्रीय सरकार ने कहा कि चूंकि अनवरत योजना के कारण योजना धन सीमित है, इसलिये उनके पास धन नहीं है। इससे कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है।

जब केन्द्रीय बिक्री कर संशोधन विधेयक पारित हुआ तो निर्यात की कुछ मदों के मामले में बिक्री कर एकत्र करने के लिये कतिपय आधार निर्धारित किया गया। काजू, समुद्री उत्पाद नारियल जटा आदि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत आये हैं, जिसके फलस्वरूप केरल सरकार को राजस्व में 23 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई। तत्कालीन वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार केरल सरकार की हानि को पूरा करेगी, परन्तु यह आश्वासन अभी तक भी पूरा नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि प्रत्येक राज्य सरकार एक नगरपालिका अथवा पंचायत बनकर रह गई है और आर्थिक दृष्टि से केन्द्र की दया पर निर्भर हो गई है हम इसका विरोध करते हैं। विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने कतिपय मांगें भी है। उन मांगों के गुण दोषों पर विचार किया जाना चाहिये।

वित्तीय मामलों में केन्द्र राज्य सम्बन्धों के समूचे सिद्धान्त में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वे आर्थिक तथा राजनैतिक प्रणाली सम्बन्धी संगत तथ्यों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। मैं मानता हूं कि आर्थिक अनुशासन होना चाहिये, लेकिन जहां तक राज्यों की विकास शील गतिविधियों तथा अन्य समस्याओं का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री को इस बारे में कठोरता नहीं बरतनी चाहिये, और राज्यों की आवश्यकताओं को नहीं भूलना चाहिये। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक का आवश्यक अनुदेश दिये जाने चाहिये।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) समझ में नहीं आता कि प्रधान मंत्री तथा जनता सरकार तथा केन्द्र के हितों सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर राज्यों के साथ बातचीत करने में संकोचशील क्यों है। आखिर दोनों के हित समान हैं। और जब जनता पार्टी विकेन्द्रीयकरण में विश्वास करती है, तो फिर यह आवश्यक हो जाता है कि वह केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में समुचित ढंग से बातचीत करे।

स्वदेशी काटन मिल्स लि० कानपुर को चलाने के लिये राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० को ऋण देने के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। कि सरकार कानपुर की केवल कुछ मिलों को ही क्यों लेना चाहती है। देश में कई और भी रूग्ण मिले हैं। सरकार की बरसों से चली आ रही रुग्ण मिलों को अपने अधिकार में लेने के लिये कुछ उपाय निकालने चाहिये। मैं यह महसूस करता हूं कि लक्ष्मी काटन मिल्स अहमदाबाद, काडी, कलाल, भावनगर तथा महुवा, प्रिय लक्ष्मी मिल्स बड़ौदा, शुभ लक्ष्मी मिल्स काम्बी पर भी ध्यान देना चाहिये। यदि उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार लेती है, तो केन्द्र सरकार को उन रुग्ण मिलों को चलाने के लिये राज्य को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये।

मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रियों को निदेश दिया जाये कि वे सरकारी परिवहन को सप्ताह में कम से कम एक बार प्रयोग अवश्य करें तभी उन्हें पता चलेगा कि दिल्ली में उन लोगों को परिवहन की कितनी कठिनाई होती है, जिनके पास परिवहन का अपना कोई साधन नहीं है। सरकार को दिल्ली परिवहन के विकास पर पर्याप्त धन व्यय करना चाहिये।

देश के सभी महानगरों तथा महत्वपूर्ण नगरों को, जहां टेलीफोन है, एक एकक समझा जाना चाहिये और इर्द-गिर्द के क्षेत्र को मुख्य नगर से बाहर का क्षेत्र नहीं समझा जाना चाहिये। वर्तमान व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अहमदाबाद जैसे नगर के आसपास के क्षेत्र को टेलीफोन की सुविधा से वंचित रखा गया है। अहमदाबाद के पास बाधवा में सभी टेलीफोनों के लिये एस० टी० ओ० का उपयोग करना पड़ता है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

भूटान, को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि और नेपाल को अतिरिक्त सहायता दिये जाने का स्वागत है। बड़े भाई का रोब-दाब समाप्त कर इन पड़ौसी देशों को आर्थिक, और तकनीकी जानकारी तथा निर्यात के रूप में सहायता दी जाये।

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के लिये कुछ रुपया दिया गया है। यह अच्छा है परन्तु ये केन्द्र कहीं नौकरशाही की एक और श्रंखला न बन जायें। लघु उद्योगों के विकास के लिये इन केन्द्रों का भली प्रकार गटन किया जाये तथा उन्हें पर्याप्त धन और सहायता समय पर मिले।

प्रैस आयोग के लिये 10 लाख रुपये रखे गये हैं। मैं चाहता हूं कि आयोग समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता के विभिन्न पहलुओं पर विचार करे विशेष कर आपातकाल में जो कुछ हुआ उसे ध्यान में रख कर। संसदीय लोकतन्त्र के लिये यह अपरिहार्य है।

SHRI R. L. P. VERMA (Koderma) : Sir, I rise to support this appropriation Bill. I simply want to draw the attention of the Government to the fact that the employees of the Nationalised Banks are often seen sitting idle. The financing in these Banks is very poor. My submission is that due attention should be given to the claints in these Banks and all sort of facilities should be given to uneducated villagers who visit Bank. Vocational guidance should also be provided through Banks. The complaints should be promptly attended.

I feel that this tendency is found every where and more so in the Bank of India. The organisations are not being run efficiently. The schemes to eliminate unemployed and poverty are of no avail. Otherwise the country would have developed much faster. Rs. 500 crores are deposited in Bihar but only Rs. 300 crores are spent for Bihar and rest of the amount is sent to Maharashtra or Andhra Pradesh etc.

Many parts of Bihar are among the most backward area of the country. In many areas people have not seen the railway trains. There is urgent need to provide railway facilities from Giridih to Kodarma, Kodarma to Hazaribagh and from Hazaribagh to Ranchi. The residents of the area have been demanding these facilities for the last 20 years. But on the pretext of financial difficulties their demands are not met.

श्री एच० एम० पटेल : जमा राशि से अधिक राशि निकालने और अनुशासन का प्रश्न उठाया गया है यह कहा गया है कि जब केन्द्र में स्वयं अनुशासन नहीं है तब उसे राज्यों पर अनुशासन नहीं लादना चाहिये। इन मामलों में अनुशासन का पालन करना केन्द्र और राज्य दोनों के लिये आवश्यक है । जमा राशि से अधिक रुपया निकालने की सुविधा को विनियमित किया जाये तथा उसका पालन किया जाये। हमने इस सुविधा को समाप्त नहीं किया है। लेकिन एक सीमा तक राज्यों को अनुमति है कि वह अधिक रुपया निकाल सकें। इस बारे में राज्यों को पर्याप्त समय दिया गया था जिससे अन्तिम कार्यवाही न करनी पड़े। इस बात का भय नहीं होना चाहिये कि जमा राशि से अधिक रुपया निकालने पर अनुशासन से उन्हें कठिनाइयां आयेंगी। वास्तव में अधिक रुपया निकालना तो बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1978–79 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2, 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़े गये।

***Clauses** 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.*

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये।

***Clause** 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि विधेयक पास किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तट रक्षक विधेयक

COAST GAURD BILL

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के सामुद्रिक क्षेत्रों में सामुद्रिक और अन्य राष्ट्रीय हितों के संरक्षण की दृष्टि से ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित बातों के लिये संघ के सशस्त्र बल के गठन तथा उसके विनियमन का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।'"

दो दशाब्दि पूर्व विश्व के समुद्र समूची मानव जाति की संपत्ति माने जाते थे और उन पर किसी देश का नियन्त्रण न था। लेकिन आज बहुत तकनीकी विकास हो चुका है। जिस कारण समुद्र तल की सम्पदा का उपभोग किया जा सकता है।

हमारे देश का समुद्रतट 6083 कि० मी० है। हमारे विशिष्ट आर्थिक जोन में लगभग 19 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। जो देश की समस्त भूमि का आधा भाग है। हमारे समुद्र के आस-पास के क्षेत्र में

नौवहन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समूचे समुद्री क्षेत्र पर पुलिस की गश्त कराना एक विशाल है। इसलिये एक तटरक्षक संगठन की स्थापना की आवश्यकता को सरकार लम्बे समय से अनुभव कर रही थी।

पर्याप्त चर्चा के बाद नौसेना के 2 फ्रिगेडों और गृह मंत्रालय की 5 गश्ती नौकाओं वाला एक आन्तरिक तट-रक्षक बल फरवरी, 1977 में नौसेना मुख्यालय के अधीन गठित किया गया। इसके साथ ही एक स्थाई तट-रक्षक संगठन बनाने के लिये विस्तृत योजना बनाने हेतु एक वाइस एडमिरल की विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई। उसके द्वारा प्रस्तुत योजना पर सरकार ने विचार किया जिस कार्य पर इस बल को लगाया जाना है उस पर विचार करने के बाद यह अनुभव किया गया कि एक पृथक सशस्त्र तटरक्षक बल की स्थापना एक महानिदेशक के अंतर्गत की जाए तथा इसका विनियमन एक अपने आप में पूर्ण विधान के अनुसार किया जाए।

विधेयक में तटरक्षक को सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के समान एक सशस्त्र सेना बनाने की व्यवस्था है। इसके उपबन्ध सीमा सुरक्षा बल अधिनियम ,1968 और नौसेना अधिनियम, 1957 के अनुरूप हैं।

तट रक्षकों काम क्योंकि हमारे समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय विधानों को लागू करना है, विधेयक में यह उपबन्ध किया गया जिनके अनुसार तट रक्षक अधिकारियों को केन्द्रीय विधेयकों अधिनियमों को करने का अधिकार कुछ सीमा तक दिया गया है।

भारत के समूचे तट और समुद्री क्षेत्र को तीन क्षेत्रों पश्चिमी, पूर्वी और अन्दमान और निकोबार में बांटा गया है। जिनके क्षेत्रीय मुख्यालय क्रमशः बम्बई, मद्रास और पोर्ट ब्लेयर में हैं। इन तीन क्षेत्रों को आगे और 10 तट रक्षक जिलों में बांटा जाएगा जिनके अन्तर्गत 8 समुद्री राज्य तथा अन्दमान और निकोबार में एक-एक द्वीप समूह होगा। इन प्रत्येक जिलों में तट रक्षक केन्द्रों की स्थापना की जाएगी जहां से वे तट-रक्षक जहाजों और कर्मचारियों का प्रशासन चलाएंगे।

तटरक्षकों और तटकर विभाग के दोहरे कार्य से बचने के लिये दोनों विभागों द्वारा काम में लाये जाने वाली अत्याधुनिक नौकाओं का रखरखाव करने की जिम्मेदारी तट रक्षक की होगी। तटकर संबंधी नए केन्द्रों की स्थापना को तट-रक्षक संगठन से सम्बद्ध किया जाएगा। तस्कर विरोधी कार्य के लिये काम में लाए जाने वाले जहाजों का कार्य संचालन तटकर निरोधी विभाग के अधिकार में है।

तटरक्षक संगठन के लिये कर्मचारी प्रारम्भ में नौसेना से लिये जाएंगे। इनकी सेवा नौसेना अधिनियम के अनुसार ही चलेगी और उन पर नौसेना अधिनियम के अनुसार ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तटरक्षकों को अपना कर्तव्य पूरी तरह से पालन करने के लिये उन्हें आवश्यक एवं अपेक्षित साज-समान उपलब्ध करना चाहिए ताकि वे लगभग 200 मील लम्बे तट की रक्षा कर सकें। पहली अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक अर्थात् छटी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस कार्य के लिये लगभग 144 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है जिसमें 88.6 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय जो पोत-विमानों आदि के खरीदने के लिये रखी गई है, शामिल है। संसाधनों की कमी की स्थिति को देखते हुए तटरक्षकों के लिये 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के आधार पर 1978–84 की अवधि के लिये योजना बनाई जा रही है। इस में उनके लिए एक बेड़े पर होने वाला व्यय भी शामिल है।

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक का सभी पक्ष समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के सामुद्रिक क्षेत्रों में सामुद्रिक और अन्य राष्ट्रीय हितों के संरक्षण की दृष्टि से ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित बातों के लिये संघ के सशस्त्रबल के गठन तथा उसके विनियमन का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाए"।

श्री मनोरन्जन भक्त (अन्दमान निकोबार द्वीपसमूह) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसका उद्देश्य हमारे समुद्रीय जल क्षेत्र में नौवहन के लिये सुरक्षा सुनिश्चित करना, तटदूर उपकरणों की रक्षा, मछली पकड़ने

को सुरक्षित करना है। इससे तस्करी रोकने में कस्टम विभाग की सहायता करना और देश के अन्य कानूनों को लागू करना सुनिश्चित हो सकेगा।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक को लाने से पहले तट के निकट के राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और अन्डमान निकोबार द्वीपसमूह से मश्विरा किया गया है। यह इसलिये है क्योंकि कानूनों को लागू करने में राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है।

हमारे समुद्री क्षेत्र में अनेकों बार विदेशी नौकाएं आती हैं। उनमें से कुछ हमारे लिये हानिकारक भी हो सकती हैं। तटरक्षक संगठन को उसे रोकना होगा।

खण्ड 13 के अनुसार यह विधेयक ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर रोक लगाता है। यह इस मामले में नौसेना अधिनियम और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के अनुसार है। देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाना उचित नहीं है। जनता पार्टी सरकार दावा करती है कि इसने सभी अधिकार बहाल कर दिये हैं। यूनियन बनाने का अधिकार मिलना चाहिए।

मछेरों की रक्षा करना भी इन रक्षकों का कर्तव्य होगा। यदि उनको सही रूप से सहायता मिलती है तो वह बहुत अच्छी बात होगी। बगावत करने वालों को फांसी का दण्ड देने का उपबन्ध किया गया है। इसे मैं ठीक नहीं समझता क्योंकि हम मृत्यु दण्ड का विरोध करते हैं। मैं चाहता हूं कि इतने कठोर दण्ड का उपबन्ध न किया जाए। हां कारावास के वर्षों को 15 से 20 वर्ष तक किया जा सकता है।

यदि इस विधेयक के उपबन्धों को ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जाए तो तस्करी को काफी हद तक रोकने में सहायता मिलेगी। इस संगठन में बड़े बड़े बहुत अधिक पदों की व्यवस्था की जा रही है। इससे खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। ऐसी बातों पर विचार करने और त्रुटियों की दूर करने की दृष्टि से ही मैंने सुझाव दिया है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं विधेयक के कुछ भागों का समर्थन करती हूं और कुछ अन्य भागों को मैं ठीक नहीं समझती।

तट की रक्षा बहुत आवश्यक है। हमें तस्करी को रोकना है। इसमें बहुत वृद्धि हो गई है। तस्करी को रोकने के लिये की जाने वाली कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। इस अर्ध सैनिक संगठन की स्थापना बहुत आवश्यक है। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाई कि इसे नौसेना से संबंधित कानून के आधार क्यों बनाया जा रहा है? इसमें व्यवस्था की जा रही है कि बगावत होने की स्थिति में मृत्यु दण्ड दिया जाएगा। मृत्यु दण्ड के समाप्त किये जाने के लिये हमने संघर्ष किया है। अतः आप इसके स्थान पर आजीवन कारावास का दण्ड निर्धारित कर सकते हैं। यहां इस देश में एक बड़ी मांग है कि हमें मृत्यु दण्ड के कानून को समाप्त कर देना चाहिए।

समुद्रतट पर काम करने वाले मछेरे मशीन चालित मछली पकड़ने की नौकाओं का विरोध कर रहे हैं। परम्परागत देशी नौका चलाने वाले मछेरों का सारे देश में, अर्थात् तमिल नाडु, केरल, गोआ, महाराष्ट्र आदि में अपना रोजगार समाप्त होने का खतरा है। उन्होंने एक होकर यह मांग की है कि 20 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो उनके लिये ही सुरक्षित रहे। समुद्री अधिकारों की रक्षा करने और तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु तट रक्षक विधेयक की पुरःस्थापित करते समय मंत्री महोदय ने यह अधिकार मछेरों को क्यों नहीं दिया। ताकि उन्हें उनकी मशीनीकृत मछली पकड़ने की नौकाओं से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तट रक्षकों को मशीन चालित मछली पकड़ने की नौकाओं से मछेरों की रक्षा करनी चाहिए। यह अर्द्ध सैनिक संगठन है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समुद्र तट का कुछ भाग परम्परागत मछेरों के लिये ही सुरक्षित रखा जाए और उस क्षेत्र में मशीन चालित मछली पकड़ने की नौकाएं नहीं जाने दी जाएं।

सीमाशुल्क समुद्र संगठन के कर्मचारी बहुत दुःखी हैं क्योंकि उन्हें तटरक्षक बनाया जा रहा है। उन्हें अपनी सेवा शर्तों की बहुत चिंता है क्योंकि उन्हें तट रक्षक संवर्ग में सम्मिलित किया जा रहा है। यदि उनके हितों का हननहुआ तो बहुत अनुचित बात होगी। क्योंकि इसमें अधिकांश लोग भूतपूर्व सैनिक हैं इसलिये संभवतः वे इस अर्ध सैनिक संगठन में उपयुक्त रहेंग। उनके वेतन, भत्ते और उनकी पदोन्नति के अवसरों की रक्षा की जानी

चाहिए अत: यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। इससे तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करने में किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं होगा, क्योंकि सीमाशुल्क समुद्री संगठन तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है।

श्री बापूसाहेब पुरुलेकर (रत्नगिरी) : यह विधेयक समर्थन किये जाने योग्य है लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि विधेयक को तैयार करते समय दण्डिक मामलों की पूरी तरह अवहेलना की गई है। इस विधेयक के द्वारा सरकार सामान्य न्यायालयी में के क्षेत्राधिकारों को अपने हाथों में ले लिया है। इस प्रकार यह सरकार भी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। ऐसा तटरक्षक विधेयक में न्यायालों की व्यवस्था करके किया जा रहा है।

[**श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुई**
SHRIMATI PARVATI KRISHANAN *in the Chair*]

इस विधेयक के अन्तर्गत 6 मास से लेकर मृत्यु दण्ड तक की व्यवस्था की गई है। ऐसे अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार तटरक्षक न्यायालयों को दिया गया है जिनकी स्थापना खण्ड 64 और 65 के अन्तर्गत की जायेगी।

किसी भी देश के कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बिना निर्णय दिये किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड दिया जा सके। गोली मारकर मृत्यु दण्ड दिये जाने की बजाए उसको फांसी द्वारा मारना वैहशियाना है।

इसके अतिरिक्त मृत्यु दण्ड की अपील भी नहीं की जा सकती। केवल समीक्षा किये जाने का ही उपबन्ध है और वह समीक्षा भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विधि अधिकारी द्वारा की जायेगी। वहां भी अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं है।

SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR (Bombay North-Central) : The coast guards are working since 1977, but we have not received any report about their work. We should know about their various duties. I think this para-military force would be assigned the work of stopping smuggling.

The fishing trawlers of big companies harass small fishermen. They violate the rules of fishing and enter zones prohibited for them. There have been many murders in Bombay and Madras on this question. I want on assurance from the hon. Minister that action would be taken against offenders.

The punishment for minor offences on the part of coast guards should not be very hard. I know of cases in which boys of 22 years age were charged with mutiny on very frivolous grounds and put behind the bars for long time. The period of imprisonment should be reduced.

It would have been better of this Bill had been referred to select committee. It is understood that they want to inaugurate its building on the 19th. It is due to this that this Bill is being passed in such a hurry.

The employees are being deprived he right to form union. This will harm the interests of the employees. How would the employees express their grievances. I request the hon. Minister to consider these points.

श्री अमृत कासर (पणजी) : विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो यह बताते हैं कि यह संगठन पूर्णत: अर्द्धसैनिक संगठन नहीं है। यह आंशिक रूप से असैनिक है। जैसे खण्ड 14 फिशमैन को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में है। यह उपबन्ध शायद इसलिये रखा गया है क्योंकि इस बारे में मछेरों का देश में बहुत दबाव था। हांलाकि यह एक अच्छी बात है परन्तु मैं समझता हूं कि सरकार उनको बेवकूफ बना रही है। इस बात का विधेयक में उल्लेख नहीं है कि यह कैसे सहायक होगा। यह विधेयक देश की समुद्रीय सीमा से संबंधित है जो कि 200 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र की है। पुराने मछेरे इससे आगे नहीं जाते।

खण्ड 14 में "समुद्रीय जोन" के बाद 'एण्ड फिशिंग जोन' शब्द अन्त:स्थापित किये जाएं।

विधेयक में उल्लिखित अपराधों में बड़े ट्रालर मालिकों के अपराधों को शामिल नहीं किया गया है। अत: मेरा सुझाव है कि इसमें 'छोटी नाव शब्द" भी रखे जायें।

यूनियन एजेन्सियों को केवल ध्यान में रखा जा रहा है। यदि सरकार मछेरों को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है तो इसमें राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाये।

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये ताकि इसके उपबन्धों पर ब्योरेवार विचार किया जा सके।

श्री विनोद भाई बी० शेठ (जामनगर) : मैं इस मत से सहमत हूं कि समुद्रीय जोन को तटीय रक्षकों को छोटे मछेरों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां मछली पकड़ने के काम में आ रही हैं। तस्करी विरोधी कार्यवाही भी इन रक्षकों की ड्यूटी है। तटकर अधिकारी इसी प्रकार का काम करते हैं। अतः इन दोनों के कामों का सीमांकन होना चाहिए। इसमें कोई परस्पर संघर्ष नहीं होना चाहिए। इस में समन्वय होना चाहिए। ट्रालर चलाने को पूर्णतः बन्द कर दिया जाना चाहिए। इसको निर्धारित जोन के बाहर चलना चाहिए। तटीय रक्षकों अन्य देशों की जासूसी की गतिविधियों से विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए।

इस देश में 'फ्लाई बाई नाईट' जहाज है जो हमारे देश का व्यापार ले जाते हैं। इससे भारतीय जहाजों को बहुत हानि होती है।

केन्द्रीय सरकार को शक्तियां देने की बात ठीक है, परन्तु समझ नहीं आता कि राज्य सरकारों के सहयोग को क्यों नहीं लिया जाता।

अभियोग से पहले अपराधियों को बचाव का अवसर दिया जाना चाहिए। विधेयक के खण्ड 62(2) में कहा गया है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। ....." इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को पहले बचाव का अवसर दिये बिना गिरफ्तार नहीं करना चाहिए।

छोटे अधिकारियों को अपराधियों को पकड़ने के लिये पर्याप्त सुविधाए, साज सामान तथा तीव्र गति वाली नावें देनी चाहिएं। ऐसी आशा है कि तटरक्षक सतर्क रहेंगे और तट की रक्षा करेंगे।

***डा० पी० वी० पेरियासामी** (कृष्णगिरी) : देश की 4000 मील तट सीमा की रक्षा संबंधी विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिए था, इसका स्वागत है। यह न केवल हमारी प्रभुसत्ता रक्षा के लिये है बल्कि हमारे मछेरों के हितों की रक्षा के लिये है। यह सीमा सुरक्षा दल, जो हमारे देश की सीमा की रक्षा करता है, की तरह है।

पूरी तट सीमा, विशेषतः पश्चिमी सीमा तस्करों के लिये स्वर्ग है इनकी गतिविधियां देश के हितों को हानि पहुंचा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार हमने अपने समुद्री क्षेत्र को बढ़ाया है। इससे हम देश के कल्याण हेतु समुद्र के नीचे के उत्पादों का लाभ उठा सकेंगे।

प्रभावी तट रक्षा संगठन के न होने के कारण से पहले गंभीर परिणाम रहे हैं। वास्तव में अब भी हमारे देश की बिना निगरानी वाली समुद्री सीमा अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों तथा समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों का अड्डा है।

मछली पकड़ना हमारे तीन करोड़ मछेरों का धन्धा है। और वे लोग देश की 75 प्रतिशत मांग पूरी करते हैं। जैसे सरकार ने अनेक विदेशी बड़ी कम्पनियों को लाइसेंस दिया है बिचारे मछेरे उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। बड़ी कम्पनी वाले इनको अपनी आजीविका से वंचित कर रहे हैं। इसलिये हमारे देश के मछेरे भुखमरी की स्थिति में पहुंच रहे हैं।

यदि तट रक्षकों को वस्तुतः मछेरों की रक्षा करनी है तो उनके पास चलते-फिरते संचार उपकरण और तीव्र गति वाले परिवहन साधन होने चाहिए। तभी मछेरों की रक्षा हो सकती है। तट रक्षक संगठन को यह भी देखना होगा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक काम न करें। यह संगठन नौसेना का एक भाग नहीं होना चाहिए। यह तो तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों, मशीनी नावों सहित एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिए। लम्बी तटीय सीमा वाले राज्यों और इस संगठन के बीच प्रभावी समन्वय की बहुत आवश्यकता है। ऐसी आशा है कि यह संगठन हमारे लाखों मछेरों की आजीविका सुरक्षित बनायेगा।

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

Summarized translated version of English Translation of speech delivered in Tamil.

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK (Khajuraho) : I whole heartedly support the Bill presently by the Defence Minister to provide for the security of our coastal line. This Bill should be given serious thought and dispassionate consideration before it is enacted into law. For this purpose, it must be referred to a Select Committee. Clause 13 of the Bill seeks to impose restrictions in regard to right to form association, freedom of speech, etc. But the trade union should be kept out of the purview of this clause. Clause 14 mentions the duties and functions of Coast Guards. But these Coast Guards should have latest equipments and instruments so that they can render all necessary assistance to fishermen in times of distress.

The Coast Guards should be entrusted with the responsibility of protecting our coast lines. Provision should be made for the compulsory insurance of coast guards and fishermen. The Coast Guards must also protect the interests of fishermen facing competition from big companies engaged in deep sea fishing.

The clause regarding death penalty should be deleted.

श्री वायलर रवि (चिरचिंकील) : इस विधेयक का स्वागत है, इसमें देश का बहुत बड़ा हित है। यह सीमा सुरक्षा बल की तरह ही है। इस विधेयक का एक काम यह भी है कि मछेरों की रक्षा की व्यवस्था करे। मेरा निवेदन है कि इसको इस तरह बना दिया जाए कि समुद्री उत्पाद उद्योगों को भी इससे लाभ पहुंच सके। पुश्तैनी मछेरों का दूसरे ट्रालर्ज लोगों में टकराव है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। खण्ड लाभदायक 32 के अन्तर्गत 'गलत आरोपों' से निपटने का उपबन्ध किया गया है। तट रक्षकों की दृष्टि से यह उपबन्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। परन्तु सारी प्रणाली गलत होने के कारण इसका कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकल सकता। इसमें उचित संशोधन किया जाना चाहिए। विचार यह है कि मत्युदण्ड को समाप्त कर दिया जाए। अब प्रश्न यह है कि मृत्यु दंड देने वाली दो प्रधिकारों का बनाया जाना उचित है? यहां तो तट रक्षक अदालत को यह अधिकार देना होगा। क्या इस तरह की दोहरी प्राधिकार का बनाया जाना उचित होगा?

खंड 66(2) के अन्तर्गत तट रक्षक अदालत को भंग करने का उपबन्ध किया गया है। ऐसा न हो कि साधारण से आधार पर ही इसे भठग न कर दिया जाए। इस तरह से उसका दुरुपयोग होगा। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए।

SHRIMATI CHANDRAVATI : These Coast Guards will also endeavour to curb the Defence Minister deserve congratulations for bringing forth a Bill which seeks to create a force of Coast Guards to safeguard our coast line.

(इस समय दर्शक दीर्घा से कुछ गड़बड़ हुई।)

(At this stage, there was a disturbance from the Visitor's Gallery.)

SHRIMATI CHANDRAVATI : These Coast Guards will also endeavour to curb the smuggling operations. So, they should have the same status as the Border Security Force.

We have been hearing that smuggling is on the increase. Government should take stringent steps against them. Their properties should be confiscated as they have been built up by unfair means.

विधान मंडल या निर्वाचित निकाय का सदस्य बनाने के लिए कतिपय अनहर्ताएं लगाने हेतु कानून बनाने के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING ENACTMENT OF LAW IMPOSING CERTAIN DISQUALIFICATIONS FOR BECOMING MEMBER OF LEGISLATIVE OR ELECTIVE BODY

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि ऐसे व्यक्ति को जिसे--

(क) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त किसी आयोग द्वारा गत दस वर्षों में किसी अपराध अथवा अपनी सत्ता या हैसियत या शासन-तंत्र के दुरुपयोग का दोषी समझा गया हो या पाया गया हो; अथवा

(ख) किसी सक्षम न्यायालय अथवा ऐसे आयोग ने पाया हो कि उसने अपने लिये अथवा अपने किसी संबंधी के लिये गत् दस वर्षों में किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ उठाया है;

संसद के किसी सदन अथवा राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् अथवा किसी अन्य निर्वाचित निकाय अथवा सार्वजनिक पद के लिये चुने जाने अथवा सदस्य होने से दस वर्ष की अवधि के लिये अनर्ह करने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाये अथवा उपयुक्त कानून बनाया जाये।"

यह प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप के लिये नहीं है। इस प्रस्ताव का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक जीवन को स्वच्छ रखना है क्योंकि राजनीतिक जीवन का स्तर बिल्कुल गिर गया है। यदि संसदीय लोकतंत्र के द्वारा लोगों का न्यूनतम भी कल्याण करना है तो फिर जन-जीवन को स्वच्छ बनाने की नितांत आवश्यकता है। कांग्रेसी शासन तीस वर्षों में जन जीवन में सुधार नहीं कर पाया। इसके विपरीत कांग्रेस शासन के दौरान नैतिक स्तर का लगातार पतन होता रहा। यह सही है कि जब तक हम पूरे दिल से नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को विशेषकर कमजोर वर्गों को न्याय नहीं दे पाएंगे।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में आयोगों की स्थापना करने के विचार से ही घृणा की थी। वह केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ऐसा करना चाहती थी। यद्यपि महालेखा परीक्षक के विशेष लेखा परीक्षक प्रतिवेदन में हरियाणा में करोड़ों रुपये के दुर्विनियोग तथा कदाचार के गंभीर आरोप बताए गए किन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बंसी लाल के विरुद्ध कुछ नहीं किया और वह तथा उनकी चंडाल चौकड़ी उसके अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र देते रहे।

सन्थनम् समिति की सिफारिशों के आधार पर सतर्कता आयोग की स्थापना की गई और लोकपाल का विचार सामने आया। किन्तु सब कुछ कार्यवाहियां करने के बावजूद, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया। शक्ति का दुरुपयोग किया गया। हमें भ्रष्टाचार की जड़ को ही समाप्त करना है। और जब तक भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट लोगों को दूर करने के लिये कोशिश नहीं की जायेगी तब तक हम इस दिशा में शुरूआत भी नहीं कर सकते।

मैं यह नहीं कहता कि इस विधान से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। किन्तु असिमित भ्रष्टाचार को रोकने तथा शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिये यह एक प्रयास है।

1971 से अपने स्वार्थों के लिये भ्रष्टाचार, कदाचार तथा शक्ति का दुरुपयोग अपनी चरणसीमा पर पहुंच गया है। विशेषकर केन्द्र में श्रीमति इन्दिरा गांधी के शासन के दौरान ऐसा हुआ। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक भी जांच आयोग नही बिठाया गया।

दूसरे देशों में राजनीतिज्ञों को भ्रष्टाचार के आरोप में जनजीवन से अलग करने का उपबन्ध है। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट पाया जाता है और उसके अपने निकट संबंधी या मित्र अपना स्वार्थ पूरा करते हैं तो उसे काफी समय के लिये राजनीति से अलग कर दिया जाना चाहिए। श्रीलंका में विशेष राट्रपतीय जांच विधि आयोग हैं। हमारे अपने देश में भी जम्मू तथा कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अधिनियम 1967 है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल में बड़े-बड़े नेताओं तथा उद्योगपतियों ने सांठगांठ करके लूट मचा दी थी। 1969 और 1971 से, विशेषकर जून, 1975 से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऐसे भ्रष्ट कार्य किये जो कि देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जायेंगे। भारत की समृद्ध परम्पराओं को समाप्त कर दिया गया था। प्राचीन भारत के मानव वाद को बुरी तरह समाप्त कर दिया गया था। मारुति कांड, नागरवाला कांड, पांडेचेरी तुलमोहन राम लाइसेंस काड, डंकन ब्रदर्स, रामगौयंका कांड, पोस्टर कांड, तथा जीप लेने सम्बन्धी कांड जैसे कई कांड उनके प्रधान मंत्रीत्व काल में हुए। इनके अलावा कई गैर बातें भी हुई। चिथड़ो के नाम पर ऊनी कपड़ों के अवैध आयात से देश को 150 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दो कम्पनियों को सीमा शुल्क से छूट दे दी। और उनसे 232 करोड़ रुपये स्वीकार किये। इसके अलावा चीनी पर से आंशिक नियंत्रण हटाया गया। इसके अतिरिक्त मारुति रोड रोलर कांड, पोलिमिक्स कांड बोईंग एयर बस कांड, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कांड तथा इन्दिरा अन्तर्राष्ट्रीय कांड भी हुए।

शाह आयोग ने अपने प्रतिवेदनों में भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा अपने पद तथा शक्तियों के दुरुपयोग का उल्लेख किया है। । जगमोहन रेड्डी आयोग तथा ग्रोवर आयोग ने भी अपने प्रतिवेदनों में यह बात प्रकट की है कि किस तरह शक्ति का दुरुपयोग किया गया।

किसी भी सक्षम न्यायालय या आयोग द्वारा यदि किसी व्यक्ति को शक्ति का या अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया जाता है तो सरकारी तन्त्र द्वारा उसे काफी समय के लिए सरकारी पद से संचित किया जाना चाहिए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का समुचित संशोधन किया जाना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो तो उसे विधान मण्डल का सदस्य बनाने या किसी निर्वाचित निकाय में कोई पद देने से 10 वर्षों के लिए वंचित रखनें हेतु कानून बनाया जाना चाहिए। हमारे पड़ौसी देशों में भी लगभग इसी तरह की स्थिति रही है। श्रीलंका में भी इसी तरह का आयोग स्थापित हुआ था। अन्तर यह था कि हमारे यहां के आयोग को सजा देने की शक्तियां नहीं थी, जबकि वहां यह थी। जैसे मैंने इससे पूर्व भी कहा है कि गड़बड़ियाँ तो 1971 से ही आरम्भ हो गई थी, जबकि श्रीमती इन्द्रा गांधी का ग्रुप पूरी तरह सत्ता पर काबिज हो गया था। इसके काल में खूब मनमानियां की गईं। 1969 में हुई और 1971 में हुई जून 1975 के बाद उनकी खूब वृद्धि हुई। अंतोगत्वा देश के लोगों ने उसे सत्ता से हटा दिया। उसने तो मानवता और भारत की शानदार परम्पराओं को पैर तले रौंद डाला। मारुति घोटाला, नागरवाला घोटाला, और तुलमोहन राम के मामले ऐसे रहे हैं, जिन्हें आप भ्रष्टाचार के मामलों के उदाहरण कह सकते हैं।

श्री वसन्त साठे : मेरा निवेदन है कि प्रस्तावक महोदय यह व्यक्त करना चाहते हैं कि किसी उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा किसी अभियोग में दोषी ठहराये गये व्यक्ति को 10 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाय। इस तरह कोई भी साधारण अभियोग "किसी अभियोग" की परिभाषा के अन्तर्गत आ जायेगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु : शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सी बातें कही हैं। सभी तरह की घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया है। जगनमोहन रेड्डी आयोग के प्रतिवेदन में बहुत पर्देफाश किये गये हैं। बहुत से मामलों में दस्तावेजी सबूत दिये हैं। काले धन के भी बहुत से प्रमाण हैं। 1978 में एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि 1.5 लाख की राशि ऐसी थी जिसे नेशनल हैरल्ड के हिसाब में जोड़ा ही नहीं गया था। 82,77,476 रुपये 1970-71 से लेकर 1976-77 तक वसूल किये गये। कोई रसीद इत्यादि नहीं दी गई। आप कल्पना कीजिए कि इस तरह 82,77,476 रुपये की काली राशि, उस अखबार को मिल गई जिसकी श्रीमती इन्दिरा गांधी मालिक है। इसी तरह से धन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए एकत्रित किया गया। समारिकाओं के नाम पर लूट मचाई गई। एक सज्जन श्री के० एल० वट की सेवाएं इस मामले में ली गई उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोष से एक करोड़ रुपये की राशि अदा की गई। इसी तरह के सरकारी मशीनरी के प्रयोग के अनेकों उदाहरण हैं जो विभिन्न आयोगों के सामने आये हैं। ग्रोवर आयोग ने तो विशेष रूप से इस बारे में धारणायें रखी हैं। इस आयोग का सम्बन्ध श्री देवराज अर्स से है। इसे केन्द्रीय सरकार ने नियुक्त किया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि मामला स्पष्ट हो गया है कि सत्ता का गलत उपयोग किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि ऐसे व्यक्ति को जिसे—

(क) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त किसी आयोग द्वारा गत दस वर्षों में किसी अपराध अथवा अपनी सत्ता या हैसियत का शासन-तंत्र के दुरुपयोग का दोषी समझा गया हो अथवा पाया गया है, अथवा

(ख) किसी सक्षम न्यायालय अथवा ऐसे आयोगों ने पाया हो कि उसने अपने लिए अथवा अपने किसी सम्बन्धी के लिए गत दस वर्षों में किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ उठाया है,

संसद के किसी सदन अथवा राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद्, अथवा किसी अन्य निर्वाचित निकाय अथवा सार्वजनिक पद के लिए चुने जाने अथवा सदस्य होने से दस वर्ष की अवधि के लिए अनर्ह करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाय अथवा उपयुक्त कानून बनाया जाय।"

श्री अनन्त राम जायसवाल (फैजाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 177 में कहा गया है

"संकल्प प्रस्तुत किया जाने के बाद कोई सदस्य संकल्पों से संबंधित नियमों के अधीन रहते हुए संकल्प में संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यदि ऐसे संशोधन की सूचना इस सदन से एक दिन पूर्व न दी गई हो जिस दिन कि संकल्प प्रस्तुत किया जाए तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किए जाने पर आपति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने आपके संशोधन के लिए अनुमति नहीं दी है क्योंकि आपने सूचना देर से दी थी।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : हमें इस प्रस्ताव को विषय वस्तु तक ही सीमित रहना चाहिए यदि सदस्य गत वर्षों के प्रतिवेदनों को पढ़ना शुरू कर देंगे तो यह चर्चा कभी समाप्त नहीं होगी।

प्रस्तावक यह व्यवस्था करना चाहते हैं कि किसी अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा किसी अभियोग में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 10 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। किसी अभियोग की परिभाषा बहुत व्यापक है अतः कोई भी साधारण अभियोग किसी अभियोग की परिभाषा में आ जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने इन शब्दों का प्रयोग किया है "जांच अभियोग अधिनियम के अन्तर्गत किसी जांच आयोग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति "जांच आयोग के संदर्भ में "दोषी" शब्द उचित नहीं है क्योंकि आयोग के निष्कर्ष केवल प्रतिवेदन के ही रूप में होते हैं। यह अदालत में किसी मामले की सुनवाई की तरह नहीं होते। आयोग तो केवल प्रथम दृष्टि से प्रमाणित मामले की बात से संबंधित होता है उस रिपोर्ट पर आगामी कार्यवाही उचित रूप से अधिकार प्राप्त न्यायालय ही करता है लेकिन प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि आयोग यह कहता है कि किसी व्यक्ति ने सत्ता का दुरुपयोग किया है तो उसको दोषी समझा जाए इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

श्री बसु ने कहा है कि वे इस सभा में संसदीय प्रणाली को अंदर से ध्वस्त करने आए हैं। क्या ऐसे लोग संसदीय प्रजातंत्र के बारे में बोल सकते हैं। अन्ततः हमारे दल तथा हमारे नेता को ही देश में चुनाव कराने का श्रेय है संसदीय चुनावों के द्वारा ही हम सब यहां हैं। यदि हम संसदीय प्रजातंत्र में विश्वास न रखते तो यह लोग आज यहां न होते।

प्रस्ताव मे कहा गया है कि यदि किसी सदस्य का कोई रिश्तेदार लाभ प्राप्त करता हो तो उसे 10 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि ऐसा है तो श्री मधु लिमये द्वारा लगाए गए आरोपों की दृष्टि में रखते हुए प्रधानमंत्री का क्या बनेगा।

अतः यह प्रस्ताव तो सभा में चर्चा के काबिल नहीं है। यदि इसका उद्देश्य केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी अथवा संजय गांधी ही हो तो वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यह प्रस्ताव कार्यसूची में प्रकाशित होने के योग्य भी नहीं था।

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्र नगर) : श्री बसु ने जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन करने की ओर ध्यान दिलाया है। किसी व्यक्ति को 10 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित करना क्या पर्याप्त होगा? कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य बने ही सभा की समूची कार्यवाही का मार्ग दर्शन कर सकता है। श्रीमती गांधी यदि चाहें तो सदस्य बने बिना ही वे प्रजातंत्रीय संस्थाओं की कार्यवाही को प्रभावित कर सकती है। अतः श्री बसु का सुझाव व्यवहारिक नहीं है। जन प्रतिनिधि अधिनियम का आमूल-चूल परिवर्तन जरूरी है।

इस प्रावधान के साथ साथ संविधान उल्लंघन के समय जांच आयोग का गठन जैसे अन्य प्रावधान भी इसमें जोड़े जाने चाहिए हमारे संविधान में उस प्रकार के कानून का समावेश होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने समूचे राष्ट्र विरोधी अभियोग किया हो, उसकी सुनवाई इस रूप में होनी चाहिए।

मैं श्री बसु के सुझाव का स्वागत करता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान संविधान या दण्ड प्रक्रिया संहिता में ही किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार का अपराध करने वाले व्यक्ति की सुनवायी सीधे ही कर दी जाए ताकि उसे सजा दी जा सके। प्रावधान इस प्रकार का हो जिसके द्वारा भविष्य में प्रजातंत्र को तोड़ा-मरोड़ा न जा सके।

हमारी लोकतंत्र के कार्य में दो दोष हैं। पहला तो यह चाहे कितना भी संशोधन किया जाए, संविधान का दुरुपयोग हो सकता है। अपने 45वें संशोधन में हमने यह देखा ही है। विधि मंत्री ने सदस्यों को भरपूर आश्वासन दिया कि आपातस्थिति के उपबंध का दुरुपयोग नहीं होगा लेकिन सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। अतः कितनी भी व्यवस्था कर ली जाए संविधान का दुरुपयोग हो सकता है।

दूसरा दोष यह है कि मतदान और निर्वाचन प्रणाली में दल के हाथ में सत्ता आ जाती है और धन महत्व-पूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम चाहते हैं कि 1975 की आपातस्थिति पुनः न आए तो उसके लिए हमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उपबंध संविधान में रखना होगा। अतः स्थिति में पूर्ण परिवर्तन किए बिना छोटे-मोटे परिवर्तनों से कुछ नहीं होगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : श्री बसु ने राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामले में जो कहा है मैं उससे सहमत हूं लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि केवल कांग्रेस शासन ही इसके लिए उत्तरदायी है इसके लिए तो प्रत्येक सत्ताधारी दल उत्तरदायी है।

श्री बसु ने श्री लंका का उदाहरण दिया है। वह जिन्ना के नेतृत्व के अधीन पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं का उल्लेख कर सकते थे। श्री लंका में सिविल डिस एनलिटीज अधिनियम भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिये बनाया गया था और संयोग देखिये कि हर बार राजनैतिक विरोधी को ही अधिनियम के अधीन पकड़ा गया। इसी प्रकार पाकिस्तान में जिया ने श्री भुट्टो और उनके समर्थकों को दबाया यदि इन न्यायालयों से हम राजनैतिक विरोधियों को ही नष्ट करना चाहते हैं तो उनका कोई लाभ नहीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री देवराज अर्स, श्री बन्सी लाल तथा अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कितने आयोग बैठाये गये मैं उनके जांच निष्कर्षों के विवाद में नहीं पड़ना चाहता। यदि इन जांच आयोगों ने उन्हें दोषी पाया है तो देश के कानन के अनुसार उन पर मुकदमा चलाया जाये। लेकिन लोग तो इन नेताओं को पुनः उभार रहे हैं। उनके पक्ष में विश्वास का मत दे रहे हैं।

उसका कारण यही है कि जांच आयोग केवल बदले की कार्यवाही है। इसलिये उनका कोई लाभ नहीं है। अतः समाज सेवकों को चाहे वे सरकार में हों या विपक्ष में उन्हें अधिकार दिया जाये और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये।

इन परिस्थितियों में संकल्प पारित करने का कोई लाभ नहीं है।

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura) : Even after 31 years of independence there has not been much improvement in the condition of the country, while a few politicians, who have almost no capacity before entering into politics, have become millionaires. Also there are certain politicians who are always found busy in thinking as to law power can be retained by them and how their sons or grandsons can earn million so that it do not remain necessary for them to do any other job. Such politicians have polluted the political atmosphere in the country. Keeping this in view it is essential that the country is saved from those who have been having an unclean career or doubtful integrity. They are a danger to the country. I do not say that this motion be accepted in toto but I feel that Government should be guided by the intention behind this motion when they amend the Representation of Peoples Act. A suitable amendment be made in this Act to see that the persons having doubtful integrity or a 'black' political life are disqualified for ten years for the membership of legislatures. If such a person is disqualified in this manners, then his or her supporters will also loose all courage and he or she will not be able to play any effective role.

This is a very serious issue and is not related to any political party. It should therefore be considered in all seriousness and above the party level.

In regard to the Commission of Inquiry I will suggest that it should not be merely a recommendatory body its recommendation should be mandatory. A suitable amendment to this effect should be made in the Commission of Inquiry Act.

With these words I support this motion.

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस प्रस्ताव के प्रस्तावक इनके द्वारा क्या हासिल करना चाहता है। यदि यह भ्रष्टाचार तथा शक्ति के दुरुपयोग के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये है, तो एक अलग प्रस्ताव पेश किया जाना आवश्यक है। मुझे आश्चर्य कि इस प्रकार की प्रस्ताव लाकर शाह आयोग और सरकारी आयोग में भेदभाव क्यों रखा गया है। भ्रष्टाचार ही है, चाहें इसे करने वाला कोई भी व्यक्तियों क्यों न हो।

मैं किसी भी सरकार को इस प्रकार की शक्ति नहीं देना चाहता है जैसा कि प्रस्ताव में मांग की गई है। इसमें जांच आयोगों द्वारा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। उन पर दाण्डिक न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाना चाहिये। इसके लिये यदि वर्तमान दाण्डिक कानन पर्याप्त नहीं है तो सरकार को उनमें आवश्यक संशोधन करना चाहिये।

हमारी चुनाव प्रणाली में आमूलचल परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। यदि संसद वास्तव में उन सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों, जो लोग चाहते हैं, को लाने का एक साधन है, जो वर्तमान चुनाव प्रणाली से ऐसा नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रणाली में अल्पसंख्या मतों द्वारा एक पार्टी सीटों का बहुमत ले सकती हैं। जब तक यह प्रणाली चलती रहेगी तब तक वास्तविक लोक तन्त्र नहीं आ पायेगा।

भ्रष्टाचार का स्त्रोत काला धन है। इस देश में करोड़ों रुपये का काला धन है। यह समानान्तर सरकार के रूप में काम कर रहा है। जो भी पार्टी सत्ता में हो, काला धन ही चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है काले धन को समाप्त किये बिना हम लोकतन्त्र को नहीं बचा सकते। यदि सत्तारूढ़ दल गम्भीर है, तो मैं इस समस्या का अध्ययन करने के लिये इस सभा की एक विशेषज्ञ समिति या सर्व दलीय समिति नियुक्त करने की अपील करता हूं कि क्या हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू कर सकते हैं और क्या हम मतदान की आयु कम कर सकते हैं।

राजनीतिक दलों को एकाधिकारियों तस्करों, चोर बाजारियों आदि पर चुनाव प्रयोजनों के लिये धन के लिये निर्भर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इटली में चुनाव प्रयोजनों के लिये सभी राजनीतिक दलों को सरकार द्वारा धन दिया जाता है। उन्हें उनका चुनाव खर्च तथा सामान्य व्यय भी दिया जाता है। लोकतन्त्र को बचाने के लिये इस प्रकार के आमूल-चल सुधार पर विचार किया जाना चाहिये तथा उसे अपनाया जाना चाहिये।

श्री यशवंत बोरोले (जलगांव) : हमें इस बात का पता लगाने के लिये कुछ गहराई से विचार करना होगा कि इस प्रकार के विस्तृत उपबन्ध के परिणाम क्या होंगे यदि हम इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसा का ऐसा निगमित करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच घृणा तथा बुराई पैदा करने वाले अपराध, रिश्वत के अपराध, अनुचित प्रभाव, चुनाव आदि में छदमवेश धारण करना भ्रष्टाचार बेईमानी, आदि के लिये सेवा से निकाले गये सरकारी कर्मचारी की अनर्हता के बारे में, सरकार के साथ ठेके आदि करने के लिये अनर्हता के बारे में, लाभ के लिये पद आदि ग्रहण करने के लिये अनर्हता के बारे में कुछ उपबन्ध किये गये हैं। जब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दिये गये अपराधों तथा अनर्हताओं के स्वरूप पर विचार किया जाता है तो हमें पता चलता है एक विशेष बात अपनाई गई है। यह बात ऐसी है कि चुन लिए जाने के बाद किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं करना चाहिये या अपने पद या स्थिति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये और इस प्रकार उसकी इच्छा पर उपलब्ध मशीनरी का लाभ नहीं उठाना चाहिये। विभिन्न आयोगों से अब यह स्पष्ट हो गया है कि आपातस्थिति के 19 महीनों में राजनीतिक पद का दुरुपयोग किया गया है और लोकतन्त्र ढांचे के अधीन किये गये संरक्षणों के बावजूद भी इसका दुरुपयोग किया जाता है, यह सर्वथा आवश्यक है कि जब भष्टाचार का कोई आरोप, पद के दुरुपयोग का कोई आरोप सिद्ध हो जाता है तो उस व्यक्ति को लम्बे अरसे तक के लिये किसी राजनीतिक पद को धारण करने के लिये अनर्हित कर दिया

जाना चाहिये जिसमें वह पछतावा कर सके, और समय समय के साथ-साथ उसका हृदय परिवर्तन हो सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। परन्तु मेरी कुछ शंकायें हैं। प्रस्ताव की भाषा कमजोर है। दूसरे, इसकी गलत परिभाषा की जा सकती है।

हमने देखा है कि ऐसे आयोगों ने कुछ निष्कर्ष और निर्णय दिये हैं, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के बारे में। यह किसी व्यक्ति के अपराध का सही निष्कर्ष नहीं है। इसलिये हमें इसे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिये और व्यक्ति विशेष को आयोग्य करार देने के निष्कर्षों का विरोध करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। स्पष्टतः हम इसे स्वीकार करते हैं। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत निष्कर्ष की व्याख्या की जाने का सुझाव हो तो हमें यह स्वीकार्य है।

प्रस्ताव के पीछे जो भावना है वह अच्छी है। मैं श्री बसु से अपना प्रस्ताव वापिस लेने का अनरोध करता हूं। उनका कार्य सिद्ध हो गया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं आपात स्थिति की और उन 19 महीनों में हुए तानाशाही राज्य की निन्दा करने में श्री बसु और जनता पार्टी के सदस्यों के साथ था। परन्तु समझ में नहीं आता कि मैं इस प्रस्ताव का, जिस रूप में यह पेश किया गया है, किस प्रकार समर्थन करें। यदि अस्पष्ट नहीं है तो यह बहुत ही सामान्य है, इससे अनेकों कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी। यह अच्छा होता कि प्रस्तावक अपना स्वयं का विधेयक लाते और उस विधेयक के माध्यम से वे सरकार को बनाने कि इस प्रकार काम करे अथवा सरकार पर अपना विधेयक लाने को दबाव डालते।

मैं आपात काल के उन काले दिनों में जो कुछ किया गया उसका पूर्ण विरोध करने में किसी से पीछे नहीं हूं श्रीमती गांधी ने स्वयं और अपने बेटे को छोड़ सब अन्य बतों को तो निश्चित ही मान लिया था और सभी शक्तियों का उपयोग घिनौने रूप में किया निःसन्देह यह सब असाधारण जुर्म थे क्योंकि यहां संविधान की अलहेलना की गई। मैं पिछले समय से लागू होने और साथ ही राजनीतिक, बदले के सर्वथा विरूद्ध हूं। यदि वर्तमान कानूनों में ऐसे अपराधों के लिये दण्ड की व्यवस्था नहीं है सरकार नया कानून बना सकती है, परन्तु उसे पिछले समय से लागू नहीं किया जा सकता। यदि हम अपने जीव से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं और चहते है कि कोई व्यक्ति तानाशाह न बने तो हमें अपनी निर्वाचन पद्धति और जन अवास को पवित्र करना होगा। इससे कोई तत्पर्य सिद्ध नहीं होगा। इससे जनता सरकार और संसद कठिनाई में पड़ जायेगी।

SHRI ANANT RAM JAISWAL (Faizabad) : This resolution only seeks to amend the Peopies' Representation Act. It is stated in the resolution that any one found guilty of corrupt practices by any court or commission should be disqualified to become a member of an elected body for the ten years.

The Ex-Prime Minister had taken arbitrary decisions during the emergency and she had created conditions in which there was no freedom of expression. She did not consult anybody efore imposing emergency in the country. It is well known that only one man rule continude during the emergency. Everybody was at her beck and call. I would appeal that resolution be adopted.

श्री व्यालार रवि (चिरयिंकील) : हालांकि मैं श्री ज्योतिर्मय बसु की भावना का आदर करता हूं फिर भी मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। माननीय सदस्य का इरादा उच्च स्तर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करवाना है।

जांच आयोग नये नहीं है, राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप नये नहीं है। लेकिन हम गत वर्षों के इतिहास की छानबीन कर सकते हैं।

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए।
SHRI DHIRENDRA NATH BASU *in the Chair*]

जब सरकार सत्ता में आई तो उस समय भूतपूर्व मख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज था। लेकिन सरकार ने मामला वापस ले लिया है हालांकि जांच आयोग ने उन्हें दोषी पाया था।

राजनीतिक नैतिकता की बात करना तो आसान है परन्तु उसे क्रियान्वित करना कठिन है। केवल कांग्रेस दल पर ही आरोप लगाना सही नहीं है।

मैं श्री बसु द्वारा पेश किये गये संकल्प का समर्थन नहीं कर सकता यद्यपि उसके पीछे जो भावना है उसका मैं आदर करता हूं।

श्री बसु के वर्तमान प्रस्ताव के विपक्ष रानीतिक बदले का नाम देगा। इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इस संकल्प का अर्थ कई प्रकार से निकाला जा सकता है। यह बसु के विरूद्ध भी जा सकता है। सभी आर्थिक अपराधियों के मताधिकार को समाप्त करने के प्रस्ताव का अधिक असर होगा।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : The resolution of Shri Bosu is not happily worded, but nobody will oppose the objectives behind the resolution.

The actions of Shrimati Indira Gandhi during emergency were fatal to the survival of democracy and there was complete and naked fascism. The Government has failed to bring forward a befitting case against Smt. Indira Gandhi. A special law should be framed to deal with her, and put in the jail and defranchised. We have to take such type of strict action with a view to clean the public life. This issue should not be taken on party lines. In view of this I support the spirit of the motion.

The rule of law should prevail. This is not vendata. I support this motion.

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : श्री बसु का प्रस्ताव केवल एक भय की अभिव्यक्ति है। उन्हें और अन्य आरोप लगाने वालों के दिमाग इन्दिरा भय बैठा हुआ है। एक ओर तो यह मूल अधिकारो और संविधान की बात करते है और दूसरी ओर यह मताधिकार से वंचित करने की बात करते हैं।

यह कहा गया है कि नागरिक को 10 वर्ष के लिये मताधिकार से वंचित कर दिया जाये। परन्तु इस शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। कानून के अधीन भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्ति को कानन के अनसार दण्ड मिलेगा। किसी को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जा रहा है। इस देश में लोकतन्त्र बंद की भावना से नहीं चल सकता।

मैं उस लोकतन्त्र में विश्वास रखता हूं जिसमें किसी नागरिक के मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस विषय पर जनमत संग्रह द्वारा लोगों की इच्छायें जानी जायें।

जब तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पूरी कानूनी व्यवस्था है तब तक इस प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं निकलता।

आधे घंटे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION
भविष्य निधि की बकाया राशि

श्री चित्तबसु (बराटपाल) : तारांकित प्रश्न संख्या 265 दिनांक 3 अगस्त, 1978 के उत्तर में मंत्री महोदय ने कुछ जानकारी पढ़ी थी। यह कहा गया था कि 30 जून, 1978 को बकाया भविष्य निधि की राशि 20.77 करोड रुपये थी उस में से 11.6 करोड रुपये की राशि की वसूली भविष्य निधि संगठन के बस में नहीं है। एक और विशेष प्रभाव शाली बात यह थी कि 8.51 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के नाम है। एक और बात जो उन्होंने बताई यह थी कि 3.01 करोड़ रुपये की राशि अदालतों में चल रहे मामलों के कारण रुकी हुई है।

इस मामले में कार्यवाही करने की दो प्रक्रियायें हैं। पहला यह कि अदालत के माध्यम से वसूली की कार्यवाही आरम्भ की जाये और दूसरा मकदमा चलाये जाये।

मंत्रालय द्वारा मझे दी गई जानकारी के अनुसार 81,000 मामलों में वसूली के केस चाल किये गये और 80,000 में मुकदमें चलाये गये हैं। सरकार द्वारा की गई इस बड़े पैमाने की कार्यवाही के परिणाम सभा को बताये जाने चाहिये।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन कारखानों के मजदूरों को उनका पूरा बकाया मिलेगा, और बोनस की राशि भी प्राप्त हो जायेगी। सरकार का अनुमान क्या है कि मकदमें चला कर तथा दन्ड कार्यवाही करके कितनी

मात्रा में वसूली हो जायेगी। 20 करोड़ रुपये की राशि में से 8 करोड़ तो मिल ही नहीं सकता। इसके कारणों पर भविष्य निधि प्राधिकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि 8.5 करोड़ रुपया वसूल ही नहीं होगा। आखिर इसके लिये किसकी जिम्मेदारी होगी।

एन० सी० टी० केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है। क्या श्रम मन्त्री इस मामले पर श्रम मंत्रालय से बातचीत करेंगे। एन० सी० टी० को अपनी नीति को इस प्रकार निर्धारण करना चाहिये कि सब से पहले बोनस का बकाया दिया जाना चाहिये।

भविष्य निधि अधिनियम में कुछ बड़े दोष हैं, जिनका संशोधन किया जाना चाहिये। यदि सरकार का ऐसा विचार बन जाय तो क्या केन्द्रीय कार्मिकों संघों के प्रतिनिधियों के परामर्श किया जायेगा ?

मंत्री महोदय को इस मामले पर वित्त मंत्रालय से परामर्श करना चाहिये तथा अन्य सम्बन्ध मंत्रालयों से भी पूछताछ करनी चाहिये। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि वसूली शीघ्रता से की जानी चाहिये। किसी भी कर्मचारी को किसी वित्तीय संस्था से कर्जा नहीं मिलना चाहिये। जब तक वह इस प्रकार का प्रमाण पत्र न दे कि उसे किसी का कुछ नहीं देना।

मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिये कि जिन कारखानों में हड़ताल चल रही है, अथवा यहां तालाबन्दी चल रही है, वहां भी किसी को भविष्य निधि से कर्जा तब तक न दिया जाय, जब तक भविष्य निधि आयोग का प्रमाण पत्र न मिल जाय कि उस कारखाने में हड़ताल चल रही है और तालाबन्दी हुई है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह): भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग कई वर्गों में विभाजित हैं। उद्योगों में ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिन्हें छूट दी गई है और जिन्हें छूट नहीं दी गई है। मुकदमा चलाने का मामला कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अधीन ही आता है। गैर छूट शुदा प्रतिष्ठानों के विरूद्ध दायर किये गये मामलों की संख्या 80485 है। छूट दिये गये प्रतिष्ठानों की संख्या, जिनके विरूद्ध मामले हैं, 107 है। इन दोनों की कुल संख्या 80592 है मामलों के निपटारों की दृष्टि से मामले घटते बढ़ते रहते हैं। 80592 मामलों में से लगभग 57,000 मामलों का निपटारा हो गया है। यह तो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ मामलों का निपटारा हो जाता है तो नये मामले आ जाते हैं। सभी मामले एक साथ नहीं चल रहे हैं। कुछ धन वसूल किया गया है। वसूली आदि जमा कर दिये जाने के पश्चात् कुछ मामले वापस भी किये जा सकते हैं। कुल 18.04 करोड़ रुपये भी राशी बकाया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 409 के अन्तर्गत कुल 898 मामलों का चालान हुआ है। जिनमें से 160 मामलों का निपटारा हो चका है और 738 मामलों में मुकदमा चल रहा है। इन मामलों में 192 लाख रुपया बकाया है। फिर क्षतिपूर्ति की वसूली का मामला है। जब भगतान विलम्ब से किया जाता है और कुछ दूसरे मामले पैदा हो जाते हैं, तो क्षति पूर्ति की वसूली करते हैं। यह क्षतिपूर्ति वास्तविक बकाया राशि नहीं है बल्कि यह तो एक प्रकार का दण्ड है। यह क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली करने के लिये मुकदमें दायर करने पड़ते हैं।

यह प्रश्न किया गया है कि कितने व्यक्तियों को दाण्डित किया गया है। कुछ अधिनियमों के अन्तर्गत ही लोगों को सजा दी जाती है और कुछ मामलों में तो न्यायालय द्वारा जेल की सजा भी दी गई है। छूट दिये गये प्रतिष्ठानों में एक मामले में और गैर छूट शदा प्रतिष्ठानों में 350 मामलों में अर्थात् कुल 351 मामलों अनिवार्य कारावास का दण्ड दिया गया है। लेकिन वे लोग उच्चतम न्यायालय में भी गये हैं।

प्रश्न किया गया है कि क्या इन कारखानों के मजदूर अपनी धन राशि लेने के हकदार होंगे। भविष्य निधि के जब्त खाते हमारे पास हैं। जब कोई मजदूर उस निधि में से राशि लेने के लिये आवेदन करेगा तो उसे उसके अंशदान का भाग दिया जायेगा। लेकिन वर्तमान नियमों या कानून के अन्तर्गत नियोजक के हिस्से की राशि, जो उसने जमा नहीं कराई है, में से भुगतान नहीं किया जा सकता। इसका भुगतान तभी किया जा सकता है जब कि नियोजक अपने हिस्से की राशि जमा कर दे। लेकिन नियोजक द्वारा जमा न कराई गई राशि के बावजूद कर्मचारियों के वेतन में से काटी गई राशि का भगतान उस नियोजक के जब्त किये गये खातों में से किया जाता है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के बारे में प्रश्न उठाया गया है। जब उस समय रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीय करण करने सम्बन्धी अधिनियम पास किया गया था तब उद्योग मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया गया था कि इन रुग्न कपड़ मिलों की ओर भविष्य निधि की बहुत अधिक रशि बकाया है और इसीलिये उसे प्राथमिकता अभियोग या देय मामला बनाया जाना चाहिये। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस निधि को तृतीय वर्ग में रखने का ही निर्णय किया। मेरा विचार संबंधित मंत्रालय के साथ इस मामले पर नये सिरे से चर्चा करने का है।

भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करने के कुछ प्रस्ताव आये हैं उदाहरणार्थ छट वाली श्रेणी के उद्योग की ओर अब तक कुछ राशि बकाया है और उन्होंने वह राशि न्यास बोर्ड में जमा नहीं कराई है तो उन उद्योग को भूराजस्व वसूली कार्यों अथवा कृत्यों के अन्तर्गत दण्डनीय नहीं मानना चाहिये अतः ऐसा एक प्रस्ताव है। फिर कठोर कार्यवाही करने के भी प्रस्ताव किये गये है। ऐसे कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। जहां तक केन्द्रीय कार्मिकों संघों के साथ बातचीत करने का सम्बन्ध है। भविष्य निधि बोर्ड में कुछ केन्द्रीय कार्मिक संघों का प्रतिनिधित्व है। अतः यदि श्री चित्त बसु ने कुछ सुझाव दिये है तो मैं उनका सदैव स्वागत करूगा।

एक यह प्रश्न उठाया गया है कि वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता मांगने वाली उद्योगों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिये आर्थिक मंत्रालयों से बातचीत करनी चाहिये। हमने गत वर्ष वित्त मंत्रालय के साथ यह अनुवर्ती कार्यवाही की गई थी कि रिजर्व बैंक सभी बैंकों को इस आशय के परिपत्र जारी करे जिसमें उन उद्योगों से यह एक जाये कि वे भविष्य निधि संगठन से न बकाया प्रमाण प्राप्त करें तभी उन्हें ऋण दिया जायेगा। लेकिन इस पर बहुत विरोध हुआ। अनेक लोगों ने रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की अभ्यावेदन दिये इससे कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी और ऋण मंजूर होने तथा अन्य मामलों में विलम्ब होगा और उन्होंने इसमें छट मांगी। इसलिये पहले परिपत्र का संशोधन करते हुए अन्य परिपत्र जारी किया जिसमें कुछ नरमी बरती गई हम इस मामले पर फिर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और उनसे अनरोध कर रहे हैं कि पुराने परिपत्र के अनसार ही कार्यवाही की जाये। एक अन्य प्रश्न उद्योगों में तालाबन्दी तथा उन्हें उनके बन्द किये जाने के बारे में और उन मजदूरों के बारे में उठाया गया है जिन्हें ऋण नहीं मिला है। यदि कुछ विशेष शिकायतें हैं तो उनपर अवश्य ही ध्यान दिया जाएगा और उनकी जाँच की जाएगी।

प्रो० पी० जी० मावलन्कर (गांधीनगर) : यह एक पेचीदा मामला है। कर्मचारियों के भविष्य के बारे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने परिश्रम की कापियां नहीं मिलती।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपना उत्तरदायित्व क्यों नहीं समझती। यदि वही अपने कर्मचारियों के लिये स्तर निर्धारित नहीं करती तो अन्य कर्मचारी कैसे उचित व्यवहार अपनायेंगे। इस बारे में सोचा जाना चाहिये कि क्या प्रक्रिया तथा प्रथा को अधिक सार्थक ढंग से व्यवहार में लाया जा सकता है।

न्यायालयों में मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या अधिक आदमियों की निवृत्ति का प्रस्ताव है। कानून में परिवर्तन के लिये क्या किया जा रहा है जा रहा है। श्रमिकों को भविष्य निधि तथा उसके ब्याज की अदायगी के लिये कपड़ा निगम क्या कर रहा है ? श्रमिकों को अपने खून पसीने की कमाई का यह भाग जरूर मिलना चाहिये।

डा० रामकृपाल सिंह : भविष्य निधि की बकाया राशि के बारे में गलत धारणा बन रही है। भविष्य निधि की राशि बहुत भारी जमा होती है और बकाया राशि तो बहुत कम है। 1977-78 में 229 करोड़ रुपये जमा हुये और बकाया राशि केवल 20.77 करोड़ रुपये है। उसमें भी राष्ट्रीय कपड़ा निगम का भाग 8.55 करोड़ रुपये है। यह बकाया राशि तो चलती रहने वाली प्रक्रिया है। यह राशि अभी जमा नहीं हुई है।

हम इस राशि की अदायगी के लिये भी पूरे कानूनी प्रयत्न कर रहे हैं। हम संबंधित व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ का दिवाला निकल गया है। उन मामलों में सरकार क्या कर सकती है ?

SHRI YUVRAJ (Katihar) : Sir, hon. Minister has stated that prosecutions are being launched under section 406 and 409 IPC. But when Government realise Central Excise, Income Tax and Sales Tax etc.; then why amounts of providend funds are not being realised in similar manner and why it is left on the discretion of the owner ? Do you propose to introduce such procedure ? Today many families of the deceased workers do not get any amount of provident fund. You should bring some change in the procedure and law.

DR. RAM KRIPAL SINGH : The suggestion regarding realisation of arrears is very good but even in this manner full realisation is not possible as is the case of income-tax

or sales tax. I have already told about the number of prosecutions launched under secuons 406 and 409 IPC and that 351 persons have been awarded jail sentences. The maximum punishment is of 6 months jail sentence and minimum sentence is till rising of the Court. I assure you that we will make full efforts to realise the arrears of G.P. Fund.

सभा का अवमान
CONTEMPT OF THE HOUSE

सभापति महोदय : मैं सभा स्थगित करने से पूर्व एक घोषणा करना चाहता हूं ।

मुझे सभा को सूचित करना है कि आज लगभग 3.55 बजे म० प० दो दर्शक, जिन्होंने, स्वयं को श्री राधे श्याम वर्मा और श्री राम कुमार शर्मा बताया है, दर्शक दीर्घा से चिल्लाने लगे । वाच और वार्ड अधिकारी ने उन्हें तुरन्त हिरासत में लेकर पूछ ताछ की । दोनों ने स्वंय को विद्यार्थी बताया है और अपनी कार्यवाही पर खेद प्रकट किया है । उन्हें छोड़ा जा रहा है ।

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 17 अगस्त, 1978/26 श्रावण, 1900 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 17, 1978, *Sravana* 26, 1900 (*Saka*).

---

381 एल०एस०एस०/78—भा०स०मु०फ०—17-11-78